मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

दिसम्बर, 2014 सत्र

शुक्रवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2014

तारांकित प्रश्नोत्तर

भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति

1. **(*क्र. 649) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परि.अता. प्रश्न संख्या-86 (क्रमांक 3764) दिनांक 18 जुलाई 2014 के उत्तर की कंडिका (क) में बताया गया था कि लोक निर्माण विभाग से विस्तृत प्राक्कलन एवं प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण प्रकरण प्रशासकीय स्वीकृति हेतु स्थायी वित्त समिति में प्रस्तुत नहीं हो सका है, तो क्या सिविल अस्पताल ब्यावरा के भवन निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार करने के लिये सर्वेक्षण करने स्वास्थ्य विभाग का एक दल माह सितंबर 2014 में ब्यावरा आया था ? यदि हां, तो उक्त दल द्वारा शासन अथवा विभाग को पालन प्रतिवेदन अथवा रिपोर्ट सौंपी गई ? (ख) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या अस्पताल भवन का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब तक उक्त प्रकरण में प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य प्रारंभ करवा दिया जावेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हां । जी हां । ब्यावरा में 100 बिस्तरीय अस्पताल का कंसेप्ट प्लान तैयार कर दिनांक 20.11.2014 को संचालनालय में प्रस्तुत किया गया है । (ख) जी नहीं । कंसेप्ट प्लान के परीक्षण उपरांत प्राक्कलन तैयार किया जायेगा । जिसके आधार पर प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत निर्माण कार्य कराने की कार्यवाही की जायेगी । समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

चिकित्सक के विरूद्ध कार्यवाही

2. **(*क्र. 1308) श्रीमती शीला त्यागी :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 02.05.2013 को रीवा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों गंगेव, मनगवॉ व अन्य सभी के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान प्रमुख सचिव स्वास्थ्य म.प्र. शासन ने किन-किन चिकित्सकों को दण्डित किया, सूची उपलब्ध कराएँ ? (ख) क्या दिनांक 13.05.08 को थाना मनगवॉ में दर्ज एफ.आई.आर. के अपराधी व्यक्ति श्री तीरथ यादव को डॉ. सी.एम. मिश्रा द्वारा दिनांक 12.05.08 से दिनांक 17.05.08 तक फर्जी तौर से सिविल अस्पताल मनगवां में भर्ती कराया गया था ? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में दिनांक 01.07.12 से 31.10.12 तक सी.एस.सी. मनगवॉ द्वारा किए गए एम.एल.सी. की सूची दर्ज रजिस्टर पंजी की प्रति उपलब्ध करावें ? (घ) प्रश्नांश (ग) के पीड़ितों के एम.एल.सी. थाने के रिकार्ड से मिलान न होने की स्थिति में अपराधी डॉ. सी.एम. मिश्रा के खिलाफ शासन को कौन-कौन से शिकायती पत्र

प्राप्त हुए हैं और आज दिनांक तक क्या कार्यवाही हुई तथा यह भी बताएँ कि ऐसे चिकित्सक के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) प्रश्न भाग की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - अ** अनुसार । (ख) जी हॉ, डॉ. सी. एम. मिश्रा द्वारा दिनांक 12/05/2008 से दिनांक 17/05/2008 तक श्री तीरथ प्रसाद यादव जो बुखार, उल्टी, दस्त की बीमारी से पीड़ित था का उपचार सिविल अस्पताल मनगवॉ में भर्ती कर किया गया । (ग) प्रश्न भाग की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ब** अनुसार । (घ) विभाग स्तर पर इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

चिकित्सकों की पदस्थापना

3. **(*क्र. 1254) पं. रमेश दुबे :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र चौरई जिला-छिंदवाड़ा में कौन-कौन से स्वास्थ्य केंद्र कहां-कहां पर संचालित हैं ? इन स्वास्थ्य केंद्रों में स्वीकृत पदों की जानकारी पदनाम सहित तथा स्वीकृत पदों पर पदस्थ और कार्यरत चिकित्सकों व अन्य शासकीय सेवकों की जानकारी उनके नाम, पद व निवास का पता सहित दें ? (ख) क्या यह सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौरई एवं इसके अंतर्गत आने वाले 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों के कुल 12 पद स्वीकृत हैं किंतु केवल एक चिकित्सक पदस्थ है ? इसी प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछुआ एवं इसके अंतर्गत आने वाले 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों के स्वीकृत कुल 12 पदों के विरूद्ध केवल 03 चिकित्सक पदस्थ हैं ? (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौरई एवं बिछुआ में चिकित्सकों की पदस्थापना नहीं होने से चिकित्सकीय सुविधाओं का लाभ नागरिकों को नहीं मिलने, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने के संबंध में क्या प्रश्न कर्ता ने पत्र क्रमांक 2220 दिनांक 20/10/2014 मा. लोक स्वास्थ्य मंत्री को, पत्र क्रमांक 2226 दिनांक 21/10/2014 आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र. को एवं पत्र क्रमांक 2227 दिनांक 21/10/2014 संचालक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण म.प्र. को प्रस्तुत कर चिकित्सकों की पदस्थापना किये जाने का निवेदन किया है ? (घ) यदि हां, तो चिकित्सकों की पदस्थापना किये जाने के संबंध में किस स्तर से क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या शासन शीघ्र सार्थक पहल कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौरई एवं बिछुआ व इनके अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की शीघ्र पदस्थापना करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) प्रश्न भाग की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ"** अनुसार । (ख) जी हां, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई एवं इसके अंतर्गत 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 01 चिकित्सा अधिकारी पदस्थ है, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिछुआ एवं इसके अंतर्गत 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 04 चिकित्सा अधिकारी पदस्थ है । (ग) जी हां । (घ) विभाग, चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति करने हेतु निरन्तर प्रयासरत है । वर्तमान में विशेषज्ञों की अत्यंत कमी है, विशेषज्ञों के पद पदोन्नति से भरा जाना है । पदोन्नति की कार्यवाही निरन्तर जारी है । द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के पदो की पूर्ति हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा जून 2014 में 1271 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया जा चुका है । चयन सूची प्राप्त होने के उपरांत चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर प्रश्न में उल्लेखित स्वास्थ्य संस्थाओं पर चिकित्सको की पदस्थापना की कार्यवाही की जावेगी । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

विभिन्न योजनाओं हेतु प्राप्त आवंटन

4. **(*क्र. 280) श्री रामलाल रौतेल :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 अप्रैल से 30 सितम्बर, 2014 तक अनूपपुर जिले में योजनावार, शीर्षवार कितना आवंटन प्राप्त हुआ है ? त्रैमासिक प्राप्त आवंटन के विरूद्ध कितनी राशि आहरित की गई है, तथा कितनी राशि व्यय की गई ? व्यय राशि का विवरण, किस-किस संस्था/फर्म को कितनी राशि का भुगतान किया गया ? (ख) सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अनूपपुर के नाम से कितने बैंक खाते हैं ? खाते का प्रकार, बैंक का नाम, खाता नम्बर की जानकारी प्रदान करें ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"एक"** अनुसार है । (ख) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"दो"** अनुसार है ।

जिला परियोजना समन्वयक की नियुक्ति संबंधी योग्यता

5. **(*क्र. 446) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग में जिला परियोजना समन्वयक के पद में नियुक्ति हेतु क्या-क्या आवश्यक योग्यता है, इस पद पर किन व्यक्तियों को पदस्थ किया जा सकता है ? (ख) क्या जिला परियोजना समन्वयक के पद पर संविदा के कर्मचारियों को भी नियुक्त किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो म.प्र. में कहॉ-कहॉ संविदा के कर्मचारी इस पद पर पदस्थ है ? (ग) निर्धारित योग्यता न रखने वाले इन अधिकारियों को कब तक पद से हटा कर निर्धारित योग्यता धारण करने वाले अधिकारियों को इस पद पर पदस्थ किया जावेगा ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जिला परियोजना समन्वयक के पद हेतु योग्यता/अर्हता संबंधी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** अनुसार है । वर्तमान में स्कूल शिक्षा/आदिवासी विकास विभाग के सहायक संचालक/प्राचार्य, हायरसेकेण्ड्री/प्राचार्य, हाईस्कूल संवर्ग के अधिकारियों को जिला परियोजना समन्वयक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त वर्ष 1994 से 2001 तक जिला परियोजना समन्वयक के पद पर संविदा आधार पर कर्मचारियों का नियमानुसार चयन किया गया था, जिनमें से वर्तमान में 04 कर्मचारी कार्यरत है । (ख) उत्तरांश 'क' अनुसार । (ग) उत्तरांश क अनुसार, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

परिशिष्ट - "एक"

छात्रावासों, आश्रमों एवं स्कूलों में मरम्मत कार्य

6. **(*क्र. 494) श्री मधु भगत :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिवासी सहायक आयुक्त बालाघाट को वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक छात्रावासों, आश्रमों, प्राथमिक, माध्यमिक हाईस्कूल हायर सेकेण्डरी स्कूलों के मरम्मत कार्य, फर्शीकरण, बाउण्ड्रीवाल, अतिरिक्त कक्ष, मूत्रालय, शौचालय तथा अन्य कार्यों के लिए कितनी राशि प्राप्त हुई है ? (ख) उक्त राशि से क्या-क्या और कौन-कौन से कहां-कहां निर्माण कार्य कराये गए हैं ? (ग) क्या उक्त निर्माण कार्य के लिए विभागीय सहायक यंत्री, उपयंत्री से कार्यों का प्राक्कलन सत्यापन एवं कार्य की

आवश्यकता अनुसार ही कार्य स्वीकृत किये गए हैं ? कार्य की पूर्णता के आधार पर विभागीय उपयंत्री एवं सहायक यंत्रियों से मापांक कराया गया होगा तो कराये गये निर्माण कार्यों की सम्पूर्ण जानकारी देते हुए यह भी बतायें कि भुगतान प्रक्रिया में भुगतान राशि चेक द्वारा दिए गए हैं या पूर्णावंटित है या केश दिया गया है ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) प्रश्नांकित अवधि में वर्णित कार्यों के लिये प्राप्त राशि का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** अनुसार है । (ख) **परिशिष्ट** के कॉलम में उल्लेखानुसार निर्माण कार्य कराये गये हैं । (ग) जी हाँ । प्रश्नांश "क" में वर्णित कार्यों का प्राक्कलन/सत्यापन विभागीय उपयंत्री/जनपद पंचायत के उपयंत्री द्वारा कराया गया है । कार्य पूर्णता के आधार पर भुगतान किया गया है । कार्यवार भुगतान प्रक्रिया का विवरण **परिशिष्ट** के कॉलम–12 में दिया गया है ।

विभाग द्वारा कराये गये कार्य

7. **(*क्र. 61) श्रीमती उमादेवी खटीक :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दमोह में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा विगत 2012 से 2014 तक कराये गये कार्यों सी.सी. निर्माण, विद्युतीकरण के कार्य, कूप निर्माण, सामुदायिक भवन एवं विभाग द्वारा संचालित समस्त प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या बतावें ? (ख) क्या दमोह जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा कराये गये कार्यों की शिकायतें क्षेत्रीय भ्रमण उपरान्त जनता द्वारा प्राप्त हो रही हैं । जिनकी जांच जिला स्तरीय समिति द्वारा करायी जाना आवश्यक है । यदि हॉ, तो जांच समिति द्वारा कार्यों की जांच कराकर दोषी अधिकारियों/ठेकेदारों पर कार्यवाही की समय-सीमा बतायें ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1** तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2** अनुसार है । (ख) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

मरीजों का समुचित ईलाज न होना

8. **(*क्र. 515) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिला चिकित्सालय द्वारा 1 अप्रैल, 2010 से प्रश्न दिनांक तक कितने मरीजों को इलाज के अभाव में रिफर किया गया ? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में ऐसे कितने मरीज हैं जिनकों रिफर किया गया और उनकी रास्ते में इलाज के अभाव से या समय पर इलाज न मिल पाने के कारण मृत्यु हो गई ? नाम सहित बतायें ? (ग) उक्त अवधि के कितने ऐसे मामले हैं जिसमें इलाज के अभाव से मरीज की मृत्यु होने के कारण चिकित्सकों की शिकायतें प्रशासन से की गई ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जिला चिकित्सालय सिवनी से प्रश्नांकित अवधि में 2387 मरीजों को रिफर किया गया है । (ख) रिफर किये गये किसी भी मरीज की रास्ते में ईलाज के अभाव से या समय पर ईलाज न मिल पाने के कारण मृत्यु नहीं हुई । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) प्रश्नांश "ख" के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

चिकित्सालयों में उपलब्ध सुविधाएं एवं स्टाफ

9. **(*क्र. 1238) श्रीमती नंदनी मरावी :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा 100 बिस्तर के अस्पताल में कौन-कौन सी सुविधायें उपलब्ध करायें जाने का प्रावधान हैं ? इन अस्पतालों में कितने विशेषज्ञ चिकित्सक/अन्य कर्मचारी संवर्गवार, पदवार पदस्थ किये जाने का प्रावधान हैं ? (ख) जिला जबलपुर अंतर्गत कहॉ-कहॉ 100 बिस्तर के अस्पताल संचालित हैं ? इनमें प्रश्नांश (क) अनुसार उपलब्ध सुविधायें एवं स्टाफ की अस्पतालवार विवरण उपलब्ध करावें ? यह भी बतायें कि जिन अस्पताल में प्रश्नांश (क) अनुसार सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं/अमला पदस्थ नहीं हैं कब तक पदस्थापनायें कर दी जावेंगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) प्रश्नांश भाग की जानकारी **संलग्न परिशिष्ट** पर है । (ख) जिला जबलपुर जिला चिकित्सालय, पुलिस हॉस्पिटल, विक्टोरिया अस्पताल के अतिरिक्त कहीं भी 100 बिस्तर अस्पताल संचालित नहीं है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - "दो"

स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकीय सुविधाऐं

10. **(*क्र. 1003) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पाटन विधान सभा क्षेत्रांतर्गत कितने सामुदायिक, प्राथमिक एवं मिनि स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां पर संचालित हैं ? सूची देवें एवं इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर क्या-क्या चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित सामुदायिक स्वा. केन्द्र, प्राथ. स्वा. केन्द्र एवं मिनि स्वा. केन्द्रों में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं, केन्द्रवार सूची देवें ? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित पदों में कौन-कौन, कब से पदस्थ हैं एवं कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं, सूची देवें ? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित पदों को भरने हेतु शासन स्तर पर कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) पाटन विधानसभा क्षेत्रांतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोरिया एवं कंटगी संचालित है । शेष भाग की जानकारी **संलग्न परिशिष्ट** अनुसार है । (ख) प्रश्नांश भाग की जानकारी **संलग्न परिशिष्ट** में अंकित है । (ग) प्रश्नांश भाग की जानकारी **संलग्न परिशिष्ट** में अंकित है । (घ) रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही निरंतर जारी रहती है । निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं ।

परिशिष्ट - "तीन"

शासकीय हाई स्कूल भैंसा को संकुल प्रभार का दर्जा दिया जाना

11. **(*क्र. 461) इन्जी. प्रदीप लारिया :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय हाई स्कूल भैंसा को संकुल प्रभार का दर्जा प्राप्त है ? (ख) यदि हां, तो शासकीय हाई स्कूल भैंसा को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन क्यों नहीं किया जा रहा है ? जबकि शासकीय हायर सकेण्डरी

शाला पथरिया हाट को संकुल भैंसा से संलग्न रखा गया है ? (ग) यदि शासकीय हाई स्कूल भैंसा संकुल केंद्र की योग्यता रखता है, तो हायर सेकेण्डरी का दर्जा कब तक दिया जावेगा ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हां । (ख) शासकीय हाईस्कूल भैसा शासन द्वारा निर्धारित दूरी के मापदण्ड की पूर्ति नहीं करता हैं, इस कारण उन्नयन नहीं किया गया है । शासकीय हाईस्कूल पथरिया हाट का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन वर्ष 2013-14 में किया गया है, जबकि शासकीय हाईस्कूल भैंसा में संकुल पूर्व से संचालित है । अतः पथरिया हाट को संकुल भैंसा से संलग्न किया गया है । (ग) प्रश्नांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

पट्टों का वितरण

12. **(*क्र. 1318) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा दिनॉक 01.04.2013 से किस-किस को और कहॉ-कहॉ पट्टों का वितरण किया गया है ? (ख) क्या सुरखी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राहतगढ़ विकासखण्ड मुख्यालय से लोगडिया समाज के परिवारों को अन्यत्र विस्थापित कर उन्हें पट्टे प्रदान किये गये हैं ? यदि हॉ, तो किस-किस को और क्या इनका भौतिक सत्यापन करा लिया गया है ? (ग) क्या यह सही है कि दिनॉक 30 अगस्त 2014 को नगर परिषद राहतगढ़ द्वारा आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान प्रश्नकर्ता और माननीय परिवहन मंत्री से लोगडिया समाज के व्यक्तियों ने पट्टे न मिलने बावत् शिकायत की थी तथा माननीय मंत्री ने स्थल पर संबंधित अधिकारियों को पट्टे दिये जाने हेतु निर्देश भी दिये थे ? (घ) यदि हॉ, तो क्या शिकायतकर्ताओं को पट्टों का वितरण किया जा चुका है या नहीं ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है उसके विरूद्ध कब तक और क्या कार्यवाही की जावेगी और पट्टों का वितरण कब तक करा दिया जावेगा ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** अनुसार है । विभाग द्वारा पट्टों का वितरण नहीं किया गया । (ख) जी नहीं । राहतगढ़ में व्यवस्थापन का मामला राजस्व विभाग से संबंधित है । (ग) समाज के व्यक्तियों ने उक्त समस्या के संबंध में माननीय परिवहन मंत्रीजी को मौखिक बताया था । माननीय मंत्री महोदय से इस संबंध में कोई लिखित/मौखिक निर्देश प्राप्त नहीं हुए । (घ) प्रश्नांश "ग" के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

जिले/तहसीलों के आश्रम/छात्रावासों हेतु संचालित योजनायें

13. **(*क्र. 552) श्री जितेन्द्र गेहलोत :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाली (तहसीलों व जिला मुख्यालय के) आश्रम, शालाओं-छात्रावासों में बालक, बालिकाओं को क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध करवायी जा रही हैं, तथा शासन की क्या-क्या योजनाएं इस हेतु प्रचलित हैं ? (ख) उपरोक्तानुसार किस-किस छात्रावास में कितने-कितने छात्र-छात्राओं की संख्या है एवं कितने छात्रावास के अधीक्षक छात्रावास परिसर में ही अधीक्षक आवास गृह में निवासरत हैं ? वर्ष 2012 से अब तक छात्रावासों के आवंटन एवं व्यय राशि का तहसीलवार ब्यौरा क्या है ? (ग) किन-किन छात्रावासों के भवन जर्जर अथवा मानव निवास योग्य नहीं है ? शासन ने उन्हें दुरूस्त करने हेतु क्या कदम उठाये ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ** अनुसार । (ख) आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में छात्र/छात्राओं की संख्या **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब** अनुसार । अधीक्षक आवास गृह एवं उनमें निवासरत अधीक्षकों की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स** अनुसार वर्ष 2012 से अब तक छात्रावासों के आवंटन एवं व्यय राशि **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द** अनुसार । (ग) **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-इ** अनुसार ।

बीड़ी श्रमिकों के श्रमिक कार्ड बनाये जाना

14. **(*क्र. 93) श्री संजय पाठक :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि श्रम विभाग द्वारा वर्ष, 2013 में कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में बीड़ी श्रमिकों के श्रमिक कार्ड बनाये जाने हेतु शिविर आयोजित किये गये थे ? यदि हां, तो कब-कब एवं कहां-कहां, ब्यौरा दें ? (ख) क्या यह भी सत्य है कि प्रश्नांश (क) आयोजित शिविरों में बीड़ी श्रमिकों का परीक्षण कर निर्धारित प्रारूप में फार्म भरवाकर आश्वस्त किया गया था कि 15 दिवस में उन्हें श्रमिक कार्ड वितरित किये जावेंगे ? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख), यदि हां, तो क्या उक्त श्रमिकों को श्रमिक कार्ड उपलब्ध कराये गये, हां तो संख्या बतायें ? (घ) यदि उक्त श्रमिक कार्ड विगत एक वर्ष पश्चात् भी नहीं वितरित किये गये, तो कब तक वितरित किये जावेंगे, तथा इस लापरवाही हेतु कौन दोषी हैं, तथा उनके विरूद्ध प्रदेश शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी एवं कब तक, नहीं तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) कल्याण एवं उपकर आयुक्त, जबलपुर (भारत सरकार) के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कटनी जिले के विजयराघवगढ विधानसभा क्षेत्र के कैमोर नगर में दिनांक 16.01.2013 को शिविर श्रम कल्याण संगठन भारत सरकार, जबलपुर के प्रभारी अधिकारी बीडीं कामगार औषधालय, कटनी द्वारा शिविर आयोजित किया गया था । (ख) कल्याण एवं उपकर आयुक्त, जबलपुर (भारत सरकार) के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार - परिचय पत्र की पात्रता हेतु श्रमिकों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होता है, आवेदन प्राप्ति उपरांत परिचय पत्र जारी करने संबंधी आवश्यक जॉच प्रकिया, दस्तावेजों की जांच आदि, उपरांत ही चिकित्सा अधिकारी द्वारा श्रमिकों को परिचय पत्र वितरित किये जाते है, श्रमिकों को 15 दिवस में कार्ड वितरित करने संबंधी कोई आश्वासन नहीं दिया गया था । (ग) क्रमांक (क) के अनुसार कैमोर नगर में आयोजित शिविर के माध्यम से 438 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 429 परिचय पत्र वितरित किया जा चुके हैं एवं 09 परिचय पत्र अवितरित हैं । (घ) कल्याण एवं उपकर आयुक्त, जबलपुर (भारत सरकार) के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार क्रमांक ग में वितरित किये गये परिचय पत्रों के ब्यौरे से स्पष्ट है कि अधिकांशत: परिचय पत्र वितरित हो चुके हैं जो श्रमिक परिचय पत्र प्राप्त करने नहीं पहुचें हैं उन्हे ही वितरित नहीं हो पाया जो कि शीघ्र ही वैध प्रभारी की पदस्थापना उपरांत वितरित किया जावेगा । अवगत कराना है कि पूर्व पदस्थ वैध प्रभारी (संविदा) को कार्य की लापरवाही के कारण वहॉ से हटाया जा चुका है ।

आदिवासी उपयोजना के तहत ग्रामों, मजरों एवं टोलों में विद्युतीकरण

15. **(*क्र. 1243) श्री वेलसिंह भूरिया :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले के सरदारपुर तहसील में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत कितने ग्रामों, मजरे, टोले पारों मे विद्युतीकरण का कार्य निविदाओं के माध्यम से पूर्ण करवाया गया हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) में जिन ठेकेदारों

के द्वारा कार्य किए गए हैं उनकी गुणवत्ता का परीक्षण किस एजेंसी ने कब-कब किया है ? (ग) क्या यह सही है कि अधिकांश पोल एवं कंडक्टर निर्धारित मापदण्ड के नहीं लगाये गये हैं, यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं एवं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में सरदारपुर तहसील के 04 कार्य स्वीकृत निविदा दर के माध्यम से पूर्ण कराये गये कार्यों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** अनुसार । (ख) विद्युत कंपनी के सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा क्रमशः दिनांक 09.03.14, 09.03.14, 03.04.14 तथा 28.10.14 को तथा सहायक यंत्री, म.प्र. (विद्युत सुरक्षा) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, म.प्र. शासन उपसंभाग धार द्वारा भी क्रमशः दिनांक 09.04.14, 09.04.14, 3.11.14 व 16.06.14 को किया गया । (ग) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत स्कूल भवनों का निर्माण

16. **(*क्र. 1357) श्री रमेश पटेल :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बड़वानी विधानसभा क्षेत्र के पाटी विकासखण्ड, रोसर पंचायत के पांच फल्यों में पांच स्कूल भवन स्वीकृत हैं ? इनकी राशि भी स्वीकृत हो चुकी हैं, तथा राशि आहरण भी कर ली हैं ? (ख) क्या उक्त ग्राम में पांच स्कूल भवनों का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ हैं ? यदि हां, तो निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा समय-सीमा बतायें ? (ग) आहरित राशि से निर्माण पूर्ण नहीं किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी, समय-सीमा बतायें ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ । सर्व शिक्षा अभियान के तहत बड़वानी विधानसभा क्षेत्र पाटी विकासखण्ड की रोसर पंचायत के पाँच फल्यों में पाँच स्कूल भवन (अतिरिक्त कक्ष) स्वीकृत हैं । जी हाँ । **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** अनुसार । (ख) जी हाँ । निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने की कार्यवाही प्रचलन में है । निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है । (ग) आहरित राशि से निर्माण पूर्ण नहीं किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी । निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है ।

जिला चिकित्सालय में उपकरण एवं स्टाफ की व्यवस्था

17. **(*क्र. 750) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 29.10.2010 को श्योपुर जिले के माननीय प्रभारी मंत्री जी ने जिला चिकित्सालय श्योपुर में ट्रामा सेन्टर का लोकार्पण किया था यदि हां तो ट्रामा सेन्टर में नियमानुसार किस-किस श्रेणी के कितने चिकित्सक, नर्सिंग स्टॉफ व सुविधायें पृथक से होनी चाहिये क्या वे उपलब्ध करा दी गई है ? यदि नहीं, तो कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी ? (ख) क्या ये भी सच है कि उक्त चिकित्सालय में डिजीटल एक्सरे व सोनोग्राफी दोनो मशीनों की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदाय की जा चुकी है यदि हां, तो स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए बतावें कि इन मशीनो की स्थापना हेतु क्या-क्या कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है, क्या-क्या शेष रह गई है ? (ग) उक्त चिकित्सालय में ही गंभीर रोगो से ग्रस्त मरीजों के लिये स्वास्थ लाभ हेतु पूर्व से ही डायलेसिस यूनिट स्वीकृत तो है लेकिन शासन द्वारा वर्तमान तक न तो ये मशीन उपलब्ध

कराई गई और ना ही इस हेतु आवश्यक स्टॉफ एवं सुविधायें ही उपलब्ध कराई गई । चिकित्सालय में उक्त मशीनों व यूनिट के अभाव में मरीजों को अन्यत्र जाना पड़ रहा है । यदि हॉ, तो मरीजो को हो रही कठिनाईयों के मद्देनजर उक्त मशीनों व यूनिट की स्थापना व इनसे संबंधित आवश्यक अमले/सुविधाओं की व्यवस्था क्या शासन शीघ्र करवायेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नही, माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा ट्रामा सेन्टर का लोकर्पण 29/10/2014 को किया गया था । शासन आदेश दिनांक 08 अप्रैल 2011 के द्वारा ट्रामा सेन्टर जिला चिकित्सालय श्योपुर में चिकित्सा विशेषज्ञ 1, निश्चतेना विशेषज्ञ 1, अस्थि रोग विशेषज्ञ 1, चिकित्सा अधिकारी के 5 पद स्वीकृत किये गये है एवं 100 विस्तरीय जिला चिकित्सालय में स्टाफ नर्स के 36 पद प्रावधानित है । मानव संसाधनों की पूर्ति के प्रयास जारी है । निश्चित समय-सीमा बताना संभव नही है । (ख) जी हां, स्वीकृति पत्र **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब'** अनुसार है । दोनों मशीनो को क्रय करने के लिये सिविल सर्जन द्वारा राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी जिसमें निविदा प्राप्त होने की तिथि 8.09.2014 निहित की गई थी जिसमें सोनोग्राफी मशीन की दरे मात्र दो फर्मों से प्राप्त हुई थी । समिति के निर्णय के अनुसार उक्त निविदाओ को निरस्त करते हुये नवीन निविदा प्रकाशन करने की अनुशंसा की गई थी । विभाग के द्वारा निविदाओ को ई-टेण्डर के माध्यम से करने के निर्देश दिये गये है । **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स'** अनुसार है । जिसकी कार्यवाही प्रचलन में है । (ग) जी हां । डायलिसिस मशीनों व यूनिट की स्थापना एवं इनसे संबंधित आवश्यक अमले/सुविधाओं की व्यवस्था हेतु कार्यवाही प्रचलन में है ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्राप्त केन्द्रीय राशि का दुरूपयोग

18. **(*क्र. 415) श्री मानवेन्द्र सिंह :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छतरपुर जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य केन्द्रवार ग्राम स्वास्थ्य तदर्थ समितियों का गठन किया गया है ? हां, तो वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक स्वास्थ्य केन्द्रवार गठित समितियों के अध्यक्षों के नाम, पता तथा उक्तावधि में वर्षवार केन्द्र से प्रदत्त कराई गई राशि का विवरण विकासखण्डवार अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें ? (ख) क्या यह सही है कि ग्राम स्वास्थ्य तदर्थ समिति, प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र, बमीठा के अध्यक्ष द्वारा वार्ड क्र. 1 लगायत 5 की आशाकार्यकर्ता/सचिव द्वारा केन्द्रीय राशि को हड़पने हेतु उसके फर्जी हस्ताक्षर से प्रस्ताव तैयार कर व फर्जी बिलों का प्रमाणीकरण कराकर अनियमित रूप से राशि का आहरण करा लिए जाने की शिकायतें माह अगस्त/सितम्बर 2014 में जिला प्रमुखों से की गयी हैं ? उक्त शिकायत-पत्रों पर प्रश्न दिनांक तक विस्तृत जाँच कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करते हुए दोषियों के नाम/पदनाम उल्लेखित करें ? (ग) क्या शासन, प्रदेश स्तरीय जांच समिति गठित कर स्वास्थ्य जैसी जीवनोपयोगी सेवाओं के साथ खिलवाड़ कर केन्द्रीय राशि के दुरूपयोग से संबंधी उक्त शिकायत-पत्रों की विस्तृत जाँच कराने के आदेश जारी करेगा ? हां, तो जांच निष्कर्ष आने पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हॉ । शेष प्रश्नांश की जानकारी **संलग्न परिशिष्ट** पर है तथा प्रश्नावधि में प्रदत्त कराई गई राशि का विवरण निम्नांकित है :-

क्र.	विकासखण्ड का नाम	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15
1.	बडामलहरा	11.77	13.82	11.81
2.	गौरिहार	9.90	11.50	5.90
3.	लवकुशनगर	11.90	11.72	9.53
4.	नौगांव	9.46	10.07	9.64
5.	बकस्वाहा	10.36	10.5	5.77
6.	सटई	12.56	11.53	9.89
7.	राजनगर	11.00	12.22	5.35
8.	ईशानगर	11.64	12.32	7.36
		88.59	93.68	65.07

(ख) जी हॉ । जी हॉ । जांच अधिकारी ने जांच प्रतिवेदन में किसी को दोषी नहीं पाया है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ग) प्रश्न भाग (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न भाग (ग) के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

परिशिष्ट - "चार"

<u>स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों/विशेषज्ञों की कमी</u>

19. **(*क्र. 1236) श्री सूबेदार सिंह रजौधा :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जौरा विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़गढ़ में चिकित्सकों के स्वीकृत पद 05 के विरूद्ध मात्र 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केलारस में स्वीकृत पद 07 के विरूद्ध 05 एवं प्रा.स्वा. केंद्र वारा में स्वीकृत पद 01 के विरूद्ध निरंक चिकित्सक पदस्थ हैं ? चिकित्सकों की कमी से आम ग्रामीण गरीब जनता को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है ? (ख) क्या यह सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़गढ़ एवं प्रा. स्वास्थ्य केंद्र वांरा अति ग्रामीण पिछड़े क्षेत्र में स्थापित है और उक्त स्वास्थ्य केंद्र से गरीब जनता एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति लाभांवित होती है ? यदि हां, तो क्या चिकित्सकों की कमी से गरीब जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तथा चिकित्सा के बगैर आम जनता को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है ? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या चिकित्सकों के स्वीकृत पदों पर चिकित्सकों की पदस्थापना की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? समय-सीमा बतावें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हां । वर्तमान में पदस्थ विशेषज्ञ/चिकित्सकों द्वारा उक्त क्षेत्र की आम जनता को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । (ख) जी हां । जी नहीं, पदस्थ चिकित्सकों द्वारा समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है एवं आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल रहा है । (ग) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है, वर्तमान में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है, विशेषज्ञों के शत प्रतिशत रिक्त पदों की पूर्ति में कठिनाई होगी, द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों की पद पूर्ति हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा जून 2014 में 1271 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया जा चुका है, चयन सूची प्राप्त होने के उपरांत

उपलब्धता के आधार पर पदस्थापना की कार्यवाही की जावेगी । पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति बस्ती विकास मद के कार्य

20. **(*क्र. 705) श्रीमती रंजना बघेल (किराड़े)** : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला धार में वर्ष 2008 से 2014 तक आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. बस्ती विकास मद से विधान सभा वार कराये गये कार्यों की जानकारी देवें ? (ख) क्या बस्ती विकास मद के बजट का विधानसभा वार / विकासखण्ड वार कोटा निर्धारित होता है, यदि हॉ, तो क्या बजट का वितरण कोटे अनुसार विधानसभा वार किया गया ? (ग) मनावर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2008 से 2014 तक बस्ती विकास मद में स्वीकृत कार्यों की जानकारी प्रस्तुत करें ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ"** अनुसार है । (ख) जी नहीं । (ग) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब"** अनुसार है ।

चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति

21. **(*क्र. 1185) श्री नथनशाह कवरेती** : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र छिन्दवाड़ा के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जामई में 30 बिस्तरों वाला अस्पताल कब से संचालित किया जा रहा है तथा कितने डॉक्टरों के पद कब से, किन-किन विशेषज्ञों के रिक्त पड़े हुए हैं ? (ख) क्या यह भी सही है कि स्त्री रोग, शिशु रोग विशेषज्ञों के पद लगभग 10 वर्षों से रिक्त हैं । इनको भरने की कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो कब तक भर लिये जाएंगे ? (ग) क्या यह भी सही है कि इस अस्पताल में हजारों की संख्या में ग्रामीण इलाज कराने आते हैं, किन्तु 30 बिस्तरों वाले अस्पताल में व्यवस्था नहीं होने से परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? इस हेतु जनप्रतिनिधियों एवं प्रश्न कर्ता द्वारा 30 बिस्तरों से 100 बिस्तरों वाला अस्पताल करने हेतु कई बार आवेदन दिया गया है ? (घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं, तो क्यों और कब तक कार्यवाही की जायेगी, तथा 30 बिस्तरों से उन्नयन कर 100 बिस्तरों वाला अस्पताल कब तक कर दिया जायेगा ? (ड.) क्या यह भी सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जामई की जिस बिल्डिंग पर अस्पताल संचालित है, जर्जर हो गई है ? इसे कब तक सुधार दिया जावेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) विभागीय पत्र क्रमांक एफ 4-27/79/17/मेडि-3 दिनांक 05 जनवरी 1983 से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित किया जा रहा है, उक्त आदेश में चिकित्सा अधिकारी के 03 पद स्वीकृत थे । शासन पत्र क्रमांक एफ/1837/482/2011/सत्रह/मेडि-1 दिनांक 08 अप्रेल 2011 के द्वारा विशेषज्ञों के 03 (मेडिसिन, सर्जरी, स्त्रीरोग) तथा चिकित्सा अधिकारी के 02 पद स्वीकृत किए गए हैं । वर्तमान में 01 मेडिकल विशेषज्ञ एवं 03 चिकित्सा अधिकारी कार्यरत है । शेष पद पुर्नवितरण दिनांक 04 अप्रेल 2011 से रिक्त है । (ख) जी नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जामई में शिशुरोग विशेषज्ञ का पद स्वीकृत नहीं है एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ की सेवाओं हेतु स्त्रीरोग (डी.जी.ओ.) योग्यताधारी चिकित्सक अगस्त 2001 से पदस्थ होकर कार्यरत है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) जी नही,

उपलब्ध सुविधाओं एवं पदस्थ स्टॉफ द्वारा चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही है । उन्नयन के संबंध में संचालनालय की संबंधित शाखा में कोई पत्र प्राप्त होना नहीं पाया गया । (घ) पत्र/प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी । (ड.) जी नहीं, भवन जर्जर नहीं हुआ है, मरम्मत की आवश्यकता है । मरम्मत कार्य का प्राक्कलन प्राप्त होने पर तदानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

सामुदायिक स्वा. केंद्र का सिविल अस्पताल में उन्नयन

22. **(*क्र. 1226) सुश्री हिना लिखीराम कावरे :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश क्रं. एफ 1-1/2011/सत्रह/मेडि.-3, दिनांक 07.12.2011 द्वारा सामुदायिक स्वा. केन्द्र लांजी, जिला बालाघाट का 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल के रूप में उन्नयन किया गया है, तथा अतिरिक्त रूप से 26 पद निर्मित किये गये हैं उक्त आदेश के परिपालन में नक्सल प्रभावित जिला तथा अति संवेदनशील ब्लाक लांजी होने के बावजूद इस पर बजट में प्रावधान क्यों नहीं किया गया ? (ख) उक्त आदेश का परिपालन कब तक सुनिश्चित कर लिया जाएगा, तथा सिविल अस्पताल की बिल्डिंग सहित नवीन सृजित पदों के अनुसार नियुक्तियॉ कब तक कर दी जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल लांजी हेतु निर्मित पदों की प्रशासकीय स्वीकृति शासन आदेश दिनांक 07.12.2011 द्वारा की गई है । नव निर्मित पदों के वेतन भत्ते के लिये संचालित योजना क्रमांक 7317 में पर्याप्त बजट प्रावधान किया गया है । (ख) सिविल अस्पताल लांजी के भवन निर्माण कार्य के लिये कार्ययोजना एवं प्रावक्लन तैयार कर भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही यथाशीघ्र की जावेगी एवं सृजित पदो को भरने की कार्यवाही निरन्तर जारी है । निश्चित समय-सीमा बताना संभंव नहीं है ।

आवास आंवटन में अनियमितताऐं

23. **(*क्र. 689) श्रीमती इमरती देवी :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-15 में ग्वालियर जिला में विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के विभिन्न मदों में किस कार्य हेतु नवम्बर 2014 अंत तक कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई, तथा उक्त अनुसूचित जनजाति वर्ग के बी.पी.एल. आवासहीन हितग्राहियों को आवास स्वीकृत हेतु प्राप्त लक्ष्य का निर्धारण विकास खण्डवार कितना-कितना किया गया ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वर्ष 2014-15 में विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के आवासहीन परिवार जिन्हें आवास स्वीकृत किया गया को आवास स्वीकृति का दिनांक तथा प्रथम किस्त की प्रदाय राशि जनपद पंचायत के माध्यम से अथवा विभाग द्वारा हितग्राही के खाते में भेजी गई स्पष्ट जानकारी देवें ? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार उक्त जनजाति वर्ग के हितग्राहियों का चयन नियम विरूद्ध होने एवं भृष्टाचार कि प्राप्त शिकायतों कि जाँच किस सक्षम अधिकारी से कराई गई, अधिकारी का नाम, पद सहित जाँच परिणाम से अवगत करावें ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) वर्ष 2014-15 में ग्वालियर जिले को प्राप्त आवंटन का विवरण **संलग्न परिशिष्ट** पर है । वर्ष 2014-15 में विमुक्त जाति आवास योजना में आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है । प्रश्नांश के

शेष भाग की जानकारी निरंक है । (ख) वर्ष 2014-15 में विमुक्त जाति आवास योजना में ग्वालियर जिले को आवंटन प्राप्त नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - "पांच"

विमुक्त जाति को शासन की योजनाओं का लाभ दिया जाना

24. **(*क्र. 171) श्री कुँवरजी कोठार :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में निवासरत घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जाति के लोगों को शासन की किन-किन योजनाओं का लाभ दिये जाने का प्रावधान है ? (ख) जिला राजगढ अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर के किन-किन शहरों एवं गॉवों में घुमक्कड़ जाति के कितने-कितने परिवार निवासरत है एवं उन परिवारों को शासन की किस-किस योजना का लाभ कितने परिवारों को दिया गया है ? (ग) प्रश्नांश (ख) में दिये गये नगर एवं ग्रामों में कितने परिवारों को रहने हेतु स्थायी स्थल एवं आवास उपलब्ध कराये गये हैं ? यदि नहीं, तो शासन द्वारा कब तक उपलब्ध करा दियें जावेंगे ? (घ) प्रश्नांश (ख) में दिये गये परिवारों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया है, तो उनके लिये कोई विशेष योजना चलाकर शासन की शत-प्रतिशत योजनाओं से लाभान्वित किये जाने हेतु भविष्य में कोई योजना है ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह रावजी आर्य) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ"** अनुसार है । (ख) जिला राजगढ़ अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सारंगपुर के अनुसार नगर सारंगपुर में 120 एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 2330 विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के परिवार निवासरत हैं । जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब"** अनुसार है । लाभांवित परिवारों की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स"** अनुसार है । (ग) उत्तरांश (ख) में दिये गये नगर सारंगपुर एवं ग्रामों में निवासरत विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के किसी भी परिवार को रहने हेतु विमुक्त जाति आवास योजनांतर्गत स्थायी स्थल एवं आवास उपलब्ध नहीं कराये गये है । योजनांतर्गत इन परिवारों को आवास अनुदान प्रदाय किये जाने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है । (घ) पूर्व से ही विमुक्त जाति आवास योजना संचालित है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

नियमित/संविदा आधार पर की गयी नियुक्तियों की जांच

25. **(*क्र. 1288) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिला अस्पताल में पिछले पॉच वर्षों में कुल कितनी भर्तियां नियमित या संविदा आधार पर की गई हैं ? (ख) उक्त भर्तियों के संबंध में अब तक कितनी शिकायतें की गयी हैं ? जॉच रिपोर्ट तथा दोषी अधिकारी पर की गई कार्यवाही का विवरण प्रदाय करें ? (ग) उक्त शिकायतों की जॉच में ऐसे कितने व्यक्ति पाये गये हैं, जिन्हें कि गलत ढंग से भर्ती कर लिया गया है ? (घ) कितने व्यक्तियों को जॉच उपरांत सेवा से पृथक किया गया है ? यदि नहीं, तो किस आधार पर उनकी सेवायें ली जा रही हैं ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) छतरपुर जिला अस्पताल में पिछले पॉच वर्षों में कोई नियमित नियुक्ति नहीं की गई हैं । संविदा आधार पर 63 अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है । (ख) जिला चिकित्सालय के एस.एन.सी.यू. वार्ड में की गई वार्ड आया की भर्ती के विरूद्ध एक शिकायत तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छतरपुर द्वारा वर्ष 2011 में चतुर्थ श्रेणी बेकलॉग के तहत की गई नियुक्तियों के संबंध में एक शिकायत, जन शिकायत निवारण विभाग (पी.जी. 153126/2011/99) से प्राप्त हुई है । उपरोक्त शिकायतों की जांच प्रक्रियाधीन है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) एवं (घ) शिकायत की जांच प्रक्रियाधीन हैं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

देवपुत्र पत्रिका क्रय करने के लिए नियम विरूद्ध अग्रिम भुगतान करने वाले दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही

1. **(क्र. 12) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) प्रश्नकर्ता के परि. तारांकित प्रश्न क्रमांक 498 दिनांक 04 मार्च 2014 के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में देवपुत्र पत्रिका के साथ किये गये त्रिपक्षीय अनुबंध को क्यों निरस्त किया गया ? (ख) क्या देवपुत्र पत्रिका के प्रधान संपादक एवं अन्य को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से किये गये त्रिपक्षीय अनुबंध एवं नियम विरूद्ध 15 वर्ष के लिए अग्रिम राशि का भुगतान किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा लोकायुक्त में की गई शिकायत पर दर्ज प्रकरण क्रमांक जा.प्र.232/12 सही प्रमाणित होने के कारण त्रिपक्षीय अनुबंध निरस्त किया गया है ? (ग) प्रश्न दिनांक तक भुगतान की गई राशि में से कितनी राशि जमा कराई गई तथा ब्याज के रूप में कितनी राशि जमा करा दी गई ? (घ) क्या उपरोक्त प्रश्नांश से यह स्पष्ट है कि नियमों के विपरीत भुगतान की गई राशि ब्याज सहित देवपुत्र पत्रिका के प्रधान संपादक द्वारा वापस राज्य शिक्षा केन्द्र के खाते में जमा कराई गई है ? यदि हॉ तो प्रश्न दिनांक तक भुगतान की गई राशि में से कितनी राशि जमा कराई गई तथा ब्याज के रूप में कितनी राशि जमा करा दी गई ? (ड) उक्त आर्थिक अनियमितता के लिए किन-किन दोषियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो इसके कारण क्या है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) अनुबन्ध प्रशासनिक कारणों से निरस्त किया गया । (ख) जी नहीं । (ग) प्रश्न दिनांक तक भुगतान की गई राशि में से 11,78,31,655/- रूपये (ग्यारह करोड अठहत्तर लाख इक्तीस हजार छः सौ पचपन मात्र) जमा कराई गई है । जिसमें मूल राशि 10,98,19,950/- (दस करोड अट्ठानवे लाख उन्नीस हजार नौ सौ पचास मात्र) एवं ब्याज की राशि 80,11,705/- (अस्सी लाख ग्यारह हजार सात सौ पांच मात्र) है । (घ) जी नहीं । शेषांश उत्तर ग अनुसार । (ड) प्रकरण में MOU उपरांत राशि जारी की गई है, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

भोपाल जिले को भारत सरकार से प्राप्त अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण हेतु प्राप्त राशि का उपयोग

2. **(क्र. 24) श्री विष्णु खत्री :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) भोपाल जिले को भारत सरकार से अल्पसंख्यक समुदाय के विकास/कल्याण हेतु कितनी धनराशि दिनॉक 01.01.2010 से कितनी मात्रा में प्राप्त हुई, यह राशि किस बैंक शाखा में जमा है, तथा इस खाते से राशि का आहरण किस वरिष्ठ कार्यालय के अनुमोदन के पश्चात् किया जाता है ? (ख) जिला-पंचायत द्वारा इंदिरा आवास योजना/आंगनवाड़ी भवन/सामुदायिक भवन/मदरसा स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण आदि पर कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ? (ग) भोपाल जिले की कितनी ग्राम-पंचायतों में अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी है ? ग्राम-पंचायतवार बताएं एवं जिला-पंचायत द्वारा विगत दो वर्षों में जारी आदेशों से कितनी पंचायतों के किस-किस जाति वर्ग के लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है ? (घ) दिनांक 01/12/2014 तक कितनी राशि ग्रामवार/निर्माण कार्यवार/व्यय की जा चुकी है तथा क्या इस राशि को व्यय करने के पूर्व जिला-कलेक्टर भोपाल/वरिष्ठ अधिकारी/क्षेत्रीय विधायक/जिला-पंचायत की साधारण सभा की अनुशंसा के पश्चात् व्यय किया गया है ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) भोपाल जिले को भारत सरकार से अल्पसंख्यक समुदाय के विकास/कल्याण हेतु राशि रूपये 1493.30 लाख दिनांक 01/02/2010 से प्राप्त हुई है । राशि का आहरण आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण के अनुमोदन से संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा किया जाता है । राशि का आहरण जिला पंचायत भोपाल द्वारा किया जाकर बैक ऑफ बड़ोदा शाखा हबीबगंज में रखा गया । 100 सीटर पोस्ट मैट्रिक अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास, गीतांजली कॉलेज परिसर भोपाल के निर्माण की राशि परियोजना क्रियांवयन इकाई लोक निर्माण विभाग द्वारा आहरित की जाकर स्टेट बैक आफ इंडिया शाखा वल्लभ भवन में रखी गयी है । प्राप्त राशि का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01** के अनुसार है । (ख) जिला पंचायत द्वारा इंदिरा आवास योजना में राशि रूपये 344.250 लाख एवं ऑगनबाड़ी भवन में राशि रूपये 576.075 लाख निर्माण आदि कार्यो पर व्यय की गई है । (ग) भारत सरकार जनगणना निदेशालय द्वारा, संकलित जानकारी में पंचायत वार अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या के आंकड़े संधारित नहीं हैं साथ ही भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास योजना (MSDP) अन्तर्गत पंचायतवार कार्यो की स्वीकृति का प्रावधान नहीं है । जिला पंचायत, भोपाल से प्राप्त जानकारी अनुसार योजना में विगत 02 वर्षो में भोपाल जिले के बैरसिया एवं फंदा विकास खण्ड की कुल 58 ग्राम पंचायतों के अल्पसंख्यक समुदाय में मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के लोगों को लाभांवित किया गया है साथ ही योजना से उस क्षेत्र में निवासरत अन्य वर्ग के लोग भी लाभांवित हुए हैं । (घ) दिनांक 01/12/2014 तक राशि रूपये 1393.865 लाख का व्यय योजना अन्तर्गत ग्रामवार/निर्माण कार्यवार किया गया है । ग्रामवार/निर्माण कार्यवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 के अनुसार है । भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार, राशि व्यय करने के पूर्व विभागाध्यक्ष, जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा स्वीकृति दी गई है । योजना में क्षेत्रीय विधायक अथवा जिला पंचायत की साधारण सभा की अनुशंसा प्राप्त करने का प्रावधान नहीं है ।

<u>प्रदेश में डेंगू मलेरिया से हुई मौतें</u>

3. **(क्र. 36) श्री कमलेश्वर पटेल :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) सीधी जिले में वर्ष 2011 से प्रश्न दिनांक तक कितने डेंगू/मलेरिया के पॉजीटिव केस पाये गये हैं, उनमें से कितनो की मृत्यु हुई संख्या दें ? विगत पांच वर्षों में मलेरिया निर्मूलन हेतु खर्च राशि का विवरण दें ? (ख) डेंगू/मलेरिया बचाव हेतु पैराथिन छिड़काव की दवा वर्ष 2011 से प्रश्न दिनांक तक कितनी मात्रा में क्रय की गई उसके दर क्या थी, गुणवत्ता परीक्षण कराया गया था, उसके परिणाम क्या थे ? (ग) क्या क्रय की गई पैराथिन दवा अमानक पाई गई थी, यदि हां तो उसके लिये कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या पैराथिन छिड़काव की दवा अमानक पाये जाने पर उक्त दवाई का छिड़काव कराया गया है ? यदि हां, तो क्या डेंगू/मलेरिया से होने वाली मृत्यु का कारण अमानक दवाई है ? यदि हां, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? यदि की गई है तो कब ? (घ) प्रश्नांश (क) डेंगू मलेरिया से बचाव हेतु प्रश्न दिनांक तक किये गये प्रयासों एवं खर्च की गई राशि का विवरण दें तथा प्रश्नांश (ग) के संबंध में दोषियों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण कब तक दर्ज कराया जायेगा ? नहीं तो क्यों ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) सीधी जिले में वर्ष 2011 से प्रश्न दिनांक तक डेंगू के मरीज नहीं पाए गये हैं, इस अवधि में मलेरिया के 25961 केस दर्ज हुए हैं, इनमें से 147 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है । विगत 5 वर्षो में मलेरिया नियंत्रण हेतु रू. 82,43,472/- का व्यय हुआ है । (ख) वर्ष 2011 से प्रश्न दिनांक तक 10 हजार लीटर पायरेथ्रम एक्सट्रेक्ट 2 प्रतिशत के क्रय आदेश म.प्र. लघु उद्योग निगम को दिए गए थे, जिसकी निर्धारित दर रू. 975/- थी । म.प्र. लघु उद्योग निगम के

माध्यम से फर्म द्वारा पायरेथ्रम 2 प्रतिशत 5,000-5,000 लीटर का प्रदाय जिला मलेरिया अधिकारी, भोपाल एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला (मलेरिया), इंदौर को प्रदाय किया गया, जिसका बेच नं. ए-11 एवं बी-11 था । बेच क्र. ए-11 एवं बी-11 के सेम्पल दिल्ली टेस्ट हाउस, दिल्ली एवं श्री राम इंस्टीट्यूट दिल्ली को जांच के लिए भेजे गए थे, उसकी गुणवत्ता रिपोर्ट में बैच ए-11 का सेम्पल मानक स्तर का एवं बेच बी-11 का सेम्पल अमानक स्तर का पाया गया था । प्रदायित पायरेथ्रम 2 प्रतिशत के ए-11 बैच के नमूनों का परीक्षण जिला मलेरिया अधिकारी, भोपाल द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो से कराया गया, जिसमें नमूना अमानक स्तर का पाया गया था । जिला मलेरिया अधिकारी भोपाल द्वारा उक्त परीक्षण रिपोर्ट 10 माह पश्चात् संचालनालय को उपलब्ध कराई गई थी, जिसके लिए उनके विरूद्ध शासन स्तर पर कार्यवाही प्रचलन में है । म.प्र. लघु उद्योग निगम की निविदा दस्तावेज की शर्त क्र. 17 अनुसार सामग्री का प्रतिस्थापन का प्रावधान होने के कारण फर्म द्वारा 5,000 लीटर पायरेथ्रम 2 प्रतिशत प्रतिस्थापित कर केन्द्रीय प्रयोगशाला (मलेरिया), इंदौर को प्रदाय किया गया है । (ग) म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा पायरेथ्रम 2 प्रतिशत की जांच कराई गई थी । जिसके जांच परिणाम में जिला मलेरिया अधिकारी भोपाल को प्रदायित 5 हजार लीटर पायरेथ्रम मानक स्तर का पाया गया था । शेष 5 हजार लीटर पायरेथ्रम जो केन्द्रीय प्रयोगला, इंदौर को प्रदाय किया गया था वह अमानक स्तर का पाया गया था उसे बाद में प्रतिस्थापित किया गया है । पायरेथ्रम 2 प्रतिशत के ए-11 बैच के नमूनें का परीक्षण जिला मलेरिया अधिकारी, भोपाल द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो से कराया गया, जिसमें नमूना अमानक स्तर का पाया गया था । जिला मलेरिया अधिकारी द्वारा रिपोर्ट देरी से संचालनालय में प्रस्तुत करने के कारण शासन स्तर से कार्यवाही प्रचलन में है । डेंगू/मलेरिया से होने वाली मृत्यु का कारण अमानक दवाई नहीं है । मलेरिया में मृत्यु सेरीब्रल मलेरिया होने के कारण एवं डेंगू में मरीज को शॉक सिंड्रोम हो जाने के कारण मृत्यु की संभावना होती है । (घ) डेंगू/मलेरिया से बचाव हेतु प्रश्न दिनांक तक जिले के समस्त ब्लाकों के ग्रामों/नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में डोर-टू-डोर रैपिड फीवर सर्वे एवं आवश्यकतानुसार लार्वा सर्वे कार्य कराया गया है । भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार चिन्हित ग्रामों में सिंथेटिक पायरेथ्राईड का छिड़काव कराया गया है । ग्राम स्तर पर आशा कार्यकर्ताओं, आगंनवाड़ी कार्यकर्ताओं, वन रक्षकों, पंच, सरपंचों, सचिवों एवं छात्रावास अधीक्षकों को मलेरिया की जांच व उपचार हेतु प्रशिक्षण दिया गया है । अंर्तविभागीय बैठक आयोजित समस्त विभाग प्रमुखों से समन्वय कर सहयोग हेतु अपील की गई है । जिले के जलस्रातों में मच्छरों के लार्वा को नष्ट करने के लिए लार्वाभक्षी मछली गम्बूसिया का संचयन किया गया है । प्रचार प्रसार कार्य के अंतर्गत दीवारों पर नारे लेखन, पॉम्पलेट का वितरण, बैनर व विशेष स्थानों पर फ्लेक्सी बोर्ड लगाए गये हैं । इलेक्ट्रानिक मीडिया के द्वारा स्थानीय चैनलों पर प्रचार प्रसार कराया गया है ।

<u>विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन</u>

4. **(क्र. 37) श्री कमलेश्वर पटेल, (डॉ. मोहन यादव) :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग की नोट शीट क्रमांक 1180/2010/59/दिनांक 29.07.2010 के बिंदु 3(3) से स्वशासी सेवकों के लिये संस्थावार, विषयवार, संवर्गवार रोस्टर तैयार करने के निर्देश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो पालन हुआ अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो शासन निर्देशों की अवहेलना के लिये कौन जिम्मेदार है ? उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? (ख) क्या यह सही है कि मई-जून 2010 में आयुर्वेद महाविद्यालयों में शिक्षकों की संविदा नियुक्तियों से संबंधित आरक्षित पदों की गणना आयुर्वेद के 14 विषयों के सभी समान पदों के एक साथ मिलाकर की गई थी ? यदि हां, तो किन-किन आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी के शिक्षकों को संविदा नियुक्ति दी गई ? (ग) क्या

यह सही है कि आयुर्वेद महाविद्यालयों के स्वशासी शिक्षकों को उनकी मूल संस्था से अन्य संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है ? यदि हां, तो इन्हें स्थानांतरित न कर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने का क्या कारण है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हॉ, निर्देश हुए थे । जी हॉ । संस्थावार, विषयवार, संवर्गवार रोस्टर दिनांक 22/09/2012 को जारी किया गया था इस रोस्टर से आरक्षित पद समाप्त हो जाने संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर शासन आदेश दिनांक 19/11/2013 द्वारा यह रोस्टर निरस्त किया जाकर प्रदेश स्तरीय रोस्टर लागू करने के निर्देश दिये गये । (ख) जी हॉ । नियुक्ति हेतु चयनित किये गये आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी के शिक्षकों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है । जिसमें आरक्षित वर्ग के चार शिक्षकों को नियमित नियुक्ति हेतु चयन किया गया । (ग) जी हॉ । सीसीआईएम द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति हेतु इन शिक्षकों को अन्य संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है, क्योंकि स्वशासी सेवकों के स्थानांतरण का प्रावधान नहीं है ।

परिशिष्ट- "छ:"

<u>प्राचार्य द्वारा गबन पर कार्यवाही</u>

5. **(क्र. 46) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है कि जावरा, जिला रतलाम के काटजू शासकीय हाईस्कूल के प्राचार्य द्वारा लाखो रूपये के गबन की जांच में जिलाधीश द्वारा दोषी पाये जाने के बाद सी एम हेल्पलाइन में दिनांक 21.08.2014 शिकायत क्रमांक 148187 एवं 19.09.2014 शिकायत क्रमांक 242895 एवं उच्च न्यायालय के आदेश WP/13331/13 दिनांक 30.11.2013 द्वारा पारित आदेश में भी भ्रष्टाचार मानते हुए प्राचार्य पर तीन माह में कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे किन्तु आज तक उक्त प्रकरण में कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई ? यदि हॉ, तो क्या कारण है स्पष्ट करे ? साथ ही यह बतावे की कब तक व क्या कार्यवाही प्राचार्य व अन्य दोषियों के विरूद्ध की जावेगी ? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) से संबंधित प्रकरण में शिकायतकर्ता को ही दण्डित कर स्थानांतर कर दिया गया यदि हॉ, तो क्यों ? कारण सहित बतावें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) प्राचार्य शासकीय हाईस्कूल काटजू जावरा जिला रतलाम को पदावनत कर आहरण संवितरण अधिकार वापस लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ किया गया है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) जी नहीं । शिकायतकर्ता के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर प्रशासनिक स्थानांतरण किया गया था । उच्च न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 7494/2014 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 20-11-2014 के पालन में संबंधित यथावत पदस्थ है ।

<u>रोगी कल्याण समिति की बैठक व आय के संबंध में</u>

6. **(क्र. 47) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) अशोक नगर जिले के मुंगावली व चंदेरी तहसील एवं रतलाम जिले के जावरा पिपलौदा के सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र, उप स्वास्थ केन्द्र में वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनांक तक रोगी कल्याण समिति एवं अन्य मदों में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई एवं कितनी-कितनी व्यय की गई ? (ख) वर्षवार, मदवार करवाए गये कार्य का चिकित्सालयवार पृथक-पृथक विवरण दे साथ ही रोगी कल्याण समिति के सदस्यों की जानकारी देते हुए कितनी-कितनी बैठक कब-कब हुई समितिवार बतावें ? (ग) दवाइयों हेतु कितना बजट आवंटन समस्त स्वास्थ केन्द्र के लिए हुआ तथा कौन-कौन सी दवाइयॉ किसके द्वारा क्रय की गई ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

स्कूली छात्र-छात्राओं को बांटी गई स्कॉलरशिप में अनियमितताएं

7. **(क्र. 106) श्री विश्वास सारंग :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग अन्तर्गत भोपाल जिले के कितने स्कूलों में कितने छात्र-छात्राओं को कितनी स्कालरशिप वर्ष 2013-14 में वितरित की गई ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत क्या यह सच है कि जून 2014 में सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा कुछ स्कूलों की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी से मांगी गई थी ? यदि हां, तो क्या ? जिला शिक्षा अधिकारी ने क्या जानकारी भेजी ? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत क्या यह सच है कि विभाग द्वारा ऐसे स्कूलों में छात्रवृत्ति बांटी गई है, जिनका अस्तित्व ही नहीं है ? यदि हां, तो ऐसे स्कूलों को कितनी राशि कब से बांटी जा रही है ? (घ) प्रश्नांश (ग) के तहत इसके लिए किस पदनाम/नाम के अधिकारी जिम्मेदार है ? उनके ऊपर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अन्तर्गत भोपाल जिले के 399 स्कूलों में 14569 छात्र-छात्राओं को राशि रू 2,91,16,915/- (कुल दो करोड़ इन्क्वानवे लाख सोलह हजार नौ सौ पन्द्रह रूपये मात्र) स्कालरशिप वर्ष 2013-14 में वितरित की गई है । (ख) जी हॉ, यह सच है कि जून 2014 में सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्संख्यक कल्याण जिला भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 610 दिनांक 07.06.2014 के माध्यम से कुछ स्कूलों की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र भोपाल से मांगी गई थी । पत्र में भोपाल जिले की 12 संस्थाओं के स्थान एवं संचालित होने की जानकारी मांगी गई थी । जिला शिक्षा अधिकारी जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 4596 दिनांक 02.07.2014 द्वारा अवगत कराया गया कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत् भोपाल जिले में पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वर्ष 2012-13 में 12 संस्थाओं के नाम नहीं पाये गये है । (ग) वर्ष 2013-14 में उक्त 12 संस्थाओं को स्कारशिप का भुगतान नहीं किया गया है किन्तु उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर उक्त 12 स्कूलों में से वर्ष 2012-13 में केवल 02 स्कूल लाइफ कान्वेंट स्कूल, मुरली नगर बैरसिया रोड़ भोपाल को राशि रू. 4,15,000/- (चार लाख पंद्रह हजार रू. मात्र) एवं निशांत कान्वेंट स्कूल को राशि रू0 25,81,000/- (पच्चीस लाख इक्कासी हजार रू. मात्र) की छात्रवृत्ति के चैक वितरण होना पाया गया है । (घ) प्रश्नांश "ग" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कराया जा रहा है, परीक्षणोपरान्त तथ्यों के गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही संभव होगी । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

शिक्षकों से लिये जा रहे गैर शैक्षणिक कार्य

8. **(क्र. 119) श्री प्रहलाद भारती :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है, कि शिवपुरी जिलें के प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों से शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त अन्य किस-किस कार्यालय व विभाग में लिपिकीय व अन्य कार्य कराया जा रहा है । यदि हॉ तो कौन-कौन से शिक्षक, शिक्षण कार्य के अलावा अन्य कार्यालय एवं विभागों में कार्यरत है अथवा अनुलग्न है, कर्मचारीवार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) क्या शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यालयों एवं विभागों में कार्य कराया जा सकता है यदि हॉ तो उसके क्या नियम है अवगत करावें । यदि नहीं तो उक्त शिक्षकों से किस आधार पर अन्य कार्यालयों व विभागों में कार्य लिया जा रहा है ? (ग) उक्त शिक्षकों को अपनी मूल पदस्थापना पर कार्य करने हेतु कब तक आदेशित कर दिया जावेगा ? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) शिवपुरी जिले में 09 पदस्थ शिक्षकों से वर्तमान में शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त चुनाव कार्य लिया जा रहा है । कर्मचारीवार जानकारी परिशिष्ट-एक पर है । (ख) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 के वर्णित कार्यो के लिए इनकी सेवायें ली जा सकती है । (ग) निर्वाचन कार्य समाप्ति के बाद ।

परिशिष्ट- "सात"

आलीराजपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वन अधिकार पत्रों का वितरण

9. **(क्र. 129) श्री माधो सिंह डावर :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) अलीराजपुर जिले में हितग्राहियों को कितने वन अधिकार पत्र वितरित किये जा चुके हैं ? (ख) कितने हितग्राहियों के प्रकरण लंबित है ? (ग) यदि प्रकरण लंबित है, तो क्या कारण है ? (घ) लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक किया जावेगा ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) कुल 6939 हितग्राहियों को । (ख) लंबित संख्या 378 है । (ग) वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल, अलीराजपुर तथा उप मण्डलाधिकारी, परिक्षेत्र, अलीराजपुर के द्वारा परीक्षण किया जा रहा है । (घ) समस्त प्रक्रिया अर्द्धन्यायिक स्वरूप की होने के कारण समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

टीकाकरण कार्यक्रम में बिना आवंटन के राशि का व्यय

10. **(क्र. 146) श्री अंचल सोनकर :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सत्य है कि तारांकित प्रश्न 20 (क्र.46) दिनांक 4 जुलाई 2014 के उत्तर के संदर्भ में टीकाकरण कार्यक्रम में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में क्रमश: राशि 57,45,973/- व 1501042/- व्यय बतलाया है जबकि आवंटन निरंक बतलाया गया है ? यदि हां, तो उक्त राशि किस मद से व्यय की गई है एवं क्यों ? इसकी स्वीकृति कब किसने किस आधार पर दी है ? (ख) क्या शासन इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा ? प्रश्नांश (क) में कब-कब कहां-कहां पर आयोजित शिविरों में कितने-कितने रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया एवं कितने रोगियों की खोजकर उन्हें कितनी राशि की दवाईयां वितरित की गई ? शिविरों के आयोजन पर किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी राशि व्यय हुई ? इसका सत्यापन कब किसने किया है ? (ग) प्रश्नांकित प्रश्न 20 (क्र.46) के संलग्न परिशिष्ट (ग) के 3 में सरल क्र.7 से 10 तक दिनांक 5 जुलाई से 28 जुलाई 2014 तक शिविरों को आयोजित करना बतलाया है जबकि प्रश्न उत्तर दिनांक 4 जुलाई 2014 का है ? यदि हां, तो क्या शासन उक्त फर्जी आयोजित शिविरों पर व्यय राशि की जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) :(क) जी हॉ । उक्त राशि टीकाकरण मद से व्यय की गई थी । तारांकित प्रश्न 20(क्र. 46) दिनांक 4 जुलाई 2014 के उत्तर में त्रुटिवश वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के टीकाकरण के मद में राशि आंवटन की जानकारी नहीं दी गई थी । वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में क्रमशः रूपयें 163.19 लाख एवं 164.80 लाख की राशि आंवटित हुई थी । जिसकी स्वीकृति जिला कार्ययोजना के आधार पर मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा दी गई थीं । (ख) प्रश्न (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । टीकाकरण कार्यक्रम अन्तर्गत शिविरों का नहीं बल्कि टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया जाता है । वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में टीकाकरण सत्रों का आयोजन कर किये गये टीकाकरण कार्य की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) जी हाँ।

प्रश्नांश प्रश्न 20(क्र. 46) के संलग्न परिशिष्ट (ग) के 3 में सरल क्र. 1 से 10 में शिविरों के आयोजन की जानकारी दी गई थी । इसमें त्रुटिवश पूर्व से निर्धारित शिविरों की जानकारी भी सरल क. 7 से 10 में अंकित कर दी गई थी । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट- "आठ"

<u>अमानक दवा का क्रय एवं भुगतान</u>

11. **(क्र. 149) श्री अंचल सोनकर :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) जबलपुर जिला में स्थित रानी दुर्गावती चिकित्सालय एवं सेठ गोविन्ददास जिला चिकित्सालय में विगत 5 वर्षों में किन-किन फर्मों से कितनी-कितनी राशि की दवा क्रय की गई फर्मवार बतावें ? (ख) क्या यह सत्य है कि विगत 5 वर्षों में वर्णित (क) शासकीय चिकित्सालय के लिये खरीदी गई दवाओं में बहुतायत मात्रा में अमानक स्तर की दवायें खरीदी गई एवं उनका पूर्ण भुगतान फर्मों को किया जा चुका है ? क्या यह भी सत्य है कि पाई गई अमानक दवाएं उन फर्मों से क्रय की गई जिन फर्मों को शासन द्वारा प्रतिबंधित किया गया ? यदि सत्य है तो प्रतिबंधित फर्मों से दवाई क्रय करने वाले अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या यह सत्य है कि जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं सिविल सर्जन अनेक वर्षों से एक ही जिले/स्थान में पदस्थ है ? क्या इनका स्थानान्तरण अन्यत्र जिले में किया जावेगा तो कब तक ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) रानी दुर्गावती चिकित्सालय एवं सेठ गोन्दिदास जिला चिकित्सालय द्वारा विगत 5 वर्षों में किन-किन फर्मों से कितनी कितनी राशि की दवा क्रय की गई इसकी जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ'** अनुसार है । राज्य स्तर पर निर्धारित दरों पर जबलपुर जिलें द्वारा औषधि क्रय की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब'** अनुसार है । (ख) नवीन दवा नीति 2009 के अंतर्गत शासकीय चिकित्सालयों में नियमानुसार औषधियां क्रय की गई है । जी नहीं, अमानक स्तर की दवायें क्रय नहीं की गई । क्रय की गई औषधियों की एनएबीएल की टेस्ट रिपोर्ट मानक स्तर की प्राप्त होने पर भुगतान किया जाता है । नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा तमिलनाडू मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन के माध्यम से निर्धारित दरों पर वर्ष 2010-11 से 2013 तक में क्रय की गई औषधियां के सेम्पल गुणवत्ता परीक्षण हेतु लिए गए जिनकी रिपोर्ट एक से डेढ़ वर्ष पश्चात् दी गई, जिसमें औषधियां अमानक बताई गई हैं । उक्त दोनों संस्थाओं से प्राप्त जानकारी अनुसार 5 वर्षों में शासन द्वारा प्रतिबंधित की गई फर्मो से कोई भी दवायें क्रय नहीं की गई है । (ग) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर दिनांक 12.09.2014 से नियमित रूप से कार्यरत् है तथा जिला चिकित्सालय में डॉ. श्रीमती नीरजा दुबे दिनांक 01 नवम्बर 2013 से प्रभारी सिविल सर्जन के रूप में कार्यरत् है । प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत पदस्थापना परिवर्तन संबंधी कार्यवाही की जाती है । निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं ।

<u>ग्वालियर महानगर में नये चिकित्सालय का निर्माण</u>

12. **(क्र. 166) श्री जयभान सिंह पवैया :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) ग्वालियर में चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध कोई नया हॉस्पीटल बनाने की योजना है ? यदि हॉ, तो उसका ब्यौरा व अवधि क्या है ? (ख) ग्वालियर स्थित जे.ए.एच. हॉस्पीटल में प्रत्येक विभाग के चिकित्सकों की संख्या आवश्यकता के अनुसार पूर्ण है क्या ? यदि नहीं तो इनकी पूर्ति करने की क्या योजना है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हॉ । 1000 बिस्तर अस्पताल के निर्माण हेतु राज्य शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1-13/09/2/55 दिनांक 01-09-2009 द्वारा राशि रूपये 116.80 करोड की स्वीकृति जारी हो चुकी है । परियोजना क्रियान्वयन इकाई, लोक निर्माण विभाग द्वारा डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है । (ख) जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर एवं गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय में रिक्त पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार हैं । रिक्त पदों की पूर्ति शीघ ही पदोन्नति एवं विज्ञापन जारी कर की जावेगी ।

परिशिष्ट- "नौ"

ग्वालियर में बंद पड़ी जे.सी. मिल के श्रमिकों को स्वत्वों का भुगतान

13. **(क्र. 167) श्री जयभान सिंह पवैया :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या ग्वालियर में बंद पड़ी जे.सी. मिल के श्रमिकों की देनदारी पूर्ण हो चुकी है ? यदि हॉ तो कितने श्रमिकों को कितनी राशि का आवंटन किया गया है ? (ख) जे.सी. मिल ग्वालियर के बेरोजगार हुये श्रमिकों को पेंशन योजना का लाभ कितने हितग्राहियों को मिल रहा है एवं कितने वंचित है ? तथा हितग्राहियों को कितनी मासिक पेंशन प्राप्त हो रही है ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) ग्वालियर में बंद पडी जे.सी.मिल के श्रमिकों की देनदारियों का आंशिक भुगतान किया गया है ।माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियत शासकीय परिसमापक से प्राप्त जानकारी के अनुसार बंद पडी जे.सी. मिल्स के 7836 श्रमिकों / कर्मचारियों को उनके देय स्वत्वों के एवज में रूपये 392087274 का भुगतान किया जा चुका है । (ख) सहायक भविष्य निधि आयुक्त, पेंशन ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार जे.सी. मिल्स ग्वालियर के बेरोजगार हुये 6036 श्रमिकों को पूर्व निर्धारित पात्रतानुसार पेंशन का लाभ दिया जा रहा है । माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर के आदेश दिनांक 30.04.2014 अनुसार 1032 अतिरिक्त सदस्यों को पात्र मानते हुये पेंशन निर्धारण किया जाना है, जिसमें से लगभग 336 प्रकरण प्राप्त हुये है जिनमें से लगभग 80 प्रतिशत प्रकरणों को निष्पादित किया जा चुका है, शेष प्रकियाधीन है । केन्द्र की कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अनुसार हितग्राही को प्रथक प्रथक पेंशन निर्धारित होती है जिसका उन्हे भुगतान किया जाता है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के भिण्ड अस्पताल का निरीक्षण

14. **(क्र. 193) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) दि. 7/8/14 को डॉ. निखलेश परचरे, डॉ. निखिल कुमार, डॉ. रीना वासु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की ओर से भिण्ड जिले में किन-किन स्थानों का निरीक्षण किया गया ? क्या कमियां पाई गईं ? (ख) प्रश्नांश (क) में जांच करते समय अल्ट्रासाउण्ड मशीन विगत तीन माह से खराब थी ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? (ग) भारत सरकार की ओर से तीन सदस्यीय दल द्वारा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में अपनी रिपोर्ट बनाकर शासन को प्रस्तुत की गई ? यदि हां, तो जिले में अवनति, उन्नति, उन्नयन के लिए क्या कार्यवाही की गई ? (घ) क्या यह सही है कि मेटरनिटी चाइल्ड हेयर केयर महिला/पुरूष मेडीकल इमरजेंसी वार्ड, ओ.पी.डी. का निरीक्षण करते समय हेल्थ एण्ड वेलफेयर मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों का पूर्णत: पालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की जा रही है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) प्रश्न भाग की जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है । (ख) जी नहीं । प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) जी हां । समिति की अनुशंसाओं पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । (घ) जी हां । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट- "दस"

नियम के विपरीत आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति

15. **(क्र. 194) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है कि राज्य स्वास्थ्य समिति क्रमांक आशा/एन.आर.एच.एम/ 2012/3445 दि. 19-12-12 आशा सहयोगी कार्यक्रम क्रियान्वयन चयन प्रक्रिया में मापदण्ड क्या निर्धारित किए गए है ? (ख) जिला चिकित्सालय भिण्ड में मुख्य चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड द्वारा प्रश्नांश (क) में निर्धारित मापदण्डों का अंशत: पूर्णत: पालन किया जा रहा है ? कहां-कहां पर किस-किस की नियुक्ति की गई ? उनका वरिष्ठता क्रम क्या था ? (ग) जिला चिकित्सालय भिण्ड में मुख्य चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड द्वारा आशा सहयोगी की नियुक्ति के संबध में किसका शिकायती आवेदन पत्र प्राप्त हुआ उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हॉ । (ख) जी हॉ । शेष प्रश्नांश की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -अ** अनुसार । (ग) प्रश्न भाग की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब** अनुसार ।

स्कूलों का उन्नयन

16. **(क्र. 211) श्री कालुसिंह ठाकुर :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है कि आदिम जाति कल्याण विभाग अन्तर्गत संचालित विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं यथा प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, आदि संस्थाओं का संस्था अथवा पोषक संस्थाओं में दर्ज छात्र/छात्राओं की संख्या के आधार पर उच्च कक्षा हेतु उन्नयन किया जाना होता है ? (ख) यदि हॉ तो धार जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं यथा कन्या हाईस्कूल नालछा, बगडी, कछवानिया, कुसुमला, व माण्डव, तथा मा. वि. सोडपुर, मेघापुरा, मेवासजामन्या, ईमलीपुरा आदि संस्थाओं का उन्नयन उच्च कक्षा में करने हेतु प्रस्ताव मय आवश्यक जानकारी एवं अनुशंसा सहित प्रेषित करने के बावजूद नहीं किये जाने का क्या कारण है ? (ग) विभाग को प्रेषित प्रस्ताव अनुसार उपरोक्त संस्थाओं का उन्नयन किया जावेगा अथवा नहीं ? यदि उपरोक्त संस्थाओं का उन्नयन किया जावेगा तो कब तक ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ । (ख) सीमित वित्तीय संसाधनों अन्तर्गत उन्नयन की कार्यवाही की जाती है । (ग) कछवानिया, मेघापुरा, ईमलीपुरा व माण्डव को उन्नयन की पात्रता नहीं है । सीमित वित्तीय संसाधन होने के कारण समय सीमा बताना संभव नहीं है ।

स्वास्थ्य केन्द्र धामनोद एवं धरमपुरी में एक्सरे मशीन चालू की जाना

17. **(क्र. 216) श्री कालुसिंह ठाकुर :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है कि धार जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धामनोद में नवीन प्रदाय एक्सरे मशीन आवश्यक वोल्ट अनुसार विद्युत आपूर्ति नहीं होने से बन्द पडी

है ? यदि हां,तो विभाग द्वारा कब तक आवश्यकतानुसार विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित कर एक्सरे मशीन चालू करवा दी जावेगी ? (ख) क्या विधानसभा क्षेत्र के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धरमपुरी में एक्सरे मशीन वर्षो से खराब पड़ी है ? यदि हां,तो विभाग द्वारा कब तक नवीन एक्सरे मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित कर क्षेत्र के मरीजों को नि:शुल्क एक्सरे की सुविधा उपलब्ध करा दी जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं । विघुत आपूर्ति की उपलब्धता हो गई है तथा एक्सरे मशीन चालू हो गई है । (ख) जी नहीं । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धरमपुरी की एक्सरे मशीन वर्तमान में चालू हालत में तथा मरीजों को निःशुल्क एक्सरे की सुविधा उपलब्ध है ।

<u>व्यापम की परीक्षाओं में फर्जी तरीके से प्रवेशित छात्रों का प्रवेश निरस्त किया जाना</u>

18. **(क्र. 233) श्री रामनिवास रावत :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) वर्ष 2008 से वर्तमान तक प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म.प्र. द्वारा आयोजित पी.एम.टी एवं प्री.पी.जी परीक्षा में अनियमित एवं फर्जी तरीके से चयनित होकर चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले कितने विद्यार्थियो की शिकायतें प्राप्त हुई ? कृपया वर्षवार बतावें ? (ख) प्रश्नांश (क) की शिकायतों की जांच किस-किस चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय के किस-किस छात्र को अपात्र घोषित कर महाविद्यालय से निकाला गया ? कितने छात्र/छात्राओं की ओ.एम.आर. सीटों की जांच फोरंसिक लेब से कराई जाना थी ? क्या जांच कराई यदि नहीं तो क्यों ? मेडीकल स्नातक एवं पी.जी. स्तर के छात्र/छात्राओं के नाम व पता सहित महाविद्यालयवार बतावें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

<u>प्रदेश में डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू से पीड़ित व्यक्तियों की मृत्यु</u>

19. **(क्र. 234) श्री रामनिवास रावत :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) दिनांक 1 जनवरी, 2014 से 10 नवम्बर 2014 की अवधि में प्रदेश में मलेरिया, स्वाइन फ्लू, डेंगू एवं इबोला वायरस से पीड़ित कितने मरीज चिन्हित किए गए ? कितनी मरीजों की मृत्यु इन बीमारियों के कारण हुई ? जिलेवार बतावें ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित बीमारियों की रोकथाम हेतु राज्य शासन द्वारा क्या-क्या प्रयास किए गए हैं ? प्रदेश के किन-किन जिलों में उक्त रोगों से पीड़ित मरीजों की पहचान के लिए क्या-क्या सुविधाऐं उपलब्ध कराई गई हैं ? कृपया जिलेवार बतावें ? (ग) क्या यह सही है कि श्योपुर जिले में उक्त रोगों के पहचान की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होने से कई मरीजों की उचित उपचार के अभाव में मृत्यु हुई है ? यदि हां तो क्या शासन तत्काल श्योपुर जिले में इन रोगों की पहचान एवं उपचार हेतु पर्याप्त सुविधाऐं एवं उपकरण मुहैया कराऐगा ? (घ) दिनांक 1 जुलाई 2014 से 10 नवम्बर 2014 की अवधि में प्रदेश में 0-6 एवं 6-12 वर्ष के कितने बच्चों की मृत्यु कुपोषण, मीजल्स, डायरिया, मलेरिया, डेंगू एवं अन्य बीमारी (नाम सहित) से हुई ? कृपया जिलेवार संख्या सहित बतावें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) दिनांक 1 जनवरी 2014 से 15 नवंबर 2014 की अवधि में प्रदेश में मलेरिया के 84494 प्रकरण, दिनांक 01 जनवरी 2014 से 10 नवम्बर 2014 की अवधि में स्वाईन फ्लू के 13 पाजिटिव्ह प्रकरण, डेंगू के 1609 प्रकरण प्रकाश में आए हैं । इस अवधि में इबोला वायरस से कोई भी मरीज पीड़ित नहीं पाया गया है । उक्त अवधि में मलेरिया से

23, स्वाईन फ्लू से 7, डेंगू से 12 मरीजों की मृत्यु हुई है, जिलेवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "क"** अनुसार । (ख) बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु समस्त जिलों को समय-समय पर दिशा निर्देष जारी किए गये हैं । समस्त जिले एवं ब्लॉक स्तर त्वरित कार्यवाही हेतु कॉम्बेट टीम एवं रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है । मलेरिया, स्वाईन फ्लू, डेंगू की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राज्य शासन स्तर से किए गये प्रयासों एवं समस्त जिलों में मरीजों को उपलब्ध कराने वाली सुविधाओं का विवरण स्वाईन फ्लू व इबोला वायरस ''अ'' परिशिष्ट ''ब'' पर मलेरिया, ''स'' पर डेंगू संबंधी विवरण पुस्तकालय में रखे अनुसार है । (ग) जिला श्योपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार यह कहना सही नहीं है कि मलेरिया, डेंगू एवं स्वाईन फ्लू के मरीजों के पहचान की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है । यहां पर उक्त रोगों के मरीजों की पहचान सुविधा उपलब्ध है, केवल डेंगू एवं स्वाईन फ्लू की जांच के लिए ब्लड सेम्पल माईक्रोबायोलॉजी लैब ग्वालियर को भेजे जाते हैं । जिला चिकित्सालय श्योपुर में मलेरिया डेंगू एवं स्वाईन फ्लू के उपचार औषधियां तथा स्वाईन फ्लू के लिए पृथक से आईसोलेषन कक्ष भी उपलब्ध है तथा उपचार के अभाव में किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है । (घ) दिनांक 1 जुलाई 2014 से 10 नवंबर 2014 की अवधि में प्रदेश में 0-6 एवं 6-12 वर्ष के कुपोषण, मजीलस, डायरिया, मलेरिया एवं अन्य बीमारी से हुई मृत्यु की जिलों से प्राप्त जानकारी जिलेवार **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द"** अनुसार है ।

आयुष विभाग शिक्षकों की नियुक्तियॉं

20. **(क्र. 247) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदू भैया) :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है कि म.प्र. शासन, आयुष विभाग की नोटशीट क्रं. 1180/2010/59, दिनांक 29.07.2010 को बिन्दु 3(3) से स्वशासी सेवकों के लिये संस्थावार, विषयवार, संवर्गवार रोस्टर तैयार करने के निर्देश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो पालन हुआ, अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो शासन निर्देशों की अवहेलना के लिये कौन जिम्मेदार है ? उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ? (ख) क्या यह सही है कि वर्ष, 2010 में आयुर्वेद महाविद्यालयों में शिक्षकों की संविदा नियुक्तियों से संबंधित आरक्षित पदों की गणना आयुर्वेद के 14 विषयों के सभी समान पदों को एक साथ मिलाकर की गई ? यदि हां, तो किन-किन आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी के शिक्षकों को संविदा नियुक्ति दी गई ? (ग) क्या यह सही है कि आयुर्वेद महाविद्यालयों के स्वशासी शिक्षकों को उनकी मूल संस्था से अन्य संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है ? यदि हां, तो इन्हें स्थानांतरित न कर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने का क्या कारण हैं ? (घ) आयुष महाविद्यालयों के स्वशासी सेवकों की नियुक्ति हेतु प्राधिकृत अधिकारी का पद नाम बतायें ? क्या वह अपनी मूल संस्था से भिन्न संस्था का भी नियुक्त प्राधीकारी होता है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हॉं । पालन हुआ । संस्थावार, विषयवार, संवर्गवार रोस्टर दिनांक 22/09/12 को जारी किया गया । इस रोस्टर से आरक्षित पद समाप्त हो जाने संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर शासन आदेश दिनांक 19/11/2013 द्वारा यह रोस्टर निरस्त किया जाकर प्रदेश स्तरीय रोस्टर लागू करने के निर्देश दिये गये । (ख) जी हॉं । नियुक्ति हेतु चयन किये गये आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी के शिक्षकों की सूची परिशिष्ट पर संलग्न है । जिसमें आरक्षित वर्ग के चार शिक्षकों को नियमित नियुक्ति हेतु चयन किया गया । (ग) जी हॉं । सीसीआईएम द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति हेतु इन शिक्षकों को अन्य संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है, क्योंकि स्वशासी सेवकों के स्थानांतरण का प्रावधान नहीं है । (घ) संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/मुख्य कार्यपालन अधिकारी । जी नहीं ।

परिशिष्ट- "ग्यारह"

जबलपुर जिले के चिकित्सा महाविद्यालय के सहचिकित्सकीय पाठ्यक्रम

21. **(क्र. 248) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदू भैया) :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) भारत चिकित्सक परिषद (medical council of india) से पंजीकृत चिकित्सक वर्तमान में जबलपुर में चल रहे सहचिकित्सकीय परिषद (para medical council) के पाठ्यक्रम में कोर्स इंचार्ज जैसे पदों पर पदस्थ हैं ? क्या यह MCI & PMC के नियमों के अनुरूप हैं ? यदि नहीं हैं, तो ऐसा क्यों किया गया ? (ख) उक्त चिकित्सकों के द्वारा जबलपुर के चिकित्सा महाविद्यालयों में स्वशासी समिति का गठन कर सहचिकित्सकीय (PMC) पाठ्यक्रम के नाम पर अनाधिकृत आर्थिक लाभ (अनावश्यक व्यय) प्राप्त किया जा रहा है, परन्तु इस पाठ्यक्रम से सहचिकित्सकीय छात्रों को वांछित शिक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है ? (ग) क्या नियमानुसार सहचिकित्सीय पाठ्यक्रम के संचालन हेतु परिषद से पंजीकृत विशेषज्ञ ही योग्यता रखता है ? अत: इन्हें क्यों नहीं पदस्थ किया गया ? कारण बतावें ? (घ) जबलपुर जिले के चिकित्सा महाविद्यालय में चल रहे सहचिकित्सकीय पाठ्यक्रम के संबंध में किस विद्यालय द्वारा विगत 3 वर्षों में कितनी छात्रवृत्ति दी गई, तथा कब तक का ऑडिट कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) एम.सी.आई द्वारा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने के कोई निर्देश नहीं है । पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने की कार्यवाही मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद द्वारा प्रारम्भ की गई है । चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर में संचालित विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रम पैरामेडिकल काउन्सिल के नियमों के अनुरूप संचालित किये जा रहे है । पैरामेडिकल कोर्सेस मेडिकल कालेज, जबलपुर में संचालित है । कोर्स इंचार्ज के रूप में अतिरिक्त कार्य वर्तमान पद के साथ कर रहे है । यह कार्य शासन के निर्देशानुसार किया जा रहा है । (ख) राज्य शासन द्वारा प्रदेश में संचालित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों को स्वशासी घोषित किये जाने के पश्चात चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर में स्वशासी समिति का विधिवत गठन किया जाकर पंजीयन कराया गया है । चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर में संचालित विभिन्न पैरामेडिकल में प्रवेशित सह चिकित्सीय छात्रों को वॉछित सह चिकित्सीय पाठ्यक्रम की प्रायोगिक तथा व्यावहारिक शिक्षा नियमित रूप से दी जा रही है, इसका लाभ सभी प्रवेशित छात्रों को प्राप्त हो रहा है । (ग) जी नहीं । ऐसी कोई बाध्यता पैरामेडिकल काउन्सिल द्वारा निर्धारित नहीं की गई है । (घ) चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर में संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, जबलपुर द्वारा छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है । विगत 3 वर्षो में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में रूपये 1,00,38,860,00 (रूपये एक करोड अडतीस हजार आठ सौ साठ केवल) की राशि का प्रस्ताव सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, जबलपुर को भेजा गया है । स्वशासी संस्था के अन्तर्गत नियुक्त चार्टेड अकाउन्टेन्ट से वर्ष 2013-14 तक का अंकेक्षण कार्य कराया गया है ।

परासिया वि.स. क्षेत्र में डेंगू का फैलाव

22. **(क्र. 252) श्री सोहनलाल बाल्मीक :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) परासिया विधानसभा क्षेत्र में डेंगू के प्रकोप से लगभग 6 मौतें हुई हैं क्या इसकी जवाबदारी परासिया विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग की नहीं है ? इस गंभीर बीमारी के रोकथाम के लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? (ख) डेंगू बीमारी से पीडित मरीजों की मौत होने के उपरांत क्या म.प्र. सरकार द्वारा मुआवजा राशि का प्रावधान है ? (ग) क्या परासिया विधानसभा क्षेत्र में डेंगू बीमारी से संबंधित पर्याप्त दवाईयॉ एवं उपचार की व्यवस्था है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं । परासिया विधानसभा क्षेत्र में 6 मौतें विभिन्न कारणों से हुई है, डेंगू से नहीं हुई है । डेंगू नियंत्रण के अन्तर्गत परासिया के प्रभावित क्षेत्रों में लार्वा विनिष्टिकरण की गतिविधि की जा रही है । एक सप्ताह से अधिक जमा पानी/कंटेनर आदि में टेमोफॉस कीटनाशी दवा डाली जा रही है, इसके साथ ही स्पेस स्प्रे व फॉगिंग का कार्य किया जा रहा है । प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है । मच्छरदानी के उपयोग, सफाई रखने एवं मच्छरों की पैदाईश रोकने के संबंध में समझाईश दी जा रही है । (ख) जी नहीं । (ग) जी हॉ ।

<u>विभाग द्वारा खोले गए आश्रम/छात्रावास</u>

23. **(क्र. 301) श्री ओमकार सिंह मरकाम :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा विगत तीन वर्ष में कब-कब, कहां-कहां आश्रम छात्रावास, छात्रवास खोला गया ? कृपया आश्रम छात्रावास, छात्रवास खोलने की दिनाँक स्वीकृत सीट, वर्तमान सीट बतावें ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार समस्त आश्रम छात्रावास, छात्रवासों में क्या उपयुक्त पेयजल, प्रकाश भवन है, अगर हां तो बतावें बालक आश्रम गीधा, पोस्ट मैट्रिक छात्रवास डिण्डौरी उत्कृष्ट छात्रवास समनापुर में यह व्यवस्था क्यों नहीं है और अगर नहीं है तो बतावें सभी जगह उपयुक्त व्यवस्था क्यों नहीं है, कब तक सभी जगह व्यवस्था किया जायेगा ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ** अनुसार । (ख) जी हाँ । यथा संभव उपयुक्त व्यवस्था है । संस्थाओं में पानी, प्रकाश, भवन आदि की वैकल्पिक व्यवस्था की जाकर संस्था संचालित की जा रही है ।

<u>सामुदायिक स्वा. केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय में प्रदत्त सुविधाएं</u>

24. **(क्र. 302) श्री ओमकार सिंह मरकाम :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) डिण्डौरी जिले में क्या सभी सामुदायिक केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, तथा जिला चिकित्सालय एवं प्रा. स्वा. केन्द्रों में उपयुक्त भवन, उपयुक्त पानी, प्रकाश एवं पहुँच मार्ग की व्यवस्था है ? (ख) अगर हां, तो बतावें, प्रा. स्वा. केन्द्र, जौरा कन्हारी, प्रा. स्वा. केन्द्र सरवाही, सामुदायिक स्वा. केन्द्र कंरनिया, सामुदायिक स्वा. केन्द्र समनापुर में उक्त व्यवस्था क्यों नहीं है ? कब तक वहॉ उपयुक्त व्यवस्था किया जावेगा, समयसीमा बतावें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं । (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करंजिया एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द गौराकन्हारी में प्रश्न (क) में उल्लेखित व्यवस्थाऐं हैं । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरवाही में प्रकाश की व्यवस्था एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समनापुर में पानी की व्यवस्था सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण शेष है । यथाशीघ्र, निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है ।

<u>फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर कार्यवाही</u>

25. **(क्र. 307) श्री संजय पाठक :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में श्री जानराव हेड़ाऊ उप-संचालक कृषि (वर्तमान पदस्थापना जिला-कटनी) के जाति प्रमाण पत्र के संबंध में कोई जॉच प्रचलित है ? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हॉ, तो क्या उक्त अधिकारी जॉच में दोषी पाया गया ? क्या यह सही है कि आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक जा.प्र.समिति/2014/3601/दिनांक 24.02.2014 एवं पत्र क्रमांक 11498 दिनांक

18.06.2014 द्वारा प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को प्रशासनिक कार्यवाही हेतु लिखा गया था ? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) हॉ, तो संबंधित अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई और जाति प्रमाण पत्र संदेहात्मक था तो संबंधित उप संचालक की एफ.आई.आर क्यो नहीं दर्ज कराई गई ? (घ) क्या छानबीन समिति को जब 3 माह के अंदर संदेहात्मक जॉच प्रमाण पत्र का निराकरण करने के शासन के निर्देश हैं तो विगत दो वर्षो से प्रकरण लंबित रखने के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? तथा दोषी अधिकारियों के ऊपर क्या कार्यवाही की जाएगी ? (ड.) क्या संबंधित उप-संचालक का जाति प्रमाण निरस्त/राजसात किया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ । (ख) जांच प्रचलित है । जी हां । पुनः अद्धशासकीय पत्र क्रमांक/13773 दिनांक 2.12.14 को भी प्रमुख सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को कार्यवाही हेतु लिखा गया है । (ग) जांच की कार्यवाही प्रचलित है, जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी । (घ) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 7-1/96/आ.प्र.-एक 8 सितम्बर, 1997 के निर्देशानुसार छानबीन समिति को सतर्कता अधिकारी से जांच कराकर निर्णय लेने के निर्देश हैं यह एक अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जिसमें आवश्यक जाच उपरांत ही निर्णय संभव होता है, प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के स्तर पर जांच निरंतर प्रचलित है अतः कोई भी दोषी नहीं है । शेष कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ड.) जांच के अंतिम परिणाम पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी । समय सीमा बतलाई जाना संभव नहीं है ।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवासीय ब्रिजकोर्स के तहत संचालित शालाएं

26. **(क्र. 325) श्री मेव राजकुमार :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) आवासीय ब्रिज कोर्स संचालित किये जाने के क्या नियम है ? एवं आवासीय ब्रिज कोर्स कहां-कहां संचालित किये जा सकते है ? (ख) आवासीय ब्रिजकोर्स योजनांतर्गत खरगोन जिले में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कितने आवासीय ब्रिज कोर्स संचालित किये गये ? (ग) प्रश्न (ख) के संदर्भ में खरगोन जिले में विकासखण्डवार आवासीय ब्रिज कोर्स संचालन हेतु आवंटन प्राप्त हुआ उसके अनुपात में कितना व्यय किया गया ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) :(क) नियम की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर है । जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** के प्रपत्र अ अनुसार हैं । (ख) वर्ष 2013-14 में 105 एवं 2014-15 में 73 आवासीय ब्रीज कोर्स संचालित किए गए । (ग) जानकारी परिशिष्ट "ब" एवं "स" पर हैं ।

परिशिष्ट- "बारह"

अनुसूचित जाति बस्ती क्षेत्र विकास मद से कार्यों की स्वीकृति

27. **(क्र. 326) श्री मेव राजकुमार :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) अनुसूचित जाति बस्ती क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में बजट प्रावधान अनुपात में इन्दौर संभाग में कितना-कितना आवंटन किस-किस जिले को किया गया ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में आवंटन के अनुपात में कितने-कितने कार्य स्वीकृत किये गये ? कितने कार्य पूर्ण हुये ? कितने प्रगतिरत होकर अपूर्ण है एवं कितने कार्य आप्ररंभ है ? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ग) खरगोन जिले में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में अनुसूचित जाति बस्ती क्षेत्र विकास योजनांतर्गत वर्ष 13-14 एवं 14-15 में प्राप्त आवंटन से विकासखण्ड वार कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गई एवं उपलब्ध आवंटन के

अनुपात में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये जाकर कार्य पूर्ण किये गये, कितने कार्य अपूर्ण होकर प्रगतिरत है, एवं कितने कार्य अप्रारंभ है ? (घ) अनुसूचित जाति क्षेत्र विकास अंतर्गत प्रश्नकर्ता द्वारा कब-कब कार्य स्वीकृति हेतु कितनों कार्यो के प्रस्ताव दिये गये ? प्रस्तावित कार्यों में से वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कितने कार्य कितनी राशि के स्वीकृत किये गये ? वर्तमान में कितने कार्य अपूर्ण होकर प्रगतिरत है एवं कितने कार्य अप्रारंभ है ? (ड.) कितने कार्य किस स्तर पर स्वीकृति हेतु कितनी अवधि से लंबित है ? यदि लंबित है तो किस कारण से, कब तक उनका निराकरण किया जावेगा ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** 'एक' अनुसार है । (ख) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** 'दो' अनुसार है । (ग) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** 'तीन' अनुसार है । (घ) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** 'चार' अनुसार है । (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'पांच' अनुसार है । प्रस्ताव विभागीय जिला कार्यालय से संबंधित है । निराकरण की समय सीमा बताना संभव नहीं है ।

आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधियों की गुणवत्ता की जांच

28. **(क्र. 356) श्री महेन्द्र हार्डिया :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या मध्यप्रदेश में विक्रय की जा रही आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी दवाइयों की गुणवत्ता जांचने के लिए कोई लेबोरेटरी संचालित है ? यदि नहीं तो क्यों ? कब तक प्रारंभ की जावेगी ? (ख) आयुष विभाग में कुल कितने ड्रग इंस्पेक्टर कार्यरत है ? इनके द्वारा पिछले 5 वर्षों में कितनी दवा फैक्ट्रियों से सैम्पल लिए गए हैं ? इनमें से कितने फेल हुए हैं ? संख्या उपलब्ध करावें ? (ग) विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित आयुष दवाईयों के विज्ञापन की दवाईयों की गुणवत्ता किस प्रकार जांची जाती है ? ये दवाईयां बाजार में विक्रय नहीं होने एवं सीधे ग्राहकों के घर पर डिलीवरी होने से इन कम्पनियों पर नियंत्रण किस प्रकार रखा जा रहा है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) ग्वालियर में लेबोरेटरी स्थापित है । पदपूर्ति न होने से संचालित नहीं है । पदपूर्ति प्रक्रिया प्रचलन में है समय सीमा बताना संभव नही है । (ख) प्रदेश में आयुर्वेद, सिद्व, यूनानी एवं होम्योपैथी के 54 ड्रग इंस्पेक्टर पदस्थ है । ड्रग एण्ड कास्मेटिक एक्ट के तहत 92 दवा फैक्ट्रियों के सेम्पल लिये गये जिसमें से 06 स्टेण्डर्ड क्वालिटी के नही पाये गये । (ग) विक्रय किये जाने वाली औषधियो का ड्रग एण्ड कास्मेटिक एक्ट 1940 एवं रूल्स 1945 के नियमानुसार सेम्पल लिये जाते है । विक्रय की गई औषधियों के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित कम्पनियों से नियमानुसार सेम्पल लेकर परीक्षण कराया जाता है ।

इंदौर में विभिन्न चिकित्सालय प्रारंभ करने बाबत्

29. **(क्र. 357) श्री महेन्द्र हार्डिया :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या इंदौर शहर में बाणगंगा एवं मूसाखेड़ी क्षेत्र में चिकित्सालय/स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है ? यदि हां, तो उसके लिए कितना बजट आवंटित किया गया है ? (ख) इन्हें अब तक प्रारंभ न किये जाने का क्या कारण है ? इन्हें कब तक प्रारंभ किया जावेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हां, इन्दौर शहर में बाणगंगा एवं मूसाखेडी़ में सिविल डिस्पेंसरी स्वीकृत है । जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को एकजाई

बजट आवंटन दिया जाता है । स्वास्थ्य संस्था के मान से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बजट उपलब्ध कराया जाता है । (ख) बाणगंगा एवं मूसाखेड़ी में स्वीकृत डिस्पेन्सरी के भवन निर्माण के लिये रूपयें 127.50 लाख के मान से, कुल 255.00 की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 20.10.2014 को एवं भवन निर्माण की निविदा सूचना दिनांक 24.11.2014 को जारी कर दी गई है । कार्यवाही प्रचलन में है । समय-सीमा बताना संभव नहीं ।

अवैध भर्ती पर कार्यवाही

30. **(क्र. 362) श्री रामलाल रौतेल :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या संचालनालय के पत्र क्रमांक/2/अवि./सेल-वि.स./2014/516-एस, दिनांक 16-07-2014 द्वारा सी.एम.ओ. अनूपपुर द्वारा की गई अवैध भर्ती को निरस्त किया गया है ? यदि हां, तो क्या अवैध भर्तीकर्ता के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी ? (ख) क्या यह सही है कि उक्त आवेदकगण अन्य जिले के निवासी हैं ? यदि हां, तो विशेष भर्ती अभियान के नियमों को ताक पर रख कर भर्ती की गयी थी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हां । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर द्वारा चौकीदार के पद पर नियुक्ति किसी को जानबूझ कर अनुचित लाभ देने के लिये नहीं की गई थी । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) जी हां । जी नही ।

बाछड़ा समुदाय के उत्थान हेतु योजना

31. **(क्र. 366) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) रतलाम, मन्दौर, जिले में बाछड़ा समुदाय के उत्थान स्वास्थ्य, शिक्षा हेतु कितनी सामाजिक संस्था, एन.जी.ओ. कार्यरत हैं ? (ख) 1 जनवरी 2010 से इन संस्थाओं को शासन द्वारा किस-किस प्रकार की कौन-कौन सी मदद राशि मिली ? प्रश्न दिनांक तक समस्त जानकारी से अवगत करावें ? (ग) रेड जोन इलाके में कार्य कर रहे एन.जी.ओ. एंव अन्य सरकारी उपक्रम के कार्यों की कब-कब किस-किस सक्षम अधिकारी द्वारा जांच की ? उनमें क्या खामियां प्राप्त हुई तथा किस-किस व्यक्ति/एन.जी.ओ. के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (घ) क्या यह सही है कि अधिकारियों की मिली-भगत से उक्त एन.जी.ओ. द्वारा शासन से भारी राशि वसूल कर किसी भी प्रकार के कोई भी शिक्षा, स्वास्थ्य की कार्यशाला आयोजित नहीं की जाती तथा फर्जी प्रस्तुतिकरण कर राशि वसूली जा रही है ? यदि हां, तो गत 1 जनवरी 2010 के पश्चात कौन-कौन से एन.जी.ओ. ने एवं संस्थाओं ने कौन-कौन से कार्य कहां-कहां पर किए ? जानकारी दें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

बोर्ड द्वारा पुनर्गणना में अनियमितता

32. **(क्र. 374) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) मा. शिक्षा मण्डल, भोपाल में गत वर्ष, 2013-14 में कितने आवेदन पुर्नमुल्यांकन एवं पुर्नगणना के प्राप्त हुए, इनमें कितने विद्यार्थियों के अंकों में परिवर्तन हुए, कितनों के नहीं ? (ख) क्या यह सही है कि गत दिनों इन्दौर हाईकोर्ट द्वारा एक छात्र को, जिसका प्राप्तांक 80 प्रतिशत् से अधिक था, किन्तु वह एक विषय में अनुत्तीर्ण था और उसे पुर्नमुल्यांकन के बावजूद बोर्ड ने अनुत्तीर्ण कर दिया, जिसे मा. न्यायालय के

दखल के बाद पुन: कॉपी का परिक्षण करवाया, इसके उपरांत वह उत्तीर्ण किया गया ? इस कार्य में कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ? (ग) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में क्या मा. न्यायालय के दखल के बाद उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को एक वर्ष बर्बाद होने का कोई मुआवजा बोर्ड द्वारा दिया जाएगा ? ऐसे प्रकरणों में बोर्ड द्वारा की जाने वाली कार्यवाही से अवगत करावें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल में पुर्नमूल्यांकन का प्रावधान न होने के कारण प्रकरण निरंक है । पुर्नगणना के कुल 85742 प्रकरण प्राप्त हुये, इनमें से 768 प्रकरणों के अंकों में परिवर्तन हुये, 84974 प्रकरण में परिवर्तन नही हुआ । (ख) छात्र की परीक्षा अनुक्रमांक व याचिका क्रमांक का उल्लेख न होने के कारण जानकारी प्रदान की जाना संभव नहीं हैं । मण्डल में पुर्नमूल्यांकन का प्रावधान नही है । पुर्नगणना व परीक्षण में उत्तरपुस्तिका में अमूल्यांकित भाग होने पर उक्त भाग का मूल्यांकन कराया जाकर यथा संशोधित परिणाम अनुसार अंकसूची जारी की जाती है । विगत दिनों में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक 6117/2014 में पारित निर्णय के अनुक्रम में प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार हैः- 1. याचिका क्रमांक 6117/2014 अक्षय जायसवाल विरूद्ध माध्यमिक शिक्षा मण्डल, में याचिका दायर कर गणित विषय में अनुपस्थित के स्थान पर उपस्थित होते हुये संशोधित परीक्षाफल जारी करने की मुख्य सहायता चाही गई थी । 2. छात्र श्री बाल पब्लिक हायर सेकेण्डरी स्कूल, सुभाष नगर, इन्दौर का नियमित छात्र है । छात्र द्वारा वर्ष 2014 में परीक्षा केन्द्र क्रमांक 532052 मदर लेण्ड उ.मा.वि. इन्दौर से हायर सेकेण्डरी परीक्षा में सम्मिलित हुआ था । छात्र की अंकसूची में त्रुटिवश वास्तविक परीक्षा केन्द्र के स्थान पर गलत परीक्षा केन्द्र 531024 अंकसूची में अंकित करते हुये गणित विषय में अनुपस्थित दर्शाते हुये परीक्षा परिणाम पूरक घोषित किया गया था । 3. छात्र के आवेदन पर कार्यवाही करते हुये मूल्यांकन केन्द्र से गणित विषय की उत्तरपुस्तिका मंगाकर प्राप्तांक के आधार पर गणित विषय में 90 अंक प्रदान करते हुये संशोधित परीक्षाफल जारी किया गया है । 4. उक्त प्रकरण में मण्डल में विविध प्रावधानों के विपरीत कोई भी पुर्नमूल्यांकन का कार्य नही किया गया है । 5. प्रकरण में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये कारण बताओं सूचना-पत्र जारी किया गया है । (ग) माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपेक्ष्य में संबंधित छात्र को राशि रूपये 25,000/- प्रदान कर दी गई है ।

<u>विद्यालय भूमि पर अतिक्रमण</u>

33. **(क्र. 375) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) उज्जैन संभाग में ऐसे कितने शासकीय, प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, हायर सेकेण्ड्री स्कूल हैं, जिनके बाहर नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा दुकानें काटकर बेच दी गई ? (ख) क्या यह सही है कि शासकीय विद्यालयों की भूमि पर नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों को दुकाने काटने का अधिकार नहीं हैं ? यदि हां, तो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गई, तथा विभाग द्वारा कब-कब पत्रों के माध्यम से विद्यालयों में हो रहे अतिक्रमण हेतु जिला कलेक्टर को निर्देशित किया गया ? (ग) क्या उज्जैन संभाग में समस्त शासकीय विद्यालयों का भूमि सीमांकन कर अतिक्रमण मुक्त किया जा चुका है, तथा कितने विद्यालयों की भूमि पर आज भी अवैध अतिक्रमण हैं ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) उज्जैन संभाग अंतर्गत रतलाम जिले में 01 उ.मा.विद्यालय नामली में नगरपरिषद द्वारा 40 दुकानों का निर्माण किया गया है । मंदसौर जिले के शासकीय प्राथमिक विद्यालय शामगढ की बाउण्ड्री पर नगर पंचायत शामगढ द्वारा शिक्षक पालक संघ के अनुमोदन पर दुकानें

तैयार कर बेची गई है । नगर पंचायत पिपलिया मण्डी द्वारा बालक उ.मा.विद्यालय पिपलिया मण्डी की बाउण्ड्रीवाल पर दुकानों का निर्माण किया गया है एवं नीमच जिले की शासकीय बालक उ.मा.विद्यालय क्रमांक-1 व 2 एवं शासकीय कन्या उ.मा.विद्यालय मनासा द्वारा दुकानों का निर्माण किया गया है । (ख) जी हां । समय-समय पर विभागाध्यक्ष एवं शासन स्तर से जारी निर्देशों की प्रति जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ"** अनुसार है । (ग) जी हां । 143 विघालयों की भूमि पर अतिक्रमण है ।

नगर पालिका क्षेत्र में 30 बिस्तर का शासकीय अस्पताल की स्थापना

34. **(क्र. 455) इन्जी. प्रदीप लारिया :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) शासन की नीति अनुसार नगर पालिका क्षेत्र में 30 या 50 बिस्तर का शासकीय अस्पताल भवन सहित खोले जाने हेतु कोई प्रावधान है ? (ख) यदि हॉ तो नव गठित नगर पालिका मकरोनिया बुजुर्ग में 30 या 50 बिस्तर का शासकीय अस्पताल भवन सहित खोलने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ? (ग) यदि नहीं तो नव गठित नगर पालिका मकरोनिया बुजुर्ग में 30 या 50 बिस्तर का शासकीय अस्पताल भवन सहित खोलने हेतु कब तक कार्यवाही की जावेगी ? समय-सीमा बतायें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) राज्य शासन के निर्धारित मापदण्डानुसार सामान्य क्षेत्र में 1.20 लाख की जनसंख्या पर 30 बिस्तरीय अस्पताल खोलने का प्रावधान है । 50 बिस्तरीय अस्पताल खोलने हेतु कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है । (ख) जी हां, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सागर से इस बाबत् आवश्यक जानकारी मंगाई गयी है । जो परिक्षणाधीन है । (ग) प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

चिकित्सक द्वारा शासन को गुमराह किया जाना

35. **(क्र. 475) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या श्री प्रदीप खण्डेलवाल, द्वारा मा. मुख्य सचिव, म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल को दिनांक 28.4.2014 को एक चिकित्सक द्वारा शासन को गुमराह करने संबंधी शिकायती पत्र भेजकर नियमानुसार कार्यवाही हेतु लिखा गया था, तथा इसकी प्रतिलिपि विभागीय सचिव, संचालक चिकित्सा शिक्षा एवं म.प्र शासन एवं अधिष्ठाता गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल को दी गई थी ? (ख) उक्त शिकायती पत्र संबंधितों को कब-कब प्राप्त हुआ एवं संबंधितों द्वारा प्रश्न दिनांक तक कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

सिविल अस्पताल रॉझी जिला जबलपुर में रिक्त पदों की पूर्ति

36. **(क्र. 488) श्री अशोक रोहाणी :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है कि सिविल अस्पताल रॉझी, जिला जबलपुर में विशेषज्ञ चिकित्सक के 13 पद स्वीकृत होने के बावजूद मात्र 07 पदों पर चिकित्सक पदस्थ किये गये हैं ? (ख) प्रश्न (क) में वर्णित रिक्त पदों की पूर्ति कब तक पूर्ण की जावेगी ? (ग) सिविल अस्पताल रॉझी, जिला जबलपुर में शासन के द्वारा 50 बिस्तरों का अस्पताल स्वीकृत किया गया था, परन्तु वर्तमान में केवल 30 बिस्तरों की ही सुविधा

उपलब्ध है ? शेष 20 बिस्तरों से संबंधित सुविधा कब तक आम जनता को प्राप्त होगी ? (घ) क्या यह सही है कि वर्तमान में Anesthesia से संबंधित एक ही चिकित्सक पदस्थ है ? एवं Anesthesia चिकित्सक के अवकाश पर रहने की दशा में आपरेशन थियेटर का कार्य पूर्णत: बंद हो जाता है ? इस संबंध में वैकल्पिक Anesthesia चिकित्सक की व्यवस्था कब तक हो पायेगी, ताकि आपरेशन थियेटर का कार्य बाधित न हो ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं, सिविल अस्पताल रांझी में विशेषज्ञों के 05 पद स्वीकृत हैं एवं 02 विशेषज्ञ पदस्थ होकर कार्यरत है, चिकित्सा अधिकारी के 05 पद स्वीकृत तथा 05 चिकित्सक कार्यरत हैं । (ख) वर्तमान में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के दृष्गित् निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है । पदोन्नति की प्रक्रिया निरंतर जारी है । (ग) शासन आदेश क्रमांक एफ 12-36/13/सत्रह/मेडि-तीन दिनांक 17.07.2013 के द्वारा सिविल अस्पताल रांझी का उन्नयन 20 बिस्तरीय से 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल के रूप में किया गया है । शासन आदेश अनुसार पद पूर्ति की कार्यवाही तीन वार्षिक चरणों में पूर्ण की जानी है, निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है । (घ) जी हॉ, निश्चेतना विशेषज्ञ के स्वीकृत एक पद के विरूद्ध एक विशेषज्ञ पदस्थ है । जी नहीं निश्चेतना विशेषज्ञ के अवकाश पर रहने पर जिला चिकित्सालय से वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>शा. उ.मा. वि., टेमर-भीटा (विधानसभा क्षेत्र केंट), जिला जबलपुर में स्कूल भवन का निर्माण</u>

37. **(क्र. 492) श्री अशोक रोहाणी :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) शा. उ.मा.वि. टेमर-भीटा विधान सभा क्षेत्र केंट, जबलपुर में स्कूल भवन के निर्माण की स्वीकृति कब प्रदान की गई व कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है ? (ख) कार्य प्रारंभ करवाने हेतु क्या निविदा आमंत्रित की गई है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य शासन की किस कार्य एजेंसी के द्वारा किया जायेगा, तथा कार्यादेश कब प्रदान किये जायेंगे ? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार, यदि कार्य स्वीकृत हो चुका है, तथा कार्यादेश जारी कर दिया गया है, तो निर्माण कार्य कब शुरू होगा ? वर्तमान में निर्माण की क्या स्थिति है, अवगत करावें ? यदि निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, तो विलंब का क्या कारण है ? (घ) क्या कार्य स्थल के अनुरूप कार्य करवाने हेतु नक्शे में कोइ परिवर्तन किया गया है ? नये नक्शे की स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी ? कलेक्टर जबलपुर के पत्र क्रं. 5926/दिनांक 27.6.14 पर क्या कार्यवाही की गई है, अवगत करायें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) विधानसभा क्षेत्र केंट में शासकीय उ.मा.विद्यालय टेमर-भीटा में स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक-646, दि0 23.3.13 के व्दारा राशि रूपये 123.00 लाख की भवन निर्माण स्वीकृति प्रदान की गई थी । (ख) जी हॉ । निर्माण कार्य की ऐजेन्सी पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग जबलपुर है । कार्यादेश क्रमांक-1437, दि0 22.6.2013 को जारी किया गया । (ग) शाला व्दारा चिन्हित भूमि पर्याप्त नहीं होने के कारण कार्य प्रारंभ नही किया जा सका है । (घ) जी हॉ । नक्शे के पुनरीक्षण की कार्यवाही प्रचलन में है । समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है । जिला-कलेक्टर, जबलपुर के पत्र क्रमांक-5926, दि0 27.6.14 के संबंध में संभागीय परियोजनाक्रियान्वयन इकाई, पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग जबलपुर से पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलन में है ।

शास.प्राथ.स्वा. केन्द्र गोपालगंज में विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा

38. **(क्र. 516) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) सिवनी जिले के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोपालगंज की भूमि खसरा नं. 71, 73, 210, 228, 245, 336, 604, 609, 611, 762, 766, 744 कुल रकबा 4.77 हेक्टेयर पर वर्तमान में किसके कब्जे में हैं व क्यों ? कारण सहित बतावें ? (ख) प्रश्नांश (क) से संबंधित भूमि व भवन यदि अवैध कब्जा है तो उसे कब तक हटा दिया जावेगा निश्चित समयावधि बतावें ? (ग) क्या यह सही है कि शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोपालगंज जिला सिवनी की भूमि को षड़यंत्रपूर्वक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विक्रय कर जानबूझकर नरेन्द्र ठाकुर आत्मज भगतसिंह ठाकुर एवं श्रीमती निशा ठाकुर पत्नि नरेन्द्र ठाकुर दोनों निवासी महावीर वार्ड सिवनी को लाभ पहुंचाया गया ? यदि हॉ, तो दोषी व्यक्तियों, अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई, यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों कारण बतावें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) सिवनी जिले के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोपालगंज की भूमि खसरा नं 71, 73, एवं 210 वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोपालगंज स्वास्थ्य विभाग के कब्जे में आवंटित है जिसका कुल रकबा 0.97 हेक्टेयर है । उक्त भूमि पर 1956-57 में ही स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण किया गया था । तब से स्वास्थ्य विभाग का ही कब्जा है । खसरा नं 71, 73, एवं 210 की भूमि, स्वामी श्री सिमरत पाल सिंह द्वारा स्वास्थ्य विभाग को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोपालगंज के लिये दान दी गई थी । शेष खसरा नं 228, 245, 336, 604, 609, 611, 762, 766 744 की भूमि, स्वामी श्री सिमरत पाल सिंह के कब्जे में है । (ख) स्वास्थ्य विभाग को आवंटित भूमि खसरा नं 71, 73, एवं 210 पर कोई अवैध कब्जा नहीं है । शेष स्वास्थ्य विभाग से असंबंधित है । (ग) जी हॉ । जी हॉ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोपालगंज की भूमि खसरा नं भूमि खसरा नं 71, 73, एवं 210 की खाली पड़ी भूमि को भू-स्वामी सिमरन पालन सिंह द्वारा षडयंत्रपूर्वक दिनांक 17.09.2012 को नरेन्द्र ठाकुर महावीर वार्ड सिवनी को उक्त अचल संपत्ति के विक्रय अथवा अन्य सभी प्रयोजन हेतु मुक्तियार नामा द्वारा नियुक्त किया गया । प्रकरण में न्यायालयीन व्यवहार वाद क्र - 75ए/2011 न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 02 सिवनी द्वारा प्रकरण में स्वास्थ्य विभाग के पक्ष में निर्णय सुनाया गया । इस प्रकरण में दो व्यक्तियों को दोषी पाया गया, जिसमें पटवारी को हटाया गया एवं तत्कालीन नायब तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया ।

जबलपुर पश्चिम विधान सभा स्थित शा. रानी दुर्गावती क.उ.माद्य.विद्यालय गंगा नगर में छात्रों को बैठने की व्यवस्था

39. **(क्र. 541) श्री तरूण भनोत :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्रांतर्गत शा. रानी दुर्गावती क.उ.मा.वि. गंगा नगर गढ़ा में वर्तमान में कुल कितने छात्रों की दर्ज संख्या है एवं दर्ज संख्या के अनुसार बैठने की क्या व्यवस्था है ? क्या विभाग द्वारा शाला परिसर में छात्रों के बैठने की व्यवस्था हेतु अतिरिक्त भवनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है ? (ख) वर्णित (क) की संस्था में छात्रों को सुचारू एवं सुगमता पूर्वक बैठने हेतु अतिरिक्त भवनों का निर्माण विभाग द्वारा कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ? समय सीमा बतावें ? (ग) वर्णित (क) की संस्था में कक्षा 9 वीं में कितनी छात्राएं अध्ययनरत हैं ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) शासकीय रानी दुर्गावती कन्या उ.मा. विद्यालय गंगानगर गढा में वर्तमान में कुल 973 छात्राओं की संख्या है । वर्तमान में दर्ज छात्राओं की संख्या के मान से कक्षा 9वीं हेतु 6 कक्ष, कक्षा 10वीं हेतु 5 कक्ष, कक्षा 11वीं हेतु 3 कक्ष एवं कक्षा 12वीं हेतु 4 कक्ष उपलब्ध है । जी नहीं । (ख) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ग) संस्था में 9वीं कक्षा में 386 छात्राएं अध्ययनरत है ।

जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आदिवासी बस्ती विकास मद से किये गये कार्य

40. **(क्र. 542) श्री तरूण भनोत :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) पश्चिम विधानसभा क्षेत्र जबलपुर अंतर्गत आदिवासी बस्ती विकास मद से विकास कार्य करवाने हेतु शासन द्वारा प्रतिवर्ष कितनी राशि का आबंटन किया जाता है जानकारी राशिवार व विधानसभा में किए गये विकास कार्यवार वर्ष 31 मार्च 2010 से 31 मार्च 2014 तक बताई जावे ? (ख) क्या यह सत्य है वर्णित (क) की विधानसभा अंतर्गत त्रिपुरी वार्ड स्थित क्रेशर बस्ती सगड़ा में विभाग द्वारा विद्युत पोल लगवाने हेतु राशि का आबंटन किया गया था, क्या उक्त राशि से विद्युत पोल लगवाये जा चुके है या नहीं ? जानकारी आबंटित राशि अनुसार व किये गये कार्य की भौतिक स्थिति पूर्ण विवरण सहित बताई जावें ? (ग) कब तक वर्णित (क) के विभाग द्वारा क्रेशर बस्ती सगड़ा में जनहित हेतु विद्युत पोल लगवा दिये जावेंगे, समय बतावें ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) विधानसभावार आवंटन प्रदाय करने के प्रावधान नहीं है । उक्त अवधि में मद अंतर्गत कोई कार्य नहीं कराये गये । (ख) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

नागरिकों को उपलब्ध चिकित्सा सुविधा

41. **(क्र. 553) श्री जितेन्द्र गेहलोत :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) रतलाम जिले में किस-किस शासकीय चिकित्सालय में वर्ष, 2012-13 एवं अक्टूबर, 2014 तक शासन द्वारा क्या-क्या सुविधाएं नागरिकों को प्रदान की, तथा उन पर हुए व्यय का वर्षवार, मदवार ब्यौरा क्या है ? (ख) उपरोक्त अवधि में जिला चिकित्सालय को प्राप्त आवंटन राशि एवं व्यय का वर्षवार ब्यौरा क्या है ? (ग) जिले के कितने चिकित्सालयों में एम्बूलेंस सुविधा नहीं है अथवा एंबूलेंस बन्द पड़ी हैं व किस कारण ? (घ) जिला चिकित्सालय रतलाम द्वारा चलित चिकित्सा योजना क्रियान्वित की जा रही है ? यदि हां, तो ब्यौरा क्या है एवं नहीं, तो क्यों नहीं ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) प्रश्नांश अवधि में रतलाम जिले के अंतर्गत शासकीय चिकित्सालयों/जिला चिकित्सालय/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर निःशुल्क औषधि, निःशुल्क पैथोलॉजी जांच, जननी एक्सप्रेस योजना, परिवहन, चिकित्सीय उपचार एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम इत्यादि के अंतर्गत सुविधायें प्रदान की जा रही है । रतलाम जिलें में वर्ष 2012-13 एवं अक्टूबर 2014 तक व्यय का वर्षवार मदवार ब्यौरा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ"** अनुसार है । (ख) प्रश्नांश ख की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब"** अनुसार है । (ग) प्रश्नांश अवधि तक जिला चिकित्सालय, रतलाम को 4 एम्बुलेंस आवंटित है । 01 एम्बुलेंस सिविल हॉस्पिटल, जावरा को उपलब्ध कराई गई है । 01 एम्बुलेंस के अपलेखन की कार्यवाही प्रचलन में है तथा 02 चालू हालत में है एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिपलौदा, सैलाना में एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है ।

सिविल हॉस्पिटल, आलोट में एम्बुलेंस राईट ऑफ हो चुकी है । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाजना की एम्बुलेंस पुलिस स्टेशन में जब्त है । (घ) जी नहीं । जिला चिकित्सालय में चलित चिकित्सालय योजना संचालित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है ।

चिकित्सा शिक्षा अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मानदेय निकाल कर अनियमितता की जाना

42. **(क्र. 609) श्री संजय उइके :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा संचालनालय चिकित्सा शिक्षा को स्वशासी संस्था घोषित किया गया है ? यदि हां, तो शासन आदेश की प्रति एवं स्वशासी संस्था होने संबंधित पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराएं ? (ख) क्या यह सत्य है कि संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा बिना राज्य शासन एवं वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त किये भारतीय स्टेट बैंक में स्वशासी संस्था के नाम से एक खाता संचालित किया जा रहा है ? यदि हॉ, तो इस खाते में कौन-कौन सी राशि जमा की जाती है तथा उक्त खाते में जमा राशि को व्यय करने हेतु संधारित किये गये नियमों की प्रति उपलब्ध कराये ? (ग) क्या यह सत्य है कि संचालनालय में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा विभाग के अन्तर्गत संचालित परिषद कार्यालयों से प्रतिमाह हजारों रूपये की राशि मानदेय के रूप में प्राप्त की जाती है ? क्या परिषद कार्यालय द्वारा उक्त राशि के भुगतान करने हेतु विभाग से विधिवत अनुमति प्राप्त की गई है ? (घ) क्या वित्त विभाग द्वारा बिना उनकी अनुमति के बैंकों में खोले गये खातों में जमा राशि तत्काल शासकीय कोष में जमा करने हेतु आदेश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो प्रश्नांश (क) में उल्लेखित खाते में जमा राशि शासकीय कोष में जमा न करने वाले विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी यदि हां, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

शा. महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर मा. वि., शाजापुर की भवन स्वीकृति

43. **(क्र. 611) श्री अरूण भीमावद :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय, शाजापुर के मध्य कन्याओं के लिए एक मात्र संस्था शा. महा.लक्ष्मीबाई कन्या उ.मा. वि., शाजापुर वर्ष, 1958 से संचालित हो रहा है, जिसमें लगभग 1000 छात्राऐं अध्ययनरत हैं ? क्या उक्त शाला भवन विहीन होकर शा. मा. वि. भवन में संचालित हो रही हैं ? यदि हां, तो इसकी निर्माण स्वीकृति कब तक जारी होगी ? (ख) क्या उक्त भवन हेतु जिला कलेक्टर ने पुराने अस्पताल वाली जगह शिक्षा विभाग को आवंटित की गई है, परन्तु विभाग को हस्तांतरण नहीं हुआ है ? विभाग उक्त भूमि का आधिपत्य कब तक ग्रहण करेगा ? (ग) क्या यह सही है कि वर्तमान शा.मा.वि. भवन सन् 1947 से पूर्व का निर्मित होने के कारण नवीन विस्तारण लोक निर्माण विभाग द्वारा खारिज किया जाने से उक्त परिसर में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण भी नहीं किया जा सकता है ? (घ) शा. महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उ.मा.वि., शाजापुर के भवन निर्माण की स्वीकृति शासन द्वारा कब तक जारी कर दी जावेगी, समयसीमा बतावें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हां । सत्र 2014-15 में दर्ज संख्या 758 है । जी हां । समय सीमा बताना संभव नहीं है । (ख) जी नहीं । प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) शाला परिसर में नवीन विस्तार हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है । (घ) शाला भवन का निर्माण बजट उपलब्धता एंव सक्षम स्वीकृति पर निर्भर है । समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में अनियमितता

44. **(क्र. 634) श्री मुरलीधर पाटीदार :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) विभाग द्वारा संचालित कौन-कौन सी अनुदान योजनाऐं आगर जिले में संचालित हैं ? योजनाओं के स्वरूप, मापदण्ड, स्वीकृति व भुगतान की प्रक्रिया की जानकारी देवें ? (ख) आगर जिले में संचालित विभाग के छात्रावासों को विगत एक वर्ष में छात्रावास संचालन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई ? राशि के नियमानुसार उपयोग हेतु मॉनिटरिंग की जाती है ? यदि हां, तो कोई विपरीत तथ्य संज्ञान में आए हो, तो विवरण दें ? (ग) क्या शासन स्तर पर जिला-आगर में संचालित छात्रावासों में अनियमितता संबंधी शिकायत प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो जांच की जा रही है या की जावेगी एवं दोषियों पर कार्यवाही होगी ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा गैर शासकीय संस्थाओं को आदिवासी विकास की निर्धारित गतिविधियों हेतु अनुदान, इनके अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मद से संचालित योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, आर्थिक कल्याण योजना संचालित है । योजना की नियम प्रति **पुस्तकालय में रखें** परिशिष्ट ''अ'' ''अ-1'' तथा ''अ-2'' अनुसार है । (ख) जानकारी **पुस्तकालय में रखें** परिशिष्ट ''ब'' अनुसार । राशि की जानकारियां ली जाती हैं । कोई विपरीत तथ्य संस्थान में नहीं आये हैं । (ग) शिकायत प्राप्त नहीं हुई । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

क्षेत्रांतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु

45. **(क्र. 635) श्री मुरलीधर पाटीदार :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या आगर जिले के सुसनेर क्षेत्रांतर्गत सामुदायिक स्वा. केन्द्रों में उपलब्ध चिकित्सक क्षेत्र की जनसंख्या के मान से पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो शासन इस और गंभीर है ? (ख) प्रश्नांश (क) क्षेत्रांतर्गत सामुदायिक स्वा. केन्द्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयनीकरण हेतु शासन स्तर से कोई कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो विवरण देवें ? (ग) प्रश्नांश (ख) क्षेत्रांतर्गत क्या नए स्वास्थ्य केन्द्र, शासन द्वारा खोले जा रहे हैं ? यदि हां, तो कार्यवाही किस स्तर पर है, कृपया विवरण देवें ? (घ) रोगी कल्याण समिति के माध्यम से नियुक्त किए गए स्वास्थ्य कर्मियों के मानदेय वृद्धि के संबंध में कोई कार्यवाही प्रचलित है ? यदि है, तो विवरण देवें ? यदि नहीं, तो क्या शासन इस ओर विचार करेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं । जी हॉ । (ख) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों के खोलने की कार्यवाही प्रचलन में है । इसके लिए प्रस्ताव जिलों से मंगाया जा रहा है । (घ) जी हॉ, रोगी कल्याण समिति द्वारा कार्यरत कर्मियों को दिये जाने वाले मानदेय में निर्णय लेते हुए अकुशल कर्मियों को 3500/- अर्द्धकुशल कर्मियों को 5000/- एवं कुशल कर्मियों को रूपये 5200/- प्रतिमाह देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है ।

नियम विरूद्ध पदस्थ प्रभारी प्राचार्य

46. **(क्र. 650) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के शासकीय हाईस्कूलों में प्राचार्य का प्रभार दिये जाने के संबंध में क्या दिशा-निर्देश है ? प्रति उपलब्ध करावें ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) वर्णित दिशा-निर्देशों का राजगढ़ जिले में अक्षरश: पालन किया जा रहा है ? (ग) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 353 दिनांक 04.09.2014 से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लखनवास विकासखण्ड ब्यावरा के प्रभारी प्राचार्य के

विरूद्ध निरंतर प्राप्त हो रही शिकायतों एवं नियमानुसार प्रभार दिये जाने के संबंध में कलेक्टर, जिला राजगढ़ को अवगत कराया गया था ? यदि हॉ, तो प्रश्न दिनांक तक उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गई ? (घ) क्या यह भी सही है कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला राजगढ़ द्वारा आदेश क्रमांक/स्था./प्रभार/2014/786 राजगढ़ दिनांक 28 जुलाई 2014 से उक्त प्राचार्य को अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करने एवं संस्था के अन्य वरिष्ठ अध्यापकों की असहमति उपरांत विशेष परिस्थितिवश कार्य सुविधा की दृष्टि से संस्था के प्राचार्य का प्रभार किसी अन्य अध्यापक को सौंपा गया था ? यदि हां, तो उक्त आदेश को निरस्त कर पुन: उसी प्राचार्य को प्रभार सौंपा गया ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा कब तक नियमानुसार उक्त संस्था का प्रभार किसी वरिष्ठ अध्यापक को सौंपा जावेगा ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क)"जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है ।" (ख) जी हां । (ग) जी हां । विद्यालय का प्रभार जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ के पत्र दिनांक 21.10.14 के द्वारा अन्य वरिष्ठ अध्यापक को सौंपा गया । संबंधित प्रभारी प्राचार्य के विरूद्व दिनांक 20.11.14 को जांच हेतु लिखा गया है । जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जाएगी । (घ) जिन्हें प्रभार सौंपा गया था, के सहायक अध्यापक होने से, पुनः उसी वरिष्ठ अध्यापक को प्रभार सौंपा गया । वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश दिनांक 21.10.14 के द्वारा संस्था के अन्य वरिष्ठ अध्यापक को प्रभार सौंपने का आदेश जारी किया गया है ।

परिशिष्ट- "तेरह"

<u>ग्वालियर जिला में सहरिया अ.ज.जा. वर्ग के हितग्राहियों को आवास निर्माण एवं स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता</u>

47. **(क्र. 694) श्रीमती इमरती देवी :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) ग्वालियर जिले में वर्ष 2012-13 से 2014-15 में सहरिया अनु.ज.जा. वर्ग के हितग्राहियों को आवास निर्माण एवं स्वरोजगार हेतु वर्षवार कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई, मदवार एवं वर्षवार पृथक-पृथक बतावें ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वर्ष 2012-13 से 2014-15 में सहिरया अनु.ज.जा. वर्ग के कितने हितग्राही को कितनी राशि स्वीकृत कर आवास निर्माण अथवा स्वरोजगार हेतु किस एजेंसी अथवा हितग्राही को प्रदाय की गई ? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार वर्ष 2011-12 से 2013-14 में सहरिया अनु.ज.जा. वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार हेतु स्वीकृत राशि अनुसार (सामग्री/वस्तु उपकरण जॉनबर, अन्य) हितग्राही को प्रदाय किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो ऐसे हितग्राही जिन्हें वर्ष 2011-12 से 2013-14 में स्वीकृत राशि उपरांत अभी तक लाभांवित नहीं किया जा सका है, कारण सहित वर्षवार ऐसे हितग्राहियों की संख्या बतावें ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) :(क) ग्वालियर जिले में वर्ष 2012-13 से 2014-15 में सहरिया अनु.जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को आवास निर्माण एवं स्वरोजगार हेतु वर्षवार एवं मदवार विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र	वर्ष	राशि लाखों में	मद
1	2012-13	-	सेटलमेंट योजना एवं एकीकृत आवास योजना अंतर्गत
	2012-13	36.98	स्वरोजगार योजना अंतर्गत
2	2013-14	90.00	सेटलमेंट योजना एवं एकीकृत आवास योजना अंतर्गत
	2013-14	111.78	स्वरोजगार योजना अंतर्गत
3	2014-15	-	सेटलमेंट योजना एवं एकीकृत आवास योजना अंतर्गत
	2014-15	13.31	स्वरोजगार योजना अंतर्गत

(ख) ग्वालियर जिले में प्रश्नांश अनुसार जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट (अ)** में संलग्न है । (ग) ग्वालियर जिले में प्रश्नांश अनुसार वर्ष 2011-12 से 2013-14 में राशि स्वीकृति उपरांत अभी तक लाभांवित नहीं किया जा सका है जिसका कारण सहित विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र	वर्ष	संख्या	कारण
1	2011-12	-	-
2	2012-13	44	हितग्राही खाता अपेक्षित होने के कारण
3	2013-14	38	हितग्राही खाता अपेक्षित होने के कारण

अंत्योदय स्वरोजगार योजना के उद्देश्य

48. **(क्र. 723) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) अंत्योदय स्वरोजगार योजना के क्या-क्या उद्देश्य होकर उनके क्रियान्वयन हेतु क्या-क्या नीति एवं मापदण्ड निर्धारित हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजना अंतर्गत किन-किन हितग्राहियों/व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाकर किन-किन कार्यों हेतु कितना-कितना ऋण व अनुदान देने का नियम है ? (ग) वर्ष 2010-2011 से नवम्बर 2014 तक मुरैना जिले को कितनी राशि प्राप्त होकर किन-किन विकासखण्डों में ऋण व अनुदान राशि दी गई ? (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में विकासखण्ड अम्बाह एवं मुरैना में वर्ष 2010-2011 से नवम्बर 2014 तक वर्षवार कितने पात्र हितग्राहियों को कितनी-कितनी राशि एवं अनुदान किन-किन कार्यों हेतु दिया गया ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) :(क) अन्त्योदय स्वरोजगार योजना दि.31.7.2014 से बंद हो जाने से वर्तमान में प्रभावशील नहीं है । (ख) अन्त्योदय स्वरोजगार योजना दि.31.7.2014 से बंद हो जाने से वर्तमान में प्रभावशील नहीं है । (ग) अन्त्योदय स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 से 31 जुलाई, 2014 के पूर्व स्वीकृत प्रकरणों में मुरैना जिले को 164.40 लाख राशि प्राप्त हुई । 7 विकासखण्डों (पोरसा,अम्बाहा, मुरैना, जौरा, कैलारस, पहाडगढ, सबलगढ) में 565.86 लाख ऋण तथा राशि रू. 134.60 लाख अनुदान राशि प्रदाय की गयी । जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ'** अनुसार है । (घ) अन्त्योदय स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 से 31 जुलाई, 2014 के पूर्व स्वीकृत प्रकरणों में विकासखण्ड अम्बाहा में पात्र 185 हितग्राहियों को बैंक ऋण राशि रू.76.30 लाख तथा अनुदान राशि रू. 18.50 लाख एवं विकासखण्ड मुरैना में वर्ष 2010-11 से 31 जुलाई, 2014 के पूर्व स्वीकृत प्रकरणों में पात्र 580 हितग्राहियों को बैंक ऋण राशि रू. 257.20 लाख तथा अनुदान राशि रू. 58.00 लाख विभिन्न व्यवसायों में उपलब्ध कराई गयी जिनकी व्यवसायवार ऋण/अनुदान राशि एवं हितग्राही सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि 'ब'** अनुसार है ।

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना से संबंधित

49. **(क्र. 724) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना प्रारंभ की है ? यदि हां, तो योजना कब से प्रारंभ होकर उसके क्रियान्वयन हेतु शासन की क्या नियमावलियां हैं ? (ख) यदि प्रश्नांश (क) सत्य है, तो स्वरोजगार योजना प्रारंभ से लेकर नवम्बर, 2014 तक कितनी धन राशि म.प्र. में स्वरोजगार हेतु आवंटित की गई ? वर्षवार एवं जिलावार बताई जावे ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी हॉ । योजना वर्ष 2009-10 से प्रारंभ हुई है एवं वर्ष 2014 में नियमावली में संशोधन किया गया है । संशोधित नियमावली की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ"** अनुसार है । (ख) मुख्यमंत्री पिछडा वर्ग स्वरोजगार योजना हेतु आबंटित धनराशि की वर्षवार एवं जिलावार जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब"** अनुसार है ।

<u>बड़ौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पद/सुविधाएं</u>

50. **(क्र. 751) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) श्योपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ौदा में निर्धारित मान से चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टॉफ के कितने व कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं, में से वर्तमान में कौन-कौन से पद भरे व कौन-कौन से पद कब से व किन कारणों से रिक्त पड़े हैं ? (ख) उक्त रिक्त पदों को भरने हेतु शासन द्वारा वर्तमान तक क्या कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ग) क्या यह सच है कि केन्द्र में वर्तमान में 2 चिकित्सक ही कार्यरत हैं, में से एक चिकित्सक बीएमओशिप के प्रभार के कारण पूर्णकालिक कार्यालयीन कार्य में व्यस्त रहते हैं ? क्या प्रतिदिन 200 से 300 मरीज उपचार हेतु आते हैं व इनके उपचार की व्यवस्था एक मात्र चिकित्सक से संभल नहीं पा रही है ? महिला चिकित्सक के अभाव में महिलायें प्रसव व अन्य महिला संबंधी रोगों का उपचार पुरूष चिकित्सक से नहीं कराती ? (घ) क्या यह सही है कि 30 बिस्तरीय उक्त केन्द्र में मात्र 10 बिस्तर हैं ? इस कारण मरीजों को उपचार हेतु अन्यत्र जाना पड़ता है । यदि हां, तो शीघ्र उक्त रिक्त पदों को भरे जाने, नवीन भवन निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रचलित कराने सहित वर्तमान में जिला चिकित्सालय में कार्यरत 6 महिला चिकित्सकों में से एक महिला चिकित्सक को उक्त केन्द्र में पदस्थ करने के निर्देश क्या शासन विभाग को जारी करेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है । (ख) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है, वर्तमान में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है, विशेषज्ञों के शतप्रतिशत रिक्त पदों की पूर्ति में कठिनाई होगी । पद पूर्ति की कार्यवाही अंतर्गत नवंबर-दिसंबर 2013 में स्टॉफ नर्स के 05 रिक्त पदों पर 05 स्टॉफ नर्सो की नियुक्ति की गई है । पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्त 900 पदों हेतु म.प्र. व्यवसायिक परीक्षा मण्डल को मांग-पत्र प्रेषित किया गया है । (ग) जी हॉ, चिकित्सा अधिकारी के स्वीकृत 02 पदों के विरूद्ध 02 चिकित्सक कार्यरत है एवं दोनों ही चिकित्सकों द्वारा ओ0पी0डी0/इमरजेंसी ड्युटी आदि कार्य संपादित किया जाता है एवं मरीजों को आवश्यक चिकित्सकीय सेवायें उपलब्ध कराई जाती है । आवश्यकता अनुसार एस.बी.ए. प्रशिक्षित स्टॉफ नर्स द्वारा महिलाओं की डिलेवरी का कार्य किया जाता है । (घ) जी हॉ, यह सही है कि श्योपुर में 10 बिस्तर है परंतु इसके अभाव में मरीजों को अन्यत्र नहीं जाना पड़ता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की समस्त सुविधाएँ मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही है । भवन उन्नयन हेतु वास्तुविद द्वारा सर्वे कर लिया गया है तथा आगामी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण स्त्रीरोग विशेषज्ञ की पदपूर्ति नहीं की जा सकी है, पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है । जिला चिकित्सालय श्योपुर में स्त्रीरोग विशेषज्ञ के स्वीकृत 02 पदों के विरूद्ध 01 विशेषज्ञ कार्यरत है तथा स्त्रीरोग योग्यता की दो नियमित चिकित्सा अधिकारी पदस्थ है, जिला चिकित्सालय में कार्य अधिकता के कारण सा. स्वा. के. बडोदा में किसी चिकित्सक की ड्युटी लगाई जाने में कठिनाई है । लोक सेवा आयोग से चयन उपरांत स्त्रीरोग योग्यताधारी चिकित्सक की उपलब्धता के आधार पर पदस्थापना संबंधी कार्यवाही पर विचार किया जावेगा ।

परिशिष्ट- "चौदह"

कन्या हाईस्कूल की स्वीकृति

51. **(क्र. 773) श्री अनिल जैन :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) विधान सभा क्षेत्र निवाड़ी के तरीचरकलां एवं ओरछा नगर में स्थित पूर्व माध्यमिक शालाओं एवं हाईस्कूल विद्यालयों में विगत एवं चालू शिक्षा सत्र में कितनी छात्रायें अध्ययनरत रही है ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित छात्राओं की संख्या के अनुसार इन नगरों में क्या कन्या हाई स्कूल खोलने की आवश्यकता है ? यदि हॉ, तो क्या इस बाबत् कोई प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है ? यदि हॉ, तो प्रस्ताव की स्वीकृति कब तक हो सकेगी ? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार तरीचरकलां एवं ओरछा नगर में कन्या हाईस्कूल कब तक खोले जा सकेंगे ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) :(क) विधान सभा क्षेत्र निवाडी के तरीचरकला एवं ओरछा नगर में माध्यमिक शालाओं के विगत वर्ष एवं वर्तमान शिक्षा सत्र में निम्नांकित छात्रायें अध्ययनरत हैः-

वर्ष	नगर	माध्यमिक शाला	हाई स्कूल / उमावि.	
			कक्षा ९	कक्षा १०
२०१३	तरीचरकला	१७३	१९०	७९
	ओरछा	२२९	१८८	९१
२०१४	तरीचरकला	१५१	१५८	१११
	ओरछा	१९३	१७७	१००

(ख) जी नहीं । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) उत्तरांश ख के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

जिला टीकमगढ़ में सर्व शिक्षा अभियान के निर्माण कार्यों में अनियमितता

52. **(क्र. 774) श्री अनिल जैन :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) जिला-टीकमगढ़ में वर्ष 2012-13 से 2014-15 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये है ? एवं उनमें से कितने पूर्ण हो चुके है और कितने कार्य अपूर्ण हैं ? (ख) क्या यह सही है कि कई निर्माण एजेंसियों को राशि दिये जाने के उपरान्त भी प्रश्न दिनॉक तक कार्य पूर्ण नहीं किये गये हैं, यदि हॉ तो इस लापरवाही के लिये दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही हैं ? (ग) प्रश्नागत सर्व शिक्षा अभियान के लंबित निर्माण कार्य कब तक पूर्ण किये जावेंगे ? समय सीमा बतायी जाये ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जिला टीकमगढ़ में वर्ष 2012.13 से 2014.15 तक सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत 173 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गए जिनमें से 135 कार्य पूर्ण हो गए हैं एवं 28 अपूर्ण हैं । 10 कार्य स्थल विवाद के कारण अप्रारंभ हैं । (ख) जी हॉ । ऐसी समस्त एजेंसियों को अंतिम नोटिस जारी किया गया है । कार्यवाही प्रचलन में है । (ग) सर्व शिक्षा अभियान के लंबित निर्माण कार्य मार्च 2015 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है । निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है ।

हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन

53. **(क्र. 788) श्री हर्ष यादव :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) देवरी विधान सभा क्षेत्र में विगत तीन वर्ष में कौन-कौन से हाईस्कूलों को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किया गया

है ? यदि जानकारी शून्य है तो क्या कारण है उन्नयन हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित है उनके अनुरूप एक भी हाईस्कूल नहीं आता ? (ख) क्या उन्नयन न होने से बालिका शिक्षा प्रभावित नहीं हो रही है ? (ग) दूरस्थ ग्रामीण अंचलों के छात्र-छात्राओं को हायर सेकेण्डरी तक की शिक्षा की क्या व्यवस्था है ? (घ) क्या इस क्षेत्र के साथ हुये अन्याय के लिये सरकार/विभाग कोई जांच करायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) विगत तीन वर्षो में प्रश्नावधि में दो हाई स्कूल- चिखली जमनिया एवं नाहरमऊ का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किया गया है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) जी नहीं । (ग)निकटस्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्र-छात्राएं प्रवेश लेते है । (घ) उत्तरांश क, ख, ग के परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

विभाग द्वारा प्राप्त की गई दवाईयों की गुणवत्ता परीक्षण

54. **(क्र. 795) श्री हर्ष यादव :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 13-14 एवं 14-15 में मरीजों हेतु क्रय की गई कौन सी कंपनी के दवाओं का प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता परीक्षण कराया गया है ? कंपनी का नाम, प्रयोगशाला के नाम सहित बताये ? (ख) कौन-कौन सी कंपनी की कौन-कौन सी दवा अमानक स्तर की पाई गई है ? (ग) क्या विभाग ने अमानक दवा का भी भुगतान किया है ? यदि हॉ, तो कौन सी कंपनी को, कौन सी दवा का, कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? (घ) अमानक दवा प्रदायकों एवं प्राप्तकर्त्ताओं पर क्या कार्यवाही की गई है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना

55. **(क्र. 816) श्री जितू पटवारी :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) म.प्र. में उद्योग नीति के अन्तर्गत निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल प्रारंभ करने पर क्या-क्या प्रोत्साहन देना प्रस्तावित है ? (ख) वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनॉक तक इंदौर एवं उज्जैन जिले में कितने महाविद्यालय एवं सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल खोलने हेतु संस्थाओं से आवेदन प्राप्त हुऐ है ? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में प्राप्त आवेदनों में से क्या किसी आवेदक ने महाविद्यालय एवं सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल खोलने हेतु शासकीय जमीन चाही है ? यदि हॉ तो नगर निगम सीमा/नगर परिषद् सीमा में शासन द्वारा जमीन देने की क्या नीति प्रस्तावति है ? (घ) प्राप्त प्रस्तावें पर शासन ने क्या निर्णय लिया है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) निजी चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी नीति **परिशिष्ट - एक** पर संलग्न है । सुपरस्पेसिलिटी की जानकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित है । (ख) इंदौर में 07 एवं उज्जैन में 01 चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आवेदन प्राप्त हुये है । सुपरस्पेसिलिटी की जानकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित है । (ग) जी हॉ । नीति संबंधी जानकारी **परिशिष्ट एक** पर संलग्न है । (घ) संचालनालय चिकित्सा शिक्षा में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने संबंधी प्रस्तावों का परीक्षण प्रचलन में है ।

परिशिष्ट- "पंद्रह"

स्मार्टफोन का क्रय

56. **(क्र. 817) श्री जितू पटवारी :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या राज्य शासन द्वार इंदौर संभाग में शिक्षकों को स्मार्टफोन (एन्ड्राइड फोन) खरीदने हेतु एवं फोन पर नेट कनेक्शन लेने हेतु कोई आदेश जारी किया गया हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में यदि हां,तो क्या राज्य शासन शिक्षको को स्मार्टफोन खरीदने हेतु एवं इन्टरनेट कनेक्शन प्रति माह संचालित करने हेतु कोई अतिरिक्त राशि प्रदान करेगा ? (ग) प्रश्नांश (ख) के संबंध में यदि नहीं तो संभाग के अन्य जिले बड़वानी कलेक्टर, बुरहानपुर कलेक्टर, खरगोन सी.ई.ओ, धार सहायक आयुक्त (आदिवासी) द्वारा इंदौर संभाग आयुक्त के आदेश का संदर्भ देते हुए आदेश क्यों जारी किये गये हैं ? (घ) यदि उपरोक्त कार्यवाही संवैधानिक नहीं है, तो उनके ऊपर विभाग एवं शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा की जावेगी ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं । (ख) उत्तरांश क के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है । (ग) विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में ई. अटेण्डेंस योजना को आदेश दिनांक 29.11.2014 से लागू करने का निर्णय लिया गया है । वर्तमान में इन्दौर संभाग के जिलों में यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू की गई है । योजना से संबंधित प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । (घ) प्रश्नांश ग के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

सुवासरा/गरोठ विधानसभा में संचालित खण्ड चिकित्सालय

57. **(क्र. 878) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) सुवासरा विधानसभा एवं गरोठ विधानसभा क्षेत्र में कितने खण्ड चिकित्सालय है ? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी दें ? (ख) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कितने गांवों पर खण्ड चिकित्सालय संचालित है ? (ग) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र की शामगढ़ तहसील के 58 गांवों को गरोठ विधानसभा क्षेत्र के खण्ड चिकित्सालय में सम्मिलित करने का कारण स्पष्ट करें ? (घ) गरोठ विधानसभा क्षेत्र के 191 गांवो पर दो खण्ड चिकित्सालय संचालित हैं जिसमें भानपुरा खण्ड चिकित्सालय मात्र 74 गांवो पर संचालित हैं, जबकि सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के 274 गांवों पर मात्र एक खण्ड चिकित्सालय संचालित किया जा रहा है ? इसका क्या कारण है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खण्ड चिकित्सालय सीतामउ एवं गरौठ विधान सभा के अंतर्गत गरोठ विकासखण्ड का खण्ड़ चिकित्सालय मेल खेडा एवं भानपुरा विकासखण्ड़ का खण्ड़ चिकित्सालय संधारा संचालित है । (ख) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में 244 गांवों पर एक खण्ड चिकित्सालय संचालित है । (ग) निर्वाचन आयोग द्वारा नवीन विधानसभा परिसीमन के कारण 58 गांवों को गरौठ विधानसभा क्षेत्र में सम्मिलित किये गये । (घ) जी हां । जी हां । खण्ड़ चिकित्सालय प्रत्येक विकासखण्ड़ में केवल एक होता है, इसका विधान सभा क्षेत्र से संबंध नहीं होता है।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण हेतु प्रदाय राशि

58. **(क्र. 879) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) म.प्र. शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण हेतु विगत एक वर्ष में मन्दसौर जिले को कितनी राशि प्रदाय की गई ? (ख) मन्दसौर जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र को कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गई ?

विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी दें ? (ग) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कितने हितग्राहियों को इसका लाभ मिला ? (घ) पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों को किन-किन योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) पिछडे वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु विगत एक वर्ष में मंदसौर जिले को कुल राशि रूपये 7,94,78,087 /- प्रदाय की गई । (ख) विधानसभा क्षेत्रवार आबंटन उपलब्ध नहीं कराया जाता । विभिन्न योजनओं में पात्रतानुसार विद्यार्थियों एवं हितग्राहियों को राशि स्वीकृत की जाती है । (ग) "ख" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) पिछडे वर्ग एवं अल्पसंख्यकों को प्रीमैट्रिक/पोस्टमैट्रिक /प्रावीण्य/विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति, छात्रगृह, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, कौशल विकास एवं प्रोत्साहन योजना आदि का लाभ दिया जा रहा है ।

वन अधिकार पत्रों का निराकरण

59. **(क्र. 888) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) प्रदेश में वर्ष 2008 से लागू वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रश्नांकित तिथि तक देवास एवं रायसेन जिले में कितने वन अधिकार पत्र बाटे गये तहसीलवार संख्या बतायें ? (ख) नवम्बर 2014 की स्थिति में उक्त जिलों में वन अधिकार पत्र (पट्टा) हेतु कितने आवेदन पत्र अ.ज.जाति वर्ग के व्यक्तियों के लंबित है तथा क्यों कारण बतायें ? (ग) उक्त लंबित आवेदन पत्रों का निराकरण कब तक होगा निश्चित समयावधि बतायें ? (घ) उक्त अधिनियम के तहत गैर आदिवासियों को उक्त जिले में कितने पट्टे प्रदान किये तथा कितने आवेदन पत्र लंबित है, संख्या बतायें तथा उनका कब तक निराकरण होगा ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''एक''** अनुसार । (ख) रायसेन जिले में 4327 एवं देवास जिले में 967 वन अधिकार के आवेदन लंबित हैं । जिले के आवेदन 15 अगस्त 2014 से प्रारंभ ग्राम सभाओं में प्राप्त हुए है' जो ग्राम सभा एवं उपखण्ड स्तर पर परीक्षण एवं पी.डी.ए. सर्वे हेतु लंबित हैं । (ग) प्रक्रिया अर्द्ध न्यायिक स्वरूप की होने के कारण समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है । (घ) रायसेन एवं देवास जिले में किसी भी गैर आदिवासी को हक प्रमाण-पत्र नहीं दिये गये हैं । रायसेन जिले में गैर आदिवासी (अन्य परम्परागत) वर्ग के 987 एवं देवास जिले मे 81 आवेदन लंबित हैं । आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया अर्द्ध न्यायिक स्वरूप की होने के कारण समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

देवास एवं रायसेन जिले में स्वीकृत कार्य

60. **(क्र. 889) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) देवास एवं रायसेन जिले में वर्ष 2012-13 से नवम्बर 2014 तक की अवधि में किन-किन मदों/योजनाओं में कितनी राशि प्राप्त हुई ? उक्त राशि से क्या-क्या कार्य कहॉ-कहॉ स्वीकृत किये गये ? (ख) कौन-कौन से कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ हैं तथा क्यों ? कार्यवार कारण बतायें उक्त कार्य समय-सीमा में पूर्ण हों इस हेतु विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या प्रयास/कार्यवाही की, पूर्ण विवरण दें ? (ग) परियोजना (मध्यम बागली) व जिला संयोजक देवास तथा माडा पाकेट परियोजना सिलवानी व जिला संयोजक रायसेन ने किन-किन कार्यों के प्रस्ताव राज्य शासन तथा भारत सरकार को कब-कब भेजे ? (घ) उक्त प्रस्तावों पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई पूर्ण विवरण दें ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) प्रश्नांश अंतर्गत योजनावार प्राप्त राशि संलग्न **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ए" तथा परिशिष्ट "दो"** अनुसार है । (ख) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–"तीन"** अनुसार है । विभाग द्वारा समय-समय पर अपूर्ण तथा अप्रारम्भ कार्यों को पूरा कराने हेतु समीक्षा व सतत मानीटरिंग की जाती है । (ग) एकीकृत आदिवासी विकास मध्यम परियोजना बागली जिला देवास एवं माडा पाकेट सिलवानी, बरेली एवं गोहरगंज जिला रायसेन के वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये आदिवासी उपयोजना विशेष केंद्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद-275 (1) अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों को मध्यप्रदेश शासन के पत्र दिनांक 10.06.2014 एवं दिनांक 10.06.2014 तथा जिला संयोजक देवास एवं रायसेन के द्वारा वर्ष 2014-15 के विशेष केंद्रीय सहायता मद अंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के बाहर निवासरत बिखरे हुए आदिवासियों के लिये प्राप्त प्रस्तावों द्वारा भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय को भेजा गया है । इसके अतिरिक्त निम्न प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन हैं-

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन अनुसार राशि लाखों में
1	खारी नदी पर पुलिया निर्माण	60.70
2	ऋषि नाला रायसिंगपुरा निस्तार तालाब	40.16
3	काली कोठी से कूपगांव मार्ग निर्माण	143.94
	योग	244.80

(घ) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में देवास जिले के अंतर्गत बागली परियोजना के आदिवासी उपयोजना विशेष केंद्रीय सहायता राजस्व मद में केवल कृषि, उद्यानिकी, आय सृजित एवं सर्विस गतिविधियों हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किये गये एवं विशेष केंद्रीय सहायता पूजीगत मद व संविधान के अनुच्छेद-275 (1) के प्रस्ताव में से सी.सी. रोड, काजवे संबंधी प्रस्तावों को छोड़कर शेष प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं । रायसेन जिले के (माडा पाकेट सिलवानी, बरैली एवं गोहरगंज) के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना विशेष केंद्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद-275 (1) अंतर्गत प्रस्तावों में से सर्विस गतिविधियों में किराना, आटा चक्की एवं साईकिल स्टोर्स एवं सी.सी. रोड संबंधी प्रस्तावों को छोड़कर शेष प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं । जिला देवास एवं रायसेन में बिखरे हुए आदिवासियों के लिये प्रेषित सभी प्रस्ताव भारत शासन द्वारा स्वीकृत किये गये हैं।

ग्राम लोपा में हाई/ हायरसेकण्ड्री स्कूल खोला जाना

61. **(क्र. 913) श्री रजनीश हरवंश सिंह :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या केवलारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लोपा में दिनांक 28 सितम्बर 2013 को हाईस्कूल/हायर सेकण्ड्री स्कूल खोले जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी ? (ख) यदि हां, तो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा के अनुरूप हाई स्कूल/हायरसेकण्ड्री स्कूल खोले जाने हेतु कब तक कार्यवाही की जावेगी ? समयसीमा बतावें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं । विभाग को कोई घोषणा प्राप्त नहीं हुई है । (ख) उत्तरांश - क के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

ग्राम सरेखा कला एवं कान्हीवाड़ा में भवन निर्माण

62. **(क्र. 914) श्री रजनीश हरवंश सिंह :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या सिवनी जिले के केवलारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सरेखा कलां एवं ग्राम कान्हीवाड़ा में हाईस्कूल एवं उच्च. मा. शाला बनाये जाने हेतु शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है ? यदि हां, तो कितनी राशि की एवं कब स्वीकृति प्रदान की गई ? तिथि सहित बतायें ? (ख) क्या सरेखा कलां एवं कान्हीवाड़ा में स्वीकृत उक्त भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ? (ग) सरेखा कलां में निर्मित हाईस्कूल भवन में कक्षाएं प्रारंभ करने हेतु कब तक कार्यवाही की जावेगी तिथि बतावें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हां । शासकीय उ.मा.विद्यालय सरेखा में दिनांक 29 जनवरी 2008 को राशि रूपये 60.85 लाख एवं शासकीय हाईस्कूल कान्हीवाडा में दिनांक 29-08-2003 को राशि रूपये 7.50 लाख भवन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है । (ख) शासकीय हाईस्कूल कान्हीवाडा भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है । शासकीय उ.मा.विद्यालय सरेखाकलां में विद्युतीकरण, ट्यूबवेल एवं कोबा का कार्य शेष है । कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है । (ग) प्रश्नांश ख के उत्तर के प्रकाश में निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है ।

मुरैना जिले के पहाड़गढ जनपद में सुभाष चन्द्र बोस पैरामेडीकल कॉलेज का अवैध संचालन

63. **(क्र. 928) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है कि जनपद-पहाड़गढ, तह.-जौरा, जिला-मुरैना में सुभाष चन्द्र बोस पेरामेडीकल कॉलेज के नाम से वर्ष, 2013 व जुलाई-अगस्त, 2014 अनुसूचित जाति के 179 छात्रों की सैंतीस लाख छात्रवृत्ति का आहरण किया गया था ? (ख) उक्त संस्था कहां, किस स्थान पर संचालित है ? संस्था का नाम, अध्यक्ष, सचिव का नाम, पते सहित जानकारी दी जावे ? (ग) क्या यह भी सही है कि वर्ष अगस्त, 2014 में एस.डी.एम. जौरा एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के संयोजक द्वारा जांच में कहीं भी उक्त नाम की संस्था का संचालित होना नहीं पाया गया ? तो क्या इस संस्था के संचालक मण्डल के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी नहीं । आहरण नहीं किया गया । (ख) अनुविभागीय अधिकारी, जौरा के निरीक्षण प्रतिवेदन दि.8.8.2014 के अनुसार संस्था पहाडगंज में अस्तित्व में नहीं पायी गयी । शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) जी हां । संस्था संचालित न होने से इसके विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

ग्वालियर के गजराराजा मेडीकल कॉलेज में मापदण्डो के अनुरूप प्राध्यापक नहीं होने से मान्यता समाप्त होने बाबत

64. **(क्र. 929) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है कि गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय में वर्तमान में एम.सी.आई. के मापदण्डो के अनुरूप विभागों में एक प्रोफेसर, दो एसोसियेट प्रोफेसर, तीन असिस्टेण्ड प्रोफेसर नहीं होने से मान्यता समाप्ति का खतरा हो रहा है शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? (ख) क्या यह भी सही है कि महाविद्यालय के फिजियालाजी, एनाटामी फोरांन्सिक मेडीसन व मनोविज्ञान विभाग में

स्थाई प्रोफेसर नहीं है उनकी पद स्थापना कब तक करवा दी जावेगी ? (ग) क्या यह भी सही है ई.एन.टी. विभाग में कोई प्राध्यापक ही नहीं है चिकित्सा छात्रों के अध्यापन का कार्य प्रभावित हो रहा है, क्या प्राध्यापको द्वारा छात्रों के अध्यापन की व्यवस्था करवा दी जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं जिन विभागों में एमसीआई के मापदंडानुसार पद रिक्त है उनकी पूति हेतु पदोन्नति/चयन की कार्यवाही प्रकियाधीन है जो एक सतत प्रकिया है (ख) पदो की पूति की कार्यवाही प्रचलित है निश्चित समयावधि दी जाना संभव नहीं है (ग) वर्तमान में ईएनटी विभाग के प्राध्यापक पदस्थ है अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

हितग्राही मूलक योजनाओं में राशि की स्वीकृति

65. **(क्र. 955) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है कि शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति योजनाओं के अंतर्गत अनुजाति/जनजाति बस्तियों में निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी जाती हैं, तथा इन समाज के परिवारों को हितग्राहीमूलक योजनाओं में राशि स्वीकृत की जाती है ? (ख) यदि हां, तो बडवाहा विधानसभा क्षेत्र में वित्त वर्ष 2014-2015 में प्रश्नकर्ता द्वारा कितने-कितने प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है एवं इन प्रस्ताव पर विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है, उसकी सूची दी जावें ? (ग) बड़वाहा विधानसभा क्षेत्र में वित्त वर्ष 2011-2012 से वित्त वर्ष 2014-2015 तक कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है एवं उपरोक्त वित्त वर्ष में अनुसूचित जनजाति/जातियों के हितग्राहीमूलक योजना अर्थात बैलगाड़ी/डीजल पंप एवं अन्य में कितने हितग्राहियों को कितनी राशि दी गई ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ । (ख) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "एक"** अनुसार । (ग) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट परिशिष्ट "दो" तथा "दो (अ)" तथा "दो (ब)"** अनुसार।

ए.एन.एम. (बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता) की नियुक्ति

66. **(क्र. 956) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) जिला चिकित्सक एवं स्वास्थ्य विभाग, खरगोन अधीन विभिन्न चिकित्सालयों में बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कितने पद रिक्त हैं ? (ख) उक्त पद कब से रिक्त है ? एवं जिला प्रशासन उक्त रिक्त पद की पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही कर रहा है ? (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा ए.एन.एम. अर्थात बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पूर्ति के लिये योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति के लिये जारी किये गए पत्र के संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? (घ) बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति के लिये शासन के क्या नियम हैं ? क्या किसी महिला ने निजी नर्सिंग कॉलेज से ए.एन.एम. की योग्यता प्राप्त की है उन्हें नियुक्ति की पात्रता है या नहीं है ? यदि हां, तो तत्संबंध में शासन द्वारा विचार किया जावेगा ? यदि नहीं, तो फिर शासन द्वारा निजी नर्सिंग कॉलेजों को किस आधार पर मान्यता प्रदान की जा रही है ? स्पष्ट करेंगे ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) 10 पद रिक्त हैं । (ख) उक्त पद विगत 01 वर्ष से रिक्त हैं, जिनकी पूर्ति हेतु अतिशेष महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को स्थानांतरित कर किया जावेगा । (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा जारी किया गया पत्र विभाग में प्राप्त होना नहीं पाया गया । (घ) बहुउद्देशीय

स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 20 अक्टूर 1989 का नियम प्रावधानित है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

मंत्री परिषद का निर्णय और मा.मुख्यमंत्री का आग्रहपत्र

67. **(क्र. 985) श्री मोती कश्यप :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) आदिमजाति अनुसंधान संस्था के विभाग को प्रेषित पत्र दिनांक 25-06-2013, 08-09-2014 एवं 11-09-2014 में भारत सरकार, ओ.आर.जी.आई. राज्य सरकार मंत्रीपरिषदों व न्यायालयीन निर्णय, समितियों, व्यक्तियों के पत्राचारों, प्रतिवेदनों, अभिमतों, परिशिष्टों आदि का किस संदर्भ में क्या उल्लेख है ? स्पष्ट करें ? (ख) क्या प्रश्नांश -(क) पत्रों में संदर्भों में प्राचीन जनगणनाओं और संदर्भ साहित्यों का उल्लेख किया गया है ? (ग) क्या प्रश्नकर्ता के द्वारा दिनांक 01.09.2013 एवं 10.09.2013 को मा.मुख्यमंत्री को किन्हीं संस्थाओं की असहमतिपूर्ण टिप्पणियों पर बिन्दुवार किन्हीं संदर्भ साहित्यों, जनगणनाओं और प्रतिवेदनों के तथ्यों से युक्त स्पष्टीकरण प्रतिवेदन दिया है ? (घ) क्या आदिमजाति अनुसंधान एवं विकास संस्था ने प्रश्नांक -(ग) का प्राचीन संदर्भ साहित्यों, जनगणनाओं, प्रतिवेदनों पर आधारित स्पष्टीकरण प्रतिवेदन के प्रत्येक बिन्दुओं व कण्डिकाओं का बिन्दुओं व कण्डिकावार अभिमत और सहमति पूर्ण प्रतिवेदन विभाग को प्रस्तुत किया है और प्रश्नकर्ता को उपलब्ध कराया है तथा क्या उसकी किसी वरिष्ठ अधिकारियों एवं विशेषज्ञों से परीक्षण कराकर अभिमत प्राप्त किया गया है ? विवरण देवें ? (ड.) क्या प्रश्नांश-(घ) संस्था के अभिमत की सर्वोच्चता होने पर राज्य मंत्री परिषद के अनुशंसापूर्ण निर्णय और मा. मुख्यमंत्री के जून 2014 के आग्रहपत्र को निरस्त किया जाना निश्चित किया गया है ? नहीं, तो क्यों ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) ढीमर, केवट, कहार, भोई, मल्लाह, निषाद, आदि को माझी अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने हेतु गठित समिति की बैठक बुलाये जाने,आग्रह पत्र के अनुरूप आदिम जाति अनुसंधान तथा विकास संस्थान का अभिमत भारत सरकार को प्रेषित करने तथा भारत के महापंजीयक की टिप्पणी स्पष्टीकरण पर आदिम जाति अनुसंधान तथा विकास संस्थान का अभिमत प्राप्त करने के संदर्भ में है । (ख) आवश्यक तथा योग्य साहित्य तथा संदर्भो का समावेश किया गया है । (ग) जी हाँ । (घ) प्रक्रियाधीन है । (ड) प्रस्ताव विचाराधीन है ।

आ.जा. अनुसंधान संस्था की सरकार से श्रेष्ठता

68. **(क्र. 986) श्री मोती कश्यप :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या कभी धीवर, केवट, कहार, भोई, मल्लाह, निषाद, कीर आदि को माझी जनजाति के समान अनुसूचित जनजाति की अनुसूची में सम्मिलित किये जाने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन एवं आ.जा. अनुसंधान संस्था के अभिमत भारत सरकार को प्रस्तुत किये जाने पर भारत सरकार ने तथ्यों युक्त स्पष्टीकरण मांगी है ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) भारत सरकार के पत्र के बिन्दु पर राज्य मंत्री परिषद का निर्णय विभाग द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया गया है और शेष बिन्दुओं पर कभी किन्हीं की अध्यक्षता व सदस्यता में गठित समिति का प्रतिवेदन दस्तावेजों सहित भारत सरकार को प्रेषित किया गया है ? (ग) क्या प्रश्नांश (क, ख) पर ओ.आर.जी.आई. द्वारा किन्हीं तिथियों में राज्य सरकार को भेजे गये अभिमत पर सितम्बर 2013 में प्रश्नकर्ता ने कोई स्पष्टीकरण प्रतिवेदन माननीय मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया है और क्या उस पर आ.जा. अनुसंधान संस्था ने उसके प्रत्येक बिन्दुओं और कण्डिका पर अपना असहमतियुक्त अभिमत विभाग को प्रस्तुत किया है ? (घ) प्रश्नांश (ख) निर्णय व अनुशंसा तथा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक

24-06-2014 का भारत सरकार को प्रेषित आग्रह पत्र का आ.जा. अनुसंधान संस्था की असहमतियों पर मंत्री परिषद और सरकार से क्या आ.जा. अनुसंधान संस्था की स्थिति श्रेष्ठ है ? (ड.) क्या प्रश्नांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश (ख) के मंत्री परिषद का पूर्ववर्ती निर्णय/अनुशंसा और माननीय मुख्यमंत्री का आग्रह पर मंत्री परिषद से अनुमोदित कराकर निरस्त किया जावेगा तथा आ.जा. अनुसंधान संस्था को राज्य सरकार से उच्च माना जावेगा ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ । (ख) जी हाँ । (ग) जी हाँ । (घ) आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था द्वारा संदर्भ साहित्यों के अध्ययन के आधार पर वर्णित समाज की उत्पत्ति, भौतिक संस्कृति अंतर्गत, निवास, निवास क्षेत्र, वेशभूषा, आभूषण, गोदना, रहन-सहन, आर्थिक जीवन, सामाजिक संरचना, उप जनजातियां, गोत्र, टोटम, सामाजिक स्तरीकरण, जीवन संस्कार के अंतर्गत, जन्म के संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, वधु मूल्य प्रथा, विधवा विवाह, तलाक, धार्मिक जीवन, लोक परम्परायें तथा बोली, प्रजातीय लक्षण, परम्परागत लोकगीत, लोकनृत्य के नाम, भ्राता-भगनी, संतति विवाह, माँ के पिता का उपनाम एवं गोत्र, जन्म 1950 के पूर्व का हो तो अधिनियम के पूर्व मूल निवास, यदि इसके पश्चात का जन्म हो तो पिता के मूल निवास, मातृ पक्षों के रिश्तेदारों के विवरण के अधार पर प्रत्येक बिन्दुओं और कंडिकाओं पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है । उक्त आधार पर शासन द्वारा समुचित निष्कर्षों तथा संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया जाता है । (ड) अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

उज्जैन जिले में संचालित प्रायवेट नर्सिंग होम एवं डायग्नोस्टिक सेन्टर

69. **(क्र. 1018) श्री सतीश मालवीय :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) उज्जैन जिले में कितने प्रायवेट नर्सिंग होम, हास्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर संचालित हो रहे है तथा इसमें से कितने शासकीय प्रायवेट नर्सिंग होम, हास्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर शासकीय गाईड लाईन पर संचालित है तथा कितने प्रायवेट नर्सिंग होम, हास्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त है ? क्या प्रायवेट नर्सिंग होम, हास्पीटल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर निर्धारित मापदण्ड जैसे भवन, स्टाफ की न्यूनतम आवश्यकता एवं योग्यता पूर्ण कर रहे है ? सूची उपलब्ध करावें ? (ख) क्या प्रायवेट नर्सिंग होम, हास्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा जनित बायोमेडिकल वेस्ट का शासन के नियमानुसार (प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के नियम अनुसार डिस्पोज किया जाता है, अगर डिस्पोज किया जाता है ? अगर नियमानुसार डिस्पोज नहीं किया जा रहा है तो शासन इन पर क्या कार्यवाही करेगा ? (ग) उज्जैन जिले में संचालित प्रायवेट नर्सिंग होम, हास्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिये शुल्क रियायत के क्या प्रावधान है एवं शुल्क निर्धारण की क्या व्यवस्था है ? प्रावधान की कॉपी उपलब्ध करावें ? (घ) उज्जैन जिले में संचालित प्रायवेट नर्सिंग होम, हास्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर का विगत तीन वर्ष में स्वास्थ्य अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया एवं उसमें क्या कमियॉ पाई गई तथा क्या कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) उज्जैन जिले में 19 नर्सिंग होम, 26 प्रायवेट अस्पताल, एवं 57 डायग्नोस्टिक सेन्टर संचालित है । समस्त संस्थाएं शासकीय गाईड लाईन पर संचालित है तथा संचालित सभी प्रायवेट नर्सिंग होम, हॉस्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन के यहा पंजीकृत है । सभी प्रायवेट नर्सिंग होम हॉस्पिटल एवं डाग्नोस्टिक सेंटर निर्धारित मापदण्ड जैसे भवन, स्टाफ की न्यूनतम आवश्यकता एवं योग्यता पूर्ण कर रहे है । प्रायवेट नर्सिंग होम एवं अस्पतालों की सूचि **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ"**

तथा डायग्नोस्टिक सेन्टर की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "ब"** अनुसार है । (ख) जी हॉ । सभी प्रायवेट नर्सिंग होम, हॉस्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेन्टर द्वारा जनित बायोमेडिकल वेस्ट का शासन तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमानुसार डिस्पोज किया जाता है । (ग) नर्सिंग होम एक्ट में प्रायवेट नर्सिंग होम, हॉस्पिटल एवं डाग्नोस्टिक सेन्टर में गरीबी रेखा के नीचे जीवन करने वाले हितग्राहियों को शुल्क में रियायत देने का कोई प्रवाधान नही है । (घ) उज्जैन जिले में विगत तीन वर्ष में स्वास्थ्य विभाग के एवं अन्य अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण एवं कार्यवाही की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स"** अनुसार है ।

एम.पी. नर्सिंग कौंसिल में हो रही आर्थिक अनियमिततायें

70. **(क्र. 1055) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) एम.पी. नर्सिंग कौंसिल में किस-किस पदनाम के किस-किस वेतनमान के कितने-कितने पद राज्य शासन द्वारा स्थायी/अस्थायी/संविदा के तहत प्रश्नतिथि तक स्वीकृत हैं ? उक्त पदों के विरूद्ध किस-किस नाम/पदनाम/किस-किस वेतनमान के अधिकारी/कर्मचारी किन दिनांकों से प्रश्नतिथि तक स्थायी/अस्थायी/संविदा पर कार्यरत हैं ? सूची उपलब्ध करायें ? (ख) एम.पी. नर्सिंग कौंसिल में राज्य शासन द्वारा किन-किन पदों पर किस वर्ग का आरक्षण नियमानुसार किस वेतनमान का स्वीकृत किया है ? (ग) एम.पी. नर्सिंग कौंसिल में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले कौन-कौन से व्यक्ति किस-किस पद एवं वेतनमान पर कब से कार्यरत हैं ? उन्हें किस मद से वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? क्या प्रश्नतिथि तक राज्य शासन उनकी संविदा नियुक्ति को वैध मानता है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ** अनुसार है । (ख) मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल में सहायक ग्रेड-3 वेतनमान 5200- ग्रेड पे. 1900 के तीन पद स्वीकृत हैं, जिनमें से एक रिक्त पद पर रोस्टर अनुसार आरक्षित वर्ग के पद पर रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्ति की गई थी । (ग) मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल में 65 वर्ष से अधिक का कोई कर्मचारी संविदा पर नियुक्त नहीं है ।

ट्रामा सेंटरों का निर्माण

71. **(क्र. 1085) श्रीमती रेखा यादव :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) राज्य में प्रचलित स्वास्थ्य नीति में ट्रामा सेंटरों की स्थापना, उसमें पदों की स्वीकृति एवं उनमें सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने के क्या-क्या प्रावधान वर्तमान में प्रचलित है ? (ख) नीति में ट्रामा सेंटरों बाबत् दिए गए प्रावधानों के अनुसार प्रश्नांकित तिथि तक किस-किस स्थान पर ट्रामा सेंटर की स्थापना कर दी गई है किस श्रेणी के कितने पद स्वीकृत कर कितने पदों पर पदस्थापना कर दी गई है किस स्थान पर ट्रामा सेंटर निर्माणाधीन हैं ? (ग) ट्रामा सेंटर एवं जिला चिकित्सालय में पी.एम.आर. विभाग के लिए गत दो वर्षों में बजट में कितना प्रावधान किया गया है कितने स्थानों पर पी.एम.आर. विभाग पूर्णत: विकसित कर लिए गए हैं ? (घ) ट्रामा सेंटर एवं पी.एम.आर. की सुविधा दिए जाने हेतु कब तक कार्यवाही पूरी कर ली जावेगी ? समय-सीमा सहित बतावें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) राज्य शासन द्वारा प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों में ट्रामा सेन्टर स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है । भारत शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों का परीक्षण राज्य स्तर पर किया जा रहा है परीक्षण उपरान्त पदो एवं उपलब्ध कराई

जाने वाली सुविधाओं के संबंध में निर्णय लिया जावेगा । (ख) 13 जिला चिकित्सालयों-रीवा, खण्डवा, खरगौन, छिंदवाडा, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, होशंगाबाद, अनूपपुर, दतिया, श्योपुर, दमोह, डिंडौरी में ट्रामा सेन्टर के भवन पूर्ण कर लिये गये है । ट्रामा सेन्टर में पदो की प्रदायगी हेतु परीक्षण किया जा रहा है । कार्यवाही प्रचलन में है । निश्चित समय सीमा बताई जाना संभव नही है । निर्माणधीन ट्रामा सेन्टर की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ"** अनुसार है । (ग) जिला चिकित्सालय में ट्रामा सेन्टर भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ"** अनुसार है । पी.एम.आर. विभाग (मारच्यूरी भवन) में बजट का प्रावधान एवं पूर्णतः विकसित भवनों की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब"** अनुसार । (घ) कार्यवाही प्रचलन में है । निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नही है ।

मेडिकल कॉलेज में डी.एन.बी कोर्स प्रारंभ किया जाना

72. **(क्र. 1086) श्रीमती रेखा यादव :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है कि एम.सी.आई द्वारा मेडिकल कॉलेजों में जहां एम.डी एवं एम.एस. संचालित हैं में डी.एन.बी कोर्स बन्द किए जाने के दिए गए निर्देशों को भारत सरकार के द्वारा निरस्त कर डी.एन.बी कोर्स संचालित किए जाने के प्रावधान किए हैं ? (ख) यदि हां, तो डी.एन.बी कोर्स को लेकर एम.सी.आई ने किस दिनांक को क्या निर्देश जारी किए भारत सरकार ने किस दिनांक को क्या निर्देश जारी किए प्रति सहित बतावें ? (ग) भारत सरकार के आदेशानुसार राज्य के किस-किस मेडिकल कॉलेज में वर्तमान में डी.एन.बी कोर्स संचालित किया जा रहा हैं ? यदि भारत सरकार के निर्देश के बाद भी राज्य के मेडिकल कॉलेजों में डी.एन.बी कोर्स प्रारम्भ नहीं किए गए हों तो कारण बतावें ? (घ) भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य के मेडिकल कॉलेजों में कब तक डी.एन.बी कोर्स प्रारम्भ कर दिए जावेंगे समय सीमा बतावें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में डी.एन.बी. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के संबंध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुये है । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) उत्तरांश के ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) प्रदेश के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय में डी.एन.बी. पाठ्यक्रम संचालित नहीं है । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) उत्तरांश ''क'', ''ख'' एवं ''ग'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

दमोह जिले के पथरिया एवं बटियागढ़ केन्द्रों में डॉक्टरों की पूर्ति

73. **(क्र. 1132) श्री लखन पटेल :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) दमोह जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पथरिया एवं बटियागढ़ में डॉक्टरों के कितने पद स्वीकृत हैं ? (ख) वर्तमान में स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने डॉक्टर पदस्थ हैं ? (ग) शेष डॉक्टरों की पदस्थापना क्या दिसम्बर 2014 में पूरी कर दी जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार है । (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' में समाहित है । (ग) वर्तमान में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है, विशेषज्ञों के शतप्रतिशत रिक्त पदों की पूर्ति में कठिनाई होगी, द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों की पद पूर्ति हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा जून 2014 में 1271 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया जा चुका है, चयन सूची प्राप्त होने के उपरांत उपलब्धता के आधार पर पदस्थापना की कार्यवाही की जावेगी । पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट- "सोलह"

दमोह जिले के तहसील पिपरिया एवं बटियागढ़ में राज्य बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरण

74. **(क्र. 1133) श्री लखन पटेल :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) दमोह जिले में तहसील पिपरिया एवं बटियागढ़ के अंतर्गत 01 अप्रैल 2014 से 31 जुलाई 2014 तक राज्य बीमारी सहायता निधि योजनांतर्गत कितने मरीजों के आवेदन प्राप्त हुए ? (ख) कितने उपरोक्त अवधि में स्वीकृत किए गए ? (ग) उपरोक्त अवधि में कितने प्रकरण कितने दिनों तक लंबित रहे ? (घ) क्या उपरोक्त अवधि में प्राप्त आवेदन-पत्र आज की स्थिति में लंबित हैं ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) दमोह जिले में दिनांक 1 अप्रैल 2014 से 31 जुलाई 2014 तक तहसील पथरिया में 16 एवं तहसील बटियागढ़ में 12 आवेदन राज्य बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत प्राप्त हुऐ । (ख) उपरोक्त अवधि में कुल 28 प्ररकण स्वीकृत किये गये । (ग) उपरोक्त में सभी प्रकरण निर्धारित समय अवधि में स्वीकृत किये गये है । (घ) उपरोक्त अवधि का कोई भी प्रकरण आज की स्थिति में लंबित नहीं है ।

डिप्लोमाधारी नर्सेस एवं डिग्रीधारी नर्सेस की वेतनवृद्धि

75. **(क्र. 1138) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या म.प्र. शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्र. एफ. 26-06-85-17 भो.दि. के अनुसार नवनियुक्त डिप्लोमाधारी नर्सेस एवं डिग्रीधारी नर्सेस को चार अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ दिया जाना है ? (ख) क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में इन अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ दिया जा रहा है ? (ग) क्या ग्वालियर-रीवा-सागर के मेडिकल कॉलेजों में इन अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ दिया जा रहा है ? अगर दिया जा रहा हैं तो किस आदेशानुसार ? (घ) क्या इंदौर, भोपाल, जबलपुर के मेडिकल कॉलेजों में वेतन वृद्धियों का लाभ दिया जा रहा है ? अगर नहीं तो क्यों ? अगर दिया जाएगा तो कब तक ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का आदेश क्रमांक एफ 26-6-85-17- मेडि-1 दिनांक 11-09-1985 परिशिष्ट-एक संलग्न है । (ख) विभाग से असम्बद्ध । (ग) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) चिकित्सा शिक्षा विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-19-10, भोपाल दिनांक 16-02-2014 परिशिष्ट-दो तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-10-2010-1-55, दिनांक 29-9-2014 परिशिष्ट-तीन जारी होने के पश्चात् नव नियुक्त नर्सेस को अग्रिम वेतन वृद्धियॉ स्वीकृत नहीं की जा रही है । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट- "सत्रह"

मण्डला जिले के आश्रम शाला भवन सिंगौधा का अमानक स्तर का निर्माण

76. **(क्र. 1154) श्री रामप्यारे कुलस्ते :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) मण्डला जिले के सिंगौधा में आश्रम शाला की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति कुल कितनी थी ? यह निर्माण कार्य कुल कितने माहों में पूर्ण किया गया है ? (ख) क्या यह सही है कि आश्रम शाला भवन के लोकार्पण के दौरान ही इसकी दीवारें फटी हुई पाई गईं, तथा नींव की स्थिति भी अत्यंत जीर्ण-शीर्ण प्रतीत हुईं ? क्या इससे यहां पढ़ने वाले बच्चों को भविष्य में जान-माल का खतरा है ? (ग) क्या इस घटिया निर्माण कार्य को करने वाले अधिकारियों के ऊपर कोई कार्यवाही की जावेगी ? क्या इस भवन का पुनर्निमाण कराया जावेगा ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) उक्त आश्रम शाला भवन की तकनीकी स्वीकृति राशि रुपये 88.23 लाख तथा प्रशासकीय स्वीकृति रुपये 95.00 लाख की है । 19 माहों में भवन का कार्य पूर्ण किया गया है । (ख) जी हाँ । दीवार के प्लास्टर में हेयर क्रेक आये थे, जिसका सुधार कार्य किया जा रहा है । भवन निर्माण कालम फ्रेम स्ट्रक्चर में मानक ड्राईंग अनुसार किया गया है तथा नींव की स्थिति अच्छी है । इसमें पढ़ने एवं रहने वाले बच्चों को भविष्य में जान-माल का कोई खतरा नहीं है । (ग) जी नहीं ।

फर्मासिस्ट ग्रेड 02 एवं लेब टेक्निशियन को नियमित किया जाना

77. **(क्र. 1157) श्री रामप्यारे कुलस्ते :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) मण्डला जिले में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मण्डला द्वारा विज्ञापन दिनांक 22.01.2005 एवं 03.05.2006 तथा 15.05.2006 को जारी बैकलाग पदों की पूर्ति की गई थी, क्या ये विज्ञापित पद रोस्टर पंजी के अनुसार नियमित वेतनमान के पद थे या संविदा वेतन के पद थे ? (ख) यदि उपरोक्त पद नियमित वेतनमान के थे तो शासन के निर्देशानुसार इन पदों पर नियमित नियुक्ति क्यों नहीं दी गई है ? (ग) क्या संविदा आधार पर भरे जाने वाले आरक्षित वर्गों की पूर्ति के लिये विशेष भर्ती अभियान के तहत पद पूर्ति का प्रावधान है, हॉ या नहीं स्पष्ट करें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हां । पद नियमित वेतनमान के थे । (ख) मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 14.01.2000 द्वारा दिनांक 01.01.2000 से 31.12.2000 तक तथा पुनः परिपत्र दिनांक 31.3.2001 द्वारा सभी प्रकार की नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाया गया था । मंत्रि-परिषद के निर्णय उपरांत म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 09 अप्रैल 2002 के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के अधीन पैरामैडिकल के रिक्त पदों पर संविदा आधार पर नियुक्तियां करने की अनुमति प्रदाय की गई । (ग) जी नही । मंत्रि-परिषद निर्णय के तहत् विभाग के अधीन पैरामेडिकल के रिक्त पदों की पूर्ती ''मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अलिपिकीय संवर्ग संविदा सेवा (नियुक्ति तथा सेवा की शर्ते) नियम, 2002 के तहत् संविदा आधार पर की गई हैं ।

राघौगढ़ नगर पालिका/आरोन नगर पंचायत के स्कूलो में रिक्त पद

78. **(क्र. 1163) श्री जयवर्द्धन सिंह :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) राघौगढ़ नगर पालिका/आरोन नगर पंचायत में शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, एवं हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूल हैं ? तथा इन स्कूलो में शिक्षको के कितने पद स्वीकृत हैं ? तथा कितने पदों पर शिक्षक कार्यरत हैं एवं शिक्षको के रिक्त पदों की जानकारी देवें ? (ख) कितने पदो पर संविदा शिक्षक एवं कितने पदो पर अतिथि शिक्षक का काम कर रहें हैं ? उनका विवरण देवें ? (ग) शासन द्वारा रिक्त पदों कि पूर्ति कब तक कि जाएंगी ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) एवं (ख) "जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है ।" (ग) रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत प्रक्रिया है, अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट- "अठारह"

शासकीय उत्कृष्ठ विद्यालय, किरनापुर, जिला-बालाघाट में तत्कालीन लेखापाल तथा प्राचार्य द्वारा ढाई करोड से अधिक की राशि का गबन

79. **(क्र. 1227) सुश्री हिना लिखीराम कावरे :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) विषयांकित विद्यालय के तत्कालीन लेखापाल तथा प्राचार्य द्वारा दो करोड चौंसठ लाख पच्चीस हजार चार सौ त्रैंसठ रूपये की राशि के गबन के संबंध में क्या कोई FIR थाना किरनापुर, जिला-बालाघाट में दर्ज करायी गयी है ? क्या यह सही है कि विषयांकित विद्यालय में तत्कालीन लेखापाल द्वारा पूर्व में भी बाईस लाख रूपये की राशि अवैधानिक तरीके से निकाल ली गयी थी, जिसे बाद में लेखापाल से वसूल कर शासन के खाते में वापिस डाल दिया गया था ? (ख) 22 लाख रूपये की राशि गबन करने का मामला प्रकाश में आने के बावजूद, जिला शिक्षा अधिकारी, बालाघाट द्वारा उक्त लेखापाल पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? मासिक खर्च ब्यौरा (Monthly expenditure report) देते समय यदि एक विशेष संकुल में बड़ी राशि का आहरण हो रहा था और पूर्व में भी 22 लाख रूपये का गबन हुआ था, उसके बावजूद ऐसा करने की छूट क्यों दी गयी ? (ग) क्या पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करायी जाएगी, तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वित्त विभाग के साफ्टवेयर में सुधार किया जाएगा ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हां । संस्था के तत्कालीन प्राचार्य श्री श्रीराम बरले एवं लेखापाल स्व. श्री शैलेष कुमार गढ़पाले द्वारा रूपये २२ लाख की राशि अवैधानिक तरीके से आहरित की गई थी । शिक्षकों के एरियर्स की राशि रूपये ८१०००/- (रूपये आठ लाख दस हजार) प्राचार्य द्वारा चालान के माध्यम से दिनांक २२.०५.२०१४ को शासन के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक बालाघाट में जमा की गई । (ख) २२ लाख रूपये की राशि गबन करने संबंधी प्रकरण पूर्व में जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट के संज्ञान में न होने के कारण संबंधित लेखापाल के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई । शिक्षकों के एरियर्स की राशि रूपये ८१०००/- का मामला प्रकाश में आने के उपरांत प्राचार्य द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट के संज्ञान में लाने पर प्रकरण की जांच कराई गई एवं जांच उपरांत राशि २६४२५४६३/- (रूपये दो करोड चौसठ लाख पच्चीस हजार चार सौ तिरेसठ) का गबन होना पाया गया । (ग) जांच उपरांत कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्राचार्य को निलंबित किया गया है । पुलिस थाना किरनापुर द्वारा भी गबन प्रकरण की जांच की जा रही है । श्री आर.एस.बरले (निलंबित) प्राचार्य शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि. किरनापुर को सेवा से पृथक करने हेतु प्रस्ताव कलेक्टर बालाघाट द्वारा विभाग में उपलब्ध कराया गया है । कार्यवाही प्रचलन में है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

सरदारपुर तहसील में मारू (कुमावत) जाति का प्रमाण पत्र का प्रदाय

80. **(क्र. 1244) श्री वेलसिंह भूरिया :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या धार जिले के सरदारपुर तहसील में मारू (कुमावत) जाति पिछड़े वर्ग में आती है ? यदि हां, तो क्या इस जाति के लोगों को पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्र जारी किए जा रहे हैं ? यदि नहीं तो क्यों ? (ख) सरदारपुर तहसील में मारू (कुमावत) समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को कब तक प्रमाण-पत्र जारी किये जायेंगे ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी नहीं । मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति, हरजिन एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग अधिसूचना क्र0 एफ-8-5-पच्चीस-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा कुमावत जाति राज्य की पिछडा वर्ग की जाति की सूची के अनुक्रमांक-5 पर बरई, तमोली, तम्बोली के साथ अधिसूचित है, जो पुस्तकालय रखे परिशिष्ट-"एक" अनुसार है । अत: सूची में अंकित जाति के नाम अनुसार जाति प्रमाण-पत्र जारी किए जा रहे हैं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) मारू (कुमावत) के नाम की जाति पुस्तकालय में

रखे परिशिष्ट-"एक" अनुसार पिछडा वर्ग की अधिसूचित सूची में सम्मिलित न होने से जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

सांवेर विधानसभा क्षेत्र में शाला भवनों का उन्नयन

81. **(क्र. 1246) श्री राजेश सोनकर :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) सांवेर विधानसभा क्षेत्र योजनान्तर्गत विगत 2 वर्षों में कितने प्राथमिक शालाओं, माध्यमिक शालाओं, हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूलों के उन्नयन के प्रस्ताव शासन के पास कब से विचाराधीन है ? (ख) इन शालाओं में शिक्षकों के सभी पद भरे हुये है ? यदि नहीं, तो इनकी पूर्ति कब तक की जायेगी ? (ग) इन क्षेत्र में कितने शालाओं में शौचालयों का निर्माण हो चुका है ? कितने शाला भवन अभी भी शौचालयविहीन है ? उनमें कब तक शौचालयों का निर्माण करा दिया जायेगा ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । (ख) उत्तरांश क के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) कोई भी शाला शौचालय विहीन नहीं हैं । अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

प्रश्नकर्ता विधायकों के पत्रों पर कार्यवाही

82. **(क्र. 1255) पं. रमेश दुबे :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है कि माननीय विधानसभा सदस्यों के पत्रों की प्राप्ति की सूचना देने, पत्रों पर कार्यवाही करने तथा की गयी कार्यवाही से माननीय विधानसभा सदस्यों को अवगत कराने हेतु म.प्र. शासन ने समय-सीमा निर्धारित कर आदेश-निर्देश प्रसारित किये हैं ? क्या यह आदेश निर्देश सहायक आयुक्त आदिवासी विकास छिंदवाड़ा को उपलब्ध कराये गये हैं ? (ख) सहायक आयुक्त आदिवासी विकास छिंदवाड़ा को दिसंबर 2013 से अक्टूबर 2014 तक किस-किस संबंध में कब-कब प्रश्नकर्ता ने पत्र प्रस्तुत किया है ? पत्रवार ब्यौंरा दें ? (ग) क्या प्रश्नकर्ता ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास छिंदवाड़ा के द्वारा पत्रों पर कार्यवाही नहीं करने, पत्रों का जवाब नहीं देने के संबंध में सभी संदर्भ पत्रों सहित पत्र क्रमांक 1991 दिनांक 22/09/2014 कलेक्टर छिंदवाड़ा को प्रस्तुत किया गया ? यदि हां, तो इस पत्र का संबंधित पर क्या प्रभाव पड़ा ? (घ) क्या सहायक आयुक्त आदिवासी विकास छिंदवाड़ा के द्वारा शासनादेशों के अनुरूप प्रश्नकर्ता के पत्रों के प्राप्ति की सूचना दी गयी अथवा पत्रों पर की गयी कार्यवाही से निर्धारित समय-सीमा में अवगत कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्या शासन सहायक आयुक्त आदिवासी विकास छिंदवाड़ा को सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का दोषी मानता है ? यदि हां, तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ । जी हाँ । (ख) **पुस्तकलाय में रखे परिशिष्ट–"अ"** अनुसार । (ग) जी हाँ । माननीय प्रश्नकर्ता को संलग्न पत्रों पर की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया है । **पुस्तकलाय में रखे परिशिष्ट–(ब)** अनुसार । (घ) जी हाँ । प्रश्न उपस्थित नही होता ।

सीईओ के विरूद्ध कार्यवाही

83. **(क्र. 1264) श्री आरिफ अकील :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा तत्कालीन सीईओ वर्ष 2013-14 में पदस्थ रहे के विरूद्ध कुरवाई जिला विदिशा स्थित आराजी मुतल्लका इस्लामिया स्कूल के लगभग 13 करोड़ की भूमि का 77 लाख की निजी भूमि से विनिमय का आदेश एवं स्वीकृत जारी की गई ? (ख) क्या यह सही है कि इस गम्भीर

अपराधिक वक्फ सम्पत्ति की हेराफेरी भ्रष्टाचार के संबंध में बोर्ड द्वारा विनिमय को निरस्त कराकर किन-किन दोषी अधिकारियों/बोर्ड कर्मचारियों के विरूद्ध निलम्बन, अपराधिक अभियोजन का प्रस्ताव शासन को भेजा है ? (ग) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि 6 माह से अधिक समय हो जाने के पश्चात भी अपराधिक मामले में शासन स्तर पर दोषी अधिकारी को निलम्बित नहीं किया गया और विभागीय स्तर पर संरक्षण दिया जा रहा है ? यदि नहीं तो कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं ? (घ) प्रश्नांश (क, ग) के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक अपराध अनुसंधान में जांच लम्बित है और प्रकरण कब तक दर्ज होगा ? क्या संरक्षण देने वाले अधिकारियों की संलिप्ता की जांच की जावेगी बतावें ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी हॉ । (ख) वक्फ बोर्ड के तत्कालीन पदाधिकारियों/अधिकारियों के विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । (ग) वर्तमान में प्रस्ताव विचाराधीन है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों/अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी । शेष प्रश्न उपस्थित प्रश्न उपस्थित होता ।

डेंगू की रोकथाम

84. **(क्र. 1265) श्री आरिफ अकील :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश में डेंगू का लार्वा/प्रकोप बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही शासन द्वारा जनहित में सख्त निर्देश के चलते विभाग द्वारा जिलेवार डेंगू के लार्वा का सर्वे करने साफ-सफाई करने तथा रखने के लिए नागरिकों की सुरक्षा एवं सचेत रहने के लिए टीमें बनाई गई हैं ? (ख) यदि हां, तो उक्त जनहित के कार्य में किस-किस विभाग द्वारा सहयोग किया गया और इस कार्य में किस-किस विभाग के कितने-कितने प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारी व तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को किस-किस दिनांक से तैनात किया गया, तथा अभी तक शासन की कितनी राशि व्यय हुई विभागवार व भोपाल संभाग के जिलेवार बतावें ? (ग) प्रश्नांश (क)(ख) के परिपेक्ष्य में किस-किस जिले में डेंगू से कितने-कितने लोगों की मौत हुई एवं कितने पीड़ित व इलाजरत है तथा यह भी अवगत करावें कि उक्त बीमारी महामारी के रूप में फैली हुई है, तो क्या शासन डेंगू से मरने वालो के परिवारजन को मुआवजा देगा यदि हां, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बतावे ? (घ) क्या यह सही है कि भोपाल के गांधी मेडिकल कालेज व हमीदिया अस्पताल में दिनांक एक नवम्बर 2014 को इबोला वायरल डिसीज एवं 6 से 7 नवम्बर 2014 को डेंगू से संबंधित रोग पर नियंत्रण करने व सुझाव देने के लिए जो टीम आई थी उसने क्या-क्या सुझाव दिये तथा उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) प्रदेश में डेंगू के प्रकरणों की जानकारी प्राप्त होते ही संबंधित क्षेत्रों में लार्वा सर्वे एवं विनिष्टिकरण का कार्य तीव्र गति से किया जाता है, इसके अंतर्गत पानी के बर्तनों, कूलर, टंकियों आदि में से सप्ताह में एक बार पानी की निकासी करने एवं साफ सफाई रखने, आवश्यकतानुसार टेमोफॉस एवं पायरेथ्रम का छिड़काव करने की कार्यवाही की जाती है । भोपाल जिले में डेंगू के नियंत्रण के लिए मलेरिया विभाग, टी.बी., कुष्ठ, नगर निगम, गैस राहत विभाग एवं आयुष विभाग के सहयोग से प्रतिदिन 21 से लेकर 128 टीमें आवश्यकतानुसार बनायी गई है । अन्य जिलों में डेंगू नियंत्रण का कार्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा ही किया गया है । (ख) भोपाल जिले में उक्त जनहित के कार्य में स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ आयुष विभाग एवं नगर निगम द्वारा सहयोग किया गया है, इसके अतिरिक्त भोपाल संभाग के अन्य जिलों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ही कार्य किया गया है । भोपाल जिले में नीचे दर्शायी गई तालिका अनुसार उल्लेखित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों ने सहयोग किया हैः-

क्र.	विभाग का नाम	दिनांक से	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी
1.	मलेरिया विभाग	वर्ष भर	01	01	20	51
2.	नगर निगम	14/10/2014 से निरंतर	01	01	15	60
3.	आयुष विभाग	28/10/2014 से 14/11/2014	01	100	-	-
4.	टी.बी./ कुष्ठ	29/10/2014 से 23/11/2014	-	01	54	-
5.	गैस राहत	29/10/2014 से निरंतर	01	-	26	-

डेंगू नियंत्रण कार्य में भोपाल संभाग के जिला भोपाल में रू. 957490, रायसेन में रू. 175034, होशंगाबाद में रू. 35000 एवं हरदा में रू. 6720 का व्यय हुआ है । जिला सीहोर, विदिशा, बैतूल एवं राजगढ़ में इस कार्य हेतु पृथक से कोई राशि का व्यय नहीं हुआ है । (ग) प्रदेश में डेंगू से जिला भोपाल में 5, सागर में 3, इंदौर में 3 एवं होशंगाबाद में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है । प्रदेश में जनवरी से 10 नवम्बर 2014 तक 1609 तथा भोपाल संभाग में 645 डेंगू के मरीज प्रकाश में आए है, जिन्हें उपचार दिया गया है । डेंगू बीमारी महामारी के रूप में नही है, वर्तमान में शासन से डेंगू से मरने वालों के परिवारजन को मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है । (घ) जी हाँ । गाँधी मेडिकल कॉलेज व हमीदिया अस्पताल में दिनांक 01/11/2014 को ईबोला वायरस डिसीज की तैयारियों के संबंध में टीम का भ्रमण हुआ था तथा दिनांक 6-7 नवम्बर 2014 को डेगू पर नियंत्रण एवं उपचार के मार्गदर्शन हेतु भारत सरकार से एक दल आया था, उनके द्वारा दिए गए सुझाव एवं की गई कार्यवाही परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

परिशिष्ट- "उन्नीस"

<u>विभागीय पदोन्नति की जानकारी</u>

85. **(क्र. 1271) डॉ. योगेन्द्र निर्मल :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में विगत तीन वर्षों में कब-कब विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई ? समिति द्वारा कब-कब किन-किन कर्मचारियों की पदोन्नति किन-किन पदों पर करने की अनुशंसा की गई ? (ख) उपरोक्त अनुशंसा अनुसार किन-किन कर्मचारी के पदोन्नति आदेश जारी किये गये एवं किन-किन के नहीं ? क्यों ? (ग) क्या यह भी सत्य है कि अधिकांश पदोन्नति प्राप्त कर्मचारी पूर्व पदस्थापना स्थल पर ही आज दिनांक तक कार्यरत है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) एवं (ख) प्रश्नांश की जानकारी परिशिष्ट-1 पर संलग्न है । (ग) अधिकांश पदोन्नत कर्मचारियों से उनके पदोन्नति पर एवं प्रशासनिक कार्यानुभव के अनुरूप ही कार्य संपादित कराया जा रहा है । कर्मचारियों की कमी को दृष्टिगत रखते हुये पदोन्नत कर्मचारियों से वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्व पदस्थ शाखाओं का कार्य भी सम्पादित कराया जा रहा है, ताकि शासकीय कार्य बाधित न हो एवं समय सीमा के कार्यों का त्वरित गति से निराकरण किया जा सकें ।

परिशिष्ट- "बीस"

सांवेर विधानसभा क्षेत्र में अनु.जाति, अ.ज.जाति बस्ती विकास योजना

86. **(क्र. 1274) श्री राजेश सोनकर :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या सांवेर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति बस्ती विकास योजना अंतर्गत विद्युतीकरण, सीमेन्टीकरण, पेयजल व्यवस्था आदि कार्यों के लिये कोई प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुये है ? यदि हॉ, तो उन पर क्या कार्यवाही अब तक की गई ? (ख) विधानसभा क्षेत्र में बस्तियों के विकास योजना अंतर्गत विद्युतीकरण, सीमेंटीकरण, पेयजल व्यवस्था हेतु कोई राशि आवंटित की गई है ? यदि हॉ, तो कितनी राशि विवरण प्रदान करें ? (ग) क्या आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा छात्रावासो में सौर ऊर्जा के माध्यम से छात्रावासों में गर्म पानी के लिये गीजर लगाने की योजना प्रस्तावित है ? यदि हॉ, तो कहॉ-कहॉ पर ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

प्रदेश के कुष्ठ रोग कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ

87. **(क्र. 1275) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है कि शासकीय कर्मचारियों को शासन द्वारा समयमान वेतनमान का लाभ 10, 20 एवं 30 वर्षों की सेवा करने के उपरांत व पदोन्नति प्राप्त न होने की स्थिति में दिया जाता है ? क्या यह भी सही है कि प्रदेश में कार्यरत शासकीय कुष्ठ रोग कर्मचारियों एन.एम.ए. जो कि 10, 20, 30 वर्षों की सेवायें पूर्ण कर चुके हैं, इन्हें विभाग द्वारा पदोन्नति का पद बताकर समयमान वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया ? (ख) क्या यह सही है कि प्रदेश में कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम जब से प्रारंभ किया गया है, तब से एन.एम.ए. के पद पर सीधी भरती की गई है ? एवं वर्ष 1990 के पश्चात् से बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता (एन.पी.डब्लू.) जो कि 10, 20, वर्षों की अपनी सेवायें पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें कुष्ठ रोग का प्रशिक्षण देकर एन.एम.ए. के पद पर पदोन्नति प्रदान कर दी गई है ? (ग) यदि वर्णित (क) (ख) सही है तो विभाग द्वारा शासन को गुमराह करके एन.एम.ए. के पद पर हुई सीधी भरती को पदोन्नति का पद बताकर एन.एम.ए. को समयमान वेतनमान के लाभ से वंचित क्यों किया गया, जबकि एन.एम.ए. के पद पर वर्ष 1990 के पश्चात् सीधी भरती न करके एम.पी.डब्लू. को पदोन्नति दी गई ? क्या यह सही है कि उक्त भ्रामक जानकारी विभाग द्वारा शासन को देकर एन.एम.ए. को समयमान वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया ? (घ) वर्णित (क) (ख) (ग) सही है तो कब तक वर्णित (क) के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान प्रदाय कर दिया जावेगा ? समय सीमा बतावें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हां । जी हां । (ख) जी हां । जी हां । (ग) जी नहीं, सीधी भर्ती पर नियुक्त कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित किया गया था । प्रस्ताव वित्त विभाग की टीप दिनांक 05.10.2012 द्वारा अमान्य किया गया हैं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) जानकारी उत्तरांश (ग) अनुसार है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

भवानी मेडिको के टेण्डर के रेटलिस्ट

88. **(क्र. 1280) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है कि सुल्तानिया जनाना अस्पताल, भोपाल में वर्ष 2008 में रेट कांट्रेक्ट हेतु मंजूर भवानी मेडिको के टेण्डर के साथ संलग्न रेट लिस्ट में अनेक दवाओं की कीमत MRP से अधिक दर्शायी गई है और इसी रेट लिस्ट के आधार पर फर्म द्वारा प्राप्त बिलों का भुगतान किया गया है ? (ख) क्या यह भी सही है कि अधीक्षक सुल्तानिया जनाना अस्पताल, भोपाल ने अपने आदेश क्रं. 556/लेखा शाखा/dt 17/8/09 द्वारा MRP से अधिक पर खरीदी करना मंजूर कर रू. 384031=00 का अधिक भुगतान करना मंजूर किया है ? (ग) यदि हां, तो अधीक्षक सुल्तानिया जनाना अस्पताल, भोपाल द्वारा MRP से अधिक पर दवा खरीदी करना स्वीकार करने के कारण भ्रष्टाचार करना प्रमाणित होता है, तो उनके विरूद्ध भ्रष्टाचार विरोधक कानून के तहत कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नही होता । (ख) जी नहीं । प्रश्नांश में उल्लेखित उक्त आदेश द्वारा तत्कालीन अधीक्षक ने लेखापाल को उक्त आदेशानुसार त्रुटिपूर्ण रकम रूपयें 3,84,031.00 को संबंधित फर्म से वसूल कर समायोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था । (ग) प्रदायकर्ता फर्म द्वारा कुछ देयक अधिक दर से प्रस्तुत किये गये थे, जिसे स्टोर कर्मचारी की सतर्कता से तत्कालीन अधीक्षक की जानकारी में लाया गया एवं अधीक्षक द्वारा त्वरित कार्यवाही कर उक्त रकम मय ब्याज के संबंधित फर्म से जमा कराई गई । अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

इंदौर संभाग में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों की उपस्थिति

89. **(क्र. 1281) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है कि इंदौर संभाग में स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों की उपस्थिति स्कूल में सुनिश्चित करने के लिए ई अटेण्डेंस योजना लागू की गई है ? यदि हॉ, तो कब से लागू की गई है ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार शिक्षकों की उपस्थिति हेतु लागू ई अटेण्डेंस के कारण यदि कोई शिक्षक कर्मचारी अपनी संस्था में समय पर (पहुँच मार्ग पर समय पर वाहन का उपलब्ध न होना, वाहन खराब होना, यातायात बाधित होना आदि कारणों से) नहीं पहुँचता है या स्कूल में पहुँचने की जल्दबाजी के कारण किसी दुर्घटना का शिकार होता है तो इस योजना में इस हेतु क्या व्यवस्था की गई है ? (ग) यदि संबंधित विद्यालय क्षेत्रान्तर्गत नेट कनेक्टिविटी विद्यालय में उपस्थित के समय नहीं मिलती है, तो संबंधित शिक्षक की ई अटेण्डेंस उपस्थित हेतु क्या व्यवस्था की गई है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हां । विभाग के पत्र क्र0 1928/2014/20-2, दिनांक 29 नवंबर 2014 के द्वारा पूरे प्रदेश में इसे लागू करने का निर्णय लिया गया है । (ख) इस एप्लीकेशन में निम्नांकित चार ऑप्शन हैः-1. अटेण्डेन्स 2. कान्टेक्ट 3. लीव एप्लीकेशन 4. न्यूज । वाहन खराब होने आदि आकस्मिक/ विशेष स्थिति में संबंधित शिक्षक उसी स्थान पर पंच इन कर एवं सर्च कान्टेक्ट में जाकर अपने

संस्था प्रमुख का मोबाईल नंबर लेकर सूचित कर सकते है अथवा लीव एप्लीकेशन ऑप्शन का भी उपयोग कर सकते है । (ग) उक्त एप्लीकेशन मं यह सुविधा है कि जब भी संबंधित शिक्षक अपनी शाला में पहुचेंगे तब वे अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिये एप्लीकेशन में प्रविष्टि अंकित करेंगे और जब वे शाला छोडेंगे तब प्रविष्टि करेंगे । इस एप्लीकेशन में इन्टरनेट होना आवश्यक नहीं है । यह एप्लीकेशन में इन्टरनेट होना आवश्यक नहीं है । यह एप्लीकेशन ऑफ लाईन और ऑन लाईन दोनों स्थिति में संचालित होती है । अतः विद्यालय पहुंचने पर नेट कनेक्टिविटी नहीं होने की स्थिति में भी संबंधित शिक्षकों द्वारा ऑफ लाई मोड पर भी उपस्थिति/ई- अटेण्डेंस दर्ज कराई जा सकती है ।

शासकीय/अशासकीय स्कूल में कार्यरत छात्र/छात्राओं को स्कॉलरशिप

90. **(क्र. 1282) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है कि शासकीय व अशासकीय स्कूलों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को शासन द्वारा स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है जिसमें संबंधित छात्र/छात्रा का समग्र आई.डी. होना अनिवार्य किया गया है ? (ख) यदि हॉ, तो समग्र आई.डी. के अभाव में जिन छात्र/छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिली है उस हेतु शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) - जी हां । जी हां । (ख) - जिन विद्यार्थियों का समग्र आई.डी. उपलब्ध नहीं है, उनका समग्र आई.डी. स्थानीय निकायों द्वारा समग्र पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाता है जिसके आधार पर विद्यार्थियों की शाला से मेपिंग उपरांत छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण की कार्रवाई की जाती है ।

डॉ. उमेश शुक्ला की प्रोफेसर पंचकर्म पद पर अवैध नियुक्ति

91. **(क्र. 1289) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या विज्ञापन क्रं. 16861/2588/2008 में विभागीय सेवा भर्ती नियम, 1987 में अंकित प्रोफेसर पद पर 25% सीधी भर्ती कोटा व म.प्र. आरक्षण नियम लागू था ? यदि नहीं, तो बतायें कौन सी नियमावली लागू थी ? यदि हां, तो प्रोफेसर पंचकर्म के सीधी भर्ती के दो पदों से अधिक का विज्ञापन क्यों किया गया ? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार विज्ञापन के अधीन नियुक्त किस-किस प्रोफेसर के पास पांच वर्ष का रीडर पद का अनुभव था ? यदि नहीं, तो उन प्रोफेसरों को अभी तक पद से पृथक क्यों नहीं किया गया ? (ग) क्या शासकीय आयुर्वेद महा वि., भोपाल में दिसम्बर, 2008 के पूर्व प्रोफेसर पंचकर्म का पद राज्य शासन द्वारा सृजित था ? यदि नहीं, तो डॉ उमेश शुक्ला की नियुक्ति इस पद पर किन नियमों के तहत की गई ? (घ) क्या डॉ. उमेश शुक्ला की प्रोफेसर पंचकर्म पद पर की गई अवैध नियुक्ति की जांच उन से जूनियर अधिकारी डॉ. सुशील तिवारी द्वारा करा कर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो डॉ. उमेश शुक्ला के विरूद्ध कितनी शिकायतों पर किस-किस अधिकारी से जांच कराई गई और किस-किस शिकायतकर्ता को सुना गया और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हॉ । तत्समय विभाग में आयुर्वेद शिक्षा के समस्त विषयों के समान पदों को एक साथ मिलाकर एक संवर्ग मानकर सम्मिलित आरक्षण रोस्टर लागू था । सम्मिलित पदक्रम सूची की प्रति जिसमें सभी विषयों के प्रोफेसरों के नाम प्रदर्शित है "पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट "अ" अनुसार" है । आरक्षण फलोटिंग स्वरूप में था । इसी तरह तत्समय पृथक-पृथक

विषयवार प्रोफेसर पदों के सीधी भरती कोटा की गणना नहीं की जाती थी, अपितु सभी विषयों के लिये स्वीकृत प्रोफेसर के समस्त पदों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत की पूर्ति सीधी भरती से करने के लिये उन विषयों के प्रोफेसरों के पदों को जिन पर पदोन्नति हेतु फिडिंग कैडर में रीडर उपलब्ध नहीं होते थे, सीधी भरती कोटे से भरे जाने की पद्वति प्रचलन में थी । चूंकि तत्समय फीडिंग कैडर रीडर पंचकर्म के पद पर पंचकर्म विषय के प्रोफेसर पद पर पदोन्नति हेतु आवश्यक योग्यता/अनुभवधारी अर्ह शिक्षक उपलब्ध नहीं थे एवं विद्यार्थियों के अध्यापन व महाविद्यालय की मान्यता की दृष्टि से पद पूर्ति आवश्यक थी अत: प्रोफेसर के कुल स्वीकृत पदों के 25 प्रतिशत की सीमा के भीतर विभिन्न महाविद्यालयों की सी.सी.आई.एम. की मान्यता की दृष्टिगत आवश्कता अनुसार प्रोफेसर पंचकर्म के 03 पद भी विज्ञापित किये गये । जो कि सीधी भर्ती हेतु निर्धारित कोटे की 25 प्रतिशत सीमा के अधीन विज्ञापित 20 पदों में से थे । विज्ञापन की प्रति " पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट "ब" अनुसार" है । (ख) प्रोफेसर पद पर आवेदन अभ्यर्थियों के अनुभव से संबंधित छानबीन समिति द्वारा तैयार की गई जानकारी के आधार पर अनुभव संबंधी विवरण पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट "स" अनुसार है । सी.सी.आई.एम. के न्यूनतम मापदण्डानुसार प्रोफेसर पद हेतु तत्समय निर्धारित अर्हता पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट "द" अनुसार है, तदनुसार प्रोफेसर पद हेतु न्यूनतम अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि के साथ 05 वर्ष का रीडर पद का शैक्षणिक अनुभव अथवा संबंधित विषय का 10 वर्ष का कुल अध्यापन अनुभव प्रावधानित है । चूंकि सभी नियुक्त प्रोफेसर सी.सी.आई.एम. द्वारा निर्धारित अर्हता रखते हैं अत: पद से पृथक करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । (ग) जी हॉ । वर्ष 2008 के पूर्व पंचकर्म प्रोफेसर सहित 12 प्रोफेसरों के पद उपलब्ध थे । सी.सी.आई.एम. के मापदण्डानुसार स्नातक पाठयक्रम हेतु प्रोफेसर के न्यूनतम 12 पद निर्धारित थे, जिनमें से वर्ष 1996 में बिना विषय के नाम के सृजित 08 पद (पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट "ई" अनुसार) उपलब्ध थे 04 पदों की कमी थी । प्रमुख सचिव के निर्देशानुसार (पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट "फ" अनुसार) पूर्व से उपलब्ध पदों के युक्तियुक्तकरण/पुनर्नामकरण/पद आवंटन सहित शेष 04 पदों का सृजन प्रस्तावित (पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट "क" अनुसार) किया गया जो आदेश दिनांक 12/03/2007 (पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट "ख" अनुसार) द्वारा स्वीकृत किये गये । पद सृजन प्रस्ताव अनुसार पंचकर्म प्रोफेसर का पद उक्त पद सृजन पूर्व उपलब्ध था जिस पर सीधी भर्ती के चयन प्रक्रिया अतंर्गत डॉ. उमेश शुक्ला को प्रोफेसर पद पर नियुक्ति प्रदान की गई । सेवा भर्ती नियम 2010 (पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट "ग" अनुसार) में सभी पद सम्मिलित है । (घ) आयुक्त आयुष द्वारा लोकायुक्त कार्यालय को जांच प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु लिखे गये पत्र की प्रति "पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट "घ" अनुसार" है जिसमें अंकित आयुक्त के अभिमत से स्पष्ट है कि आयुक्त ने स्वयं भी जांच प्रतिवेदन का परीक्षण किया व उससे सहमत हुये । लोकायुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 04/07/2013 के द्वारा प्रकरण समाप्त किया गया (पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट "ड." अनुसार) । लोकायुक्त कार्यालय द्वारा जांच समाप्त कर दिये जाने के बाद समान मुददों पर प्राप्त अन्य शिकायतों की जांच की आवश्यकता नहीं है ।

<u>रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र मऊगंज की विद्यालयों का उन्नयन</u>

92. **(क्र. 1303) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या रीवा जिले के विकास खण्ड हनुमना एवं मऊगंज अन्तर्गत प्रश्नकर्ता के पत्र क्र. 303 दि. 31.10.2014 द्वारा 10 प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक शाला में एवं पत्र क्र. 305 दिनांक 31.10.2014 द्वारा 19 माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल में उन्नयन किए जाने हेतु आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल एवं राज्य जन शिक्षा केन्द्र भोपाल को लेख किया गया है ? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि जी हॉ तो क्षेत्र की

सुदूरवर्ती भौगोलिक स्थिति एवं छात्र छात्राओं के पठन-पाठन की विधिवत व्यवस्था हेतु उपरोक्त विद्यालयों का उन्नयन किया जावेगा ? यदि हॉ, तो कब तक ? समय सीमा बतावें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हां । (ख) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित मापदण्ड अनुसार माध्यमिक विद्यालयों की बसाहट से दूरी 3 कि.मी. से कम होने के कारण पत्र में उल्लेखित 10 प्राथमिक शालाओं का माध्यमिक शाला में उन्नयन किया जाना संभव नहीं है । हाईस्कूल में उन्नयन हेतु प्रस्तावित शालाओं में से माध्यमिक शाला कैलाशपुर का हाईस्कूल में उन्नयन आदेश दिनांक 9.9.2014 द्वारा किया जा चुका है । शेषांश के संबंध में शालाओं का उन्नयन, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर निर्धारित मापदण्ड के तहत प्राथमिकता क्रम में किया जाता है । निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पांती (12वीं) को शासनाधीन किया जाना

93. **(क्र. 1304) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या रीवा जिले के विकासखण्ड हनुमना अंतर्गत जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पांती (12वीं) मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुदान प्राप्त संस्था शासन के सभी मापदण्डों के तहत सन् 1970 से संचालित हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि जी हॉ, तो जिले के पूर्वांचल भाग में स्थित जहॉ कि अनु. जाति, जनजाति, अतिगरीब एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे-बच्चिया अध्ययनरत है, साथ ही इस विद्यालय के 25 कि.मी. की दूरी पर कोई भी 12वीं तक का विद्यालय न होने, क्षेत्र की मांग, छात्रों के पठन-पाठन एवं सर्वांगीण विकास हेतु इस विद्यालय को शासनाधीन किया जावेगा ? यदि हॉ तो कब तक ? समय सीमा बतावें ? (ग) प्रदेश में इस विद्यालय के स्थापना के बाद की बहुत सारी विद्यालयों को शासनाधीन किया गया, परंतु इस विद्यालय को शासनाधीन की कार्यवाही से वंचित रखा गया क्यों ? कारण स्पष्ट करें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हां । (ख) जनता उ.मा.वि. पाती के निकटतम 15 कि.मी. की दूरी पर शासकीय उ.मा.वि. मझगवा संचालित है । वर्तमान में अशासकीय विद्यालयों को शासनाधीन करने की कोई नीति नहीं होने के कारण शासनाधीन किया जाना संभव नहीं है । अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) शासन नीति अनुसार शासनाधीन हेतु संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति व तदनुसार उपयुक्त पाये जाने पर अशासकीय विद्यालयों को शासनाधीन किया गया है । वर्तमान में शासनाधीन किये जाने का प्रावधान नहीं है

आदिवासी बच्चों में कुपोषण

94. **(क्र. 1326) श्री मुकेश नायक :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) मध्यप्रदेश के पन्ना, मंडला, दमोह, छिन्दवाड़ा, बैतूल जिलों में आदिवासी शिशुओं और छ: वर्ष तक की आयु के बच्चों में कुपोषण की समस्या के बारे में क्या शासन ने पिछले दो वर्ष में कोई अध्ययन, सर्वेक्षण कराया है ? यदि हां, तो इसके नतीजों की जानकारी देवें ? (ख) राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में शिशुओं और बच्चों में कुपोषण पर नियंत्रण पाने के लिये शासन किन कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है और उनके नतीजे क्या हैं ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) शिशुओं एवं बच्चों में कुपोषण पर नियंत्रण पाने के लिये शासन द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम

"परिशिष्ट -अ" पर संलग्न है । वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार वर्ष 2010-11 में प्रदेश की बाल मृत्युदर 89 प्रति हजार जीवित जन्म थी जो वर्ष 2012-13 में घटकर 83 प्रति हजार जीवित जन्म परिलक्षित हुई है ।

परिशिष्ट- "इक्कीस"

सरकारी अस्पतालों में महिला चिकित्सक एवं कर्मचारियों की कमी

95. **(क्र. 1327) श्री मुकेश नायक :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) पन्ना जिले की पवई विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, महिला डॉक्टर और चिकित्सा कर्मचारियों की कुल कितनी कमी है ? (ख) इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये सरकार डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की कमी को दूर करने के क्या उपाय कर रही है और यह कमी कब तक पूरी कर ली जायेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है । (ख) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है, वर्तमान में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है, विशेषज्ञों के शतप्रतिशत रिक्त पदों की पूर्ति में कठिनाई होगी, द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों की पद पूर्ति हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा जून 2014 में 1271 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया जा चुका है, चयन सूची प्राप्त होने के उपरांत उपलब्धता के आधार पर पदस्थापना की कार्यवाही की जावेगी तथा चिकित्सा कर्मियों की पदपूर्ति हेतु पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्त 900 पदों हेतु म.प्र. व्यवसायिक परीक्षा मण्डल को मांग-पत्र प्रेषित किया गया है, चयन सूची प्राप्त होने पर पदस्थापना संबंधी कार्यवाही उपलब्धता के आधार पर की जावगी । पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट- "बाईस"

आदिवासी विकास परियोजनाओं में अध्यक्ष की पदस्थापना

96. **(क्र. 1338) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या बैतूल जिले में आदिवासी विकास परियोजनाओं (भैंसदेही एवं घोड़ाडोंगरी) में विधायकों को अध्यक्ष बनाये जाने के प्रस्ताव लंबित हैं ? (ख) यदि हॉ, तो इसके क्या कारण है ? कब तक इन परियोजनाओं में विधायकों की अध्यक्ष पद पर पदस्थिति कर दी जायेगी ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जिला बैतूल तथा भैंसदेही जिला बैतूल के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । (ख) संबंधित नस्ती पर निर्णय प्रक्रियाधीन है । निर्णय उपरांत आदेश जारी किये जावेंगे ।

हितग्राही मूलक योजना के क्रियान्वयन में देरी का कारण

97. **(क्र. 1340) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) बैतूल जिले में विगत तीन वर्षों में पंप उर्जीकरण मद में कितनी राशि का आवंटन प्राप्त हुआ ? पंप उर्जीकरण के आज दिनांक तक कितने हितग्राही के कार्य स्वीकृत किए गए हैं ? (ख) क्या यह सही है कि काफी लंबे समय से स्वीकृत कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं ? यदि हॉ, तो ऐसे कौन-कौन से कार्य है तथा विभाग द्वारा कार्य पूर्ण कराने के क्या प्रयास किए गए हैं ? (ग) क्या यह सही है कि कार्य पूर्ण न होने से हितग्राही योजना के लाभ से वंचित है ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तथा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) प्रश्नांश अंतर्गत वर्ष 2011-12 में 151.79 लाख, 2012-13 में 225.84 लाख, 2013-14 में 343.77 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ । कुल 527 हितग्राहियों के लिये 188 कार्य स्वीकृत किये गये । (ख) जी नहीं । जानकारी पुस्तकलाय में रखे परिशिष्ट ''एक'', ''दो'' तथा ''तीन'' पर व्यवस्थित है । स्वीकृत कार्य पूर्णता की ओर है । (ग) जी नहीं । कार्य प्रगति पर है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

अमानक स्तर की दवा खरीदी

98. **(क्र. 1351) श्री बाला बच्चन :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) फंगिग मशीन में जो केमिकल प्रयुक्त होता हैं, उसकी विगत 3 वर्षो की खरीदी का विवरण देवें ? यदि खरीदी नहीं की गई तो इसके उत्तरदायी अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित बताए ? (ख) उपरोक्त (क) अनुसार अधिकारियों पर कार्यवाही कब तक की जावेगी ? समयसीमा बताए ? (ग) भारतीय मानक ब्यूरो एवं लघु उद्योग निगम द्वारा बार-बार अमानक स्तर के कीटनाशक स्प्रे पाये जाने पर प्रदायकर्ता का लाइसेंस रोका गया, फिर भी किस कारण से और किन अधिकारियों द्वारा उसी प्रदायकर्ता से खरीदी की गई ? (घ) उपरोक्त (ग) अनुसार जिम्मेदार अधिकारियों पर कब तक कार्यवाही की जावेंगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) फागिंग मशीन में उपयोग होने वाले पायरेथ्रम एक्सट्रेट 2% की खरीदी के लिए वर्ष 2011-12 में 10,000 लीटर के क्रय आदेश दिए गए थे । अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ख) प्रश्नांश 'ख' के उत्तर अनुसार कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ग) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से मेसर्स नीटापॉल इन्डस्ट्रीज कोलकत्ता द्वारा प्रदाय किये गये पायरेथ्रम एक्सट्रेट 2% को भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा अमानक घोषित किया गया था, जिसके पश्चात फर्म द्वारा सामग्री प्रतिस्थापित की गई थी एवं संबंधित फर्म से पुनः खरीदी नहीं की गई है । (घ) प्रश्नांश 'ग' के उत्तर अनुसार कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

मलेरिया-डेंगू कंट्रोल व अमनाक दवा की खरीदी

99. **(क्र. 1352) श्री बाला बच्चन :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) प्रदेश में मलेरिया/डेंगू कंट्रोल की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग,नगरीय/ग्रामीण प्रशासन में से किसकी हैं ? (ख) इंदौर स्थित सेंट्रल स्टोर के विगत 4 वर्षो के स्टाक रजिस्टर के आधार पर एनेसेक्टीसाइड जैसे- पारेथ्रम टेमीफास एवं सिंथेटिक पाइरेथ्राइड की स्टाक पोजीशन मय बेच नं. निर्माण दिनांक, एक्सपायरी दिनांक सहित देवें ? (ग) विभाग द्वारा अमानक स्तर का पाइरेथ्रम खरीदने पर उच्च अधिकारियों पर कब तक कार्यवाही की जावेगी ? जिम्मेदार अधिकारियों के नाम पदनाम सहित देवें ? (घ) जिन 8.C.M.H.O पर वेतनवृद्धि रोकने की कार्यवाही की गई हैं, उनके द्वारा खरीदी गई दवाओं की सूची, सप्लाई फर्म नाम, भुगतान रसीद सहित देवें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) :(क) मलेरिया डेंगू कंट्रोल की जिम्मेवारी संयुक्त रूप से स्वास्थ्य विभाग, नगरीय/ग्रामीण प्रशासन विभाग की है । (ख) चाही गई जानकारी परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है । (ग) वर्ष 2011 से प्रश्न दिनांक तक 10 हजार लीटर पायरेथ्रम एक्सट्रेक्ट 2% के क्रय आदेश म.प्र. लघु उद्योग निगम को दिए गए थे, जिसकी निर्धारित दर रू. 975/- थी । म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से फर्म द्वारा पायरेथ्रम 2% 5,000-5,000 लीटर का प्रदाय जिला मलेरिया अधिकारी, भोपाल एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला (मलेरिया), इंदौर को प्रदाय किया गया, जिसका बेच नं. ए-11 एवं बी-11

था । बेच क्र. ए-11 एवं बी-11 के सेम्पल दिल्ली टेस्ट हाउस, दिल्ली एवं श्री राम इंस्टीट्यूट दिल्ली को जांच के लिए भेजे गए थे, उसकी गुणवत्ता रिपोर्ट में बेच ए-11 का सेम्पल मानक स्तर का एवं बेच बी-11 का सेम्पल अमानक स्तर का पाया गया था । प्रदायित पायरेथ्रम 2% के ए-11 बेच के नमूनों का परीक्षण जिला मलेरिया अधिकारी, भोपाल द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो से कराया गया, जिसमें नमूना अमानक स्तर का पाया गया था । जिला मलेरिया अधिकारी भोपाल द्वारा उक्त परीक्षण रिपोर्ट 10 माह पश्चात् संचालनालय को उपलब्ध कराई गई थी, जिसके लिए उनके विरूद्ध शासन स्तर पर कार्यवाही प्रचलन में है । म.प्र. लघु उद्योग निगम की निविदा दस्तावेज की शर्त क्र. 17 अनुसार सामग्री का प्रतिस्थापन का प्रावधान होने के कारण फर्म द्वारा 5,000 लीटर पायरेथ्रम 2% प्रतिस्थापित कर केन्द्रीय प्रयोगशाला (मलेरिया), इंदौर को प्रदाय किया गया है । (घ) प्रदेश के 08 नहीं अपितु 17 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन द्वारा क्रय की गई औषधियों में कुछ औषधियां अमानक स्तर की पायी जाने के कारण उनकी वेतन वृद्धियां रोकने की कार्यवाही की गई है । खरीदी गई दवाओं की सूची, फर्म के नाम की जानकारी परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है । भुगतान रसीद जिला स्तर पर उपलब्ध होती है । अतः दिया जाना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट- "तेईस"

गुरूजीयो को शिक्षाकर्मी समान 01.04.07 से लाभ दिया जाना

100. **(क्र. 1358) श्री रमेश पटेल :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) विभाग के पत्र क्रं./एफ/42/2008/20-11 दिनांक 15.04.2008 के अनुसार 2003 से संशोधित भर्ती नियमों के तहत नियुक्त गुरूजीयो/सहा.शि. को सहा.अध्यापक संवर्ग में शामिल किये जाने के निर्देश दिए गए हैं ? (ख) उपरोक्त पत्र के आधार पर रतलाम,इन्दौर,खरगोन, शाजापुर, खण्डवा, सतना एवं आदिवासी जिलो में धार झाबुआ में सबंधितो को लाभ दिया गया है लेकिन बड़वानी जिले में नही ? इसका कारण स्पष्ट करें ? (ग) उपरोक्त लाभ बड़वानी जिले के संबंधित कर्मचारियों को कब तक दिया जावेगा ? समय सीमा बतायें ? (घ) उपरोक्त आदेश जो कि माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा पारित निर्णय जिसके संबंध में (क) अनुसार पत्र जारी हुआ, की अवेहलना करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी नहीं । (ख) एवं (ग) प्रश्नांश "क"के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

व्यापम घोटाले की जांच

101. **(क्र. 1360) श्री विजय सिंह सोलंकी :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या व्यापम घोटाले के कारण रिक्त हुई M.B.B.S सीटों पर वेटिंग लिस्ट वाले छात्रों को प्रवेश देनें का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो विवरण देवें ? (ख) व्यापम घोटाले की जांच C.B.I से कब तक कराई जायेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियां

102. **(क्र. 1365) श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) पिछड़ा वर्ग की सूची में बैतूल की कौन-कौन सी जातियां शामिल नहीं है ? (ख) अल्पसंख्यक कल्याण की सूची में म.प्र. से बैतूल की कौन-कौन सी मुस्लिम जातियॉ शामिल नहीं है ? (ग) म.प्र. शासन ने पिछड़ा वर्ग जाति के लिये कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया है ? (घ) म.प्र. शासन ने अल्पसंख्यक के किन-किन जातियों को सुविधा प्रदान की है ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) पिछडा वर्ग की जातियों की सूची में म.प्र. राज्य जिसमें बैतूल सहित सभी जिलों की जातियां सम्मिलित हैं की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार है । इसके अतिरिक्त बैतूल जिले की कौन-कौन सी जातियां पिछडा वर्ग की सूची में सम्मिलित नहीं है, इस संबंध में किसी प्रकार की सर्वे रिपोर्ट उपलब्ध न होने से जानकारी दी जाना संभव नही है । (ख) केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जिलों मे जिसमे बैतूल जिला भी सम्मिलित है अल्पसंख्यक समुदाय में क्रमश: मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन धर्मावलंबी लोगों को शामिल किया गया है । मुस्लिम समुदाय की सभी जातियां अल्पसंख्यक वर्ग की सूची में सम्मिलित हैं । अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) म.प्र. शासन द्वारा अन्य पिछडा वर्ग को शासकीय सेवा एवं व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 14 प्रतिशत आरक्षण दिया है । (घ) प्रश्नांश "ख" भाग के उत्तर में उल्लेखित सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को छात्रवृत्ति एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने आदि विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ।

विकास खंड शिक्षा अधिकारी पद की स्वीकृति

103. **(क्र. 1366) श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) आदिम जाति कल्याण विभाग म.प्र. द्वारा कब से विकास खंड शिक्षा अधिकारी के पद स्वीकृत किये गये है ? (ख) म.प्र. आ.ज.क.वि. में कितने पद खंड शिक्षा अधिकारी के स्वीकृत है, कितने पद रिक्त है ? (ग) खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर किस स्तर के शिक्षक का चयन किया जाता है ? (घ) स्कूल शिक्षा विभाग में माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक को खंड शिक्षा अधिकारी पदस्थ किया जाता है . आदिवासी विभाग में क्यों नहीं ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ44/23/85/बी-2/20, दिनांक 2 जून 1986 एवं क्रमांक-44-23-85/बी-2/20, दिनांक 9/15.01.1987 द्वारा विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद स्वीकृत किये गये हैं । (ख) 75 पद स्वीकृत हैं एवं 30 पद रिक्त हैं । (ग) खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर शिक्षक का चयन नहीं किया जाता, प्राचार्य हाईस्कूल के पद से पूर्ति की जाती है । (घ) विभागीय भर्ती नियमों में प्रावधान नहीं होने से माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक को खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नती नहीं दी जाती है ।

सी.एच.एम.ओ जिला चिकित्सालय बालाघाट के विरूद्ध शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही

104. **(क्र. 1373) श्री मधु भगत :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है कि वर्तमान सी.एच.एम.ओ. जिला चिकित्सालय बालाघाट डॉ. के.के. खोसला जिला चिकित्सालय में 1994 से पदस्थ हैं तथा लगातार तीन वर्षों से सी.एच.एम.ओ. के पद पर

कार्यरत है तथा लगभग 100 शिकायतें विभिन्न जन प्रतिनिधियों के द्वारा किये जाने के बावजूद किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई ? कारण स्पष्ट करें ? (ख) क्या यह सही है कि उक्त विभाग द्वारा जनवरी 2011 से लेकर प्रश्न दिनांक तक कई सारी योजनाओं तथा विभागीय निर्माण कार्यों में अनियमितताएं बरती गई हैं ? उक्त निर्माण कार्यों की जांच कब तक की जायेगी ? (ग) उक्त विभाग द्वारा जनवरी 2010 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस मद से किस-किस योजना तथा निर्माण कार्यों के लिये कब-कब, कितनी-कितनी राशि का आहरण चेक/बैंक ड्राफ्ट/केश से किया गया है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं डॉ. के.के. खोसला जिला चिकित्सालय बालाधाट में दिनांक 01.07.1985 से पदस्थ है तथा उनकी पदोन्नति, जिला बालाधाट में सर्जिकल विशेषज्ञ के पद पर होने के कारण, डॉ. खोसला दिनांक 05.06.2006 से जिला चिकित्सालय बालाघाट में पदस्थ है । जी नहीं डॉ.खोसला दिनांक 24.12.2010 से जिला बालाधाट में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थ होकर कार्यरत है । डॉ.खोसला के विरूद्ध विभाग स्तर पर प्राप्त शिकायत जिस पर उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ"** अनुसार । प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) जी हॉ ,योजनाओं से संबंधित प्राप्त शिकायतों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब"** अनुसार है किंतु विभागीय निर्माण कार्यो में डॉ. खोसला द्वारा कोई अनियमिततायें नहीं बरती गई है क्योंकि निर्माण कार्यो का समस्त उत्तरदायित्व संबंधित निर्माण ऐजेंसी का होता है तथा निर्माण कार्यो में अथवा भुगतान में सीधी कोई भूमिका नहीं रहती है । (ग) प्रश्न भाग की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट " स "** अनुसार ।

ठेका श्रमिकों को मुख्य नियोक्ता बनाया जाना

105. **(क्र. 1376) श्री उमंग सिंघार :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) मध्यप्रदेश शासन द्वारा पिछले 5 वर्षों में ठेका श्रमिकों का नियोजन निषिद्ध करने पर राज्य सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड द्वारा क्या कार्यवाही की गई और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ? किस-किस कार्य के लिये अधिसूचना जारी कर ठेका श्रमिकों का नियोजन किन-किन उद्योगों, कारखानों एवं व्यवसायों में निषिद्ध किया गया ? (ख) मुख्य नियोक्ता द्वारा ठेकेदार के माध्यम से 5 वर्षों से अधिक समय के लिए निरंतर प्रकृति के कार्यों में ठेका श्रमिकों को नियोजित किया गया, ऐसे कारखानों, उद्योगों व संस्थाओं के विरूद्ध म.प्र. शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? (ग) पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र की ऐसी कितनी कंपनियां हैं, जिनमें 5 वर्षों से अधिक की समयावधि से ठेका श्रमिक कार्यरत हैं ? ऐसे ठेका श्रमिकों को मुख्य नियोक्ता का श्रमिक मनवाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में 5 वर्षों से अधिक की समयावधि के ठेका श्रमिकों के लिये ठेकेदार द्वारा उन श्रमिकों के वैध हित-लाभ, ग्रेज्युटी आदि का भुगतान किये बिना ठेकेदार भाग जाता है तथा मुख्य नियोक्ता उनके भुगतान से इंकार करता है, ऐसी परिस्थिति में उन ठेका श्रमिकों के ग्रेज्युटी व अन्य हितों के लिए म.प्र. शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है ? इसके लिए शासन के क्या प्रावधान है ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) गत 5 वर्षो में राज्य सलाहकार ठेका श्रम परिषद द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई । इस अवधि में किसी भी कार्य के लिये ठेका श्रमिकों का नियोजन निषिद्ध नहीं किया गया । (ख) संविदा श्रम (विनियमन एवं समाप्ति), अधिनियम, 1970 में मुख्य नियोक्ता द्वारा ठेकेदार के माध्यम से 5 वर्षो से अधिक समय के लिये निरंतर प्रक़ति के कार्यो में ठेका श्रमिकों का नियोजन करने पर कार्यवाही के प्रावधान नहीं हैं । (ग) पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में ऐसी 124 कंपनी है, जहॉ 5 वर्ष से अधिक की

समयावधि में ठेका श्रमिक कार्यरत है । ठेका श्रमिकों को मुख्य नियोक्ता का श्रमिक मानवाने संबंधी कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है । (घ) ठेका श्रमिकों के वैधानिक हितलाभ, ग्रच्युटी आदि का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972, न्यूनतम वेतन, अधिनियम 1948, वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 में समुचित प्रावधान है तथा ठेकेदारों से संविदा श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति जारी करने के पूर्व रूपये 200/- प्रति श्रमिक के मान से अमानत राशि जमा कराई जाती है, जो तभी वापस की जाती है, जब यह सुनिश्चित हो जाए कि ठेकेदार द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों -जैसे कि न्यूनतम वेतन, अवकाश एवं अन्य कानूनों के प्रावधानों का पालन किया गया है, अन्यथा इसे राजसात किया जा सकता है । संविदा श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) म.प्र. नियम, 1973 में ये प्रावधान है कि ठेकेदार द्वारा मुख्य नियोक्ता के प्रतिनिधि के समक्ष वेतन भुगतान किया जाएगा, जिसका उसके द्वारा प्रमाण - पत्र भी दिया जाएगा ।

<u>प्रदेश में अमानक दवायें खरीदी जाना</u>

106. **(क्र. 1381) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में दवायें क्रय की गई थी ? (ख) यदि हां, तो उक्त किन-किन वर्षों में कितनी-कितनी राशि की दवायें किस नियम प्रक्रियाओं के अंतर्गत खरीदी गई ? (ग) क्या यह सही है कि उक्त खरीदी गई दवाओं में से कुछ दवायें अमानक स्तर की पाई गई थी ? यदि हां, तो कौन-कौन सी दवायें अमानक/घटिया पाई गई और इसके लिये किन-किन दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हां । (ख) उक्त सभी वर्षों में औषधियां दवा नीति 2009 में उल्लेखित नियम-निर्देशों की प्रक्रिया अंतर्गत क्रय की गई । राज्य बजट से वर्षवार औषधि क्रय की राशि की जानकारी निम्नानुसार हैः-

वर्ष 2012-13	रू. 102.86 करोड़
वर्ष 2013-14	रू. 141.12 करोड़
वर्ष 2014-15	रू. 58.60 करोड़ (दिनांक 30.11.14 तक)

(ग) जी हां । राज्य स्तर की प्रयोगशाला में परीक्षण पश्चात् निम्नानुसार औषधियां अमानक पायी गईः-

क्र	क्रय वर्ष	अमानक औषधि	फर्म का नाम
1	2012-13	जिंक सल्फेट टेबलेट	मेसर्स मेडिपोल फार्मास्यूटिकल्स इंडिया प्रा. लि. नई दिल्ली
		जिंक सल्फेट ओरल संस्पेंशन	
		पोवीडिन आयोडिन लोशन	मेसर्स रिडवर्ग फार्मास्यूटिकल्स लि.
2	2013-14	सिफलॉक्सिन ओरल सस्पेंशन ड्राई सिरप	मेसर्स मेक्समेड लाईफ साईंसेस लि. उत्तराखण्ड
		सालब्यूटोमाल सल्फेट	मेसर्स एड्रॉइड फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.
		मेट्रोनिडेजॉल टेबलेट	मेसर्स ला-केमिको प्रा. लि.
		मल्टी विटामिन टेबलेट	मेसर्स विल्क्योर रेमिडिज
3	2014-15	निरंक	

अमानक पायी गई दवाओं की निर्माता फर्मों के विरूद्ध दवा नीति 2009 एवं निविदा में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की गई एवं मेसर्स मेक्समेड लाईफ साईंसेस लि. उत्तराखण्ड की धरोहर राशि राजसात की गई तथा निर्माता कंपनी को संबंधित दवा के लिए अयोग्य घोषित किया गया । जानकारी परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है । शेष कंपनियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

परिशिष्ट- "चौबीस"

कुक्षी विधान सभा अंतर्गत प्राथमिक/हाईस्कूल/हायर सेकेन्ड्री को आवंटित राशि

107. **(क्र. 1383) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) कुक्षी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकण्डरी स्कूलों में होने वाली विभिन्न गतिविधियां, प्रायोजनों, रख रखाव आदि अन्य कार्यों के लिए गत 3 वर्षों में कितनी राशि आवंटित की गयी ? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में, प्राप्त राशि का व्यय कौन-कौन से कार्यों में किया गया ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला से संबंधित जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1** अनुसार एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी (ख) विद्यालयों को गत तीन वर्षो में प्रदान की गई राशि की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 2 एवं 3** अनुसार है ।

शालाओं में ई अटेन्डेन्स

108. **(क्र. 1385) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) ई अटेन्डेन्स विभाग में कब से एवं किन-किन जिलों में लागू की गई है ? इसे लागू करने के क्या कारण हैं ? (ख) क्या विद्यालय परिसर में मोबाईल फोन उपयोग पर इसके पूर्व शासन द्वारा लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया गया है, तो कब से ? (ग) क्या शिक्षकों को इसके लिए विभाग एण्ड्रायड फोन तथा इंटरनेट भत्ता उपलब्ध करवा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों नहीं ? (घ) क्या शिक्षक इसके लिए तैयार हैं ? यदि हां, तो योजना लागू होने से आज तक कुल शिक्षकों में से कितनों ने पंजीयन कराया है ? यदि नहीं, तो क्या शासन उक्त आदेश को समाप्त करेगा ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) बच्चों को प्रभावी एवं निर्बाध तरीके से शिक्षा प्रदाय करने के लिये यह आवश्यक हैं कि शासकीय शालाओं का शैक्षणिक स्टॉफ नियमित रूप से उपस्थित होकर अध्यापन कार्य करें । इस दृष्टि से मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र0 1928/2014/20-2 भोपाल दिनांक 29 नवंबर 2014 द्वारा पूरे प्रदेश में ई- अटेण्डेंस योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है । यह योजना वर्तमान में प्रदेश में केवल इंदौर संभाग के जिलों में पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू की गई है । इस हेतु म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्र0 1930/2014/20-2, भोपाल दिनांक 29 नवंबर 2014 के द्वारा आदेश जारी किए गए है । (ख)विद्यालय के वातावरण को व्यवधान मुक्त बनाने के लिये विद्यालय प्रांगण में मोबाईल लाना छात्रों हेतु प्रतिबंधित किया गया है, जबकि ई - अटेंडेंस योजनान्तर्गत में शिक्षकों द्वारा शाला में उनकी उपस्थिति तथा शाला प्रस्थान के समया मोबाईल की एप्लीकेशन में प्रविष्टि अंकित की जाना है । शिक्षकों द्वारा मोबाईल साईलेन्ट मोड पर रखा जाएगा । अतः

किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ग) जी नही, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) दिनांक 1.2.2014 की स्थिति में 12000 से अधिक शिक्षकों ने इंदौर संभाग में पंजीयन करा लिया है, शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

आयुक्त म.प्र. श्रम कल्याण मण्डल में अनियमितताएं

1. **(क्र. 13) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा कल्याण आयुक्त, म.प्र. श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल द्वारा श्रमिकों की योजनाओं में भ्रष्टाचार किये जाने एवं रिश्वत मांगे जाने विषयक पत्र दिनांक 04.08.2014 को मुख्य सचिव म.प्र. शासन को लिखा गया था, तथा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 3967/वि.क.अ./मु.स./2014 भोपाल दिनांक 12 अगस्त 2014 द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव, श्रम विभाग की ओर अंकित किया गया है ? **(ख)** यदि हां, तो उक्त पत्र में प्रमुख सचिव, श्रम विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी हॉ । **(ख)** शिकायत कर्ता प्रो. मनीष अग्रवाल (मनीष ट्रेडर्स) जबलपुर द्वारा दिनांक 04.08.2014 को शिकायत की गई तत्पश्चात उनके पत्र दिनांक 01.09.2014 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शिकायत दिनांक 04.08.2014 उनकी फर्म के नाम का दुरूपयोग तथा कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर झूठी शिकायत की गई है । विभाग द्वारा मनीष अग्रवाल से उनके पत्र दिनांक 01.09.2014 की पुष्टी चाही गई ।श्री अग्रवाल द्वारा दिनांक 03.11.2014 द्वारा पुष्टी की गई की पत्र दिनांक 01.09.2014 उनके द्वारा ही भेजा गया है । अत: प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

स्वीकृत एवं रिक्त पदों की पूर्ति

2. **(क्र. 38) श्री कमलेश्वर पटेल :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सीधी एवं सिंगरौली जिले में कितना स्टाफ पदस्थ है कितने डॉ. के पद रिक्त है कितने पेरामेडिकल के एवं अन्य स्टाफ कितने पदस्थ है, कितने पद स्वीकृत है कब तक भरे जाएंगे कितने सामुदायिक स्वा. केंद्र, उप स्वा. केंद्र प्रा. स्वा. केन्द्र स्वीकृत हुए हैं, कब तक संचालित किये जायेंगे, क्या स्टाफ स्वीकृत है ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ति होगी ? जिले में कितने भवन स्वीकृत हैं किन स्वा. केंद्रों में बाउण्ड्रीवाल नहीं है ? **(ख)** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कितने वाहन किराये पर लगाये गये हैं, उनका उपयोग किस-किस अधिकारी द्वारा किया जा रहा है ? **(ग)** एन.आर.एच.एम. में वर्ष 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 में किस-किस योजना से कितनी-कितनी राशि सिंगरौली सीधी जिले को प्राप्त हुई है ? प्राप्त राशि का व्यय कहां किस-किस कार्य में किया गया है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले मे पदस्थ स्टाफ की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ"** अनुसार । सीधी जिले में 06 सामुदायिक स्वा. केन्द्र, 25 प्रा.स्वा. केन्द्र, एवं 189 उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा 01 शहरी प्रा.स्वा. केन्द्र स्वीकृत है एवं सिंगरोली जिले में 06 सामुदायिक स्वा. केंन्द्र, 14 प्रा.स्वा. केंन्द्र, एवं 159 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है । जी हां । नियत मापदण्ड अनुसार रिक्त पदो की पूर्ती की कार्यवाही निरंतर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के माध्यम से जारी है । सीधी एवं सिंगरोली जिले की समस्त स्वास्थ्य संस्थाओ में भवन स्वीकृत हैं । बाउण्ड्रीवाल विहीन संस्थाओ की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब"** अनुसार । **(ख)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स"** अनुसार । **(ग)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द"** अनुसार । प्राप्त राशि का व्यय आशा कार्यक्रम,

स्वास्थ्य संस्थाओं हेतु मरम्मत, रोगी कल्याण समितियों हेतु अनुदान, अस्पतालों के सुदृढीकरण, आई.ई.सी./ बी.सी.सी. प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंव मानिंटरिंग, उपार्जन एंव अन्य गतिविधियों मे व्यय किया गया है ।

स्कूलों में बाउंड्रीवॉल एवं अतिरिक्त कक्ष का निर्माण

3. **(क्र. 43) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अशोकनगर जिले की चंदेरी व मुंगावली तहसील वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनांक तक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कहां-कहां पर शाला भवन अतिरिक्त कक्ष एवं बाउंड्रीवॉल स्वीकृत की गई व कितनी-कितनी राशि की ? **(ख)** कहां-कहां कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं व कहां-कहां अपूर्ण हैं व क्यों ? क्या बाउंड्रीवॉल का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व स्कूलों की भूमि का सीमांकन करवाया गया था ? **(ग)** क्या बिना सीमांकन किये बांउंड्रीवॉल निर्माण करने वाली निर्माण एजेंसियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ? **(घ)** कितनी जगह शौचालय व हैण्डपंप नहीं है व कब तक बन जायेगे तथा हैण्डपंप यदि है व बिगड़ गये हैं तो कब तक ठीक हो जायेगें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (**श्री पारस चन्द्र जैन**) **: (क)** अशोक नगर जिले की चंदेरी व मुंगावली तहसील में वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनांक तक निम्नानुसार कार्य स्वीकृत किए गए :-

क्र.	तहसील	शाला भवन		बाउंड्री वॉल		अतिरिक्त कक्ष		कुल कार्य	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
१	चंदेरी	८	७१.१२	-	-	२६४	६४.९४४	२७२	१३६.०६
२	मुंगावली	२	१७.७८	४	९.९	२८६	७०.३५६	२९२	९८.०३६
	कुल	१०	८८.९	४	९.९	५५०	१३५	५६४	२३४.१

जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - एक** पर है । **(ख)** अशोकनगर जिले की चंदेरी व मुंगावली तहसील में पूर्ण व अपूर्ण कार्यो का विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र.	कार्य का नाम	कुल कार्य	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	अपूर्ण रहने का कारण
१	शाला भवन	१०	३	७	कार्य प्रगति पर है
२	बाउंड्रीवाल	४	४	-	-
३	अतिरिक्त कक्ष	५५०	३१६	२३४	निर्माण एजेंसी की उदासीनता

पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - दो अनुसार । समस्त बाउंड्रीवाल के कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सीमांकन कराया गया है । **(ग)** प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है । **(घ)** तहसील चंदेरी व मुंगावली की जिन शालाओं में शौचालय व हैंडपंप नहीं है की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	कार्य का नाम	तहसील चंदेरी	तहसील मुंगावली	पूर्ण होने का समय
१	शौचालय विहीन	१८	४६	समय सीमा बताना संभव नहीं है ।
२	हैंडपंप विहीन	२९	४५	समय सीमा बताना संभव नहीं है ।

हैंडपंप का संधारण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग द्वारा किया जाता है । समय सीमा बताना संभव नहीं है।

सर्वशिक्षा अभियान के तहत प्राप्त धन राशि स्कूली प्राचार्यों को ट्रेनिंग के नाम पर आर्थिक अनियमितताएं

4. **(क्र. 88) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मेनेजमेंट एण्ड ट्रेनिंग (सीमेट) कब से लागू की गई, इस योजना का उद्देश्य क्या है और किन-किन प्रयोजनों के लिए भारत सरकार से किस मद/योजना में किन-किन वर्षों में कितनी-कितनी राशि राज्य सरकार को प्राप्त हुई एवं राज्य सरकार ने इन वर्षों में अपने मद से कितनी राशि दी ? **(ख)** सीमेट ट्रेनिंग के तहत अभी तक कितने प्राचार्यों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है ? इनमें से कितने सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा कितने प्राचार्यों की ट्रेनिंग अभी शेष है ? इस ट्रेनिंग से क्या स्कूल की प्रशासनिक व शैक्षणिक व्यवस्था को फायदा हुआ है ? **(ग)** उक्त ट्रेनिंग के लिए प्रति प्राचार्य पर व अन्य किन-किन व्यवस्था पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है एवं प्रश्न दिनांक तक कुल कितनी राशि व्यय की जा चुकी है तथा कितनी राशि शेष है ? **(घ)** क्या उक्त योजनान्तर्गत सीमेट का भवन एवं ऑटोनॉमस बॉडी बनाई गई है ? **(ड.)** क्या यह सही है कि उपरोक्त राशि व्यय करने में आर्थिक अनियमितताएं की गई है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी है ? यदि नहीं तो क्या व्यय राशि की जांच कराई जाएगी ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) प्रदेश में स्टेट इंस्ट्रीयूट ऑफ़ एजुकेशनल मेनेजमेंट एंड ट्रेनिग (सीमेट) दिनाक ०७-०१-२०१० से लागू की गई "जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1** अनुसार है ।" इस योजना क उद्देश्य स्कूल शिक्षा से संबधित प्रशासकीय अधिकारिओ प्रबंधकीय अधिकारियों को शैक्षिक प्रबंध का प्रशिक्षण प्रदान करना है । भारत सरकार से सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष २०१० में 3 करोड़ रुपये कार्पस बनाया गया है "जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1** अनुसार है ।" राज्य सरकार से प्रशिक्षण के लिए प्रशासन अकादमी को राशि दी जाती है "जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** के **प्रपत्र अ, ब, स, द एवं पत्र 2** अनुसार है ।" **(ख)** लोक शिक्षण संचालनालय एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा अभी तक 2942 प्राचार्यों को प्रशासन अकादमी भोपाल में प्रशिक्षण दिया गया है । इसमें से 57 प्राचार्य सेवानिवृत्त हो चुके है तथा 1405 प्राचायों की ट्रेनिंग शेष है । इस ट्रेनिंग से प्राचार्यो की नेतृत्व विकास में वृद्धि होने से शैक्षणिक व प्रशासनिक गुणवत्ता एवं व्यवस्थाओं मे सुधार हुआ है । **(ग)** दिनांक 01-08-10 से इस प्रशिक्षण में प्रतिदिन रूपये 588/- दिनांक 01-01-12 से रूपये 735/- तथा दिनांक 01-06-14 से रूपये 846/- प्रति प्राचार्य के लिए आवास, भोजन एवं प्रशिक्षण पर व्यय किया जाता रहा है । इस प्रशिक्षण पर अब तक कुल रूपये 76,45,950/- व्यय किए जा चुके है । वर्तमान में प्रशासन अकादमी के पास राशि रूपये 13,41,600/- (रूपये तेरह लाख इकतालीस हजार छः सौ मात्र) शेष है, जिससे प्राचार्यों का प्रशिक्षण जारी है । **(घ)** जी नहीं । **(ड)** इस राशि के व्यय में अभी तक किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

बालिकाओं को साईकिल वितरण में अनियमितताएं

5. **(क्र. 107) श्री विश्वास सारंग :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 1 जुलाई, 2009 से 30 जून, 2013 तक प्रदेश के कितने जिलों में बालिकाओं को बांटी गई साईकिल/साईकिल की राशि में अनियमितताएं हुई हैं ? जिलों के नामवार जानकारी दें ? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के तहत क्या यह सच है कि प्रश्नांश **(क)** अवधि में कैग ने साईकिलों की खरीदी में नियमों का पालन नहीं होने पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है ? किन-किन नियमों का पालन नहीं हुआ है ? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** व **(ख)** के तहत अनियमितताओं के लिए किस पदनाम/नाम के अधिकारी जिम्मेदार हैं ? क्या उन पर कोई कार्रवाई की जायेगी ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) कटनी, पन्ना एवं शिवपुरी के कुल 5 विद्यालयों में साईकिल की राशि आवंटन में अनियमितता हुई है । **(ख)** महालेखाकार के लेखा परीक्षण दल द्वारा अंकेक्षण के समय प्रश्नाधीन अवधि में क्रय की गई साईकिलों की पावती/उपयोगिता प्रमाण पत्र 6 जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध न होने संबंधी आपत्ति कैग द्वारा उठाई गई है । वर्तमान में उन 6 जिलों में भोपाल, रायसेन, इंदौर, दतिया, रीवा एवं उमरिया में उक्त अवधि के मध्य वितरित 155731 साईकिलों में से 110674 साईकिलों के उपयोगिता प्रमाण पत्र पावती प्राप्त हो चुकी है । शेष 45057 उपयोगिता प्रमाण पत्र/पावती प्राप्त किये जाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है । **(ग)** उत्तरांश ''क'' की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** अनुसार पर है । उत्तरांश ''ख'' के लिये कोई भी अधिकारी जिम्मेदार नहीं है । गुण-दोष के आधार पर/न्यायालयीन निर्णय अनुसार आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

<u>बी.आर.सी. की</u> <u>जानकारी</u>

6. **(क्र. 116) श्री विश्वास सारंग :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ब्लाक समन्वयक(बी.आर.सी.) के कितने पद भरे है ? कितने खाली है ? ब्लाकवार भरे पदवार,खाली पदवार नामवार जानकारी दें ? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के तहत उक्त ब्लाकों में पद कब से खाली हैं ? कब तक भर दिये जायेंगे ? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** व **(ख)** के तहत क्या बी.आर.सी. के पद पर अपात्र भी पदस्थ हैं ? यदि हां, तो किस-किस ब्लाक में ? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** , **(ख)** व **(ग)** के तहत कितने बी.आर.सी. की जिला/शासन को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? कितनी शिकायतों का प्रश्न दिनांक तक निराकरण हुआ ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत भोपाल जिले में बी.आर.सी.सी. के स्वीकृत 04 पदों में से 01 पद पर चयनित तथा 03 पदों पर प्रभारी कार्यरत है । जानकारी **संलग्न परिशिष्ट** अनुसार है । **(ख)** उत्तरांश 'क' अनुसार । **(ग)** उत्तरांश 'क' अनुसार । **(घ)** जिला एवं राज्य शिक्षा केन्द्र स्तर पर निरंक । शेषांश शासन से संबंधित ।

परिशिष्ट -"पच्चीस"

<u>स्कूलों में भृत्यों की कमी</u>

7. **(क्र. 117) श्री विश्वास सारंग :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल जिले के अंतर्गत आने वाले कितने प्राथमिक/माध्यमिक/हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में प्रश्न तिथि तक भृत्य नहीं है ? कारण बतायें कि क्यों नहीं है ? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** में वर्णित स्कूलों में भृत्य न होने के कारण स्कूलों की साफ-सफाई नहीं होती है ? यदि होती है तो कौन करता है ? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** व **(ख)** के तहत क्या साफ-सफाई छात्र-छात्राओं से करायी जाती है ? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** में वर्णित स्कूलों में कब तक भृत्यों की भर्ती हो जायेगी ? समय सीमा दें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) भोपाल जिले के अंतर्गत आने वाले 1117 प्राथमिक/ माध्यमिक/हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में भृत्य नहीं है । 821 प्राथमिक, 225 माध्यमिक एवं 29 हाईस्कूलों में पद स्वीकृत न होने एवं अन्य में सेवानिवृत्ति/मृत्यु आदि से पद रिक्त होने के कारण भृत्य नहीं है । (ख) जी नहीं । शालाओं में सफाई कार्य शाला प्रबंधन समिति द्वारा आकस्मिक निधि की राशि से कराया जाता है । (ग) जी नहीं । (घ) सभी प्राथमिक / माध्यमिक / हाईस्कूल में पद स्वीकृत होने एवं अनारिक्षत पदों पर भर्ती से प्रतिबंध हटने के उपरांत नियुक्ति की जा सकेगी । समय सीमा बताना संभव नहीं है ।

जिला चिकित्सालय शिवपुरी के ट्रामा सेंटर का संचालन

8. **(क्र. 123) श्री प्रहलाद भारती :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला चिकित्सालय शिवपुरी में स्थित ट्रामा सेंटर में स्टॉफ के कुल कितने पद स्वीकृत है व ट्रामा सेंटर प्रारंभ दिनांक से प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने पद भरे व कितने पद रिक्त है व शेष रिक्त पद कब तक भरे जावेंगे पद बार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ख)** क्या यह सही है, कि जिला चिकित्सालय शिवपुरी स्थित ट्रामा सेंटर में सी.टी. स्केन सुविधा उपलब्ध होना चाहिए । यदि हॉ तो अभी तक जिला चिकित्सालय शिवपुरी स्थित ट्रामा सेंटर में सी.टी. स्केन की सुविधा क्यों नहीं कराई गई व यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी समय सीमा बतावें ? **(ग)** क्या यह सही है, कि जिला चिकित्सालय शिवपुरी में डायलसिस यूनिट, थैलीसीमिया यूनिट एवं ईकोकार्डियोंग्राफी मशीनों की सुविधा उपलब्ध नहीं है, यदि हॉ तो क्या इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की कोई योजना है और उपरोक्त सुविधाऐं कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी समय सीमा बतावें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) प्रश्नांश की जानकारी **संलग्न परिशिष्ट पर** है । **(ख)** जी हाँ । सीटी स्केन की क्रय प्रक्रिया सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा की गई थी जो पूर्ण नहीं हो सकी है । कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । समय सीमा बताना संभव नहीं है । **(ग)** जी नहीं । डायलिसिस मशीन व यूनिट की स्थापना एवं इससे संबंधित आवश्यक अमले/सुविधाओं की व्यवस्था हेतु कार्यवाही प्रचलन में है । जिला चिकित्सालय शिवपुरी में थेलेसिमिया रोगियों की निःशुल्क रक्ताधान की व्यवस्था है तथा आवश्यक औषधियां निःशुल्क वितरण हेतु उपलब्ध हैं । इकोकार्डियोग्राफी मशीन वर्तमान में उपलब्ध नहीं है । एक मेडिकल विशेषज्ञ ईकोकार्डियोग्राफी में प्रशिक्षित है तथा इकोकार्डियोग्राफी मशीन हेतु प्रस्ताव मंगाया जा रहा है ।

परिशिष्ट -"छब्बीस"

मदरसों को अनुदान राशि का भुगतान

9. **(क्र. 157) श्री अंचल सोनकर :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन द्वारा मदरसों को वार्षिक अनुदान की राशि का भुगतान किया जाना है ? यदि हॉ तो वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में जबलपुर जिले के कितने मदरसों को अनुदान राशि प्रदान की गई ? मदरसों के नाम, राशि एवं भुगतान की तिथि बतावें ? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** यदि मदरसों को अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया गया है तो कारण बतावें ? यदि भुगतान किया जावेगा तो कब तक तिथि बतावें ? **(ग)** जबलपुर जिले में कुल कितने मदरसे संचालित हो रहे है एवं संचालित मरदसे क्या शासन द्वारा निर्धारित नियम का पालन कर रहे है? क्या समय समय पर इनकी जॉच होती है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हॉ । वित्तीय वर्ष 2013-14 में 89 मदरसों को अनुदान राशि दो किस्तों में भारत सरकार से प्राप्त होने के कारण दिनांक 29.3.14 एवं 27.6.14 को जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर के माध्यम से भुगतान किया गया है । मदरसों के नाम राशि एवं भुगतान की तिथि का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र** अनुसार है ।" वर्ष 2014-14 के अनुदान राशि आज पर्यन्त भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है । **(ख)** वर्ष 2013-14 के निरीक्षण में असंचालित पाये जाने पर केवल 03 मदरसों का भुगतान नहीं किया गया है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । **(ग)** जबलपुर जिले में कुल 114 मदरसे संचालित हैं जिसमें से केवल 92 मदरसे अनुदानित हैं । इनमें से 89 मदरसों को शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने के कारण भुगतान किया गया है । जी हॉ ।

<u>विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र भवनों के निर्माण एवं रिक्त पदों की पूर्ति</u>

10. **(क्र. 184) श्री कुँवरजी कोठार :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम संडावता में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन निर्मित है ? यदि हां, तो भवन का पूर्णत: उपयोग करने के लिए उपस्वास्थ्य केंद्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन करने की क्या कार्य योजना है ? **(ख)** राजगढ़ जिले के सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र में उपस्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सिविल चिकित्सालय कितने-कितने एवं कहां-कहां है ? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में दिये गये स्वास्थ्य केंद्रों एवं सिविल चिकित्सालय में कितने-कितने पद स्वीकृत है, तथा उनके विरूद्ध कितना स्टॉफ कार्यरत एवं कितने पद रिक्त है ? पदवार विवरण देवें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हां । संडावता में उपस्वास्थ्य केन्द्र संस्था स्वीकृत एवं संचालित है । उपस्वास्थ्य केन्द्र संडावता को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन की वर्तमान में कोई कार्ययोजना नहीं है । **(ख)** प्रश्न भाग की जानकारी **संलग्न परिशिष्ट** अनुसार है । **(ग)** प्रश्न भाग की जानकारी **संलग्न परिशिष्ट में अंकित** है ।

परिशिष्ट -"सत्ताईस"

<u>विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर अन्तर्गत विद्यालयों में शौचालय निर्माण</u>

11. **(क्र. 185) श्री कुँवरजी कोठार :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में शौचालयों निर्माण करवाने की योजना कब से लागू है ? **(ख)** वर्ष 2014-15 में राजगढ़ जिले की सारंगपुर विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में शौचालय निर्माण हेतु कितनी राशि उपलब्ध करायी गई है ? **(ग)** प्रश्न दिनांक तक शेष शालाओं में शौचालय निर्माण हेतु कितनी राशि की आवश्यकता होगी ? उक्त राशि शासन द्वारा कब तक प्रदाय कर शौचालयों का निर्माण कराया जावेगा ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) सर्वशिक्षा अभियान योजना अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में शौचालय निर्माण की योजना वर्ष 2006-07 से लागू है । **(ख)** वर्ष 2014-15 मे राजगढ़ जिले की सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में 253 शौचालयों के निर्माण हेतु रूपये 127.59 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है । **(ग)** शेष 98 शालाओं में बालिका शौचालय निर्माण हेतु रू. 95.45 लाख की आवश्यकता होगी । राशि की व्यवस्था हेतु कार्यवाही प्रचलन में है निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं ।

<u>सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों की वरिष्ठता सूची का प्रदाय</u>

12. **(क्र. 186) श्री कुँवरजी कोठार :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 1993 से वर्ष 1995 तक जिला शाजापुर (वर्तमान में जिला आगर को सम्मिलित करते हुये) के प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय में कितने-कितने सहायक शिक्षक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक कार्यरत थे ? वर्षवार एवं संस्थावार जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ख)** जिला शाजापुर (वर्तमान में जिला आगर को सम्मिलित करते हुये) अंतर्गत पदस्थ सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों को वरिष्ठतानुसार पदोन्नति दी गई है ? वर्ष 1993 से 1995 तक पदोन्नति की जानकारी उपलब्ध करावें ? वर्गवार पदोन्नत सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक की जानकारी वर्ष 1993 से 1995 तक की उपलब्ध करावें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) "जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1** अनुसार है ।" **(ख)** "जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2** अनुसार है ।"

उप स्वास्थ्य केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिला चिकित्सालय का निरीक्षण ऑडिट रिपोर्ट

13. **(क्र. 203) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भिण्ड जिले में उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण जिले एवं जिले से बाहर किन अधिकारियों ने किया ? क्या कमियां पाई गई ? वर्ष 2010 से प्रश्नांश दिनांक तक की जानकारी दें ? **(ख)** वर्ष 2010 से प्रश्नांश दिनांक तक जिला चिकित्सालय एवं सिविल सर्जन कार्यालय/मुख्य चिकित्सा स्वा.अ. का कार्यालय निरीक्षण किया ? क्या कमियां पाई गई ? **(ग)** वर्ष 2010 से प्रश्नांश दिनांक तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड के कार्यालय महालेखाकार ग्वालियर द्वारा ऑडिट आक्षेप पेरा अंकित किए गए, उनका निराकरण किया गया ? प्रश्नांश तक कौन से ऑडिट पेरा लंबित हैं ? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** में महालेखाकार ग्वालियर द्वारा कौन-कौन से वर्ष की ऑडिट नहीं की गई ? विभागीय ऑडिट कब तक हो चुकी है ? क्या कमियॉ पाई गई ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) प्रश्न भाग की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ"** अनुसार । **(ख)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब'** अनुसार । **(ग)** प्रश्न अवधि में कुल 18 ऑडिट आक्षेप पैरा अंकित किए गए, इनमें से 12 का निराकरण किया गया एवं शेष 6 लंबित पैरा की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स"** अनुसार । **(घ)** महालेखाकार ग्वालियर द्वारा अक्टूबर 2013 तक की ऑडिट की जा चुकी है । सभी वर्षों की विभागीय ऑडिट 31 मार्च 2014 तक की जा चुकी है । विभागीय ऑडिट में चार्डट अकाउन्टेंट द्वारा पाई गई कमियों की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द'** अनुसार ।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाऐं

14. **(क्र. 205) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि तह. मुंगावली, जिला अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण की क्या-क्या योजनायें हैं उन योजनाओं से विगत 5 वर्षों में कितने हितग्राही लाभांवित हुए हैं ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर विधान सभा क्षेत्र में पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण की हितग्राही मूलक योजनाओं में मुख्यमंत्री पिछडा वर्ग स्वरोजगार एवं अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजनायें हैं, इन योजनाओं से विगत 05 वर्षो में 08 हितग्राही लाभांवित हुए हैं ।

विभाग द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यो के संबंध में

15. **(क्र. 218) श्री कालुसिंह ठाकुर :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** धार जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शैक्षाणिक संस्थाओं हेतु विगत पॉच वर्षो में कितने नवीन भवनों के निर्माण कार्यो की स्वीकृत प्रदान की गई, तथा कितनी संस्थाओ में बाउण्ड्री वॉल/शौचालय, किचन शेड आदि निर्माण के कार्य स्वीकृति किये गये तथा उनमें से कितने प्रारंभ हुए व कितने पूर्ण हुए एवं कितने अपूर्ण/प्रगति पर है ? वर्षवार, संस्थावार, मय स्वीकृत लागत, व्यय की गई राशि,

तथा कार्य की वर्तमान भोतिक स्थिति की जानकारी विधानसभा क्षेत्रवार कार्यवार उपलब्ध करावे ? **(ख)** उपरोक्त कार्यो में से कितने कार्य लम्बे समय से स्वीकृत/प्रारंभ होकर वर्तमान में भी अपूर्ण है, विधानसभावार कार्यवार बतावें ? तथा लंबित रहने का कारण व उसके लिये जिम्मेदारों के विरूद्ध विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? तथा कार्यवाही में लापरवाही बरतने पर जिले के विभाग प्रमुख के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है, या की जावेगी ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (**श्री ज्ञान सिंह**) **: (क)** धार जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं हेतु विगत 5 वर्षों में 27 नवीन भवनों की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा संचालित संस्थाओं में 15 अतिरिक्त कक्ष, 02 बाउण्ड्रीवाल तथा 10 शौचालय निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये, इनमें से 42 कार्य पूर्ण एवं 12 कार्य अपूर्ण/प्रगति पर है । वर्षवार, संस्थावार, मय स्वीकृत लागत, व्यय राशि तथा कार्य की भौतिक प्रगति की जानकारी विधान सभा क्षेत्रवार, कार्यवार **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–"अ" एवं "ब" में उल्लेखानुसार** है । **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–"अ" एवं "ब"** पर है । **(ख)** जानकारी परिशिष्ट–"स" अनुसार है । कार्यों में लापरवाही न होने से किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है । **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–"स"** पर है ।

विभागीय विश्रामगृह का संचालन

16. **(क्र. 219) श्री कालुसिंह ठाकुर :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** धार जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र की नगर परिषद माण्डव स्थित आदिम जाति कल्याण विभाग के विश्राम गृह गंगा जमुना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है ? तथा विश्राम गृह से विभाग को विगत पॉच वर्षो में कितनी आय प्राप्त हुई है ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध कराई जावें ? **(ख)** उपरोक्त विश्राम गृह के संचालन (रखरखाव) पर विभागीय मद से कितनी राशि व्यय की गई ? तथा विश्राम गृह की देखरेख हेतु कितने कर्मचारी नियुक्त है ? तथा उनके वेतन/मानदेय पर कितनी राशि भुगतान की गई ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (**श्री ज्ञान सिंह**) **: (क)** प्रश्नांश अंतर्गत विश्रामगृह का संचालन, नगर दण्डाधिकारी, धार द्वारा किया जाता है । वर्ष 2009-10 में रूपये 4,300/-, वर्ष 2010-11 में रूपये 4,420/-, वर्ष 2011-12 में रूपये 14,250/-, वर्ष 2012-13 में रूपये 23,500/- तथा वर्ष 2013-14 में रूपये 3,700/- की आय हुई । **(ख)** रख-रखाव पर विभागीय मद से कोई राशि नहीं दी गई, और नां ही कोई कर्मचारी नियुक्त किये गये । अतः वेतन/मानदेय का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्योपुर के नगरीय निकायों में अध्यापको की नियुक्ति

17. **(क्र. 236) श्री रामनिवास रावत :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** श्योपुर जिले के किन-किन निकायों (जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ नगरपालिका/ नगरपंचायत) में अध्यापक संवर्ग की पदोन्नति हेतु कितने पद आरक्षित कर कितने-कितने पदों पर सहायक अध्यापक, अध्यापकों की पदोन्नति कर दी गई है ? कितने पद पदोन्नति हेतु रिक्त हैं ? निकायवार जानकारी दें ? शेष पदों पर कब तक पदोन्नति कर दी जावेगी ? **(ख)** क्या यह सही है कि श्योपुर जिले की नगरपालिका/नगर पंचायतों में पदस्थ अधिकारियों की उदासीनता के कारण अध्यापक संवर्ग की पदोन्नति की कार्यवाही प्रारंभ ही नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्या शासन इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण कर श्योपुर जिले की नगरपालिका/नगरपंचायतों में पदस्थ अध्यापकों की पदोन्नति प्रक्रिया शीर्घ्र पूर्ण कर आदेश जारी करने के निर्देश प्रदान करेगा ? यदि हां, तो कब तक पदोन्नति आदेश जारी कर दिए जावेंगे ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : क- जानकारी निम्नानुसार है-

क्र	निकाय का नाम	फीडर एवं पदोन्नत पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	पदोन्नति किए गए पद की संख्या	रिक्त पद की संख्या
1	जिला पंचायत	सहायक अध्यापक से अध्यापक	221	145	76
2	जिला पंचायत	अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक	07	04	03
3	नगर पालिका श्योपुर	अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक	02	-	02
4	नगर परिषद विजयपुर	अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक	02	01	01

पदोन्नति एक सतत प्रक्रिया है । समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है । ख- प्रश्नांश **(क)** के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । पदोन्नति हेतु पदोन्नत पद की उपलब्धता, वरिष्ठता एवं पात्रता का प्रावधान है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

मान.स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन पर कार्यवाही

18. **(क्र. 237) श्री रामनिवास रावत :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता की ध्यानाकर्षण सूचना क्र. 149 दिनांक 27.02.13 में सदन में चर्चा के दौरान मान. स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 28.02.13 को जिला श्योपुर की तहसील वीरपुर में नसबंदी शिविर में ऑपरेशन के दौरान मृत महिलाओं के पतियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता अनुसार शासकीय सेवा में लिए जाने का आश्वासन दिया था ? तो उन्हें शासकीय सेवा में लिए जाने के संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार माननीय मंत्री द्वारा मीडिया एवं विधानसभा में दिए गए आश्वासन अनुसार मृतकाओं के पतियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति दिए जाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा मा. मंत्री जी को लिखे गए पत्र क्रमांक 5001 दिनांक 04.03.14 एवं क्रमांक 3104 दि. 03.09.14 पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो कब तक कार्यवाही की जाकर प्रश्नकर्ता को अवगत करा दिया जावेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ । माननीय मंत्रीजी द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि मृतक के पति को कहीं न कहीं शासकीय सेवा में स्थान देगें । **(ख)** यद्यपि स्वास्थ्य विभाग में नसबंदी शिविर में ऑपरेशन के दौरान मृत महिलाओं के पति को शासकीय नौकरी दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है । तथापि प्रश्नकर्ता का पत्र क्रमांक बी.पी.एल.-29, दिनांक 15/07/2014 विभाग में प्राप्त हुआ है, जो नियमानुसार कार्यवाही हेतु संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश को भेजा गया है । संचालक, एन.आर.एच.एम. मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 7776, दिनांक 19/09/2014 द्वारा मृतकाओं के पति को रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत योग्यता अनुरूप रिक्त पदों पर नियमानुसार नियुक्ति देने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला श्योपुर को लिखा गया है, कार्यवाही प्रचलन में है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत प्राप्त राशि

19. **(क्र. 291) श्री रामलाल रौतेल :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनुपपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत पंपों का ऊर्जीकरण आदिवासी मजरे टोलों में विद्युतीकरण तथा एकल बत्ती कनेक्शन हेतु कितनी राशि प्राप्त हुई है ? वर्षवार जानकारी प्रदान करें ? **(ख)** एकल बत्ती कनेक्शनधारी, ऊर्जीकरण के कृषक की संख्या तथा निविदाकार का नाम/कार्य की लागत/दर/लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या सहित सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करें ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क)

वर्ष	योजना (मद)		
	कृषकों के पंपो का उर्जीकरण	**मजरे/टोलों में विद्युतीकरण**	**एकलबत्ती कनेक्शन**
2010-11	1797000.00	निरंक	156000.00
2011-12	6847000.00	756000.00	487000.00
2012-13	14629000.00 वर्ष 2012-13 में तीनों योजनाओं को एक कर दिया गया है		

(ख) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट –"एक" "**अनुसार है ।

डी.एफ.आई.डी./आर.सी.एच. कार्यक्रम में प्राप्त आवंटन

20. **(क्र. 292) श्री रामलाल रौतेल :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला-अनूपपुर अन्तर्गत एकीकृत जिला स्वास्थ्य कार्य-योजना के तहत डी.एफ.आई.डी. कार्यक्रम तथा आर.सी.एच. कार्यक्रम में संचालित गतिविधियों के लिये वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में स्वीकृत बजट क्या है ? **(ख)** प्राप्त आवंटन में से किस-किस शीर्ष में कितना खर्च किया गया है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी परिशिष्ट -अ पुस्तकालय में रखे अनुसार । **(ख)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" (पृष्ठ क्र. 1 से 10)** अनुसार ।

विद्यालयों में रिक्त पद एवं गणवेशों का विवरण

21. **(क्र. 312) श्री कमलेश्वर पटेल :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सीधी जिले के विधान सभा क्षेत्र सिहावल में शिक्षकों के कितने पद रिक्त है पद पूर्ति बावत क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? **(ख)** सीधी जिले में वर्ष 2014-15 में कितने प्राथमिक/माध्यमिक /हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने एवं उन्नयन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? **(ग)** सीधी जिले के अंतर्गत ऐसी कितनी शालायें हैं जहां वर्ष 2013-2014 में गणवेश व छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की गई है ? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** ऐसे कितनी शिक्षण संस्थायें हैं जिनके पास स्वयं का भवन व खेल मैदान नहीं है ? नाम सहित, विद्यालय भवन बनाने व खेल मैदान उपलब्ध कराये जाने की समय-सीमा बतायें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) सीधी जिले के सिहांवल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शिक्षकों के 751 पद रिक्त है । उक्त विघालयों में पद पूर्ति हेतु संविदा शाला शिक्षक की भर्ती की कार्यवाही प्रचलित हैं साथ ही अतिथि शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है । **(ख)** कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । वर्ष

2014-15 में सीधी जिले का हाईस्कूल बारी एवं शासकीय हाईस्कूल जी.एच.एस.पडारी हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयत किया गया है । **(ग)** सभी विघालयों में वर्ष 2013-14 की छात्रवृत्ति का वितरण किया जा चुका है । **(घ)** सीधी जिले के विधान सभा सिंहावल में स्वभवन विहीन हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री स्कूल की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** अनुसार । प्राथमिक शिक्षा गारंटी शाला घोपारी लिलहवा, प्राथमिक सेटेलाइट शाला बलियार केउटान तथा प्राथमिक सेटेलाइटशाला बजट उपलब्ध करा दिया गया है । भवन निर्माण एंव खेल मैदान का उपलब्धता सतत् प्रक्रिया है, समय सीमा बताया संभव नहीं है ।

<u>स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सालयों को दवाईयां उपलब्ध कराने एवं जांचो के संबंध में</u>

22. **(क्र. 334) श्री मेव राजकुमार :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खरगोन जिले को वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनांक तक प्रतिवर्ष कौन-कौन सी कितनी मात्रा में एवं कितनी राशि की दवाईयां एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराई गई एवं जिला चिकित्सालय द्वारा कौन-कौन से चिकित्सालयों को कितनी-कितनी मात्रा में दवाईयां एवं सामग्री कितनी-कितनी राशि की उपलब्ध कराई गई ? कौन-कौन से चिकित्सालय में कौन-कौन सी जांचे नि:शुल्क की जाती हैं एवं कौन-कौन सी जांचों का कितना-कितना शुल्क लिया जाता है ? **(ख)** खरगोन जिले में कितनी रोगी कल्याण समितियां कहां-कहां कार्य कर रही है ? क्या रोगी कल्याण समिति की नियमानुसार बैठकें आयोजित हो रही हैं ? यदि हॉ, तो रोगी कल्याण समिति द्वारा लिये गये निर्णयों पर कार्य किया जा रहा है ? कार्यरत प्रत्येक रोगी कल्याण समिति की विगत 2010-11 से प्रश्न दिनांक तक प्रतिवर्ष कितनी आय हुई एवं आय के अनुपात में रोगी कल्याण समिति के अनुमोदन पर कौन-कौन सी दवाईयां कितनी राशि की क्रय की गईं तथा कौन-कौन से कार्य कितनी लागत के किये गये ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) खरगौन जिले को वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनांक तक प्रतिवर्ष कौन-कौन सी कितनी मात्रा में एवं कितनी राशि की दवाईयां एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराई गई का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'एक'** अनुसार है । जिला चिकित्सालय द्वारा कौन-कौन से चिकित्सालयों को कितनी-कितनी मात्रा में दवाईयां एवं सामग्री कितनी-कितनी राशि की उपलब्ध कराई गई का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'दो'** अनुसार है । वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक खरगौन जिलें के चिकित्सालयों में की जाने वाली जांचों एवं शुल्क का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'तीन'** अनुसार है । वर्ष 2013-14 से प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में निर्धारित जांचे निशुल्क की जाती है एवं कोई शुल्क नहीं लिया जाता है । **(ख)** खरगौन जिलें में कुल 59 रोगी कल्याण समिति पंजीकृत है । विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'चार'** अनुसार है । रोगी कल्याण समिति की नियमानुसार बैठकें आयोजित होती हैं । वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनांक तक आय एवं व्यय की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट तीन** में दी गई है ।

<u>अनुसूचित जन जाति बस्ती क्षेत्र विकास मद से कार्यों की स्वीकृति के संबंध में</u>

23. **(क्र. 335) श्री मेव राजकुमार :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनुसूचित जन जाति बस्ती क्षेत्र विकास मद में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में बजट प्रावधान के अनुपात में इंदौर संभाग में कितना-कितना आवंटन किस-किस जिले को किया गया ? **(ख)** प्रश्न **(क)** के संदर्भ में आवंटन के अनुपात में कितने-कितने कार्य स्वीकृत किये गये, कितने कार्य पूर्ण हुये, कितने प्रगतिरत होकर अपूर्ण है एवं कितने कार्य अप्रारंभ ? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावे ? **(ग)** खरगोन जिले में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में प्राप्त आवंटन से विकासखण्डवार कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गई

एवं उपलब्ध आवंटन के अनुपात में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये जाकर कार्य पूर्ण किये गये ? कितने कार्य अपूर्ण होकर प्रगतिरत है एवं कितने कार्य अप्रारंभ है ? **(घ)** अनुसूचित जन जाति क्षेत्र विकास मद की राशि से कार्य करने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा कब-कब कितने-कितने कार्यों की स्वीकृति हेतु कितने कार्यो के प्रस्ताव दिये गये ? प्रस्तावित कार्यों में से से वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कितने कार्य कितनी राशि के स्वीकृत किये गये ? वर्तमान में कितने कार्य अपूर्ण होकर प्रगतिरत है एवं कितने कार्य अप्रारंभ है ? कितने कार्य शासन स्तर पर स्वीकृति हेतु कितनी अवधि से लंबित है ? यदि लंबित है तो कब तक उनका निराकरण किया जावेगा, बतावें ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (**श्री ज्ञान सिंह**) **: (क)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ"** अनुसार । **(ख)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब"** अनुसार । **(ग)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स"** अनुसार । **(घ)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द"** अनुसार ।

<u>जिला चिकित्सालय इंदौर में बेड बढ़ाने व एनआईसीयू बाबत्</u>

24. **(क्र. 358) श्री महेन्द्र हार्डिया :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इंदौर स्थित जिला चिकित्सालय में कितने बेड स्वीकृत हैं ? इनकी स्वीकृति कौन-कौन से वर्ष में हुई थी ? **(ख)** क्या इंदौर की जनसंख्या की वृद्धि को देखते हुए शासन की जिला चिकित्सालय में बेड की संख्या बढ़ाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? **(ग)** जिला चिकित्सालय में बच्चों के लिए एनआईसीयू कब तक प्रारंभ किया जावेगा ? **(घ)** जिला चिकित्सालय को ट्रामा सेन्टर हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? व कब की गई है ? ट्रामा सेन्टर कब तक प्रारंभ किया जावेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) इन्दौर जिला चिकित्सालय में 100 बेड स्वीकृत है । इसकी स्वीकृति वर्ष 1987 में हुई थी । **(ख)** जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । **(ग)** जिला चिकित्सालय में बच्चों के लिए एन.आई.सी.यू. की स्थापना की कार्यवाही प्रचलन में है । निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है । **(घ)** जिला चिकित्सालय इन्दौर में ट्रामा सेंटर हेतु भवन निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण अभी तक राशि स्वीकृत नहीं हुई । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>नमकीन मजदूरों के स्वास्थ्य के संबंध में</u>

25. **(क्र. 384) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मन्दसौर जिले में कितने नमकीन उद्योग संचालित हैं ? क्या शासन द्वारा इनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है ? क्या नमकीन दुकानों एवं उद्योगों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधि कोई सुविधा प्रदान की जाती है ? **(ख)** क्या यह सही है कि तेज भट्टी पर सेव एवं अन्य नमकीन का निर्माण करने वाले इन श्रमिकों के फेंफड़े, मस्तिष्क एवं स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है ? ऐसे कितने प्रकरण श्रम विभाग के पास संज्ञान में हैं, जानकारी देवें ? **(ग)** क्या नमकीन दुकानों एवं उद्योगों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का श्रम विभाग के पास रजिस्ट्रेशन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या नमकीन निर्माण भट्टी पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में शासन के पास कोई नीति है ? यदि हां, तो अवगत करावें ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) मंदसौर जिले में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत 68 नमकीन दुकानें/स्थापनाएं पंजीबद्ध हैं । कारखाना अधिनियम, 1948 में कोई नमकीन निर्माण संबंधी कारखाना पंजीकृत नहीं है । नमकीन दुकानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी सुविधायें मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अनुसार प्रदान की जाती हैं । **(ख)** जी नहीं, ऐसा कोई प्रकरण श्रम विभाग के स्थानीय कार्यालय के संज्ञान में नहीं आया है । **(ग)** कर्मचारयों के रजिट्रेशन करने के कोई प्रावधान नहीं है । कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में केन्द्र सरकार की कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत पात्रता रखने वाले कर्मचारी लाभ प्राप्त कर सकते हैं ।

स्कूल नेशनल में अनियमितता

26. **(क्र. 385) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र.स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किन-किन खेलों में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कहां कहां म.प्र. की टीम ने प्रतिनिधित्व किया है ? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के अनुसार खिलाड़ियों को नेशनल गेम में क्या-क्या सुविधाओं का लाभ दिया जाता है ? **(ग)** उक्त सत्र में बालिकाओं के साथ अन्यत्र प्रदेशों में म.प्र.टीम के साथ कौन-कौन से प्रशिक्षक किस-किस विद्यालय के साथ गए ? क्या यह सही है कि निजी प्रशिक्षक भी इन टीमों के साथ सरकारी खर्च पर अन्य प्रदेशों में प्रतियोगिता हेतु जाते है ? यदि हां तो किस नियम के तहत जानकारी दें ? **(घ)** क्या यह सही है कि नेशनल केम्प में जाने के लिये विद्यार्थी स्वंय के व्यय से केम्प स्थल तक जाते हैं ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ"** पर है । **(ख)** गणवेश, स्वल्पाहार, आवास, भोजन एवं यात्रा व्यय । **(ग)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "ब"** पर है । ऐसे खेल जिनमें शासकीय प्रशिक्षक उपलब्ध नहीं हैं उन खेलों हेतु निजी स्कूलों के प्रशिक्षक भी टीम के साथ शासकीय व्यय पर अन्य प्रदेशों में जाते है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । **(घ)** जी नहीं ।

सर्व शिक्षा अभियान में प्राप्त राशि

27. **(क्र. 398) श्री प्रताप सिंह :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2013-14 से अभी तक दमोह जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कितनी राशि का आवंटन प्राप्त हुआ है ? जिले की चारों विधानसभाओं में कितनी राशि अभी तक व्यय की गई है ? **(ख)** जिला क्रय समिति की बैठक कब-कब आयोजित की गई ? बैठक के अनुमोदन उपरांत क्रय की गई सामग्री पर कितनी राशि व्यय की गई ? **(ग)** वर्ष 2013-14 से अभी तक स्वीकृत निर्माण कार्य में कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने अपूर्ण है ? अपूर्ण कार्य पूर्ण न किये जाने हेतु कौन जिम्मेदार है, विभाग द्वारा अनुबंध के अनुरूप दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) वर्ष 2013-14 से अभी तक दमोह जिले में सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत आवंटित तथा व्यय राशि की मदवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -1 पर है । **(ख)** जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है । **(ग)** जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर है । अपूर्ण कार्य प्रगतिरत है अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नही होता ।

आदिम जाति विभाग द्वारा व्यय राशि

28. **(क्र. 399) श्री प्रताप सिंह :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दमोह जिले के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति विकास बस्ती सुधार योजना एवं छात्रावास मरम्मत मद के अंतर्गत कितना आबंटन वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त हुआ ? प्राप्त आबंटन में से जिले के 7 विकासखंडो की किन-किन ग्राम पंचायतों को कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये ? **(ख)** कार्य स्वीकृति की क्या नीति है ? क्या कार्य स्वीकृति सरपंच ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर विभाग द्वारा सीधे की जाती है अथवा क्षेत्रीय विधायक की अनुशंसा पर की जाती है ? क्या क्षेत्रीय विधायक अन्य क्षेत्र में भी कार्य स्वीकृति हेतु अनुशंसा कर सकते हैं ? क्षेत्रीय विधायक की अनुशंसा पर क्षेत्र में कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत किये गये ? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित मदों से हुए निर्माण कार्य कितने पूर्ण हैं एवं कितने अपूर्ण हैं ? स्वीकृत कार्यों की निगरानी किस-किस अधिकारी द्वारा की गई ? क्या कार्य मानक स्तर का अथवा अमानक स्तर का पाया गया, यदि कार्य अमानक स्तर का पाया गया है, तो उसका कार्यवार विवरण बतावें तथा दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"क"** अनुसार है । **(ख)** प्रश्नांश अन्तर्गत स्वीकृति विभागीय आदेश 8.11.2005 तथा अनुसूचित बस्ती विकास नियम 2005 एवं समय-समय पर संशोधित नियम अनुसार की जाती है । ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव की स्वीकृत नियमानुसार की जाती है, इसमें क्षेत्रीय विधायक की अनुशंसा आवश्यक नहीं है । शेष जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब"** अनुसार है । **(ग)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स"** अनुसार है ।

बी.आर.सी. खोले जाने संबंधी

29. **(क्र. 400) श्री प्रताप सिंह :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दमोह जिले की विधानसभा क्षेत्र जबेरा क्षेत्र अंतर्गत अभी तक कितने आवासीय ब्रिज कोर्स (आरबीसी) कहां-कहां खोले गये तथा उन पर कितनी राशि व्यय की गई ? **(ख)** क्या संचालित आवासीय ब्रिज कोर्स का जिले के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है ? यदि हां, तो अधिकारियों का नाम बतावें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ"** अनुसार है । **(ख)** जानकारी **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब"** अनुसार है ।

परिशिष्ट -"अट्ठाईस"

म.प्र. अनु. जाति और जनजाति (आकस्मिक योजना) अधिनियम, 1995 की धारा 10 (2) के अन्तर्गत अनुकम्पा नियुक्ति

30. **(क्र. 414) श्री मानवेन्द्र सिंह :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में म.प्र. अनु. जाति और जनजाति (आकस्मिक योजना) अधिनियम 1995 की धारा 10(2) के तहत मृतक की विधवा अथवा संतानों/आश्रितों में से किसी एक को तीन माह के अंदर शासकीय सेवा में अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है ? **(ख)** क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति के श्री बलराम अहिरवार, निवासी ग्राम टीला, तहसील नौगॉव, थाना अलीपुरा, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश की दि. 05.06.2012 को हत्या हुई थी, हॉ, तो सुस्पष्ट करें और उक्त वर्णित अधिनियम के तहत उक्त मृतक

की विधवा पत्नी को अनुकम्पा नियुक्ति देने के संबंध में कलेक्टर, छतरपुर (आदिम जा.क.) के पत्र क्र. /स्था./2012-13/4998 दिनॉक 10.10.2012 के द्वारा जिला शिक्षा अधि., छतरपुर को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे ? **(ग)** क्या जिला प्रशासन अधिकारी के उक्त पत्र के पालन में उक्त विधवा महिला को उक्त अधिकारी द्वारा प्रश्न दिनॉक तक अनुकम्पा नियुक्ति आदेश प्रदान कर दिया गया है ? हॉ, तो आदेश की प्रति देवें यदि नहीं, तो समय-सीमा के प्रकरण में अतिविलंब के लिए कौन अधि. दोषी है ? **(घ)** शासन उक्त पीड़िता के पक्ष में अपेक्षित अनुकम्पा नियुक्ति आदेश जारी करेगा ? हॉ, तो कब तक ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ । **(ख)** जी हाँ । **(ग)** एवं **(घ)** जी हाँ । आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ"** अनुसार है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

छतरपुर जिले में छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितताएं

31. **(क्र. 416) श्री मानवेन्द्र सिंह :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश स्तर से छतरपुर जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग को वित्तीय वर्ष, 2012-13 से वर्ष, 2013-14 तक छात्रवृत्ति की राशि वितरण हेतु प्रदाय की गई है ? यदि हां, तो जिला छतरपुर के आ.जा.क. विभाग को उक्तावधि में कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई, वर्षवार राशि बताएं ? **(ख)** क्या प्रश्नांक **(क)** के उत्तर में उल्लिखित उक्त छात्रवृत्ति की राशियां आ.जा.क.वि. द्वारा छतरपुर जिले के शास./अशास. (स्कूल, कॉलेज, बी.एड. कॉलेज आदि) संस्थाओं को आवंटित की गई है ? **(ग)** क्या उक्त संस्थाओं के प्रमुखों द्वारा उक्त राशि छात्र/छात्राओं को नगद प्रदाय की गई है ? हां, तो बड़े-बड़े अमाउण्ट की राशि बैंक/ड्राफ्ट से प्रदान न किए जाने का कारण सुस्पष्ट करें ? **(घ)** क्या यह सही है कि कुछ संस्थाओं के प्रमुखों द्वारा उक्त वर्षों की छात्रवृत्ति की राशियाँ आहरित कर नगद वितरण कर बड़ी मात्रा में शासकीय राशि का घोटाला किया गया है ? हां, तो आ.जा.क.वि. द्वारा प्रश्न दिनांक तक वितरित छात्रवृत्ति के क्रॉस वेरीफिकेशन के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई, जिससे यह सिद्ध हो सके कि उक्त वर्षों में वितरित नगद राशि पात्र छात्र/छात्राओं को ही प्राप्त हुई है, स्पष्ट करें ? **(ड.)** यदि नहीं, तो शासन, छतरपुर जिले में उक्त वर्षों से वितरित कराई गई छात्रवृत्ति की राशि का क्रॉस वेरीफिकेशन कराने के निर्देश जारी करेगा तथा क्रॉस वेरीफिकेशन में अनियमितताएं पाए जाने पर दोषी संस्था प्रमुखों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगा ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ । **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" एवं परिशिष्ट-"ब"** अनुसार । **(ख)** जी नहीं । वर्ष 2012-13 में छतरपुर जिले में संकुल प्राचार्यो से प्राप्त स्वीकृतियों के आधार पर राशि का अन्तरण संकुल संस्थाओं के बैंक खातों में किया है । वर्ष 2013-14 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं शुल्क की राशि नियमानुसार विद्यार्थियों के बैंक खातों में अन्तरण की गई है । **(ग)** जी नहीं । संस्थाओं के प्रमुखों द्वारा नगद राशि वितरित किये जाने के संबंध में कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है । **(घ)** जी नहीं । नगद वितरण का प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है । अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । **(ड़)** कार्यालयीन पत्र क्रमांक-पीएमए/2013/21705 दिनांक 20.11.2013 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं । विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

एन.जी.ओ. द्वारा किए जाने वाले कार्य

32. **(क्र. 452) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभाग द्वारा छतरपुर जिले में केन्द्र/ राज्य द्वारा पोषित/ संरक्षित योजनाओं का क्रियान्वयन एन.जी.ओ. या अन्य गैर सरकारी माध्यम द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से किया जा रहा है ?

(ख) प्रश्नांश **(क)** हां है, तो विगत 3 वर्ष में किन-किन योजनाओं का क्रियान्वयन किस-किस एन.जी.ओ. के द्वारा किया गया ? इन पर कितना व्यय हुआ ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हॉ । **(ख)** विगत 3 वर्षों में एन.जी.ओ. द्वारा कराए गए कार्य तथा व्यय का विवरण निम्नानुसार है :-

योजना/गतिविधि का नाम	**संस्था का नाम जिसके द्वारा कार्य कराया गया**	**संस्था को किया गया भुगतान (राशि रूपये में)**		
		2011-12	2012-13	2013-14
आशा कार्यकताओं का प्रशिक्षण	दर्शना महिला कल्याण समिति, छतरपुर	3848106	4149179	4276147
मोबाईल मेडीकल यूनिट का संचालन	कम्यूनिटी एक्शन थ्रू मोटिवेशन कैम्प, रीवा		6670271	6486000

<u>होम्योपेथिक एवं आयुर्वेदिक स्वास्थय केन्द्रों में ओ.पी.डी की</u> जानकारी **<u>के संबंध में</u>**

33. **(क्र. 465) इन्जी. प्रदीप लारिया :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सागर जिले अंतर्गत कितने होम्योपेथिक औषधालय एवं आयुर्वेदिक औषधालय संचालित है ? **(ख)** नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित होम्योपेथिक औषधालय एवं आयुर्वेदिक औषधालय में विगत 02 वर्षो की माहवार कितनी ओ.पी.डी. (मरीज संख्या) रही ? प्रत्येक औषधालय की अलग-अलग जानकारी देवें ? **(ग)** यदि औषधालय में शासन की मंशा अनुसार ओ.पी.डी. (मरीज संख्या) कम है तो इसका क्या कारण रहा ? विभाग की ओर से इस ओर क्या कार्यवाही की जा रही है की ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) सागर जिले अन्तर्गत निम्नलिखित आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक औषधालय संचालित है । 1. आयुर्वेद चिकित्सालय सागर-01, 2. आयुर्वेद औषधालय-49, 3. होम्यापैथिक औषधालय-08, **(ख)** जानकारी **संलग्न परिशिष्ट** अनुसार । **(ग)** नरयावली विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत संचालित 11 औषधालयों में से 06 औषधालय चिकित्सक विहीन है । चिकित्सक विहीन औषधालयों में चिकित्सको की नियुक्ति हेतु भर्ती की कार्यवाही प्रचलन में है ।

परिशिष्ट -"उन्तीस"

<u>रजक धोबी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना</u>

34. **(क्र. 467) श्रीमती नीना वर्मा :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. शासन द्वारा धोबी/रजक समाज को सम्पूर्ण म.प्र. में अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव दिनॉक 14.07.2006 के संबंध में तिथिवार अद्यतन स्थिति से अवगत करावें ? **(ख)** भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पत्र दिनॉक 08.03.2007 द्वारा चाहा गया राज्य सरकार से संशोधन अभिमत सहित प्रस्ताव किस पत्र क्रमांक एवं दिनॉक को भेजा गया ? यदि हॉ, तो राज्य शासन द्वारा भारत सरकार के संशोधित प्रेषित प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से धोबी जाति को

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति में शामिल करने का अभिमत भेजा जाएगा ? **(ग)** माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 09.04.2013 को रजक कल्याण बोर्ड की स्थापना की घोषणा भोपाल में की थी, परन्तु आज दिनॉक तक ना ही इसका गठन हुआ, ना कार्यकारिणी बनाई गई ? कितने समय में इसका गठन एवं कार्यकारिणी बनेगी ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) दि.14.07.2006 को प्रेषित प्रस्ताव के उपरांत पत्र क्र. एफ 23-96/97/4/25 दि.13.11.2007, क्र. एफ 23-96/97/4/25 दि.29.04.2008, क्र. एफ 23-96/97/4/25 दि.20.02.2009, क्र. 1604/20/10/4/25 दि. 6.8.2010, क्र. 1110/20/11/4/25, दि. 17.7.2011, क्र. एफ 23-96/97/4/25, दि. 24.01.2013, एफ 23-96/97/4/25 दि.16.1.2014 तथा एफ 23-96/97/4/25 दि.02.09.2014 द्वारा भारत सरकार से पत्राचार किया गया । **(ख)** पत्र क्र. 1604/20/10/4/25 दि. 6.8.2010, एफ 23-96/97/4/25 दि.16.1.2014 तथा एफ 23-96/97/4/25 दि.02.09.2014 द्वारा भेजा गया । धोबी समुदाय की विभिन्न जिलों में सामाजिक स्थिति भिन्न भिन्न होने के कारण सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने का पर्याप्त आधार न होने के कारण अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । **(ग)** प्रश्नाधीन घोषणा मुख्यमंत्री घोषणा में दर्ज न होने के कारण प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>नियम विरूद्ध पदोन्नति</u>

35. **(क्र. 474) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सत्य है कि दिनांक 25-7-2014 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में की गई अनुशंसाओं के आधार पर कुछ कर्मचारियों जिसमें दाई, माली, एक्सरे अटेंडेंट, लेखापाल, स्टीवर्ड इत्यादि कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश जारी किये गये हैं ? **(ख)** क्या यह भी सत्य है कि पदोन्नति नियमों के अनुसार एक्सरे अटेंडेंट की पदोन्नति डार्क रूम असिस्टेंट, स्टीवर्ड की पदोन्नति, लेखापाल (लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना आवश्यक), माली की पदोन्नति, हेड माली/ड्रेसर ग्रेड-2, फर्राश की पदोन्नति, ड्रेसर ग्रेड-2 एवं नाई की पदोन्नति ए.एन.एम. के पद पर की जाना चाहिए ? यदि हॉ, तो इन संवर्गों की पदोन्नति नियम विरूद्ध सहायक ग्रेड-3 के पद पर क्यों की गई ? **(ग)** क्या यह भी सत्य है कि कुछ स्टीवर्ड जो कि (लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं है) उन्हें लेखापाल के पद पर पदोन्नति दी गई है ? **(घ)** क्या शासन/विभाग द्वारा उपरोक्त नियम विरूद्ध पदोन्नति जांच करायेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) दिनांक 25.07.2014 को सतना जिले में जिला स्तरीय संवर्ग की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित नही की गई है । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रदत्त अधिकारो के अन्तर्गत नियमित स्थापना के चतुर्थ संवर्ग के विभिन्न पदो की पदोन्नति हेतु दिनांक 13.8.2014 एवं 23.08.2014 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई थी । पदोन्नति समिति अनुशंसाओं की आधार पर वार्डवाय, वाटरमेन कम प्यून, भृत्य, फीमेल अटेण्डेन्ट (आया) एवं डेसर ग्रेड-2 के पदोन्नति आदेश जारी किये गये हैं । जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार । **(ख)** विभागीय भर्ती नियम 1989 के तहत् चतुर्थ श्रेणी से पदोन्नति किये जाने वाले पदो की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार । मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाए) तृतीय श्रेणी लिपिकीय सेवा भर्ती नियम 1989 की अनुसूची 2 **(ख)** में विभागीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो से सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति का प्रावधान हैं । **(ग)** मुख्य

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त संवर्ग के कर्मचारियो को पदोन्नति प्रदान नही की गई हैं । **(घ)** उत्तरांश **(क)** , **(ख)** एवं **(ग)** के अनुक्रम में शेष प्रश्न उपस्थित नही होता ।

<u>योजनाओं की</u> जानकारी **<u>एवं शिकायत</u>**

36. **(क्र. 501) श्री मधु भगत :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मुख्य स्वा. एवं चिकित्सा अधिकारी को वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 से प्रश्न दिनॉक तक समस्त योजना अन्तर्गत बालाघाट जिले में सम्पूर्ण कार्यों के लिए जिसमें निर्माण कार्य भी शामिल है ? कितनी राशि प्राप्त हुई है ? उक्त राशि के वितरण की योजनावार मदवार एवं कार्यवार जानकारी देवें ? **(ख)** क्या यह सही है कि जिला बालाघाट में कई ऐसे अधिकारी/कर्मचारी है जिन्हें अपने मूल पदस्थान से अन्यत्र स्थान पर संलग्न किया गया है ? सूची उपलब्ध करावें ? **(ग)** क्या यह सही है कि डा. के. के. खोसला (C.M.O.) द्वारा मोटी रकम लेकर बड़े पैमाने पर कर्मचारियों का संलग्नीकरण किया जाता है ? यदि हॉ तो कब तक उचित कार्यवाही की जावेगी ? **(घ)** सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाड़ा खण्ड चिकित्सा अधिकारीविहीन है ? कब तक नियुक्ति की जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) प्रश्न के सभी भागो की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ', 'ब' एवं 'स' अनुसार है । **(ख)** जी नहीं । केवल तीन चिकित्सकों एवं एक ए.एन.एम. को उनके मूल पदस्थापना स्थल से अन्यत्र स्थान पर पदस्थ किया गया है । प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से वरिष्ठ अधिकारियों से सहमति उपरांत डॉ आर. के. चतुर्वेदी, अस्थिरोग विशेषज्ञ एवं एल.टी.टी. सर्जन को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में परिवार नियोजन कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है । बालाघाट जिला मलेरिया के प्रकोप की दृष्टि से अति संवेदनशील होने के कारण एवं जिले में नियमित जिला मलेरिया अधिकारी के सेवा निवृत्त होने के फलस्वरूप डॉ ए.एस.तिडगाम, मेडिकल विशेषज्ञ को जिला मलेरिया अधिकारी का प्रभार सौंपा गया है । डॉ अनिल अग्रवाल, चि. अ. जिला चिकित्सालय बालाघाट की पदस्थापना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किरनापुर की गई है । श्रीमती डी. पी. खोब्रागढे ए.एन.एम., उप स्वास्थ्य केन्द्र कनिया (बिरसा) के न्यायालयीन प्रकरण में स्थगन के कारण जिला चिकित्सालय बालाघाट पदस्थ किया गया है । **(ग)** जी नहीं । डॉ अनिल अग्रवाल की पदस्थापना परिवर्तित किए जाने के कारण, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1965 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु, संचालनालय के पत्र क्रमांक 4/शिकायत/सेल-3/एफ 65/एस.सी.एन./5086 दिनांक 29.11.2014 द्वारा कारण-बताओ नोटिस जारी किया गया है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । **(घ)** वर्तमान में खण्ड चिकित्सा अधिकारी लामटा के पास खण्ड चिकित्सा अधिकारी परसवाड़ा का अतिरिक्त प्रभार है । चिकित्सा अधिकारी से प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है । तत्समय खण्ड चिकित्सा अधिकारी की भी पद पूर्ति कर दी जाएगी ।

<u>कर्मचारियो की संलग्नता की</u> जानकारी **<u>एवं शिकायत</u>**

37. **(क्र. 502) श्री मधु भगत :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बालाघाट जिले में शिक्षा विभाग में कई शैक्षाणिक वर्ग के कर्मचारी अधिकारी अपनी मूल पदस्थाना से अन्यत्र स्थानों पर कार्यरत हैं ? कौन-कौन, कहां-कहां और कब से कार्यरत हैं ? **(ख)** क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट द्वारा कर्मचारियों से मोटी रकम वसूल कर दुरस्थ शालाओ में पदस्थ शिक्षको को शहर या शहर के करीब शालाओ में सलंग्न किया जाता है ? **(ग)** क्या यह सही है कि कुछ समय पहले वर्ग-1 में 22 शिक्षको को पदोन्नत किया गया था ? कितने शिक्षको को काउन्सलिंग के हिसाब से पदस्थ किया गया तथा

कितनों को अन्य स्थान पर संशोधन किया गया है ? **(घ)** क्या यह सही है कि किरनापुर संकुल में 2.65 करोड का प्राचार्य,लिपिक,जिला शिक्ष अधिकारी एवं जिला कोषालय अधिकारी ने मिलकर पी.पी.ओ. फन्ड का गबन किया है ? उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (**क**) जी नहीं । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (**ख**) जी नहीं । (**ग**) जी नहीं, अपितु 108 अध्यापकों को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर दिनांक 7.8.14 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, बालाघाट द्वारा पदोन्नत किया गया है । पदोन्नत सभी वरिष्ठ अध्यापकों का काऊसलिंग के माध्यम से शाला चयन उपरांत पदस्थ किया गया है, जिसमें से 24 पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापकों की पदस्थापना में उनकी मांग अनुसार पद उपलब्ध होने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट द्वारा पदस्थापना में संशोधन किया गया । (**घ**) जी नहीं । गबन प्रकरण में संपूर्ण रूप से आहरण एवं संवितरण अधिकारी संकुल प्राचार्य किरनापुर एवं तत्कालीन लेखापाल जिम्मेदार है । राशि रू. 2,64,25,463.00 (रूपये दो करोड़ चैांसठ लाख पच्चीस हजार चार सौ त्रिरेसठ) का गबन पी.पी.ओ. फंड से नहीं किया जाकर गबन शिक्षकों के नाम बदल बदल कर अलग-अलग प्रकार के फर्जी देयक तैयार कर प्राचार्य द्वारा अपने हस्ताक्षर उपरांत जिला कोषालय को प्रस्तुत किया जाकर ड्र-पेमेंट के माध्यम से शिक्षकों के खाते में राशि जमा न कराया, जाकर संस्था के तत्कालीन लेखापाल के बैंक खाते में आहरित राशि जमा कराई गई । प्रकरण की जांच उपरांत कमिश्नर राजस्व जबलपुर द्वारा प्राचार्य श्री श्रीराम बरले को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था तथा संबंधित को सेवा से पृथक करने हेतु प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुआ है जिस पर कार्यवाही की जा रही है । संस्था के तत्कालीन लेखापाल श्री शैलेष कुमार गढपाले की मृत्यु जांच अवधि में ही दिनांक 23.8.14 को हो चुकी है । जिला शिक्षा अधिकारी, बालाघाट ने दिनांक 18.09.14 को पुलिस थाना किरनापुर में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है ।

<u>अशासकीय निजी शालाओं को मान्यता प्रदाय की जाना</u>

38. **(क्र. 524) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में अशासकीय स्कूल प्रारंभ किये जाने हेतु शासन द्वारा क्या निर्धारित मापदण्ड हैं ? सम्पूर्ण जानकारी नियम सहित देवें ? **(ख)** क्या यह सही है कि सिवनी जिले की जिन निजी शालाओं को मान्यता शासन द्वारा प्रदान की गई है उनमें न तो खेल का मैदान है, न प्रार्थना स्थल है और न ही शौचालय की समुचित व्यवस्था है? सिवनी जिले में ऐसी कितनी निजी शालायें हैं, जिन्हें नियम की अनदेखी कर मान्यता प्रदान कर दी गई है ? **(ग)** नियम विरूद्ध चल रही संस्थाओं के विरूद्ध शासन द्वारा कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) कक्षा 8 तक के विद्यालयों की मान्यता हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में किए गए प्रावधान अनुसार विधालय संचालन के मापदण्ड **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "एक" एवं "दो"** अनुसार है । शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य व्दारा बनाए गये निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम-11 में अशासकीय विद्यालयों के मान्यता प्रदान किए जाने के प्रावधान समाहित है । निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"तीन"** अनुसार है । कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों हेतु मान्यता मापदण्ड की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"चार"** अनुसार है । **(ख)** जी नहीं । केवल दो विद्यालयों को कमी पूर्ति की शर्त पर छात्र में नवीन संकाय संचालन हेतु सशर्त अस्थाई मान्यता प्रदान की गई है । **(ग)** उत्तरांश ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

शा. संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाऐं

39. **(क्र. 525) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिवनी जिले में कुल कितने प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, इनमें शिक्षकों/ अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें कितने पद रिक्त है, विधानसभा क्षेत्रवार सूची प्रदाय करें ? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** वर्णित प्रा. व मा. विद्यालयों में किन-किन विद्यालयों में शुद्ध पेयजल, शौंचालय, किचिन शेड, खेल मैदान आदि की व्यवस्था वर्तमान में चालू स्थिति में नहीं है, विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देवें ? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** वर्णित व्यवस्थाओं की पूर्ति हेतु अब तक विभाग ने क्या-क्या कार्यवाही की है ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) सिवनी जिले में कुल संचालित प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय तथा शिक्षकों के स्वीकृत/रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है । **(ख)** प्रश्नांश **(क)** मेंवर्णित प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के लिए सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत पेयजल, शौचालय, खेल मैदान अधोसंरचना की व्यवस्था एवं ग्रामीण विकास विभाग (मध्यान्ह भोजन) अन्तर्गत किचन शेड की व्यवस्था नहीं है, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है । **(ग)** जिला शिक्षा केन्द्र सिवनी द्वारा प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के लिए सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत तथा मध्यान्ह भोजन विभाग से वित्तीय व्यवस्था की मांग की गई है ।

सेंवढ़ा ग्राम दिगुवा में इन्टर कालेज भवन की स्वीकृत के संबंध में

40. **(क्र. 533) श्री प्रदीप अग्रवाल :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधान सभा क्षेत्र सेंवढ़ा के ग्राम दिगुवां में इन्टर कालेज के लिये क्या कोई भवन स्वीकृत हुआ है ? **(ख)** यदि हॉ, तो कब व इसकी निर्माण एजेन्सी कौन है व इसका निर्माण कार्य किस दिनांक को पूर्ण हुआ एवं वर्तमान में उक्त भवन में कक्षायें संचालित हो रही है अथवा नहीं ? **(ग)** यदि निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो क्यों ? एवं संबंधित के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? **(घ)** यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हॉ । **(ख)** शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल दिगुंवा का भवन वर्ष 2007-08 में स्वीकृत हुआ था । जिसकी निर्माण एजेन्सी म.प्र. लघु उघोग निगम है । उक्त निर्माण कार्य अपूर्ण है । अत: शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता । **(ग)** कार्य की मूल प्रशासकीय स्वीकृति राशि रूपये 61.49 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी । निर्माण एजेन्सी का कथन है कि कार्य को पूर्ण करने के लिये और अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है । उनसे पुनरीक्षित प्राक्कलन मांगा गया है । अत: शेषांश उपस्थित नहीं होता । **(घ)** उत्तरांश **(ग)** के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

मेडिकल कॉलेज जबलपुर में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी आकस्मिक श्रमिक कर्मचारियों का नियमितीकरण

41. **(क्र. 543) श्री तरूण भनोत :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जबलपुर स्थित शासकीय नेताजी सुभाषचंद्र बोस (मेडिकल कॉलेज) चिकित्सालय में कितने दैनिक वेतन भोगी एवं आकस्मिक श्रमिक कर्मचारी हैं एवं वे कितने वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं ? जानकारी उनके नामवार एवं कार्य के वर्ष वार बताई जावें ? **(ख)** क्या यह सही है कि विगत कई वर्षों से उक्त चिकित्सालय में दैनिक वेतन भोगी एवं आकस्मिक कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले इन कर्मचारियों को विभाग द्वारा आज दिनांक तक नियमित नहीं किया गया जबकि मेडिकल चिकित्सालय में अनेक तृतीय

एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े हुए हैं ? **(ग)** अब कब तक उक्त वर्णित **(क)**, **(ख)** के कर्मचारियों को विभाग द्वारा नियमित कर दिया जावेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) शासकीय स्वशासी नेताजी सुभाषचन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्याद्यालय, जबलपुर से संबंद्ध चिकित्सालय में स्वशासी संस्था द्वारा प्रश्न दिनांक तक आकस्मिक श्रमिक के रूप में कुल 329 व्यक्ति कार्यरत है । जिनकी **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** पर है । **(ख)** मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक एफ 5-3/2006/1/3 तारीख 16/05/2007 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक अपील (सिविल) 3595-3612/1999 में तारीख 10/04/2006 को पारित निर्णय के संदर्भ में चिकित्सा महाविद्यालय से संबंद्व चिकित्सालय में रखे गये आकस्मिक श्रमिक अनियमित नियुक्ति की श्रेणी में आते है । अत: इन अनियमित श्रमिकों का नियमितीकरण किया जाना संभव नहीं है । **(ग)** उत्तरांश "ख" के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

मेडिकल विश्वविद्यालय जबलपुर में समस्त पदों की पूर्ति

42. **(क्र. 544) श्री तरूण भनोत :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मेडिकल विश्वविद्यालय जबलपुर में कितने विशेषज्ञ, चिकित्सक, प्रोफेसर, सहा. प्राध्यापक, तकनीकी एवं प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारियों के पद स्वीकृत किये गए हैं एवं वर्तमान में कितने पद भर दिये गए हैं ? जानकारी पदो के आधार पर दी जावें ? **(ख)** वर्णित **(क)** के विश्वविद्यालय में वर्णित **(क)** के पदों को भरने के लिए दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया था अथवा नहीं ? क्या यह सही है कि उक्त विश्वविद्यालय में कार्य करने हेतु अन्य शासकीय विभागों से कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जा रहा है ? यदि हॉ तो किस-किस शासकीय विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है ? जानकारी उनके नाम वार व पदवार बताई जावें ? **(ग)** कब तक उक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन स्तर पर कार्यवाही कर ली जावेगी ? समय सीमा बतावें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर में विशेषज्ञ चिकित्सक, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक का कोई पद शासन द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है । तकनीकी, प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारियों के 35 एवं 240 कुल 275 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति जारी की गई है । कुलपति के पद पर भी नियुक्ति की गई है । कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक, उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव, कार्यपालन यंत्री (सिविल), सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अधिकारियों की पदस्थापना की गई है । सहायक वर्ग-3 के 04 पद एवं भृत्य का 01 पद भी प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा गया है । **(ख)** अनुभाग अधिकारी, सहायक वर्ग-1, सहायक वर्ग-2, लेखापाल एवं शीघ्रलेखक के 01-01 पद हेतु विश्वविद्यालयों-शासकीय विभागों के पदों से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुये कर्मचारियों की 01 वर्ष की संविदा नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया था । जी हाँ । जानकारी **संलग्न परिशिष्ट पर** है । **(ग)** आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु की गई कार्यवाही की जानकारी उत्तरांश "क" एवं "ख" में दी गई है । पद पूर्ति हेतु शासन स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की जाना है । रिक्त पदों की पूर्ति की निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट -"तीस"

श्रमिक आंदोलन के संबंध में

43. **(क्र. 554) श्री जितेन्द्र गेहलोत :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नागदा स्थित ग्रेसिस इंडस्ट्री में श्रमिकों एवं मेनेजमेंट के मध्य लंबे समय से मांगों को लेकर चल रही समझौता वार्ताओं में श्रमिकों के हित में समझौता करवाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? **(ख)** क्या लेबर कमिश्नर की निष्क्रियता अथवा अपने अधिकारों का उपयोग ना करने से विवाद का निराकरण नहीं हो रहा है ? यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण है ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) नागदा स्थित ग्रेसिम इण्डस्ट्री में संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा और प्रबंधन के मध्य यूनियन के मॉग पत्र पर सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, उज्जैन द्वारा प्रकरण को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में पंजीबद्व किया जाकर समझोता वार्ताऐं निरंतरित है । दोनों पक्षों के मध्य निम्न तिथियों में समझोता वार्ताऐं हुई हैं, दिनांक 14.07.2014, 08.08.2014, 20.08.2014, 12.09.2014, 18.09.2014, 22.09.2014, 30.09.2014, 04.10.2014, 10.10.2014, एव दिनांक 20.10.2014 को मुख्यालय स्तर पर भी उक्त दोनों पक्षों की वार्ता आयोजित की गई थीं । दोनों पक्षों द्वारा अपने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैए पक्षों के मध्य समझोता शीघ्र कराये जाने के हेतु श्रम विभाग निरंतर प्रयासरत है । **(ख)** औद्योगिक विवाद में समझोता श्रमिक व नियोजक पक्ष की सहमति से ही संभव है । अतएव प्रश्नाश **(क)** के उत्तर के प्रकाश में निष्क्रियता का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति के कल्याण हेतु संचालित योजनाएं

44. **(क्र. 555) श्री जितेन्द्र गेहलोत :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण हेतु रतलाम जिले में शासन द्वारा घोषित कौन-कौन सी योजनाऍं प्रचलित है ? व कौन-कौन सी योजना का लाभ जिले को नहीं मिला ? **(ख)** उपरोक्त योजनांतर्गत जिले की समस्त तहसील के कितने एवं कौन-कौन से परिवार लाभान्वित हुए ? पिछले तीन वर्षों का तहसीलवार आवंटन एवं विवरण तथा लाभान्वित परिवारों का ब्यौरा क्या है ? **(ग)** आलोट विधानसभा क्षेत्र में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जातियों की संख्या का पंचायतवार ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ"** अनुसार है । पात्रता अनुसार समस्त योजनाओं का लाभ जिले के हितग्राहियों को मिला है । **(ख)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" एवं "स"** अनुसार है । **(ग)** विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजातियों की जनसंख्या का सर्वे न होने से पंचायतवार ब्यौरा दिया जाना संभव नहीं है ।

आदिवासी विकास परियोजना सलाहकार मण्डल का गठन

45. **(क्र. 595) श्रीमती प्रमिला सिंह :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या आदिवासी विकास परियोजनाओं में परियोजना सलाहकार मण्डल का गठन किये जाने का प्रावधान है ? **(ख)** चौदहवीं विधान सभा निर्वाचन के बाद भी आदिवासी विकास परियोजनाओं में सलाहकार मण्डल का गठन न किये जाने के क्या कारण हैं ? इसके लिए दोषी कौन हैं ? **(ग)** भवष्यि में परियोजना सलाहकार मण्डल के गठन का प्रावधान रहेगा या यह व्यवस्था समाप्त कर दी जावेगी ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (**श्री ज्ञान सिंह**) **: (क)** जी हाँ । **(ख)** 31 परियोजनाओं में से प्राप्त 26 परियोजनाओं के प्रस्ताव से संबंधित नस्ती में निर्णय प्रक्रियाधीन है । **(ग)** अभी ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

शाजापुर जिला मुख्यालय पर ट्रामा सेन्टर का निर्माण

46. **(क्र. 616) श्री अरूण भीमावद :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या ट्रामा सेन्टर का निर्माण शासन स्तर पर राष्ट्रीय कृत मार्ग पर स्थित जिला मुख्यालयों पर करने के निर्देश के तारतम्य में शाजापुर जिला चिकित्सालय पर निर्माण के लिए शासन द्वारा 2 करोड़ रू. जारी किये गये ? **(ख)** जब शासन द्वारा रूपये एवं जिला प्रशासन द्वारा भूमि आवंटन की जा चुकी है तो राज्य स्तर से ट्रामा सेंटर की अनुमति क्यों नहीं दी गई ? **(ग)** ट्रामा सेंटर का निर्माण कितने समयावधि में शुरू एवं पूर्ण किया जा सकेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नही । **(ख)** कार्यवाही प्रचलन में है । ट्रामा सेन्टर कार्ययोजना में स्वीकृत है । **(ग)** यथासंभव शीघ्र । समय-सीमा बताना संभव नही है ।

स्वशासी मद में मानदेय का भुगतान

47. **(क्र. 617) श्री संजय उइके :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विभागाध्यक्ष नर्सिंग कौंसिल तथा अधिष्ठाता भोपाल के कार्यालय द्वारा विभिन्न शासकीय कार्यों के लिए स्वशासी मद से मानदेय स्वीकृत किया जाता है ? यदि हां, तो क्या मानदेय की राशि वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में स्वीकृत की जाती है ? यदि हां, तो 01.01.2013 से 30.10.2014 की अवधि में श्रेणीवार निर्धारित मानदेय की राशि एवं अधिकारियों के नाम पदनाम एवं भुगतान की गई राशि का विवरण उपलब्ध करावें ? **(ख)** क्या राशि स्वीकृत करने हेतु संचालक रजिस्ट्रार नर्सिंग कौंसिल तथा अधिष्ठाता द्वारा कोई आदेश जारी किये जाते हैं, यदि हां, तो कौन-कौन से कार्यों के लिए मानदेय की राशि का भुगतान करने एवं राशि स्वीकृत करने हेतु आदेश जारी किये गये हैं ? **(ग)** क्या यह सत्य है कि कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त कार्य न करने पर भी नियम विरूद्ध मानदेय की राशि भुगतान किया गया है ? **(घ)** संचालक चिकित्सा शिक्षा की निजी स्थापना में पदस्थ किन-किन कर्मचारियों को कौन-कौन से कार्यों के लिए किन-किन संस्थाओं से उक्त अवधि में मानदेय की कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? एक ही दिन में दो जगहों मानदेय की राशि प्राप्त करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध राशि का गबन करने के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करेगा ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(घ)** जानकारी **एकत्रित की जा रही है ।**

नर्सिंग संवर्ग में पदोन्नति

48. **(क्र. 618) श्री संजय उइके :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सत्य है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत नर्सिंग संवर्ग में सहायक एवं उप नर्सिंग अधीक्षक के पद स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां पर कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ? **(ख)** क्या यह

सत्य है कि संचालनालय द्वारा नियम विरूद्ध पदोन्नति प्रस्ताव भेजकर मैट्रन के पद से सहायक नर्सिंग अधीक्षक तथा सहायक नर्सिंग अधीक्षक से नर्सिंग अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के प्रस्ताव न भेजकर मैट्रन के पद पर पदस्थ परिचारिकाओं को सीधें नर्सिंग अधीक्षक के पद पर भर्ती नियमों के विरूद्ध पदोन्नति के प्रस्ताव भेजकर नियम विरूद्ध पदोन्नतियां कर उपकृत कर शासन को आर्थिक हानि निरंतर पहुंचाई जा रही हैं ? **(ग)** भर्ती नियमों के विरूद्ध भेजे गये पदोन्नति प्रस्ताव की जांच सामान्य प्रशासन विभाग से कराई जाकर नियम विरूद्ध पदोन्नति प्रस्ताव भेजने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध विभाग कार्यवाही कर नियम विरूद्ध की गई पदोन्नतियां निरस्त करने की कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हां, चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालयों भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर में एक-एक पद सहायक अधीक्षक एवं एक-एक पद उप नर्सिंग अधीक्षक के स्वीकृत है । **(ख)** संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश में वर्तमान लागू लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश के भर्ती नियम 1989 के अनुसार नर्सिंग अधीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु तृतीय श्रेणी के मेट्रन, सहायक, परिचार्या अधीक्षक से पदोन्नति दिये जाने का प्रावधान है । इसमें उप नर्सिंग अधीक्षक से नर्सिंग अधीक्षक के पद पर पदोन्नति का प्रावधान नहीं है । **(ग)** उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत नि:शुल्क प्रवेश

49. **(क्र. 636) श्री मुरलीधर पाटीदार :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आगर जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत गत शैक्षणिक सत्र एवं वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कुल कितने बच्चों को निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश दिया गया ? **(ख)** क्या निजी विद्यालयों में आर.टी.ई. अंतर्गत प्रवेशित बच्चों की शुल्क पूर्ति शासन द्वारा संबंधित निजी विद्यालयों को कर दी गई है ? **(ग)** आर.टी.ई. अंतर्गत नि:शुल्क प्रवेशित बच्चों का शुल्क भुगतान की कार्यवाही त्वरित करने संबंधी शासन कोई प्रक्रिया बनाने जा रहा है ? यदि हां, तो विवरण देवें ? यदि नहीं, तो क्या शासन इस ओर विचार करेगा ? **(घ)** आर.टी.ई. अंतर्गत नि:शुल्क प्रवेश क्या मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों में भी दिए जाते हैं ? यदि हां, तो क्षेत्र की विगत 02 सत्रों की जानकारी देवें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) आगर जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गत शैक्षणिक सत्र एवं वर्तमान शैक्षणिक सत्र में प्रवेशित बच्चों की संख्या निम्नानुसार हैः-

क्रमांक	शिक्षा सत्र	प्रवेशित बच्चों की संख्या
1	2013-14	2504
2	2014-15	2130

(ख) आगर जिले के 83 निजी विद्यालयों को फीस प्रतिपूर्ति कर दी गई है । शेष 111 विद्यालयों को फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है । **(ग)** एवं **(घ)** जी नहीं । शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

नवीन भवन का निर्माण

50. **(क्र. 678) कुँवर विक्रम सिंह :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सत्य है कि छतरपुर जिले में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भवन जर्जर हालत में है और लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त भवन को शून्य घोषित किया गया ? **(ख)** यदि हॉ, तो शासन द्वारा कितने पत्राचार हुए ? **(ग)** क्या आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल द्वारा नये भवन हेतु प्रस्ताव मांगा गया ? यदि हॉ, तो अब तक नये भवन निर्माण की कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? **(घ)** उक्त भवन में कोई घटना घटित होती है, तो कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (**क**) जी हां । **(ख)** शासन द्वारा एक पत्राचार किया गया है । **(ग)** जी हां । नवीन कार्यालय भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव वित्तीय व्यय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, प्रस्ताव स्वीकृत न होने के फलस्वरूप भवन निर्माण नहीं कराया जा सका । **(घ)** जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर को कार्यालय खाली करने एवं वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए है । जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय संचालन हेतु किराये के नवीन भवन की व्यवस्था की जा रही है । अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

कोलारस विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक शाला खोलने बाबत्

51. **(क्र. 707) श्री राम सिंह यादव :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि कोलारस विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत दिसम्बर 2013 की स्थिति में अनुदान प्राप्त शालाएं संचालित थी ? यदि हॉ, तो उक्त शालाएं कहां-कहां पर संचालित थी ? एवं उनमें कितने-कितने छात्र कक्षावार अध्ययनरत थे ? **(ख)** क्या यह सही है कि प्रश्नांश **(क)** के उत्तर में वर्णित कुछ ग्रामों में संचालित अनुदान प्राप्त शालाएं, शैक्षणिक सत्र 2014-15 में बंद कर दी गई है ? **(ग)** क्या उक्त बंद एवं चालू अनुदान प्राप्त शालाओं के स्थान पर नवीन प्राथमिक शालाएं खोली जाएगी ? यदि हां, तो कब तक खोली जाएगी ? निश्चित समयावधि बताते हुए जानकारी दें कि अनुदान प्राप्त शालाए बंद करने से पूर्व नवीन प्राथमिक शालाएं क्यों प्रारंभ नहीं की गई ? **(घ)** क्या यह सही है कि अनुदान प्राप्त शालाओं के स्थान पर नवीन प्राथमिक शालाए प्रारंभ करने हेतु जिला स्तर से शासन स्तर पर कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए है ? यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर शासन ने क्या-क्या पत्राचार किया ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हां । जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है । **(ख)** अनुदान प्राप्त प्राथमिक विद्यालय देवरी एवं सिरनौदा वर्ष 2014-15 में बन्द कर दी गई है । **(ग)** जी हां । प्रश्नांश "क" एवं "ख" के अनुक्रम में जिन स्थानों पर नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम २०११ अंतर्गत पडोस की सीमा में अनुदान प्राप्त शालायें संचालित नहीं है, उन स्थानों पर प्राथमिक शाला खोलेजाने की अनुमति कार्यालयीन पत्र क्रमांक / रा.शि. केन्द्र /ईएण्डआर/ २०१४ / ९६५३, भोपाल दिनांक ५.१२.२०१४ द्वारा दी जा चुकी है । **(घ)** जी हां । शेषांश उत्तरांश "ग" अनुसार ।

कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विद्यालयों का उन्नयन

52. **(क्र. 708) श्री राम सिंह यादव :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन विद्यालयों के उन्नयन करने के प्रस्ताव शासन को प्राप्त

हुए हैं ? प्रस्तावों पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? **(ख)** उक्त प्रस्तावों पर शासन कब तक स्वीकृति प्रदान करेगा एवं क्या शैक्षणिक वर्ष, 2015-16 में उन्नयन अनुसार कक्षाएं प्रारंभ हो सकेंगी ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है । प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण किया गया तदुपरांत प्राप्त प्रस्तावानुसार प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में उन्नयन किया जा चुका है । कोलारस विधान सभा क्षेत्र की किसी मा.वि. शाला का हाई स्कूल में उन्नयन नहीं हो सका है । **(ख)** वर्ष 2015-16 में बजट प्रावधान एवं सक्षम स्वीकृति पर निर्भर करेगा । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति</u>

53. **(क्र. 709) श्री राम सिंह यादव :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों आदि में चिकित्सकों, चिकित्सा कर्मचारियों, पुरूष/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित किस-किस वर्ग के कितने-कितने पद कहां-कहां पर स्वीकृत हैं ? **(ख)** उक्त स्वीकृत पदों के विरूद्ध कौन-कौन कहां-कहां पर कब से पदस्थ हैं ? एवं इनके अधीन कौन-कौन से क्षेत्र/ग्राम आते हैं ? इनके नाम, पद एवं इनके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र/ग्राम का नाम बताते हुए जानकारी दें ? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में वर्णित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र आदि में कहां-कहां पर कौन-कौन से पद रिक्त हैं ? रिक्त पद कब तक भरे जाऐंगे ? **(घ)** ऐसे कौन-कौन से चिकित्सक/कर्मचारी आदि हैं जिनका वेतन कहीं से निकल रहा है और कार्य कहीं और स्थान पर कर रहे हैं ? तथा इन्हें पदस्थापना स्थल से बाहर अटैच कर रखा है ? ऐसे चिकित्सकों/कर्मचारियों के नाम, पद सहित जानकारी दें कि वह कब से कहां कार्य कर रहे हैं ? वेतन कहां से निकलता है और किसके आदेश से कार्य दूसरे स्थान पर कर रहे हैं ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट (पृ. 01 से 23)** अनुसार । **(ख)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट (पृ. 01 से 23) में समाहित** है । **(ग)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट (पृ0 01 से 23) में समाहित** है । **(घ)** जानकारी निरंक है । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शिवपुरी के आदेश दिनांक 02.09.2013 एवं 29.10.2014 के द्वारा समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के संलग्नीकरण समाप्त किए जा चुके है ।

<u>जनसंकल्प 2013 में लिये गये निर्णय उपरांत औषधालय प्रांरभ किया जाना</u>

54. **(क्र. 732) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जनसंकल्प 2013 के पालन में प्रदेश में 1000 नवीन आयुष औषधालय खोले जाने का निर्णय लिया गया था । यदि हॉ, तो इनकी स्वीकृति के लिए क्या-क्या मापदण्ड निर्धारित हैं ? **(ख)** यदि **(क)** का उत्तर हॉ में है तो निर्णय उपरांत कितने नवीन औषधालय प्रदेश में प्रारंभ किये गये उनकी जानकारी जिलावार दी जावे एवं मुरैना जिला में कहॉ-कहॉ, किस-किस विकासखण्ड में प्रारंभ/स्वीकृति हुये ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हां । ग्रामीण क्षेत्र में पॉच किलोमीटर की परिधि में जहॉ कोई चिकित्सा सुविधा नही है 2000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों में आयुष औषधालय खोला जावेगा । **(ख)** आयुष औषधालय खोले जाने की कार्यवाही प्रचलन में है शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

संकल्प 2010 क्रमांक 42 के प्रारंभ के संबंध में

55. **(क्र. 733) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा एवं विधानसभा संकल्प 2010 के बिंदु क्रमांक 42 में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जिला स्तरीय पोस्ट मैट्रिक बालक एवं कन्या छात्रावास खोलने का निर्णय लिया गया था ? **(ख)** यदि **(क)** का उत्तर हां है तो छात्रावासों के स्वीकृति हेतु क्या-क्या आदेश/निर्देश प्रचलन में है ? **(ग)** घोषणा उपरांत चंबल संभाग किन-किन जिलों मे बालक एवं कन्या छात्रावासों की स्वीकृति प्रदान की है ? जिलावार जानकारी दी जावें ? **(घ)** क्या यह भी सच है कि संकल्प पारित होने के बाद कुछ जिले शेष है ? यदि हां, तो छात्रावास न खोलने के क्या कारण है व कब तक उन जिलों में स्वीकृति प्रदान की जा सकेंगी ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी हॉ । **(ख)** सभी जिला मुख्यालयों में 100 सीटर बालक एवं 50 सीटर कन्या छात्रावास की स्वीकृति के आदेश जारी कर दिये हैं एवं उनमें आवश्यक अमले की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है तथा जो छात्रावास भवन बनकर तैयार हो गये हैं उनमें छात्रों को प्रवेश दिलाकर छात्रावास प्रारंभ करने के निर्देश जारी किए गए हैं । **(ग)** चंबल संभाग के सभी जिलों में छात्रावास स्वीकृत हैं । **(घ)** जी नहीं ।

शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पद एवं सुविधाएं

56. **(क्र. 759) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या दिनांक 29.10.2014 को श्योपुर जिले के मा. प्रभारी मंत्री जी ने प्रश्नकर्ता की उपस्थिति में श्योपुर प्रवास के दौरान शहरी स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का लोकार्पण किया था ? **(ख)** यदि हां, तो बतावें कि उक्त केन्द्र में नियमानुसार कितने व कौन-कौन सी श्रेणी के चिकित्सक/ अधिनस्थ स्टॉफ व सुविधाऐं होनी चाहिऐ, का पूर्ण विवरण देते हुए अवगत करावें कि नियमानुसार स्टॉफ व सुविधाओं की व्यवस्था उक्त केन्द्र में उपलब्ध करा दी गई है ? यदि नहीं, तो कब तक उपलब्ध कर दी जावेगी ? **(ग)** क्या यह सच है कि केन्द्र में लोकार्पण उपरांत मात्र एक चिकित्सक की ही पदस्थापना की गई हैं ? शेष अधिनस्थ स्टॉफ का अभाव है ? यदि हां, तो केन्द्र में नियमानुसार स्टॉफ/ सुविधाऐं यथाशीघ्र क्या शासन उपलब्ध करायेगा ? नहीं, तो क्यों ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हॉ । **(ख)** उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्टॉफ के स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी निम्नांकित है:-

क्र.	पदनाम	स्वीकृत	भरे	रिक्त
1	चिकित्सा अधिकारी (फुलटाईम)	1	1	-
2	चिकित्सा अधिकारी (हॉफटाईम)	1	-	1
3	स्टाफ नर्स	3	3	-
4	ए. एन. एम.	5	-	5
5	फार्मासिस्ट	1	-	1
6	लैबटेक्नीशियन	1	-	1
7	सर्पोट स्टाफ	1	-	1
8	सफाईकर्मी	1	1	-

रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है तथा उक्त संस्था पर शहरी प्राथमिक केन्द्र के स्तर की सभी सुविधाएं आम जनता को उपलब्ध कराई जा रही है । **(ग)** जी नहीं, शेष उत्तरांश **(ख)** के अनुसार ।

<u>मलेरिया/डेंगु, बीमारी की रोकथाम</u>

57. **(क्र. 761) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** श्योपुर जिले में संचालित सभी शासकीय चिकित्सालयों में वर्ष 2012-13 से वर्तमान तक की अवधि में कितने मलेरिया/डेंगू मरीजों का पंजीयन अभिलेखों में दर्ज किये गये एवं कौन-कौन से क्षेत्र इस हेतु चिन्हित किये गये ? **(ख)** चालू वित्त वर्ष में मलेरिया व डेंगू की रोकथाम हेतु किन-किन प्रभावित क्षेत्रों में पायराथिन दवाई का छिड़काव व अन्य आवश्यक उपाय किये गये ? **(ग)** क्या ये भी सच है कि प्रश्नांश **(क)** में वर्णित अवधि में श्योपुर जिला मलेरिया की दृष्टि से डेंजर जोन घोषित है ? इसके बावजूद उक्त रोग के नियंत्रण हेतु कोई प्रयास नहीं किये गये और ना ही उक्त दवाई का छिड़काव किया गया ? **(घ)** क्या ये भी सच है कि उक्त कारणों से चालू वित्त वर्ष में वर्तमान तक जिले में लगभग मलेरिया के 3 हजार डेंगू के 1 दर्जन से अधिक रोगी पोजीटिव पाये गये ? **(ड.)** यदि हॉ, तो प्रश्नांश **(ग)** में वर्णित अमले की उदासीनता एवं लापरवाही के लिये उत्तरदायियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उक्त रोग की रोकथाम और पीड़ित मरीजो को बेहतर उपचार व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु क्या शासन अस्थाई तौर पर सर्वसुविधायुक्त विशेष उपचार मोबाईल यूनिट व विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम श्योपुर जिले में भिजवाने हेतु विभाग को निर्देश जारी करेगा नहीं तो क्यों ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) श्योपुर जिले में संचालित सभी शासकीय चिकित्सालयों में वर्ष 2012-13 से वर्तमान की अवधि में 11255 मलेरिया के एवं 14 डेंगू के मरीजों का पंजीयन अभिलेखों में दर्ज है । विकासखण्ड करहाल के 104 ग्राम, विकासखण्ड विजयपुर के 129 ग्राम एवं विकासखण्ड बड़ौदा के 95 ग्राम इस हेतु चयनित किये गये हैं । **(ख)** चालू वित्त वर्ष में मलेरिया व डेंगू की रोकथाम हेतु प्रभावित क्षेत्रों में सिंथेटिक पायरेथ्राईड दवाई का छिड़काव, रैपिड फीवर सर्वे, लार्वा सर्वे, आशा के माध्यम से लार्वानाशक टेमोफॉस, दवाई का छिड़काव, स्थायी गढ्ढों में लार्वाभक्षी गम्बूसिया मछली का संचय आदि प्रतिबंधात्मक उपाय किये गये हैं । इसके साथ ही साथ प्रचार-प्रसार के अन्तर्गत मलेरिया रथ का संचालन, जिला स्तर, विकासखण्ड स्तर, सेक्टर स्तर, उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं ग्राम पंचायत स्तर पर एडवोकेसी कार्यशाला, वॉल पेंटिंग एवं पाम्पलेटस का वितरण आदि गतिविधियां की गई हैं । जिन क्षेत्रों में सिंथेटिक पायरेथ्राईड दवाई का छिड़काव किया गयाहै उनकी सूची **संलग्न परिशिष्ट पर** है । **(ग)** जिला श्योपुर में मलेरिया के केसों में विगत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि हुई है लेकिन मलेरिया के नियंत्रण के लिए पूर्ण प्रयास किये गये हैं । भारत सरकार की नीति के अनुरूप कीटनाशी दवाई का छिड़काव कार्य मलेरिया से प्रभावित ग्रामों में किया गया है । प्रभावित ग्रामों में रैपिड फीवर सर्वे कर मलेरिया के मरीज का उपचार किया गया है । लार्वा सर्वे का कार्य एवं आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से लार्वानाशक टेमोफॉस दवाई का छिड़काव किया गया है । स्थायी गढ्ढों में लार्वाभक्षी गम्बूसिया मछली का संचय किया गया है । **(घ)** यह सही है कि चालू वित्त वर्ष में मलेरिया के 3000 जबकि डेंगू के 7 मरीज पाए गये हैं । प्रश्नांश 'ग' में उल्लेखानुसार समस्त नियंत्रण की गतिविधियां की गई है । **(ड़)** डेंगू एवं मलेरिया रोगों की रोकथाम हेतु सजगता से कार्यवाही की जा रही है । क्षेत्र में पीड़ित मरीजों को बेहतर उपचार व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा मेडीकल मोबाईल यूनिट जिले में संचालित है साथ ही आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम बीमारियों के उपचार हेतु समय-समय पर क्षेत्र में भेजी जाती है । अत: पृथक से अन्य कोई टीम भेजने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

परिशिष्ट -"इकत्तीस"

मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति

58. **(क्र. 775) श्री अनिल जैन :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** टीकमगढ़ जिले में विभिन्न कारणों से प्रतिवर्ष कितने रोगियों को झांसी एवं ग्वालियर स्थित मेडीकल कॉलेजों को रैफर किया जाता हैं ? विगत पांच वर्ष की जानकारी वर्षवार एवं विधानसभा वार देवें तथा बताया जाये कि क्या यह संख्या इस क्षेत्र में एक मेडीकल कॉलेज खोले जाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं ? **(ख)** प्रदेश के किसी क्षेत्र में मेडीकल कॉलेज खोले जाने हेतु अन्य क्या-क्या मापदण्ड निर्धारित हैं ? **(ग)** क्या यह सही है कि प्रदेश में कुछ नये मेडीकल कॉलेज खोले जाने की प्रक्रिया चल रही है ? यदि हाँ, तो क्या विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी के अंतर्गत भी एक मेडीकल कॉलेज खोला जाना प्रस्तावित हैं ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हां । वर्षवार एवं विधानसभा वार जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ"** अनुसार । रोगियों को रैफ्ररल के आधार पर मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रावधान नहीं है । **(ख)** प्रदेश में शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने हेतु भारतीय चिकित्सा परिषद् नई दिल्ली द्वारा मापदण्ड निर्धारित है, जिसकी जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" (पेज 1-8 तक)** अनुसार है । **(ग)** जी हां । जी नहीं ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निवाड़ी में चिकित्सकों के पदों की पूर्ति

59. **(क्र. 781) श्री अनिल जैन :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निवाड़ी के लिये चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद भरे और रिक्त हैं ? **(ख)** उक्त केंद्र में चिकित्सा विशेषज्ञों के कितने पद स्वीकृत भरे और रिक्त हैं ? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** और **(ख)** अुनसार स्वीकृत पदों की संख्या निवाड़ी में स्थित उक्त केंद्र पर आश्रित वर्तमान जनसंख्या के अनुपात में क्या पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त केंद्र के लिये नये पदों की स्वीकृति शासन के विचाराधीन है ? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** और **(ख)** अनुसार रिक्त पदों को शासन द्वारा कब तक भरा जायेगा ? प्रश्नांश **(ग)** अनुसार यदि अतिरिक्त पदों की स्वीकृति विचाराधीन है तो ये पद कब तक स्वीकृत हो सकेंगे ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निवाड़ी में चिकित्सकों के 02 पद स्वीकृत एवं 03 चिकित्सक कार्यरत हैं । **(ख)** विशेषज्ञों के तीन (मेडिसिन, सर्जरी, स्त्रीरोग) पद स्वीकृत एवं रिक्त हैं । इनके अतिरिक्त एक शिशुरोग विशेषज्ञ की पदस्थापना है जो चिकित्सकीय अवकाश पर हैं । **(ग)** जी हां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निवाड़ी में पदों की स्वीकृति जनसंख्या के मान से है । शेष प्रश्न उपस्थित नही होता । **(घ)** विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण शतप्रतिशत रिक्त पदों की पूर्ति में कठिनाई है, पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है, पद पूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है । जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालय का उन्नयन एवं पदों की पूर्ति

60. **(क्र. 824) श्री जितू पटवारी :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राऊ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल आते हैं ? स्कूल वार जानकारी देवें ? **(ख)** किन-किन हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी में उन्नत किये जाने की योजना है ? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में स्कूलों में विषय वार स्वीकृत/भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी देवें ? **(घ)** राऊ विधानसभा क्षेत्र में इस वित्तीय वर्ष में कितने हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जाना प्रस्तावित है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (**क)** जानकारी **संलग्न परिशिष्ट** अनुसार है । **(ख)** वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है । **(ग)** जानकारी **संलग्न परिशिष्ट** अनुसार । **(घ)** उत्तरांश 'ख' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट -"बत्तीस"

चिकित्सको के रिक्त/भरे पद

61. **(क्र. 825) श्री जितू पटवारी :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इंदौर जिले के किस-किस चिकित्सालय में कितने-कितने चिकित्सकों के पद स्वीकृत है, कितने पद भरे है एवं कितने पद रिक्त हैं ? **(ख)** वर्तमान में गंभीर रोगो की चिकित्सा हेतु किस-किस चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ पदांकित हैं ? **(ग)** रिक्त पदों को भरने हेतु शासन द्वारा क्या प्रयास/कार्यवाही की गई हैं ? एवं इन पदों पर नियुक्तियां कब तक की जावेगी ? **(घ)** विगत तीन वर्ष में क्या कुछ चिकित्सको ने समय पूर्व सेवानिवृत्ति ली है ? यदि हां, तो उनका विवरण देवें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी **संलग्न परिशिष्ट** पर है । **(ख)** जानकारी **संलग्न परिशिष्ट** में समाहित है । **(ग)** प्रदेश में विशेषज्ञ/चिकित्सकों की अत्यधिक कमी है एवं अन्य जिलों की अपेक्षा पर्याप्त मात्रा में विशेषज्ञ/चिकित्सक पदस्थ होकर कार्यरत है । इंदौर जिले में कुल स्वीकृत 173 के विरूद्ध 152 अधिकारी कार्यरत है । पदोन्नति/सीधी भर्ती की प्रक्रिया निरंतर जारी है, उपलब्धता के आधार पर निरंतर पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जाती है । **(घ)** जी हां, डॉ एम. के. जैन, चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिनांक 01.03.2012 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाही गई थी जिसे शासन आदेश क्रमांक एफ 02-02/2012/17/मेडि-1 दिनांक 26.04.2012 के द्वारा स्वीकृत किया गया ।

परिशिष्ट -"तेंतीस"

पदोन्न्ति से भरे जाने वाले पदों हेतु रोस्टर का अनुमोदन

62. **(क्र. 871) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सत्य है कि म.प्र. राजपत्र असाधारण, भोपाल दिनांक 11.6.2002 को जारी राजपत्र के बिन्दु क्रं. 2 (रोस्टर) अनुसार गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में पदोन्नति से भरे जाने वाले संवर्ग/सेवा के पदों हेतु निर्देशानुसार पृथक-पृथक रोस्टर संधारित किये गये हैं ? **(ख)** क्या यह सत्य है कि कार्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार संधारित रोस्टर का सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमोदन कराया जाना आवश्यक है ? यदि हां, तो उक्त रोस्टर का अनुमोदन कब-कब कराया गया ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हां । **(ख)** रोस्टर का संधारण आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नियुक्ति प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है । जिसके परिपालन में अधिष्ठाता, भोपाल द्वारा पृथक-पृथक संवर्ग का रोस्टर संधारित कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है । विभागों द्वारा स्वशासी संस्था का रोस्टर संधारित करने से पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग से रोस्टर के अनुमोदन के कोई निर्देश नहीं है । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

भविष्य निधि कार्यालय से संबंधित

63. **(क्र. 872) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 18-7-2014 के परि.अता. प्रश्न संख्या 72 (क्र. 3344) के उत्तर **(ख)** में जांच उपरांत कार्यवाही करने एवं **(ग)** में चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ई.पी.एफ. की राशि का कटौत्रा नियमानुसार किया जाकर भविष्य निधि कार्यालय को भेजे जाने की कार्यवाही प्रचलन में होने की जानकारी दी गई है ? **(ख)** उपरोक्तानुसार उत्तर **(ख)** अनुसार क्या आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा शासन को दस लाख रूपये की आर्थिक क्षति पहुंचाने की जांच पूर्ण कर ली गई है ? यदि नहीं, तो जांच कब तक पूर्ण कर ली गई है ? **(ग)** उक्त प्रकरण में किसे जांच अधिकारी बताया गया है ? जांच का स्तर क्या है ? **(घ)** क्या प्रशासन/विभाग प्रकरण पर त्वरित जांच करवाकर दोषियों को दण्डित करेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हां । **(ख)** जी हां । शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । **(ग)** उक्त प्रकरण में आहरण एवं संवितरण अधिकारी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल को जांच अधिकारी बनाया गया है । जांच पूर्ण हो चुकी है । **(घ)** दोष सिद्ध होने पर सम्बंधितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

चिकित्सक के विरूद्ध कार्यवाही

64. **(क्र. 873) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 4 जुलाई 2014 के परि.अता. प्रश्न संख्या 49 (1160) के उत्तर **(क)** में गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल द्वारा दिनांक 17-6-2014 को भेजा गया जांच प्रतिवेदन संचालनालय स्तर पर परीक्षाधीन दर्शाया गया है तो क्या उपरोक्तानुसार संचालनालय स्तर पर प्रकरण का परीक्षण कर लिया गया है ? **(ख)** क्या उपरोक्त प्रकरण में जांच प्रतिवेदन के अनुशंसाओं के विपरीत संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा संबंधित फर्जी चिकित्सक से तरह-तरह से उपकृत होकर जांच को ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया है ? **(ग)** क्या शासन/विभाग तत्काल उक्त फर्जी चिकित्सक के विरूद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराएगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हां । **(ख)** जी नहीं । प्रकरण में जांचोपरांत संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा पत्र दिनांक 20/11/2014 के द्वारा इस संबंध में कार्यवाही करने हेतु आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश को लिखा गया है । (ग) उत्तरांश "ख" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

कार्यवाही किये जाने की जानकारी

65. **(क्र. 874) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 4 जुलाई 2014 के तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र.669) के उत्तर **(ग)** में प्रकरण की जांच यथाशीघ्र की जाने एवं **(घ)** में जाचं उपरांत कार्यवाही किये जाने की जानकारी दी गई हैं ? तो प्रकरण पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? किसे जांच अधिकारी बनाया गया जांच कब तक पूर्ण कर ली जाएगी ? **(ख)** क्या प्रकरण में प्रमाणित अभिलेख उपलब्ध होने के पश्चात भी उक्त फर्जी चिकित्सक से संबंधितों द्वारा उपकृत होकर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया जा चुका है ? **(ग)** यदि नहीं तो

क्या शासन/विभाग शिकायत में उल्लेखित गंभीर आरोपों को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित चिकित्सकों के विरूद्ध पुलिस में कार्यवाही कर प्राथमिकी दर्ज करवाकर नियमानुसार कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी **एकत्रित की जा रही है ।**

<u>मंदसौर जिले को आदिम जाति कल्याण हेतु राशि का प्रदाय</u>

66. **(क्र. 880) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. शासन द्वारा आदिम जाति कल्याण हेतु मन्दसौर जिले को विगत तीन वर्ष में कितनी राशि प्रदाय की गई ? **(ख)** मन्दसौर जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र को कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गई ? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी दें ? **(ग)** सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कितने हितग्राहियों को इसका लाभ मिला ? राशि सहित जानकारी दें ? **(घ)** आदिम जाति को किन-किन योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) विगत तीन वर्ष में विभिन्न योजनान्तर्गत निम्नानुसार प्रदाय राशि का विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र	वर्ष	प्रदत्त आवंटन लाखों में
1	2011–12	65.95
2	2012–13	127.15
3	2013–14	206.75
4	2014–15	59.41

विस्तृत जानकारी पत्रक **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ** पर है । **(ख)** विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्रवार राशि आवंटित करने का प्रावधान नहीं है, प्रदाय राशि का विवरण निम्नानुसार हैः-

वर्ष	मंदसौर		मल्हारगढ़		सुवासरा		गरोठ	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2011–12	3159	27.22	902	12.64	961	10.73	1015	15.38
2012–13	3506	67.21	950	11.01	945	12.14	1049	36.72
2013–14	650	78.00	215	15.47	146	11.84	324	41.24
2014–15	06	7.15	63	14.42	02	01.43	31	4.71
	7321	179.88	2130	53.54	2054	36.14	2419	98.05

(ग) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 तक विभिन्न योजनान्तर्गत 2054 हितग्राहियों को रूपये 36.12 लाख से लाभान्वित किया गया है, जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब"** अनुसार है । **(घ)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स"** अनुसार है ।

<u>विमुक्त घुमक्कड़, तथा अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के लोगों के कल्याण हेतु राशि प्रदाय</u>

67. **(क्र. 881) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. शासन द्वारा विमुक्त, घुमक्कड, तथा अर्द्धघुमक्कड जाति कल्याण हेतु मन्दसौर जिले को विगत तीन वर्ष में कितनी राशि प्रदाय की गई ? **(ख)** मन्दसौर जिले की चारों विधान सभा क्षेत्र को कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गई, विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी दें ? **(ग)** सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में कितने हितग्राहियों को इसका लाभ मिला ? राशि सहित जानकारी दें ? **(घ)** विमुक्त घुमक्कड, तथा अर्द्धघुमक्कड जाति को किन-किन योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ"** अनुसार है । **(ख)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ-2"** अनुसार है । **(ग)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब"** अनुसार है । **(घ)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स"** अनुसार है ।

<u>अध्यापक संवर्ग की पदोन्नति</u>

68. **(क्र. 896) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अध्यापक संवर्ग की पदोन्नति के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं ? देवास एवं रायसेन जिले में विगत तीन वर्षों में कितने अध्यापकों को पदोन्नति दी गई ? **(ख)** क्या यह सत्य है कि देवास जिले में वर्ष 2000-2001 तक नियुक्त सहायक अध्यापकों को पदोन्नति नहीं दी गई है ? जबकि अन्य जिलों में पदोन्नति दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? कारण बतायें ? शेष सहायक अध्यापकों को देवास जिले में कब तक पदोन्नति दी जायेगी ? **(ग)** वरिष्ठ अध्यापकों के पद पर पदोन्नति हेतु विषयवार पदों का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है कि कौन से पद सीधी भर्ती के हैं, तथा कौन से पदोन्नति से भरे जाने के पूर्ण विवरण दें ? **(घ)** पदोन्नति हेतु रोस्टर में क्या-क्या प्रावधान है ? क्या देवास एवं रायसेन जिले में रोस्टर का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? कारण बतायें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) "जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एंव २ अनुसार है ।" **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता तथा पदोन्नत पद की उपलब्धता, वरिष्ठता एवं पात्रता के आधार पर पदोन्नति का प्रावधान है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । **(ग)** शाला का स्वीकृत रचनाक्रम संचालित विषय समूह के मान से पदों की स्वीकृति का प्रावधान है । संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 अध्यापक के स्वीकृत पद संस्था के रचनाक्रम के अनुसार स्थानीय निकाय स्तरीय है । निकाय के नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में स्वीकृत पदों में से 50 प्रतिशत पद संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 की सीधी भर्ती से तथा 50 प्रतिशत पद संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 के पद पर 03 वर्ष की सेवा पूर्ण करने तथा छानबीन समिति द्वारा उपयुक्त पाये जाने पर अध्यापक के पद पर नियुक्त करने का प्रावधान है । ऐसे नियुक्त अध्यापक के 50 प्रतिशत पद ही पदोन्नति के होते है । इस प्रकार पदोन्नति कोटे के वरिष्ठ अध्यापक (विषयमान) के रिक्त पद की उपलब्धता, वरिष्ठता एवं पात्रता के आधार पर पदोन्नति का प्रावधान है । **(घ)** म.प्र.राजपत्र दिनांक 11 जून 2002 में उल्लेखित पदोन्नति हेतु 100 बिन्दुओं के रोस्टर अनुसार । जी हां । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

घुमक्कड़ वर्ग को उपलब्ध सुविधायें

69. **(क्र. 897) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** देवास एवं रायसेन जिले में कौन-कौन सी जातियॉ विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ की श्रेणी में आती हैं ? ये जातियॉ किन-किन ग्रामों में निवास करती है ? **(ख)** उक्त जातियों के व्यक्तियों को क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध करवाने के शासन के निर्देश है ? **(ग)** देवास एवं रायसेन जिले में उक्त जातियों के व्यक्तियों को क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है पूर्ण विवरण दें ? **(घ)** देवास एवं रायसेन जिले में लुहार पीटा जाति के व्यक्तियों को आवास हेतु भूमि उपलब्ध करवाने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (**क**) 51 जनजातियॉ विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजातियों की श्रेणी में आती हैं, जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' एवं ''ब''** अनुसार है । देवास जिले में मुख्यत: कंजर, बंजारा, लोहारपिट्टा, नट, बगरी, धनगर, बैरागी जाति एवं रायसेन जिले में बैरागी, बंजारा, लोहारपिट्टा इत्यादि जनजातियॉ विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ की श्रेणी में आती हैं । उक्त जनजातियों की जनसंख्या का सर्वे न होने से ग्रामवार निवासरत् लोगों की संख्या बताया जाना संभव नहीं है । **(ख)** एवं **(ग)** उक्त जनजातियों के पात्र व्यक्तियों को विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश हैं । योजनाओं की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स''** अनुसार है । (**घ**) देवास एवं रायसेन जिले में लोहारपिट्टा जाति के व्यक्तियों को आवास हेतु भूमि उपलब्ध कराने का अधिकार विभाग को नहीं है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

सिवनी जिले में आदिम जाति कल्याण/अनुसूचित जाति कल्याण मद से प्राप्त धन राशि से निर्माण

70. **(क्र. 922) श्री रजनीश हरवंश सिंह :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिवनी जिले में विगत 3 वर्षों में आदिम जाति कल्याण निधि/अनुसूचित जाति कल्याण निधि से कितनी-कितनी राशि वर्षवार प्राप्त हुई है ? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित जिले में प्राप्त धन राशि से विगत 3 वर्षों में वर्षवार कितने-कितने कार्य विकास खण्डवार स्वीकृत किये गये हैं ? विवरण लागत राशि तक दिया जावे ? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** में स्वीकृत कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है ? कृपया वर्षवार कार्यवार स्थिति स्पष्ट करें ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी निम्नानुसार हैः-

क्र.	वर्ष	प्राप्त आवंटन (लाख में)	
		आदिम जाति कल्याण	अनुसूचित जाति कल्याण निधि
1	2	3	4
1	2011–12	1703.90	454.96
2	2012–13	2302.52	670.02
3	2013–14	2703.11	454.36

जानकारी निम्नानुसार हैः-

		संविधान 275(1)			
क्र.	वर्ष	पूंजीगत मद		अनुसूचित जाति कल्याण निधि	
		परि. लखनादौन	परि. कुरई	परि. लखनादौन	परि. कुरई
1	2	3	4	5	6
1	2011–12	76.52	52.44	795.35	112.62
2	2012–13	47.91	02.69	304.02	138.35
3	2013–14	86.30	0.00	314.78	143.49

(**ख) एवं (ग)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** अनुसार है ।

केवलारी विधान सभा क्षेत्र में रिक्त डॉक्टरों की पूर्ति

71. **(क्र. 923) श्री रजनीश हरवंश सिंह :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** केवलारी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छपार, घनौरा, केवलारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उगली पथी छपारा, कान्हीवाड़ा, धुई एवं भोमा में कितने डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ के कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने रिक्त हैं ? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित रिक्त पदों की पूर्ति शासन कब तक कार्यवाही करेगा ? कृपया तिथि बतावें ? यदि नहीं तो क्यों ? कारण स्पष्ट करें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी परिशिष्ट ''अ'' पुस्तकालय में रखे अनुसार । **(ख)** वर्तमान में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है, विशेषज्ञों के शतप्रतिशत रिक्त पदों की पूर्ति में कठिनाई होगी, द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों की पद पूर्ति हेतु म0 प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा जून 2014 में 1271 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया जा चुका है, चयन सूची प्राप्त होने के उपरांत उपलब्धता को आधार पर पदस्थापना की कार्यवाही की जावेगी । पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्त 900 पदों हेतु म.प्र. व्यवसायिक परीक्षा मण्डल को मांग-पत्र प्रेषित किया गया है एवं नियमानुसार पदोन्नति के माध्यम से पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है । **(ग)** उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है ।

सुमावली विधान सभा मुरैना क्षेत्र में छात्रावास के निर्माण की अवधि

72. **(क्र. 933) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सुमावली विधान सभा (मुरैना) क्षेत्र में प्रस्तावित पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु छात्रावास की स्वीकृति राज्य शासन द्वारा कब की गई ? समय वर्ष सहित जानकारी दी जावे ? **(ख)** उक्त छात्रावास के निर्माण हेतु राज्य शासन द्वारा कितनी धन राशि कब स्वीकृत की गई एवं छात्रावास के निर्माण का शिलान्यास कब, किसके द्वारा किया गया ? पूर्ण जानकारी राशि, उद्घाटन दिनांक शिलान्यासकर्ता के नाम सहित उपलब्ध

कराई जावे ? **(ग)** उक्त छात्रावास के निर्माण पूर्ण होने की समय-सीमा क्या तय की गई थी ? क्या निर्धारित अवधि में उक्त निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है अथवा विलम्ब से चल रहा है ? यदि निर्माण कार्य विलम्ब से चल रहा है, तो इसके जिम्मेदार कौन है ? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक जिला स्तर पर बालकों के लिए 100 सीटर पोस्ट मेट्रिक बालक छात्रावास एवं बालिकाओं के लिए 50 सीटर पोस्ट मेट्रिक कन्या छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं । विधान सभा क्षेत्रवार छात्रावास संचालित करने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । **(ख)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । **(ग)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के तहत उपचार

73. **(क्र. 935) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मुरैना जिले में मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के कितने प्रकरण 15 जुलाई 2011 से नवम्बर 2014 तक 15 वर्ष के गरीब बच्चों का उपचार कराया गया ? **(ख)** क्या उक्त योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारो के अलावा ऐसे परिवारों के बाल हृदय रोगियो के इलाज के प्रकरण भी पंजीबद्ध किये गये हैं, जो इलाज कराने में सक्षम नही हैं ऐसे परिवारों के कितने लोगो को लाभान्वित किया गया ? **(ग)** उक्त योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु मुरैना जिले में विभाग द्वारा क्या-क्या प्रयास किये ? प्रचार प्रसार के कार्यक्रम की तिथि सहित जानकारी दी जावें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) मुरैना जिले में मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के अन्तर्गत 15 जुलाई 2011 से नवम्बर 2014 तक 15 वर्ष तक के 57 गरीब बच्चों का उपचार कराया गया । **(ख)** जी हां, वे परिवार जो इलाज कराने मे सक्षम नहीं है ऐसे 15 बाल हृदय रोगियों का उपचार कराया जाकर लाभान्वित किया गया है । **(ग)** मुरैना जिले में उक्त योजना के प्रचार प्रसार हेतु विभाग द्वारा निम्नानुसार प्रयास किये गये- 1. दिनांक 26.7.2014 को शनिचरी अमावस्या पर प्रदर्शनी में बैनर पोस्टर लगाये जाकर प्रचार किया गया । 2.दिनांक 15.8.2014 को स्वतंत्रता दिवस पर समाचार पत्रों में प्रचार-प्रसार किया गया । 3. दिनांक 1.11.2014 म.प्र. स्थापना दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी में बैनर पोस्टर लगाये जाकर प्रचार किया गया । 4. प्रत्येक माह में ब्लाक स्तर पर होने वाली आशा बैठक में संचालित योजनाओं की जानकारी दी जाकर प्रचार प्रसार किया गया । 5. दिनांक 22.11.2014 को शनिचरी अमावस्या पर प्रदर्शनी में बैनर पोस्टर लगाये जाकर प्रचार किया गया ।

शासन की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभ

74. **(क्र. 957) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधान-सभा क्षेत्र, बड़वाहा में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति के कितने परिवार है ? ग्रामवार परिवारों की सूची दी जावे ? **(ख)** विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति के परिवारों के लिये शासन के किस-विभाग द्वारा क्या-क्या योजनाऐं संचालित की जा रही हैं, उसकी सूची दी जावे ? **(ग)** क्या प्रश्नकर्ता ने इन परिवारों के लिये कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ? यदि हॉ तो शासन की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कौन-कौन से ग्राम में कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में स्वीकृत की गई है ? **(घ)** प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर यदि वर्तमान तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है तो कब तक होगी ? इन परिवारों को

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दी गई स्वीकृति आदेश की प्रति एवं इन समाज की बाहुल्य बस्तियों में दिये जाने वाले योजनाओं/नियमों की सूची दी जावे ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) विधानसभा क्षेत्र बड़वाह में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति का ग्रामवार सर्वे नहीं होने से परिवारों की सूची उपलब्ध नहीं है । अतः जानकारी दिया जाना संभव नहीं है । **(ख)** विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजातियों के परिवारों के लिये विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"एक"** अनुसार है । **(ग)** जी हॉ । प्रश्नकर्ता ने इन परिवारों के लिये विमुक्त जाति बस्ती विकास योजना का प्रस्ताव सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, खरगोन को प्रस्तुत किया है । जिस पर जिला स्तर पर कार्यवाही प्रचलन में है । जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - "दो"** अनुसार है । **(घ)** उत्तरांश "ग" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । इन समाज की बाहुल्य बस्तियों में क्रियान्वित किये जानें वाली दो योजनाएं हैं:- (1) विमुक्त जाति बस्ती विकास योजना (2) विमुक्त जाति बस्तियों का विद्युतिकरण योजना । जिसके नियम **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - "तीन"** अनुसार है ।

जे.पी. अस्पताल में व्यक्तियों की भर्ती

75. **(क्र. 967) श्री संजय पाठक :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल जिला चिकित्सालय, जे.पी. अस्पताल की रोगी कल्याण समिति ने वर्ष, 2012 में किस-किस पद के लिए किस वेतन पर कितने व्यक्तियों की भर्ती की है ? क्या उक्त पदों हेतु विज्ञापन/रोजगार कार्यालय से नाम बुलाये गये थे ? यदि हां, तो विज्ञापन एवं रोजगार कार्यालय से आये नामों की सूची दें ? **(ख)** उक्त पदों पर कार्यरत अभ्यर्थियों की योग्यता क्या है ? क्या निर्धारित योग्यता रखते हैं ? भर्ती हेतु कलेक्टर द्वारा अनुमति प्राप्त की गई थी ? **(ग)** जे.पी. अस्पताल में कार्यरत ब्रजेन्द्र मिश्रा, अंकित मिश्रा, संदीप मिश्रा, राजेश मिश्रा, ज्ञानेन्द्र मिश्रा एवं वेद प्रकाश की योग्यता क्या है तथा निवास का पता सहित सूची दें ? **(घ)** उक्त कर्मचारियों की नियुक्ति नियम विरूद्ध है, तो उक्त भर्तियों को निरस्त किया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) भोपाल जिला चिकित्सालय जे. पी. अस्पताल की रोगी कल्याण समिति ने वर्ष 2012 में किसी व्यक्ति की भर्ती नहीं की है । प्रश्न के शेष भाग के लिए प्रश्न उपस्थित नहीं होता । **(ख)** प्रश्नांश "क" के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । **(ग)** ब्रजेन्द्र मिश्रा, अंकित मिश्रा, संदीप मिश्रा, राजेश मिश्रा, ज्ञानेन्द्र मिश्रा एवं वेद प्रकाश की योग्यता एवं निवास का पता सहित **सूची संलग्न परिशिष्ट** पर है । **(घ)** प्रश्नांश "ग" के **संलग्न परिशिष्ट** में दर्शाये गये कर्मचारी आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराये गये है ।

परिशिष्ट -"चौंतीस"

आ.जा. अनुसंधान संस्था के जातियों के अनुसंधान प्रतिवेदन

76. **(क्र. 987) श्री मोती कश्यप :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आदिम जाति अनुसंधान तथा विकास संस्थान का गठन कब हुआ है और उसमें आयुक्त/संचालक के पद पर कब कौन पदस्थ रहें हैं तथा किन श्रेणी व वर्ग के कौन अधिकारी किन-किन अवधियों से पदस्थ हैं ? **(ख)** कितनी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ावर्ग की जातियों के संबंध में अनुसंधान किये हैं और अभी

तक कितनी जातियां अनुसंधान हेतु शेष हैं तथा उनका अनुसंधान एवं प्रतिवेदन कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(ख)** में से कोई से अनुसंधान प्रतिवेदन कभी शासन को प्रस्तुत किये गये हैं ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (**श्री ज्ञान सिंह**) **: (क)** आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था का गठन 20 अप्रैल, 1954 को हुआ है । शेष प्रश्नांश की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ"** अनुसार है । **(ख)** संस्था द्वारा जातियों के संबंध में किये गये अध्ययनों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब"** अनुसार है । मुख्यतः जनजातियों के अध्ययन पूर्ण कर लिये गये है । जनजातियों का अनुसंधान कार्य संस्था की निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है । **(ग)** जी हाँ ।

पाटन विधान सभा अंतर्गत स्कूल एवं शिक्षकों की स्थिति

77. **(क्र. 1012) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसी कितनी शालायें है, जिनमें शिक्षक-छात्र अनुपात 30:1 का पालन नहीं हो रहा है ? विकासखण्डवार सूची देवें, एवं यह भी बतलावें की अनुपात के अनुसार इन शालाओं में कब तक शिक्षकों के पदों की पूर्ति कर दी जायेगी ? **(ख)** पाटन विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कितने माध्यमिक विद्यालय एवं हाई स्कूल है जो क्रमश: हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने के समस्त मापदण्डों को पूर्ण करते है ? विकासखण्डवार सूची देवें एवं यह भी बतलावें की इनका उन्नयन कब तक किया जावेगा ? **(ग)** प्रश्नांक **(क)** में वर्णित पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कितने हायर सेकेण्ड्री एवं हाई स्कूल, मिडिल स्कूल तथा प्राथमिक शालायें संचालित है, जिनके पास स्वयं के भवन नहीं है ? विकासखण्डवार, स्कूलवार सूची देवें एवं यह भी बतलावें कि उन्हें भवन कब तक उपलब्ध कराया जावेगा ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : क) "जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1** अनुसार है ।" हाईस्कूल हायर सेकेण्ड्री में विषयमान से पदस्थापना की जाती है । शिक्षकों की पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है । समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है । **(ख)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक** पर । शालाओं का उन्नयन बजट की उपलब्धता पर एक सक्षम स्वीकृति पर निर्भर करेगा । **(ग)** "जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र २** अनुसार है ।" पाटन विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत ऐसी कोई प्राथमिक एवं माध्यमिक शालायें संचालित नहीं है, जिनके पास स्वयं के भवन नहीं है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

अनुसूचित जन जाति विकास परियोजनाओं के संदर्भ में प्रदाय राशि

78. **(क्र. 1013) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जबलपुर जिले में वित्त वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनांक तक अनुसूचित, जन जातियों के विकास के लिये परियोजना क्षेत्र में आदिम जाति विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत व संविधान के अनुच्छेद 275-1 के अन्तर्गत व विशेष पिछड़ी जन जाति योजनान्तर्गत, प्रदेश शासन द्वारा संचालित अन्य योजनान्तर्गत, अनुसूचित जनजाति के विकास के लिये कलस्टर अनुसार व अधोसंरचना के विकास हेतु कितनी-कितनी राशि केन्द्र सरकार व राज्य शासन द्वारा प्रदाय की गई ? सूची देवें ? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में प्राप्त राशि में से कितनी-कितनी राशि कब-कब, किस-किस एजेंसी द्वारा व्यय कर योजनानुसार कार्यपूर्ण कराये गये व कब-कब राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्य शासन को भेजा गया ? विधान सभा क्षेत्रवार सूची देवें ? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** की अवधि में जबलपुर जिले को प्राप्त राशि व स्वीकृत कार्यों का वर्षवार विवरण एवं व्यय राशि, निर्माण/क्रय एजेंसी की जानकारी विधान सभा क्षेत्रवार देवें ? निर्माण कार्य एवं अन्य कार्यों की वर्तमान

में भौतिक स्थिति बतलावें व यह उक्त स्वीकृत कार्य अभी तक पूर्ण न हो पाने के क्या कारण है ? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** अनुसार स्वीकृत कार्यों में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें जिला एवं राज्य स्तर पर प्राप्त हुई व इनमें से किस-किस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''क'' अनुसार । **(ख)** जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ख'' अनुसार । **(ग)** जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ग'' अनुसार । **(घ)** प्राप्त शिकायत की जाँच हेतु समिति गठित की गई है । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तदानुसार निर्णय लिया जावेगा ।

नियमों के विपरीत रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थापना होना

79. **(क्र. 1056) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राज्य शासन के द्वारा रजिस्टार म.प्र. नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल भोपाल के पद पर पदस्थ होने के लिए क्या-क्या न्यूनतम आर्हतायें/मापदण्ड नियम/शर्तें तय की हैं ? क्या न्यूनतम आर्हताओं/मापदण्डों/नियमों/शर्तों पूर्ण नहीं किये गये व्यक्तियों को उक्त पद पर पदस्थ किया जा सकता है ? **(ख)** प्रश्नतिथि तक रजिस्टार म.प्र. नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल भोपाल के पद पर पदस्थ व्यक्ति के द्वारा की गई बी.एस.सी. (नर्सिंग) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से वर्ष 2007 में की गई है ? क्या उक्त की गई बी.एस.सी. (नर्सिंग) को इंडियन नर्सिंग कौंसिल द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है ? अगर मान्यता दी गई है तो इण्डियन नर्सिंग कौंसिल के पत्रों की एक-एक प्रति उपलब्ध करायें ? **(ग)** क्या यह सत्य है कि प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 08.04.2011 को रजिस्ट्रार महाकौशल नर्सिंग कौंसिल के पद का प्रभार सौंपे जाने हेतु 04 बिंदुओं को तय किया गया था, उसमें बिंदु क्रमांक 03 के क्रमांक 02 बिंदु पर अनुभव हेतु 08 से 10 वर्ष नर्सिंग का अनुभव एजुकेशन एवं प्रशासन का अनुभव एवं कम से कम 05 वर्ष टीचिंग का अनुभव लेख है ? **(घ)** म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 2-5/2009/1/55 भोपाल दिनांक 23.11.2013 से जो आदेश जारी किय क्या वह राज्य शासन के द्वारा ही स्थापित नियमों/आर्हताओं के विपरीत है ? कब तक वर्तमान रजिस्ट्रार को पद से हटाया जायेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी **एकत्रित की जा रही है ।**

रजिस्ट्रार नर्सिंग कौंसिल म.प्र. में की जा रही आर्थिक अनियमितताएं

80. **(क्र. 1063) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सत्य है कि नर्सिंग कौंसिल,भोपाल के नवीन भवन की साज सज्जा के लिये म.प्र.गृह निर्माण मण्डल ने प्रस्ताव दिया था ? कितनी राशि का प्रस्ताव था ? उक्त भवन की साज सज्जा में कितनी राशि व्यय कर किसके द्वारा करवाया गया ? कितना भुगतान कब-कब किस-किस को किया गया ? **(ख)** क्या स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. शासन द्वारा नये ए.एन.एम कॉलेज खोलने पर रोक लगाई हैं ? रोक लगाये जाने के आदेश दिनांक के पश्चात प्रश्नतिथि तक किस-किस नाम एवं पते वाली संस्था को ए.एन.एम पाठ्यक्रम चलाये जाने की अनुमति जारी हुई ? जारी आदेशों की एक प्रति दें ? **(ग)** क्या राज्य शासन रजिस्ट्रार नर्सिंग कौंसिल में किये जा रहे नियमों के विपरीत कार्यो की उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी करेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है । **(ख)** जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

<u>छात्रों एवं छात्राओं को दी जा रही स्कालरशिप</u>

81. **(क्र. 1064) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग अन्तर्गत भिण्ड जिले के कितने स्कूलों में कितने छात्र-छात्राओं को कितनी स्कालरशिप वर्ष 2011-12,2012-13 एवं 2013-14 में वितरित की गई ? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के तहत क्या यह सच है कि प्रश्न तिथि तक सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा स्कूलों में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र एवं छात्राओं की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी से मांगी गई ? यदि हां, तो क्या ? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** व **(ख)** के तहत क्या यह सच है कि विभाग द्वारा ऐसे स्कूलों में छात्रवृत्ति बांटी गई है ? जिनका अस्तित्व ही नहीं है ? यदि हां, तो ऐसे स्कूलों को कितनी राशि कब से बांटी जा रही है ? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के तहत इसके लिए किस पदनाम/नाम के अधिकारी जिम्मेदार है ? उनके ऊपर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) विभाग द्वारा भिण्ड जिले में प्रश्नाधीन अवधि में वितरित अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति की जानकारी वर्षवार **संलग्न परिशिष्ट** पर है । **(ख)** जी नहीं । **(ग)** जी नहीं । घ) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट -"पैंतीस"

<u>जनवरी 2008 से लागू कानून में लघु वनोपज को लेकर प्रावधान</u>

82. **(क्र. 1081) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 दिनांक 6 सितम्बर 2012 को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में किस-किस लघु वनोपज को लेकर क्या-क्या प्रावधान किए गए है ? लघु वनोपज के संबंध में वर्तमान में प्रचलित किस-किस प्रावधान में लघु वनोपज का संग्रहण करने, एवं लघु वनोपज क्रय करने वालों के विरूद्ध वन अपराध पंजीबद्ध करने, लघु वनोपज जप्त और राजसात करने, लघु वनोपज का प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के क्या-क्या अधिकार एवं क्या छूट किस-किस को प्रदान की गई है ? **(ख)** जनवरी 2008 से प्रश्नांकित तिथि तक बैतूल एवं रायसेन जिले में किस-किस लघु वनोपज का किस धारा में किस दिनांक को किसके विरूद्ध वन अपराध पंजीबद्ध किया गया किस-किस लघु वनोपज के संग्रहण पर किस दिनांक को प्रतिबंध लगाया गया, वन अपराध पंजीबद्ध करने, संग्रहण पर रोक लगाए जाने की किस दिनांक को जिला स्तरीय समिति ने अनुमति या सहमति प्रदान की ? **(ग)** जनवरी 2008 से प्रश्नांकित तिथि तक लघु वनोपज के संबंध में संविधान की 11वीं अनुसूची एवं पेसा कानून 1996 के प्रावधानों के साथ वन अधिकार कानून 2006 में किए गए प्रावधानों के अनुसार किस दिनांक को विभाग ने पत्र जारी किए प्रति सहित बतावें ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"एक" अनुसार है । **(ख)** पंजीबद्ध अपराधों की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"दो**" संग्रहण पर वनमंडलाधिकारियों द्वारा लगाये गये प्रतिबंध की दिनांक वार जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"तीन"** अनुसार है । रायसेन

जिले में लघु वनोपजों के संग्रहण पर प्रतिबंध नहीं लगाये गया है । वनमण्डलों द्वारा लघु वनोपज के संग्रहण पर रोक लगाये जाने की अनुमति या सहमति जिला स्तरीय समिति से नहीं ली गई है । **(ग)** वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत पत्र जारी करने के कोई प्रावधान नहीं है ।

वनभूमि के संबंध में जारी प्रमाण पत्र

83. **(क्र. 1082) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जनवरी, 2008 से लागू वन अधिकारी कानून, 2006 के तहत बनाए गए प्रावधानों के अनुसार प्रश्नांकित तिथि तक किस योजना के लिए कितनी वन भूमि से संबंधित प्रमाण पत्र किस दिनांक को बैतूल एवं विदिशा जिले में जारी किए गए ? किस योजना से संबंधित प्रमाण पत्र के प्रकरण लंबित हैं ? **(ख)** प्रमाण पत्र जारी किए जाने के पूर्व किस ग्राम की ग्राम सभा ने कितने सदस्यों में से कितने सदस्यों की उपस्थिति में अपनी सहमति या अनुमति या अनापत्ति के प्रस्ताव पारित किए नियमानुसार ग्रामसभा के कितने प्रतिशत् सदस्यों की उपस्थिति में प्रस्ताव लिया जाना आवश्यक था ? **(ग)** 50 प्रतिशत् से कम सदस्यों की उपस्थिति में ग्रामसभा द्वारा लिए गए प्रस्ताव के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किए जाने का क्या कारण है ? 50 प्रतिशत् से कम सदस्यों की उपस्थिति में पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किए जाने का क्या प्रावधान है ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी योजना के लिये वन भूमि से संबंधित कोई प्रमाण पत्र जारी करने के प्रावधान नहीं हैं । **(ख)** प्रश्नांश–"क" के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । **(ग)** प्रश्नांश–"क" के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्रमायुक्त इन्दौर द्वारा जारी पत्र

84. **(क्र. 1083) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्य प्रदेश शासन श्रमायुक्त के द्वारा दिनॉक 1 अक्टूबर 2014 को संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों के संबंध में किस-किस जिले के श्रम विभाग को क्या-क्या आदेश निर्देश दिए हैं उसके तहत प्रश्नांकित तिथि तक कितनी समितियों का निरीक्षण किया गया ? **(ख)** वनों की सुरक्षा, अग्नि से सुरक्षा कार्य के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल द्वारा अपने परिपत्र दिनॉक 06.05.2008 की कंडिका अ-7 में क्या निर्देश दिए हैं ? मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के द्वारा अपने पत्र दिनॉक 28 जनवरी 2012 की कंडिका 2(1) में क्या निर्देश दिए हैं इसमें से किस निर्देश में वनों की सुरक्षा एवं अग्नि से सुरक्षा का कार्य करवाए जाने पर मानदेय की राशि का निर्धारण कर मानदेय का भुगतान किए जाने का समितियों को अधिकार दिया गया है ? **(ग)** वर्ष 2014-2015 की प्रश्नांकित तिथि तक श्रमायुक्त इन्दौर को किस-किस के द्वारा किस दिनॉक को न्यूनतम मजदूरी भुगतान न किए जाने के संबंध में संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों की शिकायत प्राप्त हुई है ? **(घ)** श्रमायुक्त द्वारा 1 अक्टूबर, 2014 को जारी पत्र के अनुसार कब तक समितियों की जानकारी प्राप्त कर निरीक्षण कर लिया जावेगा ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) श्रमायुक्त के परिपत्र दिनांक 1 अक्टूबर, 2014 द्वारा राज्य के सभी जिलों के श्रम विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि वन विभाग से जिले में कार्यरत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की जानकारी प्राप्त कर उनके न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत निरीक्षण कराये जाएं तथा उनमें कार्यरत (नियुक्त चौकीदार / सुरक्षाकर्मी) आदि को नियमानुसार न्यूनतम वेतन का भुगतान सुनिश्चित कराया जाएं एवं उल्लंघन पाए जाने पर यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जावे । उक्त आदेश के

परिपालन में प्रश्नांकित तिथि तक राज्य में कुल 236 निरीक्षण किए गए । **(ख)** श्रम विभाग द्वारा मानदेय का निर्धारण नहीं किया जाता है । वनों की सुरक्षाए अग्नि से सुरक्षा कार्य के संबंध मे प्रधान मुख्य वन संरक्षकए भोपाल के परिपत्र दिनांक 06.05.2008 की कंडिका अ-7 एवं वन विभाग के पत्र दिनाक 28 जनवरी 2012 की कंडिका 2 (1) के निर्देशों की प्रति क्रमश: **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2** अनुसार है । उक्त कंडिकाओं में मानदेय निर्धारण बाबद्र उल्लेख नहीं है । **(ग)** वर्ष 2014-2015 की प्रश्नांकित तिथि तक श्रमायुक्त इन्दौर को श्री उमंग सिंघार, माननीय विधायक जी की ओर से पत्र दिनांक 22 सितम्बर, 2014 द्वारा शिकायते प्राप्त हुई हैं, जिसमें विशिष्ट रूप से बैतूल एवं धार जिले की एवं सामान्य रूप से प्रदेश की संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का उल्लेख है । **(घ)** श्रमायुक्त के पत्र के अनुपालन में प्रदेश में 236 समितियों के निरीक्षण संपादित किये जा चुके हैं ।

संविदा कर्मियों की सेवावृद्धि

85. **(क्र. 1084) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 31 मार्च 2014 को बैतूल एवं विदिशा जिले में कितने संविदाकर्मी किस-किस श्रेणी के कार्यरत थे ? इनमें से कितने संविदाकर्मियों की सेवावृद्धि के आदेश किस-किस दिनांक को जारी किए गए ? **(ख)** 31 मार्च 2014 को कार्यरत कितने संविदाकर्मियों को 1 अप्रैल, 2014 से सेवावृद्धि का आदेश दिए बिना किस कानून, नियम, एवं निर्देश के तहत कार्य लिया गया ? उन्हें कितने माह का बिना सेवावृद्धि आदेश के मानदेय का कितना भुगतान किया गया ? **(ग)** संविदाकर्मियों को 1 अप्रैल 2014 से सेवावृद्धि का आदेश दिए बिना ही मानदेय का भुगतान किए जाने के लिए शासन किसे जिम्मेदार मानता है ? पद व नाम सहित बतावें ? **(घ)** 1 अप्रैल 2014 से प्रश्नांकित तिथि तक कितने संविदाकर्मियों को नियमित किया गया है ? संविदाकर्मियों को नियमित किए जाने के क्या प्रावधान प्रचलित हैं ? कब तक संविदाकर्मियों को नियमित कर दिया जावेगा ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) "जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है ।" **(ख)** उत्तरांश 'क' अनुसार जारी निर्देश ०१ अप्रेल २०१४ से प्रभावशील था, अत: बिना सेवावृद्धि आदेश के भुगतान का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । **(ग)** उत्तरांश 'ख' अनुसार । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । **(घ)** निरंक । सर्वशिक्षा अभियान मिशन में स्वीकृत पद परियोजना के पद है तथा वर्तमान में इन पदों पर संविदा में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किये जाने का प्रावधान नहीं है । अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट -"छत्तीस"

मेडिकल कॉलेजों में भर्ती

86. **(क्र. 1099) श्रीमती रेखा यादव :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मा. उच्च न्यायालय, इन्दौर पीठ के द्वारा याचिका क्रमांक 4182/2010 में किन नियमों के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल ऑफीसर एवं विशेषज्ञों की भर्ती के क्या आदेश निर्देश किस दिनांक को दिए, उसके तहत् राज्य सरकार ने किस दिनांक को क्या-क्या कार्यवाही की है ? **(ख)** राज्य के किस मेडिकल कॉलेज में कितने मेडिकल ऑफीसर एवं किस विषय के कितने विशेषज्ञों के पद स्वीकृत हैं, उनमें से कितने पद रिक्त हैं ? इनमें से कितने पदों को सीधी भर्ती के द्वारा भरा गया है, कितने पदों को विभागीय तौर पर भरा गया है ? **(ग)** मेडिकल ऑफीसर एवं विशेषज्ञों के रिक्त पदों को विभागीय तौर पर भरे जाने हेतु शासन ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं की गई, तो कारण बतावें, तथा क्या कार्यवाही की जा रही है, समयसीमा बतावें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) प्रश्नांश में उल्लेखित न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है । प्रदेश के शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालयों में मेडिकल ऑफीसर एवं विशेषज्ञों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-92-2014-1-55 तारीख 15-10-2014 द्वारा भरती नियमों के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी कर रिक्त पदों की पूर्ति करने हेतु निर्देश जारी किये गये है । मेडिकल ऑफीसर के 92 रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भरती से करने हेतु विज्ञापन जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । **(ख)** प्रदेश के शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय,भोपाल,इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर,रीवा से संबद्ध चिकित्सालयों में मेडिकल ऑफीसर एवं विशेषज्ञों के रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

चिकित्सा महाविद्यालय का नाम	मेडिकल आफीसर्स के पदों की स्थिति			विशेषज्ञों के पदों की स्थिति		
	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
चिकित्सा महाविद्यालय,भोपाल	73	40	33	01 चलित नेत्र ईकाई	01	00
चिकित्सा महाविद्यालय,इन्दौर	45	33	12	00	00	00
चिकित्सा महाविद्यालय,ग्वालियर	20	06	14	07	04	03
चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर	15	05	10	01 नेत्र रोग विभाग	01	00
चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा	37	14	23	01	00	01

(ग) उत्तरांश ''क'' एवं ''ख'' अनुसार ।

<u>श्रमायुक्त द्वारा जारी पत्र</u>

87. **(क्र. 1100) श्रीमती रेखा यादव :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** श्रमायुक्त मध्य प्रदेश शासन इंदौर के द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर 2014 को संयुक्त वन प्रबंधन समितियों में कार्यरत चौकीदार एवं सुरक्षाकर्मी के संबंध में न्यूनतम मजदूरी भुगतान को लेकर लिखा गया पत्र छतरपुर श्रम कार्यालय को किस दिनांक को प्राप्त हुआ ? **(ख)** श्रमायुक्त के पत्र के तहत प्रश्नांकित तिथि तक छतरपुर जिले में वन विभाग की कितनी संयुक्त वन प्रबंधन समितियों में से किस-किस समिति का किस दिनांक को श्रम विभाग के किस अधिकारी ने निरीक्षण किया किस चौकीदार एवं अग्नि सुरक्षाकर्मी के बयान दर्ज किए निरीक्षण टीप की प्रति सहित बतावें ? **(ग)** मध्यप्रदेश शासन के किस कानून, किस नियम, किस संकल्प, किस आदेश में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को वनों की सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा का कार्य करवाए जाकर मानदेय की राशि का निर्धारण करने, मानदेय का भुगतान किए जाने का अधिकार या छूट प्रदान की गई है ? **(घ)** श्रमायुक्त के पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2014 के अनुसार कब तक छतरपुर जिले में संचालित समितियों द्वारा चौकीदार एवं अग्नि सुरक्षाकर्मियों को किए गए भुगतान की जांच कर कार्यवाही की जावेगी, समय सीमा सहित बतावें ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर का पत्र श्रम पदाधिकारी कार्यालय, छतरपुर को दिनांक 01.10.2014 को प्राप्त हुआ है । **(ख)** श्रमायुक्त के पत्र के निर्देशानुसार श्रम पदाधिकारी, छतरपुर द्वारा वन विभाग से छतरपुर जिले में कार्यरत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की जानकारी प्राप्त की जा रही है । अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं होने से निरीक्षण नही किया गया है । **(ग)** श्रम विभाग द्वारा

मानदेय का निर्धारण नहीं किया जाता है । वन विभाग के संकल्प दिनांक 22 अक्टूबर 2001 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भोपाल के परिपत्र दिनांक 06.05.2008 में इस संबंध में उल्लेख है । **(घ)** वन विभाग से जानकारी प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

<u>परिमाणित अंगदायी पेंशन योजना का लाभ</u>

88. **(क्र. 1140) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. शासन वित्त विभाग के पत्र क्रं. F9/3/2003 नियम चार, भोपाल, दिनांक 22/5/2010 के अनुसार राज्य शासन के अधीन दिनांक 01/01/2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए परिमाणित अंगदायी पेंशन योजना लागू की गई थी ? **(ख)** क्या परिमाणित अंगदायी पेंशन योजना का लाभ चिकित्सा शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य विभागों में दिया जा रहा है ? चिकित्सा शिक्षा विभाग को यह लाभ कब तक मिलेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हां । वित्त विभाग के पत्र दिनांक 22-05-2010 के सन्दर्भ में चिकित्सा शिक्षा विभाग के ज्ञाप क्रमांक 1405-1004-चिशि-1-55, दिनांक 30-03-2013 द्वारा स्वशासी संस्थाओं में नवीन अंशदायी पेंशन योजना वर्ष 2013-14 से लागू किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे । **(ख)** नवीन अंशदायी पेंशन योजना का लाभ अन्य विभागों द्वारा दिया जा रहा है अथवा नहीं इसके संबंध में कोई जानकारी चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्तर पर संधारित नहीं की जाती है । चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रशासकीय नियत्रंण में संचालित चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, नर्सिग महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों को स्वशासी संस्था घोषित किये जाने के पश्चात् स्वशासी संस्थाओं द्वारा नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों एवं अन्य संवर्ग के कर्मचारियों के वेतन से सीपीएफ, ईपीएफ का कटौत्रा स्वशासी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है । दिनांक 15-10-2014 को प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी, जिसके कार्यवाही विवरण पर सभी अधिष्ठाताओं से चिकित्सा शिक्षा विभाग के ज्ञाप दिनांक 05-11-2014 द्वारा अभिमत चाहा गया है । ऐसी स्थिति में चिकित्सा महाविद्यालयों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में पदस्थ कर्मचारियों का अंशदान सीपीएफ, ईपीएफ की मद में जमा किये जाने से नवीन अंशदायी पेंशन योजना चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लागू किये जाने की निश्चित समय सीमा बताई जाना संभव नहीं है ।

<u>विभागीय पदोन्नति बावत्</u>

89. **(क्र. 1142) श्री देवेन्द्र वर्मा :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आदिम जाति कल्याण विभाग में दिनॉक 01.01.2014 की स्थिति में मंडल संयोजक, विकासखंड शिक्षाधिकारी प्रशासन संवर्ग जिला संयोजनक के कितने पद स्वीकृत, भरे एवं रिक्त है ? इन पदों पर पदोन्नति का कितना-कितना प्रतिशत निर्धारित है ? पदवार बतायें ? **(ख)** क्या दिनॉक 01.01.2014 की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन के प्रतिवर्ष पदोन्नति करने के निर्देशों का पालन प्रश्नांश **(क)** में वर्णित पदों पर 31 जुलाई 2014 तक पदोन्नति कर दी जावेगी ? **(ग)** यदि हॉ तो मंडल संयोजक से क्षेत्र संयोजक, क्षेत्र. संयोजक से विकासखंड शिक्षाधिकारी प्रशासन एवं जिला संयोजक के पद पर कितने पदों पर पदोन्नति कर दी जावेगी ? पदवार जानकारी बतायें ? **(घ)** यदि नहीं तो प्रश्नांश **(क)** में वर्णित 24 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बावजूद 2005 से प्रश्न दिनॉक तक प्रश्नांश **(ख)** अनुसार शासन निर्देशों का पदोन्नति हेतु पालन क्यों नहीं किया गया ? और कब तक कर लिया जायेगा कृपया समय सीमा बतायें ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (**श्री ज्ञान सिंह**) **: (क)** जानकारी परिशिष्ट–"अ" अनुसार है । परिशिष्ट–"अ" पुस्तकालय में रखा गया है । **(ख)** पदोन्नति प्रस्ताव म.प्र. लोक सेवा आयोग को प्रेषित किये जा चुके है । समय सीमा बताना संभव नहीं है । **(ग)** क्षेत्र संयोजक के पद आधिक्य में होने के कारण मण्डल संयोजक की पदोन्नति पर विचार नहीं किया जा रहा है । क्षेत्र संयोजक/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद से जिला संयोजक के 08 पद पर पदोन्नति हेतु प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जा चुका है । 03 पदों के विरूद्ध बंद लिफाफे में रखी गई अनुशंसाओं के लिए आरक्षित है एवं 08 पदों पर परिभ्रमण से निराकरण की कार्यवाही प्रचलित है । **(घ)** प्रश्नांश "ग" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

बैकलाग पदों के तहत नियुक्त कम्पाउण्डरों को नियमित किया जाना

90. **(क्र. 1158) श्री रामप्यारे कुलस्ते :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18/3/2008 एवं 20/02/2009 के पालन में समस्त बैकलाग पदों के तहत नियुक्त कंपाउंडरों को उनके प्रथम नियुक्ति दिनांक से नियमित किया गया है तो फिर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12/11/2010 के पालन में बैकलाग के पदों पर नियमित नियुक्ति देनें में भेदभाव क्यों किया जा रहा है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : जी हां । प्रकरण एक समान नहीं है, भेदभाव नहीं किया गया ।

अतिथि शिक्षक - शिक्षिकाओं को रखे जाने के मापदण्ड

91. **(क्र. 1182) डॉ. रामकिशोर दोगने :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या साऊथ टी.टी. नगर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल, माध्यमिक विद्यालय में वर्ष 2014-15 के लिये अतिथि शिक्षक, शिक्षिकायें विषयवार पढ़ाने हेतु रखा गया है ? यदि रखा गया है, तो नाम, उनकी योग्यता, विषय, प्रतिशत सहित जानकारी दें ? **(ख)** क्या यह सही है कि साऊथ टी.टी. नगर स्थित कमला नेहरू हायर सेकण्डरी स्कूल, भोपाल में वर्ष 2014-15 के लिये अतिथि शिक्षक, शिक्षिकाओं को रखा गया है ? कितने अतिथि शिक्षक, शिक्षिकायें हैं ? उनका नाम, विषय, योग्यता, प्रतिशत सहित जानकारी दें ? **(ग)** क्या यह भी सही है कि वर्ष 2013-14 में जो अतिथि शिक्षिकायें पढ़ाती थीं, उन्हें न रखते हुये नये अतिथि शिक्षिकायों को रखा गया है ? उन्हें न रखने का आधार क्या है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (**श्री पारस चन्द्र जैन**) **: (क)** जी हां । जानकारी निम्नानुसार हैः-

क्र.	नाम	योग्यता	विषय	प्रतिशत
1	श्रीमती रजनी काशव	बी.ए.	अंग्रेजी	48.80
2	कु. अदिती खरे	डिप्लोमा होल्डर	फैशन डिजाइनिंग	79
3	कु. माधुरी तिलवारी	एमएससी. बीएड. पीजीडीसीए	गणित, भौतिकी, सांख्यिकी	57 67
4	कु. नेहा शर्मा	एम.कॉम	व्यावसायिक अध्ययन	70
5	श्रीमती भगवती शर्मा	एम. ए.	संस्कृत	85

(ख) जी हां । जानकारी निम्नानुसार :-

क्र.	नाम	योग्यता	विषय	प्रतिशत
1	कु. अदिती खरे	डिप्लोमा होल्डर	फैशन डिजाइनिंग	79
2	कु. माधुरी तिलवारी	एमएससी. बीएड. पीजीडीसीए	गणित, भौतिकी, सांख्यिकी	57 67
3	कु. नेहा शर्मा	एम.कॉम	व्यावसायिक अध्ययन	70
4	श्रीमती भगवती शर्मा	एम. ए.	संस्कृत	85

(ग) जी हां । अतिथि शिक्षक चयन समिति द्वारा दिनांक 18.07.2014 से 25.07.2014 तक प्राप्त समस्त आवेदनों की स्कूटनी कर परीक्षण के तौर पर कक्षाऐं ली गई । दिनांक 25.07.2014 को उत्तरांश **(क)** वर्णित अतिथि शिक्षकों का चयन सत्र 2014715 हेतु किया गया, सत्र 2013714 में कु. प्रीति पाण्डे अतिथि शिक्षिका पढ़ाती थीं इनका सत्र 2014-15 हेतु आवेदनों 30.07.2014 को प्राप्त हुआ था किन्तु इसके पूर्व ही चयन समिति द्वारा अतिथि शिक्षिकाओं का चयन किया जा चुका था ।

ग्राम मांगरोल तहसील सबलगढ़ में अस्पताल की स्वीकृति

92. **(क्र. 1224) श्री मेहरबान सिंह रावत :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सबलगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मांगरोल में कितने बैड का अस्पताल स्वीकृत है एवं किस वर्ष स्वीकृत हुआ है ? **(ख)** क्या यह सही है कि कार्य स्वीकृत हो चुका है ? तो स्वीकृत राशि कितनी है एवं कार्य कब तक शुरू हो जावेगा ? समय-सीमा बतावें ? **(ग)** स्वीकृत कार्य किस कंपनी/ठेकेदार को दिया गया है ? एवं कार्य कब शुरू एवं कब खत्म हो जावेगा ? समय-सीमा बतावें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्रांतर्गत मांगरोल में 06 बिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है एवं वर्ष 2008 में स्वीकृत हुआ था । **(ख)** जी हॉ । भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति शासन द्वारा दिनांक 25/03/2013 को रूपये 95.00 लाख की हुई थी । परन्तु भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका । इसी कारण से आदेश क्र. 12-28/1417/मेडि-3, दिनांक 01/09/2014 को कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त कर दी गई है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । **(ग)** प्रश्नांश भाग **(ख)** के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

राज्य बीमारी सहायता कोष से राज्य के बाहर ईलाज कराने की अनुमति पुन: जिला कलेक्टर तथा CMHO को देने विषयक

93. **(क्र. 1228) सुश्री हिना लिखीराम कावरे :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** किन कारणों से विषयांकित योजना से राज्य के बाहर ईलाज कराने हेतु मेडिकल कॉलेजों से एन.ओ.सी. लेना अनिवार्य कर दिया गया था ? **(ख)** क्या यह सही है कि राज्य के बाहर के म.प्र. शासन से अनुबंधित निजी चिकित्सालय संचालकों द्वारा पुन: जिले से ही यह अनुमति दिलाने हेतु आदेश में संशोधन करने के लिए भारी-भरकम राशि देकर यह निर्णय बदलवाया गया ? **(ग)** क्या निजी चिकित्सालयों द्वारा किसी स्वस्थ व्यक्ति को बीमार बताकर यदि प्राक्कलन बना दिया जाए, तो क्या इसी

प्राक्कलन पर विषयांकित योजना की लाखों रूपये की राशि केवल एक प्राईवेट चिकित्सक पर भरोसा कर जारी कर देना क्या उचित है ? ऐसी संभावनाओं को रोकने के लिए शासन क्या उपाय करेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों/चिकित्सालयों में मरीजों को अधिक से अधिक उपचार उपलब्ध हो सके तथा चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ राज्य बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत उपचार कराने वाले मरीजों को मिल सके, इसलिये केवल उन सुविधाओ के लिये जो चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध नहीं है योजना अन्तर्गत मरीजों को राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर अधिमान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में भेजने हेतु चिकित्सा महाविद्यालयों की एन.ओ.सी. लेना अनिवार्य किया गया । **(ख)** जी नहीं । **(ग)** जी नहीं । निजी चिकित्सालयों से प्राक्कलन प्राप्त करने के उपरांत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं प्राक्कलन का पूर्ण परीक्षण, बीमारी की जांच आदि सिविल सर्जन एवं विषय विशेषज्ञ द्वारा करने एवं जिला स्तर पर गठित समिति के अनुमोदन उपरांत ही राशि स्वीकृति की कार्यवाही की जाती है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>राज्य बीमारी सहायता कोष से हितग्राही को आने-जाने के व्यय हेतु दी जाने वाली राशि</u>

94. **(क्र. 1231) सुश्री हिना लिखीराम कावरे :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बालाघाट जिले में विगत पांच वर्षों में राज्य बीमारी सहायता कोष से कुल कितने प्रकरण (जिला स्तर पर एवं प्रदेश स्तर पर) स्वीकृत किये गये ? हितग्राहियों के नाम, पता, स्वीकृत राशि तथा अस्पताल के नाम सहित जानकारी दें ? **(ख)** विगत 5 वर्षों में क्या सभी हितग्राहियों को विषयांकित योजना से आने जाने के व्यय हेतु दिये जाने वाली दो हजार रूपये की राशि को दी गयी है ? जिन हितग्राहियों को दी गयी है, उनके नाम एवं पते सहित जानकारी दें ? जिन्हें नहीं दी गयी, उन्हें क्यों नहीं दी गयी, इसका कारण बतावें ? **(ग)** ऐसे कितने प्रकरण हैं, जिनमें ईलाज न होने की दशा में संबंधित चिकित्सालयों द्वारा राशि जिला प्रशासन को वापिस की गयी ? विगत 5 वर्षो की जानकारी दें ? **(घ)** क्या चिकित्सालयों से चैक वापिस आने की दशा में परिवहन हेतु दी जाने वाली राशि पर ऑडिट ऑब्जेक्शन लिए गये हैं ? ईलाज न कराने की स्थिति में क्या हितग्राहियों द्वारा रू. 2000 के चैक वापिस किये गये हैं ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) बालाघाट जिले मे विगत पांच वर्षो में राज्य बीमारी सहायता कोष से जिला स्तर पर 386 प्रकरण एवं प्रदेश स्तर पर 167 प्रकरण कुल 553 प्रकरण स्वीकृत किये गए । शेष प्रश्न भाग की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ"** अनुसार है । **(ख)** विगत 5 वर्षो में उन सभी हितग्राहियों को आने जाने के व्यय हेतु दो हजार की राशि दी गयी है, जिनको जिला बीमारी सहायता निधि से उपचार हेतु अधिकतम स्वीकृति के अधिकार राशि 75,000 रूपये अथवा अक्टूबर 2010 के संशोधन अनुसार अधिकतम स्वीकृत राशि 1,00,000 रूपये से कम राशि स्वीकृत की गई है व प्रदेश एवं संभाग स्तर से अधिकतम अधिकार राशि 1,50,000 अथवा अक्टूबर 2010 के संशोधन अनुसार 2,00,000 रूपये से कम राशि स्वीकृत की गयी है । संचालनालय से कार्यालय में प्राप्त स्वीकृति आदेश पश्चात हितग्राही के उपस्थित होने पर परिवहन व्यय की राशि 2000/- दी गयी है । उन प्रकरणों में हितग्राहियों को राशि 2000 रूपये परिवहन व्यय नहीं दिया जाता, जिसमे जिला बीमारी सहायता निधि से उपचार हेतु अधिकतम स्वीकृति के अधिकार राशि 75,000 रूपये अथवा अक्टूबर 2010 के संशोधन अनुसार 1,00,000 रूपये की राशि स्वीकृत की गयी है व प्रदेश स्तर अथवा संभाग स्तर से अधिकतम स्वीकृति के अधिकार राशि 1,50,000 रूपये अथवा अक्टूबर 2010 के संशाेधन अनुसार 2,00,000 रूपये अधिकतम स्वीकृत की गयी है । जिला बीमारी सहायता निधि से 197 हितग्राहियों एवं राज्य/संभाग स्तर के

191 हितग्राहियों को परिवहन व्यय राशि 2000 रूपये प्रदाय की गयी है । प्रश्न भाग की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब"** अनुसार है । **(ग)** विगत 5 वर्षो में इलाज न होने पर सम्बधित चिकित्सालय द्वारा जिला प्रशासन को वापिस की गयी राशि से सम्बधित प्रकरणों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स"** अनुसार है । **(घ)** चिकित्सालयों से चैक वापिस आने की दशा में परिवहन हेतु दी गई राशि पर ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया है । इलाज न कराने की स्थिति मात्र तीन हितग्राहियों को प्रदाय की गयी परिवहन राशि 2000 रूपये हितग्राहियों द्वारा उपयोग करने के कारण वापिस नहीं किया गया ।

<u>प्राथ.स्वास्थय केन्द्र मझगवॉ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रोन्नत किया जाना</u>

95. **(क्र. 1240) श्रीमती नंदनी मरावी :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि 1.30 लाख की जनसंख्या में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की या स्थापित पी.एच.सी को प्रोन्नत कर सामुदायिक स्वा.केन्द्र में करने हेतु संचालनालय स्वास्थ्य से आवश्यक जानकारी हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर को पत्र लिखा गया था ? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** यदि हां, तो जबलपुर जिले की प्राथ.स्वास्थ्य केन्द्र मझगवां को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रोन्नत करने हेतु क्या कार्यवाही हुई ? **(ग)** क्या यह सही है, कि 1.30 लाख की जनसंख्या की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जा सकता हैं, तो जबलपुर जिले के मझगवां पी.एच.सी में कुल 154 गॉव आते है, एवं उनकी आबादी 1.30 लाख से अधिक हैं ? **(घ)** यदि हां, तो प्राथ.स्वास्थ्य केन्द्र मझगवां को कब तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रोन्नत कर स्टाफ की पदस्थापना की जायेंगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हां । **(ख)** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर से दिनांक 20.10.2014 को उक्त जानकारी प्राप्त हुई है । इसका परिक्षण किया जा रहा है, परीक्षण उपरांत आगामी कार्यवाही हेतु निर्णय लिया जावेगा । **(ग)** जी हां । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर द्वारा प्रेषित जानकारी का परीक्षण किया जा रहा है । **(घ)** प्रकरण परीक्षणाधीन है । निश्चित समयावधी बताना संभव नहीं ।

<u>विकास</u> <u>खण्ड</u> **<u>शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बजट का आबंटन</u>**

96. **(क्र. 1241) श्रीमती नंदनी मरावी :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के संचालन हेतु स्टेशनरी,फर्नीचर एवं अन्य कार्यालयीन व्यय हेतु प्रतिवर्ष कितने बजट का प्रावधान जिला जबलपुर अंतर्गत विकास खण्ड कार्यालयों में हैं ? वर्ष 2009 से 2013-14 तक की वर्षवार जानकारी उपलब्ध करायें ? **(ख)** क्या यह सही है कि प्रश्नांश **(क)** कार्यालय का कार्य निचले स्तर की महत्वपूर्ण जानकारियॉ उच्च स्तर पर भेजने का होता है ? राशि के अभाव में स्टेशनरी आदि छोटे-छोटे व्ययों के लिये कार्यालय संचालन में कठिनाई होती हैं ? वर्ष 2014-15 में कितना बजट स्टेशनरी, फर्नीचर, कर्मचारी यात्रा देयक में उपलब्ध कराया जा रहा है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार. **(ख)** जी हां । जी नहीं । प्रश्नांश क के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । वित्तीय वर्ष 2014-15 में निम्नानुसार बजट उपलब्ध कराया जा रहा हैः- योजना क्रमांक 27-2202-01-001-3930- विकास खण्डस्तर कार्यालय की स्थापना । -राशि रूपयों में

क्र.	बजट शीर्ष	विवरण	आवंटन (प्रति विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी)
१	२२-००१	डाक	९५०
२	२२-००४	पुस्तके	३००
३	२२-००६	वर्दी	१०००
४	२२-००७	स्टेशनरी	४००
५	२२-०१३	कार्या. उपकरण	४००
६	३४-००९	सामग्री प्रतिपूर्ति	१२००

नोटः-यात्रा भत्ता का बजट सेन्ट्रल ग्लोबल है, इसलिये वितरण का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

लिपिक संवर्ग/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति

97. **(क्र. 1242) श्रीमती नंदनी मरावी :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वर्ष में दो बार पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित किये जाने का प्रावधान हैं ? **(ख)** जिला जबलपुर अंतर्गत लिपिक, सहायक ग्रेड-2 एवं 3 एवं लेखापाल के कितने पद एवं कब से रिक्त हैं, विवरण उपलब्ध करावें ? **(ग)** प्रश्नांख **(ख)** रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रश्नांश **(क)** अनुसार पदोन्नति समिति की बैठक वर्ष 2010-11 से प्रश्नांश दिनांक तक कब-कब आयोजित की गई और कितने कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया ? यदि नहीं की गई तो क्यों ? कब तक पदोन्नति कर दी जावेंगी, समय सीमा बतायें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हां । (ख) जबलपुर जिला अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है-

क्र	पदनाम	रिक्त पद की संख्या	कब से रिक्त है
1	मुख्य लिपिक/सहायक ग्रेड-1	07	सितम्बर 2014 से
2	लेखापाल	10	वर्ष 2010 से
3	सहायक ग्रेड-2	20	वर्ष 2010 से
4	सहायक ग्रेड-3	00	-

(ग) प्रश्नांश ख रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रश्नांश **(क)** अनुसार पदोन्नति समिति की बैठक वर्ष 2010-11 से प्रश्नांश दिनांक तक जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार संयुक्त संचालक जबलपुर संभाग की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 11-02-14 को आयोजित की गई और जिसमें लेखापाल से मुख्य लिपिक / सहायक ग्रेड-1 के पद पर 08 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है । भृत्य से सहायक ग्रेड-3 एवं सहायक ग्रेड-2/लेखापाल के पद पदोन्नति में शिकायत की जांच एवं न्यायालयीन प्रकरण प्रचलन में होने के कारण पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की जा सकी है । शिकायत की जांच पूर्ण होने तथा न्यायालयीन प्रकरण निराकरण के उपरांत पदोन्नति की कार्यवाही की जावेगी । निश्चित समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

आयुष विभाग में नियम विरूद्ध पदोन्नति को निरस्त किया जाना

98. **(क्र. 1251) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) , श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि म.प्र. शासन आयुष विभाग की नोटशीट क्र. 1180/2010/59 दिनॉक 29.07.2010 से आयुर्वेद के 14 विषयों के समान पदों को एक साथ मिलाकर निर्मित आरक्षण रोस्टर को विसंगतियुक्त ठहराया जाकर रोस्टर अद्यतन करने के निर्देश दिये गये ? इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त किया गया था अथवा नहीं ? यदि हॉ तो कब-कब ? **(ख)** क्या यह सही है कि आरक्षण रोस्टर के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में प्रदत्त अभिमतानुक्रम में शासन अनुमोदित संस्थावार, विषयवार, संवर्गवार आरक्षण रोस्टर दिनॉक 22.09.2012 को जारी किया गया ? **(ग)** क्या यह सही है कि संस्थावार, विषयवार, संवर्गवार जारी आरक्षण रोस्टर दिनॉक 22.09.2012 के पूर्व भी इसी आधार पर पदोन्नतियॉ की गई हैं ? **(घ)** क्या यह सही है कि शासन अनुमोदित संस्थावार, विषयवार, संवर्गवार आरक्षण रोस्टर दिनॉक 22.09.2012 को आदेश दिनॉक 19.11.2013 से निरस्त किया गया है ? यदि हॉ तो इसी आधार पर 22.09.2012 के पूर्व व पश्चात् की तिथियों में पदोन्नत शिक्षकों की पदोन्नतियॉ निरस्त की जायेंगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हॉ । जी हॉ सामान्य प्रशासन विभाग से दिनांक 02/02/2012 एवं 07/03/2012 को अभिमत प्राप्त हुआ । **(ख)** जी हॉ । **(ग)** जी हॉ । **(घ)** जी हॉ । यह प्रकरण जबलपुर उच्च न्यायालय में लंबित है । इस प्रकरण में याचिका क्रमांक 9215/2013 एवं अन्य याचिकाओं में निर्णय के उपरांत ही आगामी कार्यवाही की जावेगी ।

शिकायत की जांच व कार्यवाही

99. **(क्र. 1258) पं. रमेश दुबे :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. के शासकीय शालाओं में शिक्षकों के द्वारा कराये जाने वाले शैक्षणिक कार्यों का कोई लेखा-जोखा रखने अर्थात कोई दैनंदिनी डायरी तैयार करने के आदेश/निर्देश क्या म.प्र. शासन द्वारा जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें ? **(ख)** शासकीय शालाओं से अनुपस्थित रहने, शैक्षणिक कार्य नहीं करने, शाला परिसर में अभद्र व्यवहार करने वाले शिक्षकों के विरूद्ध दण्ड का किन नियमों में क्या प्रावधान है ? कार्यवाही हेतु किन नियमों से कौन सशक्त है, बतावें ? **(ग)** क्या प्रश्नकर्ता को प्राथमिक शाला खैरांजढ़ाना विधान सभा क्षेत्र चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा में पदस्थ शिक्षक श्री श्रावण टेकाम के विरूद्ध शाला से निरंतर अनुपस्थित रहने, शैक्षणिक कार्य नहीं करने, गणवेश की राशि छात्र-छात्राओं को समय पर प्रदान नहीं करने इत्यादि के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत की जांच कर कार्यवाही करने हेतु प्रश्नकर्ता ने पत्र क्रं. 1796, दि. 1.9.2014, जिला शिक्षा अधिकारी, छिन्दवाड़ा को पत्र क्र. 1797, दि. 1.9.2014 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छिन्दवाड़ा को प्रस्तुत किया है ? **(घ)** यदि हां, तो प्रस्तुत पत्रों पर किस स्तर से क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या शिकायत की जांच की गयी है ? हां, तो कब और किस अधिकारी के द्वारा ? जांच में कौन दोषी पाया गया, तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) - जी हां, "जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र १** अनुसार है ।" ख- शिक्षक संवर्ग के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं अध्यापक संवर्ग के विरूद्ध नगरीय निकायों की शालाओं के शिक्षकों के लिए म.प्र. नगरीय सेवा आचरण नियम 1998 तथा

पंचायत निकाय की शालाओं के शिक्षकों के लिए म.प्र. पंचायत सेवा आचरण नियम 1998, एवं म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील नियम 1999) के अधीन संबंधित पद के नियोक्ता अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है । **(ग)** जी हां । **(घ)** - जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर पर दण्डात्मक कार्यवाही की गई है । जी हां । प्राचार्य शास. उत्कृष्ट विद्यालय चौरई द्वारा दिनांक 26-08-2014 को जांच की गई, जांच में श्री श्रावण कुमार टेकाम शास प्राथमिक शाला खैराजढाना संकुल केन्द्र शास उत्कृष्ट विद्यालय चौरई को दोषी पाया गया तथा म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील नियम 1999) के नियम-5 के तहत एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है । "जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2** अनुसार है ।"

अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति किए जाने संबंधी नियम

100. **(क्र. 1259) पं. रमेश दुबे :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. के शासकीय शालाओं में शैक्षणिक कार्यों हेतु अतिथि शिक्षक नियुक्त किये जाने के संबंध में म.प्र. शासन के क्या नियम/ निर्देश हैं ? चयन का मापदण्ड क्या है ? आदेश/निर्देश की प्रति सहित जानकारी दें ? **(ख)** क्या प्रश्नकर्ता को श्री कमलेश साहू, निवासी-धौलपुर से यह शिकायत प्राप्त होने पर कि प्रधान पाठक, प्रा. शाला, धौलपुर विधान सभा क्षेत्र-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के द्वारा 15 जुलाई, 2013 से रूपये 2000 प्रतिमाह मानदेय एवं आने वाले वर्ष में अतिथि शिक्षक के पद पर नियुक्ति का प्रलोभन देकर वर्ष भर शैक्षणिक कार्य कराया गया ? प्रश्नकर्ता ने पत्र क्रं. 2010, दि. 25.9.2014, जिला शिक्षा अधिकारी, छिन्दवाड़ा को जांच कर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया है ? **(ग)** क्या प्राथमिक शालाओं के प्रधान पाठकों को 2000 रूपये प्रतिमाह की मानदेय पर शालाओं में शैक्षणिक कार्य कराने अथवा अतिथि शिक्षक नियुक्त करने का कोई अधिकार किन्हीं आदेशों/निर्देशों के तहत प्रदत्त किया गया है ? यदि हां, तो आदेश/निर्देश की प्रति संलग्न करें ? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** का उत्तर यदि नहीं है, तो क्या प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तुत पत्र पर जांच हुई है ? क्या शासन एक बेरोजगार व्यक्ति को गुमराह कर 2000 रूपये प्रतिमाह की मानदेय पर रखने और उसे यह मानदेय भुगतान नहीं करने अथवा अतिथि शिक्षक के पद पर नियुक्ति का लालच देकर शैक्षणिक कार्य कराने का आरोपी प्रधान पाठक प्राथमिक शाला धौलपुर को दोषी मानता है ? यदि हां, तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** अनुसार । **(ख)** प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 25.9.2014 को जिला शिक्षा अधिकारी को जांच हेतु लिखा गया है । **(ग)** जी नहीं, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । **(घ)** जी हां, जांच प्रतिवेदन के प्रकाश में दोषी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी, छिन्दवाडा के आदेश दिनांक 26.11.2014 द्वारा निलंबित किया गया है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति महापंचायत में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं

101. **(क्र. 1260) श्री राजेन्द्र श्यामलाल (राजू भैया) दादू :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विमुक्त, घुमक्कड़ अर्द्धघुमक्कड़ जाति की महापंचायत में उक्त वर्ग के हित में की गई घोषणाओं में से कितनी घोषणाओं पर योजना बनाई जाकर म.प्र. शासन द्वारा स्वीकृत/लागू की जा चुकी है ? **(ख)** स्वीकृत हो चुकी योजनाओं घोषणाओं में विगत एक वर्ष में म.प्र. में उक्त वर्ग के कितने-कितने व्यक्ति लाभांवित हो चुके हैं ? **(ग)** क्या विमुक्त घुमक्कड़ जातियों में से कुछ जातियों की अ.ज. एवं अ.ज.जा. वर्ग में शामिल कर लिया गया है, क्या शेष जातियों को अ.ज.जा. वर्ग में

शामिल करने हेतु शासन स्तर से कोई कार्यवाही प्रचलन में है ? यदि हां, तो कब तक कार्यवाही पूर्ण होगी ? अवधि बतावें ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा दिनांक 04 जुलाई, 2013 को आयोजित विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति पंचायत में उक्त वर्ग के हित में की गई 21 घोषाणाओं में से 06 घोषणाएं, नवीन योजनाएं बनानें के संबंध में थी, जिसमें से 03 योजनाएं बनाई जाकर शासन द्वारा स्वीकृत/लागू की जा चुकी है । जानकारी **संलग्न परिशिष्ट** पर है । **(ख)** स्वीकृत हो चुकी योजनाएं इसी वर्ष 2014-15 से लागू हुई हैं । अतः किसी व्यक्ति को लाभांवित नहीं किया गया है । **(ग)** विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजातियों में से 14 जातियॉ अनुसूचित जाति में शामिल हैं । शेष जनजातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करनें हेतु कार्यवाही प्रचलन में नहीं है । जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।
परिशिष्ट -"सैंतीस"

<u>अधिकारी की मूल विभाग में वापसी</u>

102. **(क्र. 1268) श्री आरिफ अकील :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 1361) दिनांक 11 जुलाई 2014 को सदन में चर्चा के दौरान माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया था कि मध्यप्रदेश स्टेट हज कमेटी के सीईओ को आगामी 2 माह में उनके मूल विभाग में वापिस कर दिया जावेगा तो क्या यह भी सही है कि प्रश्नकर्ता ने माह सितम्बर 2014 को माननीय विभागीय मंत्री जी ओर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन को पत्र लिखकर अवगत कराया था कि आश्वासन के बाद भी दोषी व अयोग्य प्रदेश हज कमेटी के सीईओ को उनके मूल विभाग वापिस नहीं किया गया है ? **(ख)** यदि हां, तो प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बतावें तथा यह भी अवगत करावें कि कार्यवाही किस स्तर पर विचाराधीन है तथा कब तक कार्यवाही कर अपचारी अधिकारी को वापिस किया जावेगा ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1361 से उदभूत आवश्वासन क्रमांक 526 मध्यप्रदेश हज कमेटी के कार्यपालन अधिकारी, से संबंधित न होकर मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल से संबंधित था । उक्त आश्वासन की जानकारी विधान सभा सचिवालय को भेजी दी गई है । प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30.09.2014 प्राप्त हुआ । **(ख)** अपचारी अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित कर दी गई है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 6673/2011 में स्थगन होने के कारण इन्हें वापस करना संभव नहीं हुआ है । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात् यथासमय आवश्यक कार्रवाही करना संभव होगा ।

<u>गैस राहत अस्पतालों में माननीय उच्चतम</u> न्यायालय **<u>के निर्देशों की अव्हेलना</u>**

103. **(क्र. 1269) श्री आरिफ अकील :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** गैस राहत विभाग द्वारा संचालित अस्पतालों की व्यवस्थाओं के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार दिनांक 17 सितम्बर 2014 को गठित निगरानी व सलाहकार समिति द्वारा अस्पतालों में उपलब्ध उपकरणों की कमी व रख-रखाव दवाईयों की कमी व उसकी पूर्ति व स्टाफ की कमी व पूर्ति के संबंध में कब-कब सिफारिशे एवं आपत्तियां की गई है ? **(ख)** माह नवम्बर 2013 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सिफारिशे एवं आपत्तियां ली गई ? और उनके निराकरण हेतु कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई ? तथा कौन-कौन सी सिफारिशों एवं आपत्तियों का निराकरण किन-किन कारणों से नहीं किया गया, तथा कब तक निराकरण कर लिया जावेगा ? यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बतावें ?

(ग) वर्तमान में गैस राहत की निगरानी व सलाहकार समिति में कौन-कौन पदस्थ है ? उनके नाम व पद सहित बतावें ? **(घ)** माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार गैस राहत बस्तियों में शुद्ध पेयजल एवं सम्पूर्ण उपचार उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही की गई, तथा निर्देशों का समय पर पालन नहीं करने के क्या कारण हैं तथा इस लापरवाही के लिए कौन-कौन दोषी है एवं माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार कब तक कार्यवाही पूर्ण कर गैस पीड़ितों को लाभ मिलेगा बतावें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक १७.९.२०१४ को निगरानी व सलाहकार समिति गठन के कोई आदेश नहीं है । **(ख)** प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । **(ग)** वर्तमान में गैस राहत की निगरानी मॉनीटरिंग) समिति :-१. जस्टिस व्ही. के. अग्रवाल - अध्यक्ष २. डॉ. निर्भय श्रीवास्तव सेवानिवृत्त डी.एम.ई. - सदस्य ३. डॉ. भानुप्रकाश दुबे, डीन, जी.एम.सी. - सदस्य ४. श्री पूर्णेन्दु शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार - सदस्य ५. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश - सदस्य सचिव वर्तमान में गैस राहत की सलाहकार (एडवाइजरी) समिति :- १. डायरेक्टर जनरल, आई.सी.एम.आर. - अध्यक्ष २. डॉ. पी.एम.भार्गव, मोलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट - सदस्य ३. डॉ. सी.सी.चौबल, एक्स प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन रिनाउंड गेस्टोएन्टोलॉजिस्ट - सदस्य ४. डॉ. श्याम अग्रवाल, ऑनकोलॉजिस्ट - सदस्य ५. डॉ. दीपक मेहता, मेडिकल प्रेक्टिशनर - सदस्य ६. डॉ. सी. सत्यमाला - सदस्य ७. डायरेक्टर एम्स - सदस्य **(घ)** रिट पिटीशन क्रमांक ६५७/१९९५ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायमूर्ति श्री के. के. लाहोटी/श्री अजीत सिंह की अगुआई में गठित मॉनीटरिंग कमेटी के निर्देशन में गैस प्रभावित बस्तियों में शुद्ध पेयजल एवं नल कनेक्शन प्रदाय किया गया है/जा रहा है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एडवायजारी और मॉनिटरिंग कमेटी के मार्गदर्शन में गैस प्रभावितों को सम्पूर्ण उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है । निर्देशों का पालन किया जा रहा है । लापरवाही की शिकायत प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाती है । गैस पीड़ितों को माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार शुद्ध पेयजल व उपचार मिल रहा है । उपचार एवं स्वास्थ्य व्यवस्था के संबंध में जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** अनुसार है।

अध्यापक संवर्ग का स्थानांतरण

104. **(क्र. 1279) श्री मेहरबान सिंह रावत :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अध्यापक संवर्ग (पुरुष) की स्थानांतरण नीति कब से लागू कर दी जाएगी ? समयावधि बताऐं ? **(ख)** क्या यह सही है कि पुरुषों की अध्यापक संवर्ग स्थानांतरण नीति आज दिनॉक तक लागू नहीं की गई है, क्यों ? कारण बतावें ? **(ग)** क्या यह सही है सामान्य महिला एवं विकलांग की स्थानांतरण नीति प्रदेश में लागू हैं ? यदि हॉ तो नियमावली प्रस्तुत करें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) अध्यापक संवर्ग (पुरूष) के स्थानांतरण/संविलियन की वर्तमान में कोई नीति नहीं है । अत: इसे लागू करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ख) जी हां । प्रश्नांश 'क' के उत्तर अनुसार कोई नीति नहीं होने से । **(ग)** जी हां । महिला नि:शक्त एवं परस्पर आधारित संविलियन की नीति लागू है । "जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** अनुसार है ।"

इंदौर जिले के ढाबे का संचालन

105. **(क्र. 1286) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि इंदौर जिले की सीमान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग, रिंग रोड, बायपास रोड पर ढावे

(भोजनालय) संचालित हो रहे है ? यदि हॉ, तो क्या इन संचालित ढाबों के संचालकों द्वारा नियमानुसार ढाबे संचालन की स्वीकृति ली गई है ? यदि हॉ, तो पंजीकृत (जिनके द्वारा ढाबें संचालन की स्वीकृति ली है) ढाबों की सूची उपलब्ध करावें ? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** अनुसार संचालित ढाबों के खुलने व बन्द होने की समय सीमा निर्धारित है ? यदि हॉ, तो समय सीमा स्पष्ट करें ? क्या समय सीमा से अधिक देर रात तक ढाबे खुले होने पर संबंधित विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है ? यदि हॉ, तो क्या कार्यवाही की जाती है ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी हॉ । इन ढाबों के संचालन की स्वीकृति श्रम कार्यालय द्वारा जारी नहीं की जाती है । अत: शेष प्रश्न उपस्थित नही होता है । (**ख)** प्रश्नांश **(क)** के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

<u>शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल में की गई नियुक्तियॉ</u>

106. **(क्र. 1290) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या 2003 में शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल में व्यवस्था पंचकर्म के पद पर डॉ. कामिनी सोनी व वर्ष 2008 में डॉ. उमेश शुक्ला की प्रोफेसर पंचकर्म के पद पर नियुक्त किया गया यदि हां, तो डॉ. शुक्ला व डॉ. सोनी से संबंधित वर्ष 2008 तक के शैक्षणिक समय चक्र प्रस्तुत करें ? **(ख)** क्या डॉ. उमेश शुक्ला चित्रकूट के जिस स्नात्तकोतर आयुर्वेद शिक्षण संस्थान में वर्ष 1993 से 1999 तक पदस्थ रहे वह कभी भी सीसीआईएम द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं रहा और ना ही डॉ.शुक्ला वर्ष 1997 में कार्य चिकित्सा के पीजी छात्रो के उत्तीर्ण होकर चले जाने के बाद सीसीआईएम द्वारा उपाधि पाठयक्रमों के मान्यता प्राप्त शिक्षक रहे यदि हां,तो मान्यता संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करें ? **(ग)** क्या दिनांक 08/12/2003 के पदोन्नति आदेश द्वारा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल में प्रोफेसर अंगदतंत्र पद पर डॉ.एल.आर.व्यास की पदोन्नति की गई थी ? **(घ)** क्या यह सही है कि राजपत्रित सेवा श्रेणी का सदस्य न होने पर भी डॉ.उमेश कुमार शुक्ला को राजकोष से आहरण संवितरण के अधिकार सहित प्रधानाचार्य का प्रभार देकर म.प्र. वित्त संहिता नियम 2(23)2(9) एवं म.प्र. संहिता कोषालय संहिता नियम 125 के नियमों का उल्लंघन किया गया ? यदि हां, तो डॉ. शुक्ला को पद से पृथक करेंगे ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हॉ । शैक्षणिक समय चक्र की प्रति "पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट "अ" अनुसार" है । **(ख)** डॉ. उमेश शुक्ला प्रश्नाधीन अवधि में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट के स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान में पदस्थ थे । उक्त विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर उपाधि सी.सी.आई.एम. द्वारा मान्यता प्राप्त होने संबंधी अभिलेख "पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट "ब" अनुसार" है । **(ग)** प्रश्नांश "ग" में वर्णित आदेश जारी किया गया था जो शासन नोटशीट दिनांक 13/12/2003 के द्वारा, दिनांक 08/12/2003 को जारी किये गये प्रधानाचार्य एवं रीडर के पद पर पदोन्नति संबंधी 2 अन्य आदेशों सहित निरस्त किया गया । शासन आदेश दिनांक 28/02/2004 के द्वारा पदोन्नति आदेश जारी किया गया, जिसमें डॉ. एल.आर.व्यास, रीडर शल्य शालाक्य, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रीवा को प्रोफेसर, शल्य शालाक्य के पद पर पदोन्नत करते हुए शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, इन्दौर में पदस्थ किया गया । **(घ)** डॉ. उमेश शुक्ला, प्रोफेसर को वरिष्ठता के आधार पर प्रधानाचार्य का प्रभार दिया गया है । विभाग में 9 शासकीय स्वशासी आयुष महाविद्यालयों में से 7 महाविद्यालयों में स्वशासी सेवा के प्रधानाचार्य/प्रभारी प्रधानाचार्य है जो आहरण एवं संवितरण अधिकारी भी है ।

चन्दला विधानसभा क्षेत्र में डाक्टरों की कमी

107. **(क्र. 1291) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** छतरपुर जिले में ऐसे कितने चिकित्सक है जो तीन वर्ष से अधिक एक ही स्थान पर पदस्थ है उनमें से कितने चिकित्सकों का गृह जिला छतरपुर हैं ? क्या इस कारण से चन्दला विधानसभा क्षेत्र में डाक्टरों की कमी हैं ? **(ख)** चन्दला विधानसभा क्षेत्र के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर डॉक्टरों के कितने पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में कितने चिकित्सक वहां पदस्थ है, यदि चिकित्सकों की कमी है तो कब तक पूरी की जावेंगी ? **(ग)** छतरपुर जिले के ऐसे कितने चिकित्सक हैं जिनके संबंध में विभिन्न शिकायतें लंबित हैं ? शिकायतों पर की गयी कार्यवाही का ब्योरेवार विवरण प्रदाय करें ? **(घ)** यदि कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी हैं तो कब तक की जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) छतरपुर जिले में 49 चिकित्सक तीन वर्ष से अधिक एक ही स्थल पर पदस्थ एवं इनमें से 35 चिकित्सकों का गृह जिला छतरपुर है । जी नहीं, विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 07 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक पदस्थ है । **(ख)** जानकारी परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है । विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है, वर्तमान में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है, विशेषज्ञों के शतप्रतिशत रिक्त पदों की पूर्ति में कठिनाई होगी, द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों की पद पूर्ति हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा जून 2014 में 1271 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया जा चुका है, चयन सूची प्राप्त होने के उपरांत उपलब्धता के आधार पर पदस्थापना की कार्यवाही की जावेगी । पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है । **(ग)** जानकारी परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है । **(घ)** जॉच की कार्यवाही प्रचलन में है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट -"अड़तीस"

प्राथमिक-माध्यमिक विद्यालयों में प्रदत्त सुविधाऐं

108. **(क्र. 1297) श्री हर्ष यादव :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** देवरी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत किन-किन ग्रामों में प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं ? उक्त विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने प्राथमिक-माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल शौचालय,किचिन-शेड व खेल मैदान/परिसर की व्यवस्था है ? **(ख)** उक्त विद्यालयों में से कितने में पेयजल स्त्रोत/हैण्डपम्प, शौचालय, किचिन शेड चालू हालत/उपयोग योग्य हैं ? किनमें नहीं ? क्या स्कूल/परिसर/खेल मैदान की भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग से कराया गया है और क्या स्कूल की भूमि को चिन्हित किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ? कितने स्कूलों/स्कूल परिसर व खेल मैदान की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है ? कब-कब उक्त अतिक्रमण हटवाने हेतु राजस्व विभाग को लेख किया गया है ? **(ग)** खराब पड़े हैण्डपंप कब तक ठीक करा लिये जावेगें व कब तक मध्यान्ह भोजन किचिन शेडों में तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा साथ ही कब तक बंद पड़े शौचालयों को ठीक करा लिया जावेगा ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) देवरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 380 ग्रामो में प्राथमिक एवं 163 ग्रामो में माध्यमिक विद्यालय संचालित है । सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ"** अनुसार विद्यालयों में पेयजल, शौचालय, किचिन शेड व खेल मैदान/परिसर की व्यवस्था निम्नानुसार है -

शालाएँ	कुल शालाएँ	पेयजल	शौचालय	किचिन शेड	खेल मैदान/ परिसर
प्राथमिक	394	394	394	371	338
माध्यमिक	172	172	172	143	147

(ख) उक्त विद्यालयों में से निम्नानुसार मे पेयजल स्रोत/हेण्डपंप, शौचालय, किचिनशेड चालू हालत/उपयोग योग्य है-

शालाएँ	कुल शालाएँ	पेयजल स्त्रोत/हैंडपंप	शौचालय	किचिन शेड
प्राथमिक	394	339	373	348
माध्यमिक	172	151	162	138

- उक्त विद्यालयों में से निम्नानुसार में पेयजल स्रोत/ हेण्डपंप, शौचालय, किचिनशेड नहीं है -

शालाएँ	कुल शालाएँ	पेयजल स्रोत/हेण्डपंप	शौचालय	किचिन शेड
प्राथमिक	394	18	21	23
माध्यमिक	173	4	10	5

देवरी विधानसभा की 394 मे से 242 प्राथमिक एवं 172 मे से 116 माध्यमिक विद्यालयों के परिसर/खेल मैदान की भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग से कराया गया है तथा सभी स्कूलो की भूमि को चिन्हित किया गया हैं । देवरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 29 प्राथमिक एवं 10 माध्यमिक विद्यालयों के खेल मैदान/परिसर की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है । अतिक्रमण हटाने एवं शेष विद्यालयो का सीमांकन करने हेतु जिला शिक्षा केन्द्र सागर के पत्र क्र. 2584 दिनांक 11.08.11, पत्र क्र. 352 दिनांक 27.01.2012, पत्र क्र. 549 दिनांक 27.02.13, पत्र क्र 2283. दिनांक 29.08.13., पत्र क्र. 351 दिनांक 08.05.2014 से राजस्व विभाग को लेख किया गया है । **(ग)** खराब पड़े हैण्डपंप सुधारने एवं उनके रख-रखाव कार्य हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग लेख किया जा चुका है । जिन विद्यालयों में किचिन शेड उपयोग योग्य है, वहां मध्यान्ह भोजन किचिन शेडो में ही तैयार किया जा रहा है । बंद पडे शौचालयों को ठीक कराने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । निश्चित समय सीमा बताना संभव नही है । "जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** अनुसार है ।"

<u>शिक्षाकर्मी/संविदा शिक्षकों की पदोन्नति/क्रमोन्नति</u>

109. **(क्र. 1298) श्री हर्ष यादव :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में शिक्षाकर्मियों व संविदा शिक्षकों की पदोन्नति व क्रमोन्नति के क्या नियम, शर्ते व प्रावधान हैं ? नियुक्ति दिनॉक से कितनी अवधि में पदोन्नति व कितनी अवधि में क्रमोन्नति प्राप्त करने की पात्रता है ? **(ख)** सागर जिले में वर्ष 1998 में नियुक्त पात्र सभी शिक्षाकर्मियों को पदोन्नति का लाभ दिया गया है ? यदि हॉ तो कब, यदि नहीं तो क्या कारण हैं ? **(ग)** जिन शिक्षाकर्मियों को 7 वर्ष बाद संविदा भर्ती के कारण नियमानुसार 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति नहीं दी गई है ? क्या उन्हें क्रमोन्नति देना उचित है ? यदि हॉ तो शासन व विभाग की क्या नीति व अभिमत है ? यदि नहीं तो क्या उनके हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं ? **(घ)** संविदा शिक्षकों को 7 वर्ष की अवधि में व शिक्षाकर्मियों को 14 वर्ष की अवधि में पदोन्नति देने के क्या कारण है ? क्या इस विसंगति पर विभाग विचार कर शिक्षाकर्मियों को अन्य सामयिक लाभ देकर प्रतिपूर्ति करेगी ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) प्रदेश में शिक्षाकर्मियों का संविलियन दिनांक 1.4.2007 से अध्यापक संवर्ग में किया गया है । म.प्र.पंचायत शिक्षाकर्मी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1997 दिनांक 11.9.2008 से निरसित कर दिया गया है । संविदा शाला शिक्षक के नियमों में पदोन्नति एवं क्रमोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है । शिक्षाकर्मियों के संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षकों के नियुक्ति से अध्यापक संवर्ग का गठन किया गया है । अध्यापक संवर्ग को पदोन्नति हेतु धारित पद पर न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव एवं क्रमोन्नति हेतु 12 वर्ष का अनुभव आवश्यक है । **(ख)** जी नहीं । पदोन्नति की कार्यवाही पद की उपलब्धता, फिडर केडर में उपलब्ध व्यक्ति की वरिष्ठता, योग्यता एवं अर्हता पर निर्भर करती है । जो सतत् प्रक्रिया है । **(ग)** जी हां । धारित पद पर 12 वर्ष की सेवा के उपरांत प्रथम एवं 24 वर्ष की सेवा के उपरांत द्वितीय क्रमोन्नति दिये जाने का प्रावधान है । **(घ)** इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है । अध्यापक संवर्ग में पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर दी जाती है । शिक्षाकर्मियों को संविदा शाला शिक्षकों के पहले वरिष्ठता पूर्व से ही प्राप्त है ।

रीवा जिले के विकासखण्ड हनुमना एवं मऊगंज में प्रसूति सहायता का वंटन

110. **(क्र. 1305) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश सरकार द्वारा प्रसूति सहायता राशि प्रदाय की जाती है ? **(ख)** यदि हॉ, तो रीवा जिला अंतर्गत विकास खण्ड हनुमना एवं मऊगंज में विगत तीन वर्षों में कितने लोगों को प्रदाय की गई है ? **(ग)** क्या यह सही है कि उक्त राशि का वंटन विगत एक वर्ष से बंद है ? जिससे हितग्राहियों को प्रसूति सहायता नहीं मिल पा रही है, यदि हॉ, तो क्यों ? कारण सहित बतावें ? वंटन कब तक जारी कर दिया जावेगा ? समय सीमा बतावें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हॉ । **(ख)** प्रश्नावधि में रीवा जिला अन्तर्गत विकासखण्ड हनुमना में 6 तथा मउगंज में 5 लोगों (हितग्राहियों) को प्रसूति सहायता राशि प्रदाय की गई । **(ग)** जी नहीं । प्रसूति राशि का आवंटन स्वास्थ्य विभाग द्वारा 31 अक्टूबर 2014 से किया जा रहा है ।

प्रतिनियुक्ति समाप्त कर अतिरिक्त प्रभार से हटाये जाना

111. **(क्र. 1306) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या रीवा जिले के विकासखण्ड हनुमना एवं मऊगंज में संचालित आदिवासी विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति में शिक्षकों को अधीक्षक का प्रभार दिया गया है ? यदि हॉ, तो ऐसे कितने शिक्षक हैं जो प्रतिनियुक्ति में भिन्न-भिन्न स्थानों में कार्यरत है ? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में क्या सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति में प्रतिबंध के बावजूद प्रतिनियुक्ति पर अतिरिक्त प्रभार दिए गए कर्म. की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर अतिरिक्त प्रभार से हटाया जावेगा ? यदि हॉ, तो कब तक ? समय सीमा बतावें ? यदि नहीं, तो क्यों ? कारण सहित बतावें ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) रीवा जिले में आदिवासी विकास विभाग द्वारा विद्यालय संचालित नहीं है । **(ख)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

गॉधी मेडिकल कालेज भोपाल के कर्मचारियों की पदोन्नति

112. **(क्र. 1309) श्रीमती शीला त्यागी :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में कौन-कौन सी योजनाओं के अन्तर्गत किन-किन पदों की स्वीकृति प्राप्त है एवं इन पदों को भरने हेतु क्या-क्या निर्देश दिये गये ? उक्त निर्देशानुसार किस-किस योजना में किन-किन पदों की पूर्ति कर ली गई है ? **(ख)** उपरोक्त योजनाओं की स्वीकृति गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल को कब-कब प्राप्त हुई एवं आज दिनांक तक सभी पदों की पूर्ति क्यों नहीं हो पाई ? इसके लिये कौन जवाबदेह है ? **(ग)** क्या यह भी सत्य है कि अराजपत्रित शाखा (शाखा क्रं. 5) की प्रभारी द्वारा अपनी नियम विरूद्ध पदोन्नतियां की गई है, जबकि समय-समय पर इन्हीं पदों की पूर्ति नहीं होने के अनेकों कारण बताये जाते रहे हैं, ऐसा क्यों ? **(घ)** क्या शासन/विभाग उक्त भ्रष्ट शाखा प्रभारी को तत्काल निलंबित करते हुए इनके कार्यकाल में हुई समस्त नियुक्यिों/पदोन्नतियों की जांच करवायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (**क**) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । (**ख**) विवरण संलग्न परिशिष्ट में समाहित है । (**ग**) जी नहीं । विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में विभागीय सेवा भरती नियमों के प्रावधानों के अनुसार पात्र कर्मचारियों को वरियता एवं योग्यता के अनुरूप पदोन्नति की अनुशंसा के पश्चात ही अधिष्ठाता, भोपाल द्वारा पदोन्नति आदेश जारी किये गये है । एकल पद हेतु रोस्टर संधारण के निर्देश न होने तथा योग्य पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण रिक्त पद की पूर्ति नहीं की गई थी । योग्य उम्मीदवार की उपलब्धता के पश्चात पात्र कर्मचारी की पदोन्नति अधिष्ठाता द्वारा नियमानुसार की गई है । (**घ**) उत्तरांश 'ग' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट -"उन्चालीस"

प्रथम/द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान दिये जाने के निर्देश जारी किया जाना

113. **(क्र. 1319) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि म.प्र. शासन वित्त विभाग के द्वारा आदेश दिनॉक 24 जनवरी, 2008 एवं 1 अप्रैल, 2008 के अनुसार शासन के समस्त कर्मचारियों को निश्चित सेवा अवधि के बाद प्रथम/द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान दिये जाने के निर्देश जारी किये गये है ? **(ख)** यदि हॉ तो आदेश परिपालन में स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा सागर जिले में कितने लेखापालों को जो सहायक ग्रेड-2 के समान वेतनमान 4000-6000 (वेतन बैंड 5200-20200+2400) मैं कार्यरत थे, उन्हें भी सहायक ग्रेड-2 के तरह समयमान वेतनमान 4500-7000 (वेतन बैंड 5200-20200+2800) की पात्रता संबंधी आदेश जारी कर लाभान्वित किया गया है ? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** में वर्णित जिन लेखापालों को द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान दिया गया था उनमें से कितने लेखापाल कब-कब और किस-किस दिनॉक को सेवा निवृत्त हो चुके है ? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के अनुसार सेवानिवृत्त हुए लेखापालों को कोषालय से पेंशन कार्यालय से पेंशन प्राधिकारी पत्र (पी.पी.ओ.) जारी हो चुके है या नहीं ? यदि हॉ तो क्या उन्हें विभाग द्वारा दिये गये समयमान वेतनमान की वसूली पेंशन कार्यालय/कोषालय द्वारा की गई है ? यदि हॉ तो किस-किस लेखापाल से द्वितीय समयमान की वसूली कर पी.पी.ओ. जारी किये गये है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (**क**) जी हां । (**ख**) सागर जिला अंतर्गत सहायक ग्रेड-2 के समान वेतनमान 4000-6000 (वेतन बैंड 5200-20200+2400) में कार्यरत 38 लेखापालों को प्रश्नांश ''क'' में वर्णित

आदेश के परिपालन में द्वितीय समयमान 4500-7000 (वेतन बैंड 5200-20200+2800) में पात्रता संबंधी आदेश जारी किये गये है । **(ग)** जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । **(घ)** जी हां । इनमें से 1 लेखापाल श्री गोवर्धन अहिरवार से वसूली की जाकर पी.पी.ओ. जारी किया गया है ।

परिशिष्ट -"चालीस"

<u>असफल नसबंदी ऑपरेशन</u>

114. **(क्र. 1320) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सागर जिले में विगत तीन वर्ष में प्रश्न दिनॉक तक कितने नसबंदी ऑपरेशन किये गये है ? स्वास्थ्य केन्द्रवार बतावें ? **(ख)** इनमें से कितने सफल हुए और कितने ऑपरेशन असफल रहे ? असफल रहने के कारण कितने पीड़ितों को क्षतिपूर्ति राशि (मुआवजा राशि) एवं अन्य सुविधाऐं प्रदान की गई है ? पीड़ितों के नाम एवं पते सहित जानकारी देवें ? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** के अनुसार नसबंदी ऑपरेशन के असफल रहने पर कितने पीड़ितों को अभी तक क्षतिपूर्ति राशि प्रदान नहीं की गई है और क्यों ? कारण सहित बतायें ? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** के अनुसार नसबंदी ऑपरेशन के असफल रहने पर क्या किसी पुरूष/महिला की मृत्यु भी हुई है ? यदि हॉ तो किस-किस की मृत्यु हुई तथा प्रकरण में संबंधित को कितनी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया गया है और संबंधित दोषी पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ"** अनुसार । **(ख)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब"** अनुसार । **(ग)** वर्ष 2011-12 में 116 प्रकरण तथा 2012-13 में 63 प्रकरण आई.सी.आई. लोम्बार्ड बीमा कम्पनी द्वारा प्रकरण निरस्त कर दिये जाने के कारण क्षतिपूर्ति राशि प्रदान नहीं की गई, जबकि वर्ष 2013-14 के 62 प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही प्रचलन में है । वर्ष 2014-15 के 25 नवम्बर 2014 तक संपादित नसबंदी ऑपरेशन में से किसी के भी असफल होने की जानकारी प्राप्त नहीं हुई । **(घ)** जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>सिंहस्थ 2016 अंतर्गत विभाग की बैठकें</u>

115. **(क्र. 1325) डॉ. मोहन यादव :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन सिंहस्थ 2016 के दृष्टिगत लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा कब-कब कितनी-कितनी बैठक आयोजित की गई ? इन बैठकों में कौन-कौन जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी शामिल हुए ? बैठक में किन-किन मुख्य कार्यों पर समीक्षा हुई ? समीक्षा उपरांत कार्य की प्रगति रिपोर्ट से अवगत करावे ? **(ख)** सिंहस्थ 2016 के दृष्टिगत उज्जैन में कौन-कौन से नवीन अस्पताल प्रस्तावित है ? पुराने अस्पतालो में क्या-क्या सुविधाऐं दी जाएगी ? कहॉ-कहॉ पर अस्थाई चिकित्सालयों का निर्माण किया जावेग इस संबंध में अगर कोई कार्य योजना हो तो उससे भी अवगत करावे ? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में सिंहस्थ के दृष्टिगत विभाग को कितनी राशि अपेक्षित है ? कितनी राशि प्राप्त हो चुकी है, तथा कितनी खर्च की जा चुकी है ? **(घ)** क्या विभाग द्वारा शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में सिंहस्थ के दृष्टिगत जनप्रतिनिधियों के साथ कोई विशेष बैठक आयोजित की जाएगी ? यदि हॉ, तो कब तक ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) उज्जैन सिंहस्थ 2016 के दृष्टिगत दिनांक 27/10/2014 को माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में, भोपाल में, दिनांक 19/11/2014 को माननीय प्रभारी मत्रीजी की अध्यक्षता में उज्जैन मे बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला

प्रशासन/मेला प्रशासन एवं समस्त विभागों के अधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे । दिनांक 20/11/2014 एवं 21/11/2014 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में बैठक आयोजित की गई थी जिसमे सिंहस्थ 2016 के प्लान पर विस्तृत चर्चा की गई । दिनांक 25/11/2014 को स्वास्थ्य आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में बैंठक का आयोजन किया गया जिसमें संचालक स्वास्थ्य सेवायें, संभागीय संयुक्त स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला उज्जैन, प्रभारी अधिकारी माधवनगर अस्पताल, जिला टीकाकरण अधिकारी, सर्जिकल/मेडिकल विशेषज्ञ जिला मलेरिया अधिकारी, भण्डार प्रभारी, हाउसिंग बोर्ड के प्रतिनिधि एवं 108 एम्बुलेंस के प्रतिनिधि उपस्थित थे । बैठक में मुख्य रूप से उज्जैन जिला चिकित्सालय परिसर में नवनिर्मित 450 बिस्तरीय अस्पताल के निमार्ण, मानव संसाधन, आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था, 108 एम्बुलेंस वाहन की उपलब्धता, नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था, पंचकोशी यात्रा हेतु व्यवस्था, आकस्मिकता को देखते हुए 100 अतिरिक्त बैड्स की वैकल्पिक व्यवस्था, इन्टेन्सिव एवं क्रिटीकल केयर हेतु स्टाफ नर्स का प्रशिक्षण, मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की शुगर जॉच/ब्लड प्रेशर की जॉच एवं स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न हितग्रही मूलक योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार एवं निजी क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी में भागीदारी की समीक्षा की गई । वर्तमान में 450 बिस्तरीय निर्माणधीन अस्पताल में नीव भरने का कार्य प्रगति पर है एवं निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये तथा प्रदेश के निजी चिकित्सालयों से समन्वय स्थापित कर स्वास्थ्य सेवाओं में भागीदारी हेतु निर्देशित किया गया है । **(ख)** उज्जैन सिंहस्थ 2016 के दृष्टिगत उज्जैन में 450 बिस्तरीय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण प्रस्तावित होकर निमार्णाधीन है । जीवाजीगंज अस्पताल में मुख्य भवन का उन्नयन 2 एफ टाईप, 2 जी टाईप भवनों के साथ ट्यूबेल खनन व बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृती रूपये 139.00 लाख की जारी हुई है एवं निविदा आमंत्रित की गई है । निर्माण कार्य प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रचलन में हैं पुराने अस्पतालों में रोगियों को समस्त प्रकार की मूलभूत एवं आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाए उपलब्ध कराई जावेगी । सिंहस्थ मेला क्षेत्र एवं सेटेलाईट टाउनों पर स्थापित किये जाने वाले अस्थाई चिकित्सालयों/डिस्पेंसरियों की जानकारी निम्नवत है:- सिंहस्थ मेला क्षेत्र को मेला प्रशासन द्वारा निम्नाकित 6 झोनों मे विभाजित किया गया :-

1.	दत्त अखाडा
2.	उजड़खेडा
3.	महाकाल झोन
4.	भैरवगढ झोन
5.	मंगलनाथ झोन
6.	न्यू झोन

प्रत्येक झोन में विभाग द्वारा मेला अवधि में एक 20 बिस्तरीय अस्थाई चिकित्सालय, पॉच 06 बिस्तरीय डिस्पेसरी तथा 01 मोबाईल डिस्पेसरी स्थापित की जाना प्रस्तावित है । इस प्रकार मेला क्षेत्र में :-

1.	20 बिस्तरीय चिकित्सालय - कुल 06
2.	06 बिस्तरीय डिस्पेंसरी - कुल 30
3.	मोबाईल डिस्पेसरी - कुल 06

अस्थाई रूप से स्थापित किये जावेगें । साथ ही निम्नांकित 06 सेटेलाईट टाउन क्रमश- इंजीनियरिंग कालेज के पास इन्दौर रोड, लालपुर (देवास रोड़), पंवासा मक्सी रोड, चकभदेड़ उन्हैल रोड, कमेड़ आगर रोड, रेल्वे

क्रासिंग बडनगर रोड पर भी 06 बिस्तरीय अस्थाई डिस्पेंसरी मेला अवधि के दौरान स्थापित की जाना प्रस्तावित है । **(ग)** प्रश्नांश ''क'' के संदर्भ में सिंहस्थ के दृष्टिगत शासन द्वारा 450 बिस्तरीय निर्माणधीन एमसीएच सेन्टर हेतु गृहनिमार्ण मण्डल उज्जैन को निर्माण एजेन्सी नियुक्त किया गया है । इस एमसीएच सेन्टर हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपये 74.43 करोड़ है । जिसमें से निम्नांकित मदों से सम्मुख दर्शाई गई राशि गृह निर्माण मण्डल उज्जैन को आवटित की जाना है :-

स.क्र.	मद का नाम	आवंटित राशि	गृहनिर्माण मण्डल उज्जैन को आवंटित राशि	खर्च की गई राशि
1	एन.एच.एम.	रूपये 35 करोड़		
2	डी.एफ.आई.डी.	10 करोड़		
3	सिंहस्थ	9.43 करोड़	15 करोड़	01 करोड़

विभाग द्वारा प्रस्तावित सिंहस्थ प्लान एवं अपेक्षित बजट की कार्ययोजना तैयार की जा रही है । **(घ)** जी हॉ । यथासंभव शीघ्र ।

वन अधिकार पत्र का वितरण

116. **(क्र. 1331) श्री मुकेश नायक :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पन्ना जिले में वन अधिकार कानून, 2006 के लागू होने के बाद अक्टूबर, 2014 तक कितने व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र जारी किये गये ? इनमें सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों की संख्या क्या है ? **(ख)** उपरोक्त कानून के संदर्भ में पन्ना जिले में अब तक कितने गांवों में सामुदायिक निस्तार के लिए कितनी हैक्टेयर वनभूमि का सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किया गया है ? **(ग)** वन विभाग के द्वारा पन्ना जिले में कितने गांवों के आसपास वनभूमि पर तार फेंसिंग की कार्यवाही वन अधिकार कानून के लागू होने के बाद की गयी है और इन गांवों में क्या सामुदायिक निस्तार के अधिकार के लिए सामुदायिक वन अधिकार प्रदान किया गया है अथवा नहीं ? **(घ)** पन्ना जिले में जिन क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा तार फेंसिंग की योजना बनायी गयी है, उन क्षेत्रों में सामुदायिक निस्तार का वन अधिकार कब तक बांटी जायेगी और उसके लिए क्या योजना बनायी गयी हैं ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) प्रश्नांश अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के 2496 एवं अन्य परम्परागत वर्ग के 08 कुल 2504 व्यक्तियों को वन अधिकार प्रमाण-पत्र प्रदाय किये गये हैं । अधिनियम में वन निवासी व्यक्तियों के दो वर्ग अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वर्ग निर्धारित है । **(ख)** जिले के 20 ग्रामों में सामूदायिक निस्तार के लिये 55909.93 हेक्टयर वन क्षेत्र पर 26 सामूदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किये गये हैं । **(ग)** जिले में वन विभाग द्वारा 20 ग्रामों के वन क्षेत्र में वृक्षारोपण कर तार फेंसिंग किया गया है, इन ग्रामों में 26 सामूदायिक वन अधिकार पत्र प्रदाय किये गये हैं । जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** अनुसार है । **(घ)** वन विभाग की तार फेंसिंग की वर्तमान में कोई योजना नहीं है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

शालाओं को राशि का आवंटन

117. **(क्र. 1332) श्री मुकेश नायक :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वर्ष, 2013-14 एवं 2014-15 में पन्ना जिले की कितनी निजी शालाओं को कितनी फीस प्रतिपूर्ति के लिये राशि आवंटित की गई ? राशि आवंटित करने के पूर्व कितनी शालाओं में दर्ज छात्र संख्या एवं फीस

प्राप्त करने वाले छात्रों का सत्यापन कराया गया ? सत्यापन किन शासकीय कर्मचारियों द्वारा किया गया कितने छात्रो के इनरोलमेंट फर्जी पाये गये ? यदि पाये गये तो उन शालाओं के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? **(ख)** वर्ष, 2014-15 में जिला परियोजना समन्वयक द्वारा जिले की शालाओं का निरीक्षण किया गया ? निरीक्षण के दौरान पाई गयी अनियमितताओं एवं अनुपस्थित शिक्षकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) वर्ष 2013-14 के लिए 75 निजी स्कूलों द्वारा फीस प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए । इन विद्यालयों को फीस प्रतिपूर्ति की राशि जारी करने की कार्यवाही प्रचलन में है । वर्ष 2014-15 की फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही अभी प्रारंभ नहीं हुई है क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य द्वारा बनाए गए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 में फीस प्रतिपूर्ति प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के अंत में मार्च में किए जाने का प्रावधान है । वर्ष 2013-14 के लिए जिले द्वारा 209 निजी स्कूलों का सत्यापन अभी तक कराया गया है । सत्यापन का कार्य विद्यालय से संबंधित नोडल अधिकारी/जनशिक्षक द्वारा कराया गया है । इनमें से किसी भी विद्यालय में फर्जी छात्र होने का लेख नहीं पाया गया । अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । **(ख)** जी हां, "जानकारी **संलग्न परिशिष्ट** अनुसार है ।"

परिशिष्ट -"इकतालीस"

<u>प्रा. और मा. विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था</u>

118. **(क्र. 1333) श्री मुकेश नायक :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सागर जिले में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कितने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पृथक शौचालय और शौचालय का निर्माण कार्य कराया गया ? टूट-फूट के कारण कितने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय बंद पड़े हुए है ? **(ख)** शौचालय विहीन और पृथक शौचालय विहीन प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की संख्या क्या है ? **(ग)** प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय विहीन और पृथक शौचालय विहीन विद्यालयों में शौचालय निर्माण और टूट-फूट के कारण बंद पड़े शौचालयों के पुनर्निर्माण के लिए क्या योजना बनायी गयी है और इसको कब तक पूरा कर लिया जावेगा ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) सागर संभाग में अप्रेल 2008 से अक्टूबर 2014 तक प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में कुल 4525 पृथक शौचालय और 654 शौचालय का निर्माण कार्य कराया गया है । टूट-फूट के कारण प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 537 शौचालय और 1007 पृथक शौचालय बंद पड़े हैं । जिलावार विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र	जिला	शौचालय			पृथक शौचालय		
		प्राथ.	माध्य.	योग	प्राथ.	माध्य.	योग
१	सागर	७५	७९	१५४	१०४४	४२२	१४६६
२	छतरपुर	०	०	०	६११	७०	६८१
३	पन्ना	३६०	३०	३९०	४६२	४३७	८९९
४	दमोह	४७	१२	५९	५९६	१७९	७७५
५	टीकमगढ़	४५	६	५१	६४८	५६	७०४
योग		५२७	१२७	६५४	३३६१	११६४	४५२५

टूट फूट के कारण बंद पडे शौचालय

क्र	जिला	शौचालय			पृथक शौचालय		
		प्राथ.	माध्य.	योग	प्राथ.	माध्य.	योग
१	सागर	१७	४	२१	५५	१०	६५
२	छतरपुर	४०	१२	५२	२४	८	३२
३	पन्ना	३०६	२५	३३१	५५४	१०७	६६१
४	दमोह	८५	२९	११४	१६३	४४	२०७
५	टीकमगढ़	१५	४	१९	३६	६	४२
	योग	४६३	७४	५३७	८३२	१७५	१००७

(ख) सागर संभाग में कुल ८५३ शौचालय विहीन और ११०१ पृथक शौचालयविहीन प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय हैं जिलावार विवरण निम्नानुसार हैं-

क्र	जिला	शौचालय			पृथक शौचालय		
		प्राथ.	माध्य.	योग	प्राथ.	माध्य.	योग
१	सागर	०	०	०	५	४	९
२	छतरपुर	७३	५६	१२९	५३१	२११	७४२
३	पन्ना	३२२	२ ३०	५५२	५३	२४	७७
४	दमोह	१०४	४७	१५१	१९९	७४	२७३
५	टीकमगढ़	१२	९	२१	०	०	०
	योग	५११	३४२	८५३	७८८	३१३	११०१

(ग) प्राथमिक ओर माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय विहीन ओर पृथक शौचालय विहीन विद्यालयों में टूट फूट के कारण बंद पडे शौचालयों के पुर्ननिर्माण के लिये सर्व शिक्षा अभियान के अतंर्गत भारत शासन से वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत कराकर निर्माण कराया जाता है । समय सीमा बताना संभव नहीं है ।

<u>जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों के पद</u>

119. **(क्र. 1342) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला चिकित्सालय बैतूल में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं ? **(ख)** क्या यह सही है कि स्वीकृत पदों की तुलना में काफी कम चिकित्सक बैतूल में पदस्थ है ? यदि हॉ, तो चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ? **(ग)** क्या जिला मुख्यालय पर 100 बिस्तरों का चिकित्सालय स्वीकृत है ? यदि हॉ, तो इसका निर्माण कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जिला चिकित्सालय बैतूल में विशेषज्ञों के 33 एवं चिकित्सा अधिकारी के 21 पद स्वीकृत हैं । **(ख)** जी हां, विशेषज्ञों के 21 एवं चिकित्सा अधिकारी के 05 पद रिक्त है । विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी होने के कारण शतप्रतिशत रिक्त पदों की पूर्ति किए जाने में कठिनाई है, पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है, चिकित्सा अधिकारी हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा जून 2014 में 1271 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया जा चुका है । चयन सूची प्राप्त होने के उपरांत

उपलब्धता के आधार पर पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी । पद पूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है । **(ग)** जी नहीं, जिला चिकित्सालय बैतूल 300 बिस्तरीय चिकित्सालय के रूप में संचालित है । जिला चिकित्सालय बैतूल में वर्तमान में स्थापित भवन को कनेक्ट करते हुए 100 बिस्तरीय अस्पताल भवन के निर्माण स्वीकृति हेतु कार्य योजना बनाने की कार्यवाही प्रचलन में है ।

स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण

120. **(क्र. 1343) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बैतूल जिले के अन्तर्गत स्वीकृत कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण कार्य अपूर्ण हैं ? किन कारणों से अपूर्ण हैं ? **(ख)** क्या समस्त पूर्ण भवनों का हस्तानान्तरण चिकित्सा विभाग को कर दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) बैतूल जिले के 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण कार्य अपूर्ण है । निर्माण कार्य अपूर्ण का विवरण निम्नानुसार है- 1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आठनेर - पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रक्रिया प्रचलन में है । 2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभातपटट्नम - पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में विलंब के कारण दिनांक 06.08.2014 को कार्यादेश जारी किया गया एवं वर्तमान में कार्य प्रगति पर है । 3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेहरा - भवन पूर्ण । एपरोच रोड का निर्माण प्रगति पर है 4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - हिडली, कार्य पूर्ण । दिनांक 10.07.2014 को हस्तांतरित । 5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - रानीपुर, कार्य फिनिशिंग स्तर पर, प्रगति पर है । 6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - मोथा, कार्य फिनिशिंग स्तर पर, प्रगति पर है । 7. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - साबलमेढा, कार्य छत स्तर पर, प्रगति पर है । 8. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - मोरखा, कार्य फिनिशिंग स्तर पर, प्रगति पर है । 9. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - भौंरा, कार्य फिनिशिंग स्तर पर, प्रगति पर है । **(ख)** जी हां । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हिडली का कार्य पूर्ण होकर दिनांक 10.07.2014 को स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित हो गया है ।

पुरस्कारों के संबंध में

121. **(क्र. 1354) श्री बाला बच्चन :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पंडित कुंजीजाल दुबे संसदीय विद्यापीठ द्वारा संसदीय पत्रकारिता रिपोर्टिंग पुरस्कार वर्ष 2013-14 के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन की छायाप्रति उपलब्ध करावें ? विज्ञापन के अनुसार अंतिम तिथि तक पुरस्कार के लिए प्राप्त हुए सभी आवेदन पत्रों की संख्या उपलब्ध करावें ? **(ख)** संसदीय पत्रकारिता रिपोर्टिंग पुरस्कार नियम 2011 के अनुसार चयन समिति की बैठक वर्ष 2013-14 के पुरस्कार का चयन करने के लिए किस दिनांक को आयोजित हुई ? उक्त बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों,सदस्यों के नाम,पदनाम का विवरण देवें ? **(ग)** क्या यह सही है कि विद्यापीठ में आग लगने के कारण संसदीय पत्रकारिता रिपोर्टिंग 2013-14 पुरस्कार के लिए प्राप्त आवेदन आग में जलकर नष्ट हो गये थे ? यदि हां, तो विद्यापीठ द्वारा सभी आवेदकों से पुन: आवेदन मंगवाने के लिए क्या कार्यवाही की गई यदि पुन: आवेदन मंगवाने के लिए पत्र भेजा गया तो पत्र की छायाप्रति एवं जिन आवेदकों को यह पत्र भेजा गया उनके नाम बतायें ? **(घ)** विद्यापीठ द्वारा पत्र भेजने के उपरांत पुन: आवेदन जमा किये जाने की अंतिम तिथि क्या थी ? अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण उपलब्ध करावें ? क्या पुरस्कार पाने वालों में ऐसे लोग भी शामिल है जिन्होंने आवेदन नहीं किया था ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) विज्ञापन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 में है । विज्ञापन के अनुसार अंतिम तिथि तक 5 आवेदन प्राप्त हुए थे । **(ख)** दिनांक 9.7.2014 को । बैठक में श्रीमती कंचन जैन, महानिदेशक, संसदीय विद्यापीठ, श्री विजयदत्त श्रीधर, वरिष्ठ पत्रकार, श्री लाजपत आहुजा, संचालक, जनसम्पर्क, श्री एल.सी.मोटवानी, संचालक, विद्यापीठ तथा श्री राजेश गुप्ता, उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग उपस्थित थे । **(ग)** जी हां । भेजे गए पत्रों की छाया प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 पर हैं । **(घ)** पत्र दिनांक 7.7.2014 द्वारा आवेदन दिनांक 8.7.2014 तक उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी । विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 पर है । जी नहीं ।

<u>विभाग की अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारी को शिक्षा विभाग के समान वेतनमान दिया जाना</u>

122. **(क्र. 1356) श्री बाला बच्चन :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विभाग की अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों को कौन सा वेतनमान एवं किस दर से महँगाई भत्ता दिया जा रहा हैं ? वर्तमान स्वीकृत वेतनमान एवं महँगाई भत्ता दर भी बताए ? **(ख)** क्या यह सच है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार शिक्षा विभाग की अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों को पॉचवें एवं छठे वेतनमान का लाभ दिया जा रहा हैं, परंतु आदिम जाति कल्याण विभाग की अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है ? **(ग)** उपरोक्त भेदभाव कब तक समाप्त कर आदिम जाति विभाग की अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों को शिक्षा विभाग के समान वेतनमान एवं महँगाई भत्ता दिया जायेगा ? समय सीमा बताए ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (**श्री ज्ञान सिंह**) **: (क)** अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को केन्द्रीय वेतनमान 01 जुलाई 1994 से दिया जा रहा है एवं शासनादेश क्रमांक 932/एफ-10-16/2011/4/25 दिनांक 14/6/2011 के द्वारा 1/4/2008 से 362 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है । **(ख)** जी हाँ । जी हाँ । **(ग)** कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

<u>चोपना क्षेत्र (बैतूल) में चिकित्सालय</u>

123. **(क्र. 1367) श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** चोपना क्षेत्र में चिकित्सालय भवन किस मद से बना है ? **(ख)** पुनर्वास विभाग (म.प्र.) द्वारा चोपना (बैतूल) कब चिकित्सालय स्वीकृत हुआ था ? **(ग)** चिकित्सालय चोपना में आज तक प्रारंभ नहीं हुआ कौन जिम्मेदार है ? **(घ)** म.प्र. शासन चिकित्सालय कब स्वीकृत करेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) चोपना क्षेत्र में चिकित्सालय भवन पुर्नवास विभाग द्वारा पुर्नवास मद से बना है । **(ख)** दिनांक 25.01.1991 को स्वीकृत हुआ था । **(ग)** ग्राम चोपना में उपस्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है, जो पुर्नवास विभाग द्वारा निर्मित भवन में संचालित किया जा रहा है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । **(घ)** उत्तरांश **(ग)** के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

<u>पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की संख्या</u>

124. **(क्र. 1380) श्री उमंग सिंघार :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र की वे कंपनियाँ जिसमें 100 या 100 से अधिक कुशल, अकुशल कर्मचारी पदस्थ है, जिनकी

भविष्य निधि कंपनियों द्वारा जमा की जाती है, उन कंपनियों के नाम बताएं ? **(ख)** जनवरी 2013 से आज दिनांक तक विभाग द्वारा पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र की सभी कंपनियों का निरीक्षण कब-कब किया गया ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) पीथमपुर आद्वयोगिक क्षेत्र की वे कंपनियां जिसमें 100 या 100 से अधिक कुशल, अकुशल कर्मचारी पदस्थ है, जिनकी भविष्य निधि कंपनियों द्वारा जमा की जाती है, उन कंपनियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 1 अनुसार है । **(ख)** जनवरी 2013 से आज दिनांक तक विभाग द्वारा पीथमपुर औद्वयोगिक क्षेत्र की कंपनियों के किये गये निरीक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 2 अनुसार है ।

गैस राहत में कार्यरत कर्मचारियों का नियमितिकरण

125. **(क्र. 1382) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 8 मार्च, 2006 के अता. प्रश्न संख्या 52 (क्र.3508) एवं 25 जुलाई, 2006 के ता. प्रश्न संख्या 11 (क्र. 1096) में दिए गए उत्तर पर संचालनालय गैस राहत के कर्मचारियों का नियमितीकरण की कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? **(ख)** प्रश्नांश के उत्तरों में स्पष्ट उल्लेख किया था कि शासकीय कर्मचारी को अस्थाई पदों पर शासकीय सेवकों को नियमितीकरण क्रमोन्नति/पदोन्नति पर कार्यवाही की जा सकती है ? क्या अभी तक पूर्ण नहीं की गई है ? यदि नहीं, तो कब पूर्ण की जावेगी ? समय-सीमा बताएं ? **(ग)** गैस राहत विभाग की अधीनस्थ ईकाई में कार्यरत कर्मचारियों में से मात्र एक कर्मचारी को वर्ष 1985 से दैनिक वेतन पर नियुक्ति प्रदान कर आज तक नियमित कर कितनी बार क्रमोन्नति/पदोन्नति समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है ? यदि हां, तो संचालनालय गैस राहत के निकट भविष्य में अपनी अर्द्धवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी उपर्युक्त कर्मचारियों के सामान लाभ दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? **(घ)** क्या विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्ति से लेकर नियमितीकरण तक की सेवा के लिए अलग-अलग नियम/निर्देश हैं ? यदि हां, तो नियम बताएं ? **(ड.)** क्या शासन कर्मचारियों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (ड़) तक जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

वन भू अधिकार पट्टों के संबंध में

126. **(क्र. 1387) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** धार जिले में विधानसभावार वन अधिनियम, 2006 अंतर्गत व्यक्तिगत एवं सामूहिक कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए ? प्राप्त आवेदन में से कितने आवेदन स्वीकार, अस्वीकार और लंबित हैं ? आवेदन अस्वीकार करने के कारण, व लंबित प्रकरणों के निराकरण की समयावधि बतायें ? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के परिप्रेक्ष्य में, कितने अधिकार पत्र पात्र आवेदकों को सौंप दिये गये हैं व कितने अधिकार पत्रों का वितरण किया जाना शेष है और इनका वितरण कब किया जायेगा ? (समय सीमा बतायें) ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है ।